राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 11] दसवीं विधान सभा के ग्यारहवें सत्र का तेईसवां दिवस [संख्या : 15

मंगलवार;

28 जुलाई, 1998

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री समर्थलाल मीणा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न ।

श्री खेत सिंह राठौड़ (सचेतक, कांग्रेस दल) : अध्यक्ष महोदय, आज इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी एक विशाल रैली को लेकर पार्लियामैंट हाउस की तरफ बढ़ रही हैं । (व्यवधान) मान्यवर....

श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : बात तो सुनो ।

श्री टीकमचन्द कान्त (सिवाना) : उन्होंने अभी इलेक्शन लड़ा भी नहीं है, एम.पी. भी नहीं बनी हुई हैं, पार्लियामैंट हाउस कैसे जा रही हैं ? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र गहलोत (राज्य मंत्री, जन सम्पर्क) : जिनकी आस्था नहीं है वे यहां बैठे हुए हैं। ऐसा लगता है कि आपकी आस्था नहीं है इसमें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न । श्री हीरालाल इन्दौरा ।

श्री खेत सिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि कि महंगाई कमरतोड़ हो गई है । आज टमाटर एक किलो 44 रुपये में मिल रहा है । खाने के लिए कोई भी सब्जी चाहे टिण्डे हों, भिण्डी हों, 25 रुपये किलो सब्जी मिल रही है....(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : ... और कोई चलने की श्रद्धा नहीं थी, आपकी समझ में आती है । यह तो प्रश्नकाल के बाद का सवाल है । अध्यक्ष महोदय, यह नई परम्परा है, ये थोड़ी देर बाद कुएं में आएंगे ।

श्री खेत सिंह राठौड़ : महंगाई इतनी भारी बढ़ गई है, अध्यक्ष महोदय, कि मेरे जैसे व्यक्ति ने एक टाइम खाना शुरू कर दिया है। इस महंगाई के कारण आज हालात इतने बिगड़ गये हैं कि मिडल क्लास के आदमी का जीना मुश्किल हो गया है, उनके बच्चों का पेट भरना मुश्किल हो गया है । सब्जी तो नामो-निशान के लिए भी वे घर में लाते नहीं हैं, एक दाल पर आज अपना स्वास्थ्य कायम रख रहे हैं । मैं आपसे स्वयं कहता हूं कि एक दाल और रोटी खाकर यहां हाजिर हुआ हूं । मेरी परिस्थितियां ऐसी हैं तो मेरे से कमजोर आदमी के लोग हैं

श्री महावीर प्रसाद जैन : आज काफी मुरझाये-मुरझाये नजर आ रहे हैं। माननीय खेतसिंह जी के खून की कमी हो गई है ।

श्री खेत सिंह राठौड़ : जिनकी फाइनेंशल पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है

(श्री खेत सिंह राठौड़)

उनका क्या हाल होगा ? इस सरकार के आने के बाद गरीब–गरीब होता चला गया आज हालात ये हो गये कि गरीब को खाने को पूरा धान, पूरी सब्जी और कोई चीज नहीं मिल रही हैं....

श्री महावीर प्रसाद जैन : आज दिल्ली आपको नहीं बुलाया गया ? खेतसिंह जी, आपको आज दिल्ली नहीं बुलाया क्या या आपको टिकट नहीं चाहिए ?

श्री खेत सिंह राठौड़ : मान्यवर, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से कांग्रेस आगे बढ़ रही है और पार्लियामेंट हाउस की तरफ आज लाखों–लाखों आदमी बढ़कर वहां डिमोस्ट्रेशन कर रहे हैं, यह आपके जुल्म, आपकी ज्यादतियों, आपकी तरफ से कानून व्यवस्था का बिगड़ा होना, इस बात का द्योतक है । भारत सरकार के गृह मंत्री ने भी माना है कि दिल्ली में कानून व्यवस्था बेहद बिगड़ी हुई है । यहां पर भी आपके हालात बेहद नाजुक हैं–औरतों पर अत्याचार, और क्या–क्या नहीं हो रहा है इस राज्य के अन्दर । इसलिए, मान्यवर, हम आपसे यह निवेदन करना चाहते हैं कि कमरतोड़ महंगाई के कारण लोगों का जीना मुश्किल हो गया है और कांग्रेस पार्टी आज यह भारी एक एजिटेशन कर रही है, उसको सफल बनाने के लिए हम एकजुट हैं । (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : प्रश्नकाल चलाओ, माननीय अध्यक्ष महोदय ।

श्री राजेन्द्र चौधरी : जो हालात राजस्थान के हैं खराब हैं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्रश्न । श्री हीरालाल इन्दौरा । (व्यवधान) कृपया बिराजें । (व्यवधान) माननीय सदस्य, कृपया बिराजें । (व्यवधान) कृपया बिराज जाएं । (व्यवधान) माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है । (व्यवधान) आसन पैरों पर है, माननीय सदस्य (व्यवधान) श्री राजेन्द्र चौधरी, आसन पैरों पर है । (व्यवधान) कृपया बिराजें, माननीय सदस्य ।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत (भीम) : अध्यक्ष महोदय, रुपये का अवमूल्यन हो गया है और (व्यवधान) महंगाई बढ़ रही है । (व्यवधान)....पूरी तरह से बरबाद हो रहा है । (व्यवधान) पहले केन्द्र सरकार के जन विरोधी बजट के कारण उस गरीब की हालत....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : 40 रुपये किलो टमाटर हो गया है, 40 रुपये किलो, और 20 रुपये किलो और सब्जियां हो गई हैं । (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : गरीब की कमर टूट गई है । (व्यवधान) पहले यह कहा जाता था कि दाल रोटी खाओ, प्रभू के गुण गाओ । बाद में यह कहने लगे कि साग–रोटी खाओ प्रभू के गुण गाओ। लेकिन अध्यक्ष महोदय, आज दाल रोटी भी नहीं खायी जा सकती, गरीब व्यक्ति बरबाद हो रहा है । (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : माननीय अध्यक्ष महोदय,....यह प्रश्नकाल स्थगित करके महंगाई पर चर्चा कराई जाए । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया बिराजें । माननीय सदस्य । अंकित नहीं होगा । (व्यवधान)

(श्री अध्यक्ष)

अंकित नहीं हो रहा है । अंकित नहीं हो रहा है, माननीय सदस्य । अंकित नहीं हो रहा है, कृपया बिराजें । (व्यवधान) कृपया बिराजें, अंकित नहीं हो रहा है । (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : × × ×

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : × × ×

श्री राजेन्द्र चौधरी : × × × (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री राजेन्द्र चौधरी । श्री राजेन्द्र चौधरी । श्री राजेन्द्र चौधरी । मैं आपको नाम से पुकार रहा हूं । (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र चौधरी : × × ×

श्री अध्यक्ष : आप यहां अभद्र व्यवहार कर रहे हैं । यह मैंने दबा रखा है, मैंने रोक रखा है, उधर कहां देख रहे हैं आप ? आप बिराजिये । (व्यवधान) मैंने निवेदन कर दिया, अंकित नहीं हो रहा है । आप बिराजिये ।

श्री राजेन्द्र चौधरी : × × ×

श्री अध्यक्ष : माइक मेरे हाथ में है, मैंने बंद कर रखा है । बिराजिये आप । बिराजिये । कृपया बिराजें । (व्यवधान) अंकित नहीं हो रहा है, बोलने से कोई फायदा नहीं । अंकित नहीं हो रहा है ।

श्री परसादीलाल मीणा : × × ×

श्री रामचन्द्र रावत : × × ×

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : × × ×

श्री अमरराराम (धोद) : × × ×

श्री ओमप्रकाश शर्मा : × × ×

श्री राजेन्द्र चौधरी : × × × (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न । श्री हीरालाल इन्दौरा (अनुपस्थित) । श्री गोविन्द सिंह गुर्जर । श्री गोविन्द सिंह । प्रश्न संख्या (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : × × ×

श्री अध्यक्ष : आयोजना मंत्री महोदय । कृपया बिराजें । बिराजें । (व्यवधान) व्यवधान अंकित नहीं हो रहा है । व्यवधान अंकित नहीं हो रहा है । (व्यवधान)

(कांग्रेस दल, के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री अमरराराम (धोद) : × × ×

(माकपा दल, के माननीय सदस्य द्वारा सदन से बहिर्गमन)

प्रश्न संख्या : 323

श्री अध्यक्ष : प्रश्न । श्री हीरालाल इन्दौरा ।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या : 324

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर । कृपया बिराजें । (व्यवधान)

माननीय मंत्री महोदय । कृपया व्यवस्था बनाये रखें । (व्यवधान)

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें ।

प्रश्न संख्या : 325

श्री हरजीराम बुरड़क ।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री मांगीलाल मेघवाल ।

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

(4)

सिंचित क्षेत्र, कापरेन (कोटा) में मिनी किट्स का वितरण

326. श्री मांगीलाल मेघवाल (केशवरायपाटन) एवं श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी): क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कोटा सिंचित क्षेत्र एवं तालेड़ा पंचायत समिति क्षेत्र में सहायक कृषि अधिकारी, कापरेन क्षेत्र ने कृषि पर्यवेक्षकों द्वारा मिनी किट्स बीज वितरण, विभिन्न किस्मों के प्रदर्शन एवं अनुदान पर विभिन्न फसलों के लिए पौध संरक्षण दवाइयां वितरित करवाई गई ?

(2) यदि हां, तो उक्त क्षेत्रों में वर्ष 1994–95 से 1997–98 में कहां कहां प्रदर्शन एवं वितरण किया गया ? मय राशि एवं विवरण लाभान्वित ग्राम क्षेत्रवार सदन की मेज पर रखें।

(3) कापरेन क्षेत्र में कार्यरत कृषि पर्यवेक्षकों के मुख्यालय उक्त स्थान पर कब से कार्यरत हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, कृषि (श्री अमराराम चौधरी) : (1) जी, हां। पौध संरक्षण रसायनों को कीट रोग प्रकोप होने पर मुख्यतः धान, सरसों व चना की फसल में विभागीय तकनीकी सिफारिश एवं निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अनुदानित दर पर कृषकों को क्षेत्र की सहकारी समितियों के मार्फत उपलब्ध कराया जाता है।

(2) सहायक कृषि अधिकारी, कापरेन पंचायत समिति, केशोरायपाटन के क्षेत्र में 7 कृषि पर्यवेक्षक कार्यरत हैं जिनके द्वारा विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुसार मिनी किट एवं प्रदर्शनों का आयोजन जो वर्ष 1994–95 से 1997–98 तक कराया गया है तथा इससे लाभान्वित ग्राम क्षेत्रवार विवरण संकलित कर प्रस्तुत है। (परिशिष्ट 1 से 4)

(3) सहायक कृषि अधिकारी, कापरेन में कार्यरत कृषि पर्यवेक्षक मुख्यालयों का विवरण निम्न प्रकार से हैं :—

1.	कापरेन	सीएडी के प्रारम्भ से ही जून, 1974
2.	रोटेड़ा	सीएडी के प्रारम्भ से ही जून, 1974
3.	हिंगोनियां	सीएडी के प्रारम्भ से ही जून, 1974
4.	बाजन्दा	सीएडी के प्रारम्भ से ही जून, 1974
5.	देहीखेड़ा	सीएडी के प्रारम्भ से ही जून, 1974
6.	बलकासा	जून, 1998
7.	लबान	जून, 1998

(विवरण के लिए परिशिष्ट—1 देखें)

श्री ओमप्रकाश शर्मा : अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि जो अनुदान दिया गया है जो दवाइयां, जो बीज दिये गये, किस-किस कैटेगरी के लोगों को दिये गये, किस-किस तारीख को दिये गये और किसको दिये गये ? क्या ये दवाइयां, यह अनुदान समय पर दिया गया या फसल ओरने के बाद, बीज ओरने के बाद दिया गया ? किस-किस सहकारी समिति के माध्यम से ये दवाइयां और अनुदान दिया गया ? उनकी सूची मेरे पास नहीं है, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा, वह भी बताने का कष्ट करें।

श्री अमराराम चौधरी : माननीय सदस्य की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि दवाइयां और खाद-बीज जो दिया जा रहा है वह सहकारी समिति के माध्यम से और बीज निगम के माध्यम से जो हमारी पंजीकृत दुकानें हैं, वहां से दिया जाता है। आपकी जो यह लिस्ट है परिशिष्ट–1 में, उसमें सारी विगत दी गई है। कितनी राशि का अनुदान दिया गया, कितने कृषकों को दिया गया और कौन-कौन से बीज के लिए दिया गया, सोयाबीन के लिए है कि धान के लिए है, यह सारा विवरण आपको परिशिष्ट–2 पर उपलब्ध है।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : अध्यक्ष महोदय, कुछ गांवों के नाम तो लिखे हुए हैं। आपने बताया समितियों के माध्यम से, मेरा स्पेसिफिक प्रश्न है कि गांवों में किस किसान को दिया गया ? क्या वह किसान भी है या नहीं है ? जब यह दवाई, बीज और अनुदान दिया गया, यह बीज ओरने के बाद दिया या पहले दिया ? यह मैंने पूछा है, इसका जवाब दिलवाएं।

श्री अमराराम चौधरी : अध्यक्षजी, माननीय सदस्य ने जो बात कही है यह इनके मूल प्रश्न में तो है नहीं, स्पेसिफिक यदि ये तारीख चाहते हैं तो मैं इनको अलग से लिस्ट दे दूंगा। पहले इन्होंने इस प्रकार की तारीख वगैरह नहीं मांगी थी, हमने अलग-अलग गांववाइज मिनी किट्स वगैरह जो दिये हैं उनका विवरण इनको दे दिया है।

श्री अध्यक्ष : जानकारी करके भिजवा दें माननीय सदस्य को।

श्री अमराराम चौधरी : इनको पूर्ण जानकारी दे दूंगा तारीखवाइज।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : ठीक। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री शिवकिशोर सनाढ्य।

गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं को अनुदान राशि में वृद्धि

327. **श्री शिवकिशोर सनाढ्य** (उदयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम एवं नियमों के पुनरीक्षण हेतु गठित समिति की रिपोर्ट किस स्तर पर विचाराधीन है तथा उसे कब तक लागू कर दिया जाएगा ?

(2) क्या यह सही है कि अनुदान नियम, 1993 के परिशिष्ट 8 में गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं के लिए अनुमोदित व्यय की जो दरें निर्धारित की गई हैं, उनमें त्रुटिवश माध्यम स्तर की एवं विशिष्ट प्रकार की संस्थाओं के नाम नहीं छपे हैं, इस कारण इस स्तर की संस्थाओं को पांच वर्षों (1993) से कंटिन्जेन्सी पर अनुदान नहीं मिल रहा है ? यदि हां, तो सरकार अपनी इस त्रुटि को कब तक सुधार लेगी ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त परिशिष्ट 8 में कक्षा 9 से 12 तक के सीनियर सैकण्डरी विद्यालयों के लिए लेखन सामग्री एवं मुद्रण पर 2000 तथा पानी प्रकाश पर 2500 रुपये का अधिकतम अनुदान निर्धारित किया गया है, जबकि कक्षा 6 से 12 तक के इस स्तर पर विद्यालयों के

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

लिए यह राशि क्रमशः 200 एवं 250 रुपया मात्र ही है? क्या सरकार इस विसंगति को दूर करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

शिक्षा मंत्री (श्री गुलाबचन्द कटारिया): (1) श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी जी की अध्यक्षता में राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं नियम, 1993 के पुनरीक्षण हेतु गठित समिति द्वारा औपचारिक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई। समिति की बैठकों में हुई चर्चा के आधार पर अधिनियम एवं नियमों का अंशतः प्रारूप अधिकारिक स्तर पर बनाया जाकर प्रस्तुत किया गया जिसे विधि विभाग द्वारा समीक्षा के पश्चात् उसमें हुए विचार-विमर्श के अनुसार पुनः लिखित किया जा रहा है।

(2) जी हां। अनुदान समिति, 1993 के परिशिष्ट–8 में गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं के लिए अनुमोदित व्यय की दरों में माध्यमिक स्तर एवं विशिष्ट प्रकार की संस्थाओं के नाम पृथक से नहीं छपने के कारण इन संस्थाओं को परिशिष्ट-8 में वर्णित अनुदानित व्ययों का भुगतान नहीं हो पाया है। इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण जारी कर दिया गया है।

(3) जी हां। यह सही है कि त्रुटिवश परिशिष्ट 8 के कालम संख्या 8 में लेखन सामग्री एवं मुद्रण सामग्री तथा पानी और रोशनी खर्च हेतु क्रमशः 200 एवं 250 ही मुद्रित हो गया है। इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण जारी कर दिया गया है।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से यह कहना चाहूंगा कि अनुदान के जो नियम थे, 1993 में आये और ललित किशोर जी की कमेटी बनी। इसको पांच साल हो गये और आपने उत्तर दिया कि अधिकारिक स्तर पर मंत्री तक रिपोर्ट नहीं आई, तो फिर आप समीक्षा किसकी कर रहे हैं? आपने कहा, हम डिपार्टमेंट में समीक्षा कर रहे हैं, लॉ डिपार्टमेंट में, तो आप किसकी समीक्षा कर रहे हैं, अगर आपके पास अब तक रिपोर्ट ही नहीं आई है अधिकृत रूप से? दूसरा, आपने कहा कि कंटिन्जेन्सी में मिसप्रिंट हुआ या जो कुछ भी हुआ उसका हमने स्पष्टीकरण जारी कर दिया, लेकिन यह नहीं कहा है कि इसमें क्या स्पष्टीकरण जारी हुआ है। मैं जानना चाहता हूं क्या स्पष्टीकरण जारी किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उस एक व्यक्ति की गलती की वजह से पांच साल तक केवल ऐसी संस्थाएं ही नहीं जो सीनियर सैकण्डरी थीं वरन ऐसी संस्थाए भी जिनमें, मान्यवर, संगीत विद्यालय आता है, अंध विद्यालय आता है, मूक-बधिर विद्यालय आता है, मंद बुद्धि विद्यालय आता है, उदयपुर सोशल वर्क्स जैसी स्कूल आती है, विशिष्ट विद्यालय आते हैं, उनको पांच साल तक कंटिन्जेन्सी नहीं मिली, उन लोगों की क्या स्थिति रही होगी? माननीय मंत्री महोदय से मैं यह भी जानना चाहता हूं कि कितने रिप्रजेन्टेशन, कितने लोगों के पत्र आपके पास आये? इन संस्थाओं ने आपसे अनुरोध किया लेकिन आपके अधिकारियों की, आप तो इतने जागरूक शिक्षा मंत्री हो, फिर भी आपके अधिकारियों की नींद नहीं खुली इतने दिन तक और पांच साल तक ये विशिष्ट संस्थाएं

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

ग्रौर शिक्षण संस्थाएं इस कंटिन्जेंसी से वंचित रहीं ? मैं य भी जानना चाहता हूं कि ग्रापने अगर स्पष्टीकरण जारी कर दिया है तो वह कब से लागू होगा और उन लोगों को क्या पांच साल का एरियर देंगे, जो ग्रापने पांच साल तक उनको सताया है ? क्या उस ग्रधिकारी से जिसकी जिम्मेदारी इसमें ग्रंकित होती है, क्या आप वसूल करेंगे यह पैसा ? मैं यह जानना चाहता हूं, मान्यवर ।

श्री ग्रध्यक्ष : मंत्री महोदय ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : ग्रध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की यह बात बहुत सही है कि हमने शिक्षा विधेयक, 1989 बनाया ग्रौर उसके नियमों को 1993 में बनाकर उसको फाइनल किया । जैसे ही यह आया उसके बाद दोनों प्रकार की बातें ग्राईं । जो शिक्षण संस्थाएं हैं उनका कहना है कि नियमों में इस प्रकार की बाध्यता कर दी गयी है कि कोई भी प्राइवेट संस्था इन नियमों के ग्राधार पर चल नहीं पाएगी । इसी हाउस में इसके बारे में काफी चर्चा हुई क्योंकि एक तरफ शिक्षकों का ग्रौर कर्मचारियों का हित निहित था ग्रौर दूसरी तरफ संस्थाग्रों को बांधने का मामला था । इन दोनों के रिप्रजेन्टेशन साल भर तक ग्राते रहे ग्रौर यहां हाउस में घोषणा हुई कि एक कमेटी बनायी जाए, वह कमेटी फिर से इन सारे नियमों को देखे और इसमें जहां-जहां कुछ सुधार की आवश्यकता हो उसके ग्राधार पर इसमें सुधार किया जाए । उसके बाद मार्च के महीने में ही 5 मार्च के दिन कमेटी की घोषणा कर दी । उस कमेटी की 15 मीटिंग हुई, एक-दो मीटिंग भी नहीं ग्रौर मीटिंग भी 4–4, 6–6 घण्टे से कम कभी नहीं हुई । लेकिन चूंकि उस कमेटी में दोनों प्रकार के प्रतिनिधियों को हमने लिया था जो निजी शिक्षण संस्थाएं हैं उनके प्रतिनिधि भी थे ग्रौर जो कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले थे उनको भी लिया, तो एक-एक बिन्दु पर चर्चा तो हुई लेकिन मतैक्य नहीं बना । इसके कारण से बाद में सारा मिला कर कोशिश की कि उसको बनाया जाये ग्रौर लॉ डिपार्टमेंट से भी एक ड्राफ्ट बनवाया था, उसकी राय मांगी कि क्या इसके ग्राधार पर इसमें यह परिवर्तन किया जा सकता है । उन्होंने कई उसमें सुझाव दे दिये, जो लगभग 70–80 सुझाव थे कि इसको इस तरह से बदलो । उसके कारण से उसका फाइनल ड्राफ्ट बनाने में विलम्ब हुग्रा, मैं इसको स्वीकार करता हूं, ना नहीं कहता हूं । पर यह बहुत ही पेचीदा विषय था, क्योंकि जब हमने इस एक्ट को बनाया तब भी इसको 15 साल लग गये थे । यह प्रवर समिति को गया, 1986 में प्रवर समिति की रिपोर्ट ग्राई फिर जाकर हमने बनाया था । फिर भी समिति के कुछ निर्देश हुए थे कि इनमें इन-इन तरह का सुधार ग्राप करो । उसमें तो ग्रादेश के द्वारा जो धारा-37 के तहत हमारे अधिकार थे, हमने जो कुछ राहत देनी थी वह राहत उनको निश्चित रूप से दे दी ।

माननीय सदस्य का जो दूसरा बिन्दु है वह वास्तव में त्रुटिवश विभाग से रह गया, इसको मैंने प्रश्न के ग्रपने जवाब में भी स्वीकार किया । स्कूल जो छठी से बारहवीं तक चलते हैं ए कैटेगरी में उनको ग्रौर नौवी से बारहवीं तक चलने वाले सीनियर सैकण्डरी को तो हमने कंटिन्जेन्सी

(8)

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

के लिए दो हजार और ढाई हजार की स्वीकृति कर दी। लेकिन दूसरा कालम था–जहां विद्यालय है उनके सामने लिखते समय दो हजार की जगह दो सौ और ढाई सौ प्रिंट हो गया और उसके कारण से उनको जो कंटिन्जेंसी पैसा मिलना चाहिए था वह दो हजार और ढाई हजार नहीं मिल कर दो सौ और ढाई सौ मिला। वास्तव में यह जानकारी जब आई, इस प्रक्रिया को हमने पूरा किया है। वैसे हमने अपने हिसाब से इसको कोई 5–6 महीने में फाइनल कर दिया था, लेकिन फिर भी आदेश में विलम्ब हुआ, मैं इसे स्वीकार करता हूं। इसमें किसी का कोई इंटेंशन हो ऐसी बात नहीं है, लेकिन विभाग में जिस प्रकार का काम का वजन रहता है, उससे आदेश निकलने में जरूर देरी हुई है। 25.7 को हमने आदेश जारी कर दिया, यही मैं माननीय सदस्य से कह सकता हूं। एक ये चाहते हैं कि इनको सब मिले, हमारी जब से भूल हुई है, उन संस्थाओं को जो भी पैसा बनता है वह निश्चित रूप से देंगे, यही मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि 25 जुलाई, 1993 को जारी किया है, यह स्पष्टीकरण कब से लागू होगा? दूसरा मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं मंत्री महोदय को कि यह जो कमेटी की रिपोर्ट है इसमें मतैक्य नहीं था। जब कोई कमेटी बनाई जाती है। लेकिन मतैक्य नहीं होता, तो उसकी किसी तरीके से रिपोर्ट फाइनल करके गवर्नमेंट को सबमिट तो होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : कोई निष्कर्ष तो निकलना चाहिए था उसका।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : कोई निष्कर्ष तो निकलना चाहिए था, लेकिन केवल यह कह कर हम उसे टाल नहीं सकते कि उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। और इसका स्पष्टीकरण तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप कर दें कि यह कौनसी 25 तारीख है?

श्री गुलाबचन्द कटारिया : 25-7 यही, आपके प्रश्न पूछने के बाद।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : 25 जुलाई, 1998। 1993 से लेकर अब तक जिन विद्यालयों को कंटिन्जेंसी नहीं मिली है उन लोगों को क्या उस समय से दिलाएंगे या जिस दिन से यह आदेश लागू होगा उस दिन से लगाएंगे? मेहरबानी करके इसका स्पष्टीकरण दिला दें।

श्री अध्यक्ष : श्री कालूलाल गूजर।

श्री कालूलाल गूजर : माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार ने कई बार यह कहा है कि शिक्षा की दृष्टि से जिस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए वे सरकारी स्तर पर नहीं हो सकतीं इसलिए प्राइवेट संस्थाएं जो भी शिक्षण संस्था चलाती हैं उनको अनुदान देंगे, उनको प्रोत्साहन देंगे और इसके लिए इन्होंने नयी संस्थाओं को अनुदान भी दिया है। जो संस्थाएं पुराने टाइम से चल रही हैं, 1976–77 में जिन संस्थाओं को 60 प्रतिशत आपने अनुदान

(श्री कालूलाल गूजर)

देना चालू किया था। आज वे संस्थाएं बहुत अच्छी चल रही हैं, उनकी कोई शिकायत नहीं है। क्या माननीय मंत्री महोदय उनको प्रोत्साहन देने के लिए उनकी एड और बढ़ाएंगे, 60% से 90% करेंगे ? मेरे क्षेत्र में भी ऐसी सस्थाएं हैं जिनके लिए हमने बार-बार लिखा है, लेकिन अभी तक उनमें कोई आदेश हुआ नहीं है। मंत्री महोदय बताएं कि अगर यह आप बढ़ाना चाहते हैं तो कब तक उनकी एड को बढ़ा सकेंगे ?

श्री अध्यक्ष : श्री किशनाराम नाई। कृपया एक सवाल और।

श्री किशनाराम नाई (श्री डूंगरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि 14.7 में प्रश्न....

श्री अध्यक्ष : माइक के पास।

श्री किशनाराम नाई : कि 14.7 में एक प्रश्न 295 रो उठायो कि मेरे विधान क्षेत्र में .

श्री अध्यक्ष : कृपया शान्त रहें। व्यवधान नहीं, माननीय सदस्य। सुनिये पहले।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : यह अनुदान से सम्बन्धित नहीं है।

श्री किशनाराम नाई : नहीं, जवाब जको अधिकारियां रो आयो है जिकी ध्यान में लानो चाहूं मंत्री जी रे, मेरे विधान सभा क्षेत्र में आठवीं क्लास रा मास्टर कठै ही पूरा नहीं हो....

श्री अध्यक्ष : नहीं, वह नहीं है। यह वह विषय नहीं है।

श्री किशनाराम नाई : कठै एक है कठै दो है, बी रो जवाब यो आयो है कि रिजल्ट बहुत बढिया आयो है....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ये गैर सरकारी संस्थाओं का है।

श्री किशनाराम नाई : तो मंत्री जी ने अधिकारियों को....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह सरकारी विद्यालय का नहीं गैर सरकारी विद्यालय का है।

श्री किशनाराम नाई : गैर सरकारी है पर जो प्रश्न उठायो है सनाढ्य साहब, अधिकारीगण वो जवाब सही नहीं देवै।

श्री अध्यक्ष : अच्छा।

श्री किशनाराम नाई : इन वास्ते मेरो निवेदन है कि ओ जवाब मंत्री जी ने ओ ध्यान में लानो देनो चावां कि ये जवाब सही नहीं आ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। माननीय मंत्री महोदय।

श्री गुलाबचंद कटारिया : अध्यक्ष महोदय, यह विषय बहुत लम्बे समय तक विचाराधीन रहा और उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य जो आज पूछ रहे हैं, वह मैंने पहले ही स्वीकार कर लिया। आदेश में यह त्रुटि हुई है कि दो सौ और ढाई सौ लिखा गया जबकि दो हजार और ढाई हजार लिखना चाहिए था। एक बिन्दु नहीं लगने के कारण से यह जो कुछ भी

(10)

(श्री गुलाबचंद कटारिया)

हुआ, जब से हुआ तब से उसका भुगतान उन संस्थाओं को करने की बात मैंने पहले से ही स्वीकार कर ली। लेकिन क्योंकि इस अधिनियम के आने के बाद इसमें कुछ परेशानी थी तो सदस्यों की जो सहमति बनी उसके आधार पर धारा–37 में जो अधिकार हमको है उसको ध्यान में रखते हुए हमने उनको राहत देने की कोशिश की। कोई भी स्कूल अगर अपने विद्यालय की मान्यता को अपग्रेड करना चाहता है तो केवल एफीडेविट के आधार पर भी हमने उन विद्यालयों को मान्यता की स्वीकृति दे दी कि वे एफेडेविट के आधार पर भी अपनी मान्यता ले सकते हैं। पांचवीं तक मान्यता का हमने वैसे ही प्रोविजन खतम कर दिया कि मान्यता की कोई आवश्यकता नहीं है। प्राइवेट संस्थाओं में अगर किसी टैम्प्रेरी पोस्ट के लिए वे इन्टरव्यू करेंगे तो कमेटी की कोई आवश्यकता नहीं है, संस्था अपनी टैम्प्रेरी पोस्ट के लिए तीन महीने, छः महीने जो उनके अधिकार में है, उसको करा सकती है। शिक्षकों को भी जैसा राज्य कर्मचारियों की हमने 60 साल की उम्र की वैसे हमने निजी शिक्षण संस्थाओं की भी उम्र 58 साल से बढ़ाकर 60 साल हमने की। अनुदान देने की दृष्टि से जो बीकानेर के पास पावर थी वह हमने जिला शिक्षा अधिकारी और उप निदेशक को सारे पावर्स दे दिये। मान्यता के पावर्स भी हमने नीचे दे दिये। यहां तक कि पोस्ट के अनुमोदन के लिए जो उन्हें वर्षों तक घूमना पड़ता था, उसके लिए यह किया कि यदि 45 दिन में उसका अनुमोदन नहीं होगा तो वह अपने आप अनुमोदन हुआ माना जाएगा। यह बात जरूर है कि जिस ड्राफ्ट को बना कर हमको फाइनल रूप में लाना चाहिए था, बहुत विवाद हैं, आपस के कारण से, किसी एक बिन्दु पर नहीं पहुंचने के कारण से इसमें काफी 15 बैठकें की बहुत लम्बे समय तक बैठकें कीं। मैं माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिला सकता हूं कि प्रयास कर रहे हैं, इन सबको ध्यान में रखते हुए जितना जल्दी से जल्दी सम्भव होगा हम इसको लागू करने की कोशिश करेंगे।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री शिवनाथ सिंह।

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के गठन/संचालन के नियम

328. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) एवं श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या राजस्थान के विभिन्न जिलों में गठित जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों के गठन, संचालन, कार्य करने, चेयरमैन के अधिकार गवर्निंग कौंसिल के अधिकार कर्तव्यों आदि के सम्बन्धी कानून नियम आदि समान हैं अथवा भिन्न-भिन्न हैं? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें? यदि नहीं, तो जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, झुन्झुनूं से सम्बन्धित नियमों/आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, चेयरमैन द्वारा जारी की जाने वाली विकास कार्यों की स्वीकृतियां गवर्निंग कौंसिल द्वारा पूर्व स्वीकृत की जाएं? यदि नहीं, तो किन-किन मामलों में अपवाद हो सकते हैं?

राज्य मंत्री, विशिष्ट योजना संगठन (श्री अनंग कुमार जैन) : (1) जी, हां। प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी, हां। पांच लाख रुपये तक की लागत के कार्य अध्यक्ष, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा स्वयं के स्तर से एवं 10 लाख की लागत तक के कार्य प्रशासनिक समिति के अनुमोदन से स्वीकृत किये जा सकते हैं। 25 लाख रुपये से कम लागत की जल ग्रहण परियोजनाएं जिला विकास अभिकरण की शासकीय परिषद द्वारा स्वीकृत की जा सकती हैं।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

श्री शिवनाथ सिंह : अध्यक्ष जी, भाग–2 में मेरा प्रश्न था कि जो गवर्निंग बॉडी है डी.आर.डी.ए. की, उसके क्या अधिकार हैं? चेयरमैन के क्या अधिकार हैं? मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि पांच लाख का और दस लाख का जो प्रोविजन आपने रखा है वह तो सैंक्शन करते वक्त है कि इतनी रकम वह सैंक्शन कर सकता है, लेकिन कौन–कौन से काम कितने अमाउंट के सैंक्शन किए जाएंगे उन कामों को गवर्निंग बॉडी में लाना जरूरी हैं या नहीं? यदि गवर्निंग बॉडी में लाना उनका जरूरी नहीं है तो फिर गवर्निंग बॉडी का फंक्शन ही कुछ रहा नहीं। फिर तो कलक्टर के पास आया और उसने सैंक्शन कर दिया, क्या, माननीय मंत्री महोदय, चेयरमैन बिना एनुअल प्लान में लाये, एनुअल प्लान की बिना मंजूरी के सैंक्शन जारी कर सकता है? एनुअल प्लान की मंजूरी गवर्निंग कौंसिल करती है इसलिए माननीय मंत्री महोदय से मेरा पहला प्रश्न यह है कि गवर्निंग कौंसिल के चेयरमैन के अधिकारों में कहां सामंजस्य है कहां विरोधाभास है? इन कामों को पहले गवर्निंग कौंसिल में लाने के बाद ही चेयरमैन उनकी सैंक्शन जारी कर सकता है। यह मेरा प्रश्न है।

श्री अनंग कुमार जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को गवर्निंग कौंसिल के कौन–कौन सदस्य हैं और डी.आर.डी.ए. के कौन–कौन से सदस्य हैं, उन सबकी सूची दी है। अब जैसे आपका मूल प्रश्न था कि क्या–क्या अधिकार हैं, तो 5 लाख तक के जो कार्य हैं वह चेयरमैन स्वीकृत कर सकता है–दो लाख से पांच लाख तक के। उससे छोटे जो कार्य हैं वह पंचायत समिति स्वीकृत कर सकती है। लेकिन पांच लाख से अधिक के यदि कार्य हैं तो वे गवर्निंग कौंसिल में लाने पड़ते हैं, गवर्निंग कौंसिल की कन्सेन्ट से उनको स्वीकृत किया जा सकता है। सामान्यत: यह प्रक्रिया सभी जिला परिषदों में रही कि जो भी कार्य होते हैं वे गवर्निंग कौंसिल में रख दिये जाते हैं, चाहे वह चेयरमैन के द्वारा स्वीकृत किया हो चाहे पंचायत समिति द्वारा प्रस्ताव भेजा गया हो। सामान्यत: सभी जिला परिषदों में, सभी डी.आर.डी.ए. में यह प्रक्रिया फालो की जाती है कि उन कार्यों को गवर्निंग कौंसिल में रख दिया जाए और गवर्निंग कौंसिल से उनका अनुमोदन करा लिया जाए। लेकिन इन सबके बावजूद दोनों के अधिकार अपने अपने डिफाइंड हैं, इसकी कापी मैंने आपको दी है। उसके अनुसार पांच लाख से अधिक के कार्य जो होते हैं उनकी गवर्निंग कौंसिल से स्वीकृति लेना आवश्यक होता है। जल ग्रहण के जो कार्य 25 लाख से नीचे वाले हैं उनके लिये भी गवर्निंग

(12)

(श्री अनंग कुमार जैन)

कौंसिल की स्वीकृति लेना जरूरी होता है। अगर गवर्निंग कौंसिल की स्वीकृति नहीं है तो वे कार्य स्वीकृत नहीं माने जाएंगे। उसके बारे में माननीय सदस्यों को एतराज है तो निश्चित रूप से उसके ऊपर नोटिस लिया जाता है। मैंने दोनों ही तरह की स्थिति माननीय सदस्य के सामने रख दी। लेकिन जन प्रतिनिधियों की अधिक भागीदारी निश्चित करने के लिये कि सभी जन प्रतिनिधियों का सुझाव इसमें आए और वास्तविक रूप से जो जन प्रतिनिधि चाहते हैं उन्हीं प्रस्तावों को लिया जाए, उस दृष्टि से सामान्यतः यह प्रक्रिया एक लंबे समय से चल रही कि है डी.आर.डी.ए. के अन्दर सभी कामों को गवर्निंग कौंसिल में रख दिया जाता है और उससे उनका अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाता है। वरना चेयरमैन जो भी कार्य स्वीकृत कर देगा, कई बार हो सकता है माननीय सदस्य के ध्यान में नहीं आये या बाद में उनको पता चले। लेकिन गवर्निंग कौंसिल में लिस्ट देने से जब माननीय सदस्य उस मीटिंग में पधारते हैं तो सभी कार्यों की जानकारी उनको मिल जाती है। किस कार्य की कितनी स्वीकृति जारी की गई है, वह भी उनको जानकारी मिल जाती है। जन प्रतिनिधियों की अधिक भागीदारी रहे और माननीय सदस्यों का उसमें योगदान रहे, उस दृष्टि से सामान्यतः यह प्रक्रिया फालो की जाती है कि डी.आर.डी.ए. की गवर्निंग कौंसिल की मीटिंग में सारे कार्य रखे जाते हैं।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, बहुत लम्बा-चौड़ा विस्तार दिया आपने। 5 लाख तक की स्वीकृति कलक्टर जारी कर सकता है, मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन यह था कि 5 लाख हो, 2लाख हो, 4 लाख हो, जो कलक्टर सैंक्शन करता है उसका प्रायर अप्रूवल गवर्निंग काउंसिल में जाना आवश्यक है या नहीं है? क्योंकि एनुअल प्लान के आउट साइड कलक्टर या चेयरमैन कोई स्वीकृति जारी नहीं कर सकता और एनुअल प्लान तभी माना जाता है जबकि वह गवर्निंग कौंसिल से मंजूर हो जाता है। इसलिए माननीय मंत्री महोदय सीधा-सा जवाब क्यों नहीं दे देते कि कलक्टर के द्वारा, चेयरमैन के द्वारा जो भी सैंक्शन जारी की जाएगी, वह पहले गवर्निंग कौंसिल में आकर, उससे एपूव होकर बाद में कलक्टर जारी करेगा। मेरा बहुत सीधा-सा सवाल है, आपने पूरा विस्तार दे दिया। आपने मार्गदर्शिका दे दो, उसमें सब कुछ दिया हुआ है, पूरी जानकारी है, लेकिन मैं आपसे स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि गवर्निंग कौंसिल में लाये बिना, गवर्निंग कौंसिल के अनुमोदन के बिना चेयरमैन को कोई पावर नहीं है।

श्री हरजीराम बुरड़क : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक सवाल है कि आपने परिपाटी चला रखी है कि कलक्टर स्वीकृत कर देता है और बाद में गवर्निंग कौंसिल में वह रख देते हैं। गवर्निंग कौंसिल की मीटिंग 6-6 महीने तक नहीं होती है कई जगह। जैसे कलक्टर ने कार्य आज स्वीकृत कर दिया वह कार्य पूर्ण हो गया, उसके बाद गवर्निंग कौंसिल में रखने का क्या औचित्य है, एक बात। दूसरी बात यह है कि आप अपना रिकार्ड उठाकर देख लीजिए, एक भी गवर्निंग कौंसिल में कोई एपूव हुआ हो या उस कलक्टर के किये

(श्री हरजीराम बुरड़क)

हुए को चेंज किया हो। अगर कलक्टर का किया हुआ चेंज नहीं होता तो फिर गवर्निंग कौंसिल क्या है ? जबकि आपने डाइरेक्शन जारी कर रखे हैं उसमें स्वीकृति का अधिकार गवर्निंग कौंसिल को है। कोई विशेष परिस्थिति में कलक्टर कर दे, वह तो अलग बात है लेकिन आज की तारीख में सारा का सारा पूरे राजस्थान में कलक्टर सैक्शन करता है. गवर्निंग कौंसिल का कोई औचित्य नहीं है। यह जो आप यहां उत्तर दे रहे हैं वह सरासर गलत दे रहे हैं।

श्री अनंग कुमार जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, गवर्निंग कौंसिल की मीटिंग, यह सही है कि तीन महीने में एक बार बुलायी जानी चाहिये।

श्री हरजीराम बुरड़क : वह तो कागजों में है, प्रक्टिकल में क्या है ?

श्री अनंग कुमार जैन : वैसे कई बार 6 महीने तक भी हो जाते हैं, ऐसा कुछ डी.आर.डी.ए. में देखा गया है। इसलिए जरूरी नहीं है कि स्वीकृतियां एक साथ ही जारी की जाएं। पंचायत समिति से जो कार्य योजना आती है उस कार्य योजना में माननीय सदस्य जिन प्रस्तावों की प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति चाहते हैं उनके बारे में लिखकर चेयरमैन को दे देते हैं, पी.डी,डी.आर.डी ए. को दे देते हैं और उन कार्यों की स्वीकृति समय-समय पर जारी कर दी जाती है लेकिन सभी कार्यों की जानकारी जन प्रतिनिधियों को हो जाए इसलिए उन कार्यों को गवर्निंग कौंसिल की मीटिंग में रखा जाता है। डी.आर.डी.ए. में विभिन्न योजनाओं का फंड आता है, जैसे विधायक कोष के 5 लाख रुपये उसके अन्दर हैं। चेयरमैन डी.आर.डी.ए. उसमें से 10 रुपये की स्वीकृति भी आपकी इच्छा के बिना जारी नहीं कर सकता जब तक आप लिख कर नहीं देंगे।

श्री हरजीराम बुरड़क : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं, जैसे क्लास में कोई टीचर पढ़ाता है वैसे कर रहे हैं कि वह फंड आता है डी.आर.डी.ए. में। यह तो हमें सब मालूम है, हमने जो पूछा है आप उसका उत्तर दीजिए। उसको तो बिलकुल ही...

श्री अध्यक्ष : आप सुनिए, मंत्री महोदय कुछ बोल रहे हैं। आप पहले सुनें, फिर कहें जो भी कहें।

श्री अनंग कुमार जैन : वैसे तो माननीय सदस्य को सभी बात मालूम है और जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब भी उनको मालूम है, लेकिन जवाब मुझसे पूछा है तो मेरी ड्यूटी बनती है, उसका जवाब मुझे ही देना पड़ेगा और देना ही चाहिये। मेरी सारी बात बहुत स्पष्ट, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सदन के सामने रखी कि जो पांच लाख से अधिक के कार्य होते हैं गवर्निंग कौंसिल में उसकी स्वीकृति करानी पड़ती है। सामान्यतः यह प्रक्रिया अपनायी गई है और यहां से भी जो दिशा-निर्देश भेजे गये उसके अन्दर चेयरमैन को यह लिख गया है कि जो भी कार्य करवाये जाएं उन सब कार्यों में चेयरमैन का कोई, हो सकता है कभी पर्टीकुलर कहीं वो गये हों और किसी कार्य में उनकी रूचि नहीं हो वरना सामान्यतः जो भी चेयरमैन होता है जिले में, जो जन प्रतिनिधि प्रस्ताव भेजते हैं उनको ही वे

(14)

(श्री अनंग कुमार जैन)

स्वीकृति देते हैं। सत्ता का विकेन्द्रीकरण की इसीलिए इस सरकार ने किया है कि अधिकार ज्यादा से ज्यादा नीचे के स्तर पर दिए जाएं। पंचायत समिति स्तर पर दिये गये, पंचायत स्तर पर दिये गये। जैसे अभी जल ग्रहण योजनाओं का कार्य हमने पंचायतों को ही सम्भला दिया है। तो सरकार तो स्वयं ही चाहती है कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो, जो वास्तव में चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उनको अधिकार मिले, वे स्वयं उस अधिकार का उपयोग करें और जो विकास की योजनाएं हैं, उनका चयन और निर्णय भी वहां की स्थानीय ग्राम सभा ही करे, और जो ग्राम सभा करे उसके आधार पर स्वीकृतियां जारी हों। इसलिए मेरे जवाब में कोई एम्बिगुटी नहीं है, मैंने स्पष्ट रूप से आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को निवेदन किया है। जो रूल्स की कॉपी है कि गवर्निंग कौंसिल के क्या अधिकार हैं, चेयरमैन के क्या अधिकार हैं, किस प्रकार डी.आर.डी.ए. बना है; उसमें कौन-कौन से मैम्बर हैं; वह सब कॉपियां माननीय सदस्यों को दे दी हैं। उसके बाद भी माननीय सदस्य को कोई डाउट रह जाता है तो मुझे लिख कर दे दें, मैं उसका निस्तारण राज्य सरकार की ओर से करवा दूंगा।

श्री हरजीराम बुरड़क : अध्यक्ष महोदय, आपको इसमें हस्तक्षेप करना चाहिये। माननीय सदस्यों के अधिकारों का इस प्रकार से सरकार द्वारा हनन किया जा रहा है। मेरा सीधा प्रश्न था, शिवनाथ सिंह जी का सीधा प्रश्न था, उसका उत्तर तो दिया ही नहीं और क्लास में जैसे टीचर पढ़ाता है वैसे यह इसकी प्रक्रिया है, यह ऐसे आती है।

श्री अध्यक्ष : क्या था, दोहरा दें आप। प्रश्न को दोहराएं, क्या था?

श्री हरजीराम बुरड़क : प्रश्न मेरा यह था कि आज की तारीख में सेंट-परसेंट सैंक्शन कलक्टर करता है, गवर्निंग कौंसिल का कोई रोल आज की तारीख में नहीं है, जबकि इनके दिशा-निर्देश जो जारी किये गये हैं उसमें गवर्निंग कौंसिल को अधिकार है, एक बात। दूसरी बात यह है कि जैसे कलक्टर ने आज सैंक्शन कर दी और 6 महीने तक गवर्निंग कौंसिल की मीटिंग नहीं हुई, उसके बाद में उन स्वीकृतियों को रखने का क्या औचित्य है? यह है मेरा सीधा सवाल।

श्री अनंग कुमार जैन : यही औचित्य तो मैंने बताया, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कि अगर मान लीजिए 6 महीने तक गवर्निंग कौंसिल का इंतजार करते रहेंगे तो आखिर की मीटिंग में तो काम ही होना सम्भव नहीं होगा। यही दिक्कत आती है।

श्री हरजीराम बुरड़क : हर महीने बुलाओ, कहां मना है? कोई मना नहीं है, एक महीने में एक मीटिंग बुलाओ। आपने डायरेक्शन दे रखे हैं कि तीन महीने में बुलाओ। कौन-सा डी.आर.डी.ए. है जिसने तीन महीने में मीटिंग बुलाई हो? यह सारा का सारा आप गलत उत्तर दे रहे हैं। यह कहां मना है कि कलक्टर मीटिंग नहीं बुलाए? स्वीकृतियां करनी हैं तो मीटिंग बुलाएं। आप विराजिए, आपको नहीं पूछ रहा हूं।

श्री अनंग कुमार जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, व्यावहारिक दिक्कत यह आती है कि प्रस्ताव लेट जाते हैं, स्वीकृतियां लेट हो जाती हैं। जब स्वीकृतियां लेट जारी होती है, फिर वहां से यू.सी. कलेक्ट नहीं होते हैं। क्योंकि अधिकांश जो योजनाएं हैं उनका पैसा केन्द्र सरकार से मिलता है, चाहे वह सरकार वर्तमान में है या जो पहले सरकार रही है उसको भी इस डिफिकल्टी को फेस करना पड़ता था। उनका भी पैसा उससे कटता था अगर वे यू.सी. समय पर नहीं भेजते थे। अगर 6 महीने तक गवर्निंग कौंसिल की मीटिंग का इंतजार करते रहेंगे, कौंसिल की अगर साल में दो मीटिंग हुई और आखिरी मीटिंग मान लीजिये, मार्च के आखिरी सप्ताह में हुई और उसमें अगर कोई स्वीकृतियां जारी भी हो गयीं तो न तो पैसे का डिस्बर्समेंट हो सकता था और हो तो कब वह डिस्बर्समेंट होगा, कब उसका काम होगा, कब उस पैसे का यू.सी आएगा और कब यू.सी. दिल्ली जाएगा। उसके बाद तो आपको अधिकांश योजनाओं का मुश्किल से 25 प्रतिशत पैसा मिल पाएगा। इसलिए कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए और पैसा जो केन्द्र सरकार से मिलता है उसका अधिक से अधिक समुचित उपयोग हो सके, राज्य सरकार . (व्यवधान) ...

श्री हरजीराम बुरड़क : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय फिर उल्टी बात कह रहे हैं। मैंने यह कहा है कि गवर्निंग कौंसिल की मीटिंग बुलाने का कहां मना है, आप महीने में चार बुलाएं, कोई मना नहीं है।

श्री अनंग कुमार जैन : नियमों के अन्दर सरलीकरण किया गया है.... (व्यवधान)...

श्री हरजीराम बुरड़क : आप कह रहे हैं, देरी हो जाएगी...(व्यवधान)....

श्री अनंग कुमार जैन : अधिकारों का विकेन्द्रीकरण किया गया है, नीचे के स्तर तक दिए गए हैं। गवर्निंग कौंसिल में तो इसलिए कि 5 लाख से अधिक का काम है तो वह तो गवर्निंग कौंसिल की स्वीकृति के बगैर नहीं हो सकता।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, यह माननीय मंत्री महोदय ही भाषण देते रहेंगे, हम नहीं पूछ सकते सवाल क्या ?

श्री अनंग कुमार जैन : पूछें न आप।

श्री चन्दनमल बैद : वे ही भाषण दे रहे हैं, आधे घण्टे से बोल रहे हैं, वही बात बोलते चले जा रहे हैं....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : वे जवाब दे रहे हैं, साहब (व्यवधान) ...

श्री चन्दनमल बैद : कोई जवाब नहीं दे रहे हैं... (व्यवधान)....

श्री अनंग कुमार जैन : यह क्या तरीका है ?....(व्यवधान)...विराजिये (व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : एक ही एक बात को कहते चले जा रहे हैं....(व्यवधान)....

श्री अनंग कुमार जैन : आप बुजुर्ग माननीय सदस्य हैं... (व्यवधान) ...

श्री उगमराज मेहता : अध्यक्ष महोदय, गवर्निंग बॉडी की मीटिंग हर तीन माह में होती है उसमें ही कोट किया जाता है कि अमुक परसैंटज पैसा सिंचाई विभाग में होगा, अमुक इस विभाग का हो . (व्यवधान)....

(16)

श्री हरजीराम बुरड़क : अध्यक्ष महोदय, क्या जवाब दे रहे हैं ?....(व्यवधान).

श्री अनंग कुमार जैन : मुझे बोलने दीजिये....(व्यवधान)...

श्री हरजीराम बुरड़क : कोई जवाब नहीं आता है ...(व्यवधान) ..

श्री अनंग कुमार जैन : आप वयोवृद्ध हैं इसलिए मैं आपका सम्मान करता हूं.... (व्यवधान)....

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मीटिंग समय पर होती है लेकिन ये मीटिंग में जाते ही नहीं हैं....(व्यवधान)....

श्री अनंग कुमार जैन : आप वरिष्ठ सदस्य हैं इसलिए मैं सम्मान करता हूं.... (व्यवधान)....

श्री राकेश मेघवाल : मीटिंग में जाते ही नहीं हैं....(व्यवधान) .. इसलिए इनको पता ही नहीं है, फुर्सत ही नहीं है मीटिंग में जाने की... (व्यवधान)....

श्री अनंग कुमार जैन : जो वहां आपने सीखी है, मैंने भी सीख रखी हैं..(व्यवधान) ....आप यह समझते हैं ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (ऊर्जा मंत्री) : यह क्या+++करते हो, यह+++ ठीक नहीं है, आपका। आप अपनी वरिष्ठता का फायदा उठाते हो, यह ठीक नहीं है, यह बिलकुल उचित नहीं है। आपका सम्मान करते हैं इसका मतलब यह नहीं है कि आप इस प्रकार से व्यवहार करेंगे.... (व्यवधान)....

श्री चन्दनमल बैद : यह भाषा आप क्या बोलोगे ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपका सम्मान करते हैं इसका मतलब यह नहीं है कि आप इस प्रकार+++का व्यवहार करेंगे.... (व्यवधान)....

श्री चन्दनमल बैद : हम सवाल नहीं पूछेंगे ?....(व्यवधान)....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप जवाब दीजिये अपने आपको, कोई बात है यह ? ....(व्यवधान)....

श्री अनंग कुमार जैन : मैं भी कह सकता हूं यह .. (व्यवधान)....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप बिना मतलब बात करते हैं....(व्यवधान) और इन लोगों को कहते क्या हो ? हर कुछ बोल देते हैं बिना मतलब। हम भाषण सुनने के लिए तैयार नहीं हैं आपका (व्यवधान)....+++नहीं है आपकी यहां पर .. (व्यवधान)....

श्री किशनगोपाल कोगटा (मसूदा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो व्यवहार अभी तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने किया है .. (व्यवधान) ...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बात है कोई.... (व्यवधान) .. यह कोई तरीका नहीं है आपका ....(व्यवधान)....

श्री किशनगोपाल कोगटा : माननीय

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(17)

(श्री किशनगोपाल कोगटा)

अध्यक्ष महोदय, तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो माननीय मंत्री जी के साथ व्यवहार किया उसके लिए इनको क्षमा मांगनी चाहिए। ये सीधे माननीय मंत्रीजी को बैठने के लिए विवश नहीं कर सकते....(व्यवधान)...

श्री अनंग कुमार जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, इनकी 60 साल से ज्यादा उम्र हो गयी इसलिए +++चुके हैं ये ...(व्यवधान)....

श्री किशनगोपाल कोगटा : जवाब दे रहे हैं प्रश्न का....(व्यवधान)....

श्री अनंग कुमार जैन : ये+++ चुके हैं तो इसका इलाज मेरे पास थोड़े ही है....(व्यवधान)....

श्री किशनगोपाल कोगटा : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य से मांग कर रहा हूं....(व्यवधान)

श्री अनंग कुमार जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री चन्दनमल जी बैद +++चुके हैं, मेरे पास इनका इलाज नहीं है। मुझे अच्छी तरह बोलना आता है... (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : कृपया विराज जाएं, माननीय मंत्री महोदय, कृपया विराजें। कृपया विराज जाएं। आप भी विराजें। नैक्स्ट, श्री रामनारायण चौधरी।

श्री शिवनाथसिंह : मेरा अगला सप्लीमेंट्री है।

श्री अध्यक्ष : नहीं, विराजें आप, सवाल हो गया। नहीं, नहीं, मैं नहीं दूंगा। इस सवाल के अन्दर कोई बात रह गई तो दूसरे माध्यम से आइये। नियमों में प्रावधान है, दूसरे माध्यम से आइये। विराजें आप.... (व्यवधान)....

श्री अनंग कुमार जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी उम्र कम है.... (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : श्री हरिसिंह (महुवा)। कृपया, मंत्री महोदय, कृपया..(व्यवधान).... माननीय मंत्री महोदय।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : +++ ....(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : प्रश्न संख्या 329... (व्यवधान)...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हां, यह करने की जरूरत नहीं है....(व्यवधान)....

श्री हरिसिंह (महुवा) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 329... (व्यवधान)....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह बोलने का तरीका नहीं है, माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : कृपया, श्री हरिसिंह (महुवा)।

श्री हरिसिंह (महुवा) : प्रश्न संख्या 329।

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(18)

श्री अनंग कुमार जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, उनके सामने तो आंसू बहाते हैं....(व्यवधान) ..

श्री अध्यक्ष : कृपया विराजें, मंत्री महोदय।

श्री अनंग कुमार जैन : इनकी पार्टी के मैम्बर तो इनका....

श्री अध्यक्ष : आप विराजें, कृपया। मैं मंत्री महोदय, आपसे निवेदन कर रहा हूं। कृपया, आदरणीय मंत्री महोदय। श्री हरिसिंह (महुवा)।

राज्य में तिलहन का उत्पादन

329. **श्री हरिसिंह** (महुवा) : क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में वर्ष 1996 एवं 1997 में तिलहन का कितना उत्पादन हुआ? उक्त वर्ष में कृषि उपज मण्डियों में कितनी सरसों, सोयाबीन, मूंगफली एवं तिल विक्रय हेतु आयी और तिलहन की बिक्री से कितना मण्डी कर प्राप्त हुआ?

(2) वर्ष 1996–97 में राज्य में कृषि उपज मण्डी समितियों में तिलहन के अतिरिक्त अन्य कृषि उत्पादों का कितना क्रय–विक्रय हुआ? कृषि उत्पादों के विक्रय से मण्डी टैक्स के रूप में कितनी आय हुई?

(3) कृषि उत्पादों की बिक्री से प्राप्त आय में से कितनी राशि प्रशासनिक एवं अन्य मदों में और कितनी राशि सम्पर्क सड़कों एवं मण्डी यार्डों के निर्माण पर व्यय की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

कृषि विपणन मंत्री (श्री सुजान सिंह यादव) : (1) राज्य में तिलहन का कुल उत्पादन निम्न प्रकार से हुआ है :–

वर्ष	उत्पादन (लाख टनों में)
1996–97	35.29
1997–98	32.95

(2) कृषि उपज मण्डियों में कोई मंडी कर नहीं है अपितु मण्डी शुल्क प्राप्त होता है। सरसों, सोयाबीन, मूंगफली एवं तिल की विक्रय मात्रा एवं मण्डी शुल्क का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। अन्य कृषि उत्पादों का क्रय–विक्रय एवं प्राप्त मण्डी शुल्क का विवरण परिशिष्ट "अ" की क्रम संख्या 5 पर है।

(3) कुल आय व व्यय का ब्यौरा निम्नानुसार है :–

(राशि–करोड़ रुपये में)

वर्ष	आय			प्रशासनिक	व्यय	मण्डी
	मण्डी शुल्क से	अन्य	कुल आय	व अन्य	सड़क निर्माण	विकास
1996–97	111.04	37.13	148.17	55.54	54.29	38.23
1997–98	128.51	36.80	165.31	57.49	49.44	46.28

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–2 देखें।)

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के खण्ड एक में माननीय मंत्री महोदय ने बताया है कि 1996-97 में तिलहन का उत्पादन 35.29 लाख टन हुआ और 1997–98 में तिलहन का उत्पादन 32.95 लाख टन हुआ और दूसरी तरफ इन्होंने परिशिष्ट "अ" पर सूचना दी है कि मण्डी में जो सरसों की मात्रा आयी हैं वह है 15.35 लाख टन 1996–97 में 1997–98 में 18.6 लाख टन। टोटल इनका 18.51 लाख टन और 23.26 लाख टन दोनों सालों का आया है, तो 35.32 लाख टन जो सरसों का उत्पादन हुआ यह शेष सरसों किस रास्ते से कहां गयी ? क्या वह मण्डी में बिकने के लिए नहीं आयी ?

श्री अध्यक्ष : सोयाबीन, मूंगफली भी है क्या ?

श्री हरिसिंह (महुआ) : हां, वह सब है। अगर इतनी इन्होंने मण्डी की बतायी है 15.35....

श्री अध्यक्ष : सरसों का।

श्री हरिसिंह (महुआ) : उत्पादन है 35.29, तो यह शेष तिलहन कहां गयी ? मण्डी टैक्स चुकाये बगैर इतनी तिलहन की निकासी कहां हुई ? यह जो निकासी हुई है, क्या यह माल चोरी से गया आसाम और बंगाल ? या किसानों से व्यापारियों ने खरीदकर सीधे ही एक्सपैलर वालों को बेच दिया ?

श्री अध्यक्ष : इतना समझाने की जरूरत नहीं है, वे जवाब दे देंगे।

श्री हरिसिंह (महुआ) : नहीं, मैं पूछ रहा हूं, इतनी बड़ी जो टैक्स चोरी हुई है आधे से भी ज्यादा की, क्या सरकार इसको रोकने का प्रयास करेगी ? मण्डी टैक्स का जो नुकसान होता है, उसके साथ-साथ ही 4 प्रतिशत का सैल्स टैक्स का स्टेट एक्सचैकर को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इसलिए यह चोरी हो रही है

श्री अध्यक्ष : पहले, पहले प्रश्न का उत्तर आने दीजिए।

श्री सुजानसिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैंने विस्तृत रूप से उत्तर दे दिया है। मगर यह बात कुछ पहले हुई होगी। अब तो हमने मण्डियों में यह व्यवस्था कर दी है कि बगैर पर्चियों के अन्दर कोई माल जाता ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : यह जो आपने उत्तर दिया है उसी से प्रश्न उत्पन्न हुआ है। उसका जवाब दीजिए आप।

श्री सुजानसिंह यादव : इसके लिए तो मेरे पास विगत नहीं है, पूरी विगत कहां से लाऊं ? विभाग से यह जानकारी करके मैं दे दूंगा। यह विगत तो नहीं है यह माल कहां गया, कहां नहीं गया ? यह विगत तो मेरे पास नहीं है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न लगाने का तात्पर्य सिर्फ यह यह है कि मण्डियों में, कृषि उपज मण्डी समिति के जो कर्मचारी लग रहे हैं वे और व्यापारी मिलकर टैक्स की चोरी कर रहे हैं जिससे न केवल मण्डी शुल्क का नुकसान हो रहा है....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : वे फिगर्स आपको भेज देंगे। (व्यवधान) सरकार आपको फिगर्स भेज देगी।

श्री हरिसिंह (महुआ) : नहीं, फीगर्स तो आ गयी। मैं तो सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं कि कुल तिलहन का जो उत्पादन है उसमें आधे से कम का मण्डी शुल्क वसूल हुआ है। शेष कहां गया ? यह वहां मण्डी में जरूर गया है लेकिन व्यापारियों की और कर्मचारियों की मिलीभगत में उसको ऊपर ऊपर नम्बर 2 में पार कर दिया। स्टेट एक्सचेकर को सबसे बड़ा नुकसान जो इस पर सेल्स–टैक्स की वसूली है उसका हो रहा है। कर्मचारी लेता है ढाई रुपये बोरी और गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है 68 रुपये बोरी का। 68 रुपये क्विंटल का नुकसान हो रहा है। मंत्रीजी, यह आपने स्वीकार किया है कि 35लाख टन में से मात्र 15लाख टन सरसों मण्डी समिति में आयी। तो शेष चोरी के रास्ते निकल गयी। इस प्रश्न को लगाकर कृषि मंत्रीजी का और सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करने का मेरा मकसद यही था कि जो टैक्स की भयंकर चोरी हो रही है उस पर रोकने के आपके पास क्या कारगर उपाय हैं, नम्बर एक।

नम्बर दो, तेल–तिलहन पेरने की 300यूनिट्स राजस्थान में हैं जिनकी क्षमता 35 लाख टन है। तो यह असम, बंगाल और बिहार जो हमारा माल जा रहा है, हमारी यूनिट्स को हम पहले दें या पहले हम दूसरे प्रान्तों को भेजें ? इस सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है ? क्योंकि हमारी यूनिट्स बिना तिलहन के डेड पड़ी हुई हैं, उनको तिलहन नहीं मिल रहा है और यहां का व्यापारी आसाम, बंगाल, बिहार माल भेज रहा है तो हमारी 300 यूनिट्स लगी हुई हैं. जिन पर आर.एफ.सी. की फाइनेंस लगी हुई है, जिन पर रीको का पैसा लगा हुआ है उन यूनिट्स को चालू करने के लिए उनको पूर्ण मात्रा में तिलहन उपलब्ध करवाने का कोई विचार रखती है ?

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी पूछ लूं इसी में जवाब आ जाएगा।

श्री अध्यक्ष : उनको याद नहीं रहेगा सवाल।

श्री सुजानसिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, जैसी माननीय सदस्य ने एक शंका पैदा की, हमारे तिलम् संघ की जो परियोजनाएं हैं उनको हमने मण्डी कर से छूट दे रखी है। वह माल गया होगा मण्डी में, उस पर आपकी यह विसंगति हो सकती है। दूसरी विसंगति यह भी हो सकती है कि किसान बाहर के बाहर ही माल भेज देते हैं, मण्डी में आता ही नहीं है, अब तो हमने यह व्यवस्था कर दी है कि मण्डी में प्रवेश करते ही हम मण्डी शुल्क ले लेते हैं उसमें। अब तो चोरी होती ही नहीं, पहले कभी हुई होगी कोई। दो भ्रांतियां पैदा हो सकती हैं। एक तो तिलम् संघ है तो तिलम् संघ को हमने छूट दे रखी है। इस मामले में वह माल होगा या व्यापारी बाहर के बाहर कहीं भेजे देते हों तो उसमें तो मण्डी वाले क्या कर सकते हैं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : क्या आपके तिलम् संघ में जो माल जाता है, किसान से डाइरेक्ट परचेज करने के बाद, उस पर मण्डी शुल्क नहीं लेते क्या आप ?

श्री सुजानसिंह यादव : एक बात आपने तिलम् संघ की कही। (व्यवधान) तिलम्

(श्री सुजानसिंह यादव)

संघ की आपने एक बात कही और दूसरा हम किसी व्यापारी को प्रतिबंधित नहीं कर सकते। कांस्टीट्यूशन की धारा 301/304 में यह प्रावधान है कि हम किसी को बाहर माल भेजने से मना नहीं कर सकते इसलिए सरसों मिलों में आती नहीं।

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि इस प्रश्न में भाग 3 में पूछा गया है, उसी से सम्बन्धित मेरा प्रश्न था। मंत्री महोदय, मण्डी समिति को जो आय टैक्स से होती है आप उसमें से कितना प्रतिशत गांव की सम्पर्क सड़कें बनाने पर खर्च करते हैं ? पहले माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी ...

श्री अध्यक्ष : अलग से सवाल है, अलग से। श्री अर्जुनदास मदान। (व्यवधान) श्री अर्जुनदास मदान।

श्री परसादीलाल मीणा : इसी में है, तीसरा देखिये। तीसरा सवाल है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, इसमें पूछा है। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : इसमें नम्बर तीन है, नम्बर तीन। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, इसमें पूछा गया है।

श्री परसादीलाल मीणा : इसी में पढ़िये, नम्बर तीन, सम्पर्क सड़कों के सम्बन्ध में है।

श्री सुजानसिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, आपका प्रश्न तो आगे 18 नम्बर पर आने वाला है, उस वक्त बताऊंगा, ये बातें।

श्री परसादीलाल मीणा : नहीं, नहीं, इसी में है, सम्पर्क सड़कों का है। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : इसी में है। (व्यवधान) इसी में है।

श्री सुजानसिंह यादव : इसमें तो नहीं है। इसमें तो नहीं है।

श्री परसादीलाल मीणा : कितनी राशि आप खर्च करते हैं ? कुल इनकम में से आप कितनी राशि सम्पर्क सड़कों पर खर्च करते हैं ?

श्री सुजानसिंह यादव : नहीं है इसमें।

श्री परसादीलाल मीणा : इसी में है। (व्यवधान) आप पढ़ लो अच्छी तरह।

श्री हरजीराम बुरड़क : भाग तीन में है।

श्री परसादीलाल मीणा : मुख्य मंत्री जी ने यह कहा था कि हम 60 प्रतिशत राशि गांव की सम्पर्क सड़कों पर खर्च करेंगे। मण्डियां नहीं कर रही हैं इसके लिए आप क्या कर रहे हैं ?

श्री सुजानसिंह यादव : ऐसा है, साहब आपका प्रश्न आगे तो आएगा, मैं उसकी बात कह रहा हूं। उसके निमित्त भी यही बात है। आपने लालसोट का एक प्रश्न पूछा है उससे सम्बन्धित भी यह बात है।

लालसोट में 1995–96 में 157 लाख, 1996–97 में 166 लाख, 1997–98 में 205 लाख, तीन सालों में 528 लाख आमदनी हुई है। जिसमें से 224 लाख संस्थापन व्यय में खर्च हो गए, बचे 304 लाख। इसमें से 60 प्रतिशत में

(श्री सुजानसिंह यादव)

आपको 180 लाख रुपये आते हैं तो 180 लाख में से हमने 196 लाख तो सड़कों की स्वीकृति कर दी और उस स्वीकृति में 174.03लाख खर्च हो गये । मण्डी विकास में 63 लाख रुपये खर्च हुए । इस तरह से आपके जो पैसे थे उसमें से हमने ज्यादा खर्च कर दिये ज्यादा खर्च कर दिये इसलिए पैसे बचे नहीं और बाकी मण्डियों का काम हो नहीं पाया । प्रश्न आपका यह था ।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट ।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, एक छोटा–सा क्लैरिफिकेशन चाह रहा हूं, सिर्फ क्लैरिफिकेशन चाह रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष : क्लैरिफिकेशन आप व्यक्तिगत रूप से बैठकर लेना ।

श्री हरिसिंह (महुआ) : यह तो आपका भी काम है ।

श्री अध्यक्ष : क्लैरिफिकेशन तो आप व्यक्तिगत रूप से बैठकर भी कर सकते हैं ।

श्री हरिसिंह (महुआ) : आपसे सम्बन्धित मामला है यह तो ।

मैं तो यही पूछ रहा हूं, मुख्य मंत्रीजी ने यह आश्वासन दिया सदन को कि 60 प्रतिशत मण्डी शुल्क से वसूल की गयी राशि सड़कों के निर्माण पर खर्च होगी, और आपने खर्च की है ? मंत्री महोदय 148.17 करोड़ रुपया आपको 96-97में प्राप्त हुआ आपने खर्च 54.29 करोड़ किया 1997-98 में आपको प्राप्त हुआ 165.31 करोड़ और आपने सड़क निर्माण पर खर्च किया 49.44 करोड़ । मुख्य मंत्रीजी की घोषणा के अनुरूप यह राशि खर्च नहीं की गयी है । क्या आप 60 प्रतिशत राशि सड़कों के निर्माण पर खर्च करने का विचार रखते हैं ?

श्री सुजानसिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, यह कोई हार्ड और फास्ट नियम नहीं है । जैसे कहीं मण्डी यार्ड बन रहा है और उसके रख–रखाव में ज्यादा पैसे खर्च हो जाएं तो सड़कों पर कम खर्च हो जाते हैं । यदि वहां मण्डी में कोई कार्य नहीं होता है तो वे तमाम पैसे सड़कों पर लगा दिये । कोई फास्ट रूल नहीं है कि खर्च करना पड़ेगा हमको । दूसरे व्यय पर खर्च हो जाते हैं ज्यादा, मण्डी यार्ड बना रहे हैं और उसमें ज्यादा खर्च हो गयी ।

श्री अध्यक्ष : उत्तर पर्याप्त है । श्री अर्जुनदास मदान ।

प्रश्न संख्या 330

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें ।)

श्री मोहनलाल मोदी । एब्सेंट ।

प्रश्न संख्या 331

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें ।)

श्री ओमप्रकाश शर्मा ।

बूंदी नगर को कुण्ड व बावड़ियों का जीर्णोद्धार

332. **श्री ओमप्रकाश शर्मा** (बूंदी) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि बूंदी नगर में राजा महाराजाओं के समय के कुण्ड व बावड़ियां मौजूद हैं ? क्या इनमें से अधिक

(श्री ओमप्रकाश शर्मा)

तर जीर्ण–शीर्ण अवस्था में हैं ? क्या इनकी सुन्दरता को बनाये रखने हेतु सरकार इन्हें अधिग्रहण कर मरम्मत कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि कुण्ड मांजी साहब, जैल, बालचन्द बड़ा अमयनाथ महादेव, नागर–सागर का कुण्ड कलाकृती से भरपूर एवं सुन्दर हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इनकी स्थाई व्यवस्था एवं मरम्मत कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, पर्यटन (श्रीमती नरेन्द्र कंवर) : (1) जी हां, । बूंदी नगर में राजा–महाराजाओं के समय के अनेक कुण्ड व बावड़ियां मौजूद हैं, जिनमें से अधिकतर जीर्ण–शीर्ण अवस्था में हैं। सरकार का इन्हें अधिग्रहण करने का कोई विचार नहीं है।

(2) जी, नहीं। अब इनमें से अधिकतर जीर्ण–शीर्ण अवस्था में होने के कारण पुरातात्विक दृष्टि से संरक्षण योग्य नहीं हैं। लेकिन रानीजी की बावड़ी एवं नागर-सागर कुण्ड संरक्षण के योग्य है, जिनके संरक्षण के लिये विभाग द्वारा संरक्षण कार्य करवाये गये हैं। पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा रानीजी की बावड़ी की मरम्मत/जीर्णोद्धार हेतु चालू वित्तीय वर्ष में रुपये 30.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है।

(12.00 बजे)

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो तीस लाख रुपये का प्रावधान किया है उसके लिये तो मैं माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद दूंगा। इसके साथ ही आपने जवाब दिया है कि कुण्ड व बावड़ियां ऐतिहासिक व पुरातत्व की दृष्टि से अद्भुत नमूना हैं किन्तु उनके रख–रखाव के लिये आज हमारा कोई प्रावधान नहीं है। परन्तु मैं कहना चाहता हूं कि ये आने वाली पीढ़ियों के लिये प्रेरणा स्रोत हैं। जीर्ण–शीर्ण होने पर उनकी मरम्मत व संरक्षण जरूरी है वरना इसका कौन जिम्मेदार होगा ? केवल एक बावड़ी ही नहीं, सम्पूर्ण बूंदी नगर के कुण्ड और बावड़ियां, सारी की सारी कलाकृति की दृष्टि से बड़ा महत्व रखती हैं। आज वहां पर पर्यटक जाते हैं और कला को देखते हैं। बूंदी को चित्रकला, चित्रशैली वैसे भी राजस्थान में किशनगढ़ के बाद दूसरे नम्बर पर आती है इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उन कुण्डों और बावड़ियों के रख–रखाव के लिये सरकार व्यवस्था करें। अगर सरकार नहीं कर सकती है तो किसी अन्य के माध्यम से कराए, पर उनकी रक्षा करना अति आवश्यक है। इसका जवाब दे दीजिये।

श्रीमती मीना अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक है अलवर का।

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : एक मिनट ठहरो, आपके अलवर का भी जवाब आ जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में संरक्षित 335 पुराने स्मारक हैं। अब इसमें तो मेरी कोई गलती है नहीं, न हमारी सरकार

(श्रीमती नरेन्द्र कंवर)

की है कि इस पर कभी भी काम नहीं हुआ। यह पहली बार है कि इनका जीर्णोद्धार अभी मुख्य मंत्रीजी के नेतृत्व में सरकार ने किया है। हम इनका जीर्णोद्धार ही कर पा रहे हैं। जो आपने बताया है कि यहां पर काफी बावड़ियां हैं, तो यहां पर ही नहीं, भीलवाड़ा में भी हैं, अलवर में भी हैं, उदयपुर में हैं, सिरोही में हैं, उनका .. (व्यवधान)....बोलने तो दो।

श्री अध्यक्ष : सुनिये। कृपया, शांत रहें, शांत।

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : इनका सबका सर्वेक्षण हम करवा चुके हैं लेकिन इसके लिये बी.जे.पी. सरकार अगले दस साल तक आनी जरूरी है, तब ही इन सबका जीर्णोद्धार हो सकेगा।....(व्यवधान)

श्री टीकमचन्द कान्त : इस राशि के अन्दर केन्द्रीय सरकार का भी भाग है क्या ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : मेरा निवेदन है, सरकार तो आएगी ही... (व्यवधान)

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : केन्द्रीय सरकार का इसमें कोई भाग नहीं है। यह राजस्थान सरकार की ही व्यवस्था है..(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : खुली हवेलियां हैं, उनका भी जीर्णोद्धार करें।....(व्यवधान)

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट–3 देखें।)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

विधान सभा क्षेत्र केसरीसिंहपुर के ग्रामों का विद्युतिकरण

323. **श्री हीरालाल इन्दौरा** (केसरीसिंहपुर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र केसरीसिंहपुर के कितने राजस्व ग्राम विद्युतिकरण से वंचित है ? सूची कारण सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) शेष ग्रामों को कब तक विद्युतिकृत कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र केसरीसिंहपुर के अन्तर्गत पंचायत समिति गंगानगर व करनपुर के सभी राजस्व ग्राम विद्युतिकृत घोषित हैं।

(2) विधान सभा क्षेत्र केसरीसिंहपुर के अन्तर्गत विद्युतिकृत घोषित किये जाने हेतु कोई ग्राम शेष नहीं है।

परस्पेक्टीव प्लान का अनुमोदन

324. **श्री गोविन्दसिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या आयोजना राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या 1992–93 में कोई परस्पेक्टीव प्लान 1995–2000 तक के लिये बनाया गया था ? यदि हां, तो प्रोग्राम का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)

(2) क्या इस प्लान को भारत सरकार की अनुमति प्राप्त हो गई है ? यदि हां, तो कब व किस-किस परिवर्तन के साथ ?

उत्तर

(1) ऐसी कोई योजना (1995–2000 के लिए परस्पेक्टिव प्लान) तैयार नहीं की गई है ।

(2) लागू नहीं ।

ग्राम पंचायत धीरडोदा मीठा (लाडनूं) का सामुदायिक भवन निर्माण प्रकरण

325. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं): क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत धीरडोदा मीठा पंचायत समिति लाडनूं जिला नागौर में धोलामाटा की ढाणी में अनुसूचित जाति को सीधा लाभ पहुंचाने के लिये एक समुदायिक भवन बनाया गया है ? यदि हां, तो कितनी राशि का कब किसके द्वारा स्वीकृत किया गया तथा इस कार्य के लिये किसके द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ? प्रस्ताव व स्वीकृति आदेश की प्रति सहित सूचना सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह भी सही है कि इस सम्बन्ध में गांवों ने एक शिकायत पेश की थी कि जिस स्थान पर यह भवन बनाया जा रहा है, उससे कई किलोमीटर तक एक भी अनुसूचित जाति का घर नहीं है ? क्या इस शिकायत पर कार्य बन्द करवा कर इसकी जांच अतिरिक्त कलक्टर डीडवाना से कराई गई ? यदि हां, तो उक्त अधिकारी ने जांच में क्या पाया तथा इस पर क्या कार्यवाही की गई ? जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई जांच रिपोर्ट की प्रति सहित सूचना सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त निर्माण कार्य बन्द कर दिया गया था फिर इसको जिला कलक्टर नागौर ने वापस चालू करवाया ? यदि हां, तो इसे पुनः चालू करवाये जाने के क्या कारण रहे ? इस सम्बन्ध में जारी आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या यह भी सही है कि कलक्टर नागौर ने सरपंच से सांठ-गांठ करके सरकारी दिशा निर्देशों की अवहेलना करके यह भवन बनवाया है ? यदि हां, तो क्या कलक्टर व सरपंच के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या यह सही है कि सरपंच ने इस कार्य के लिये दिनांक 3 जनवरी, 1998 को एक झूंठा प्रमाण-पत्र दिया कि यहां पर अनुसूचित जाति की आबादी है जबकि यहां पर एक भी व्यक्ति उक्त जाति का नहीं है ? यदि हां, तो फर्जी प्रमाण-पत्र के आधार पर अपराधिक मामला क्यों नहीं दर्ज कराया गया ?

उत्तर

(1) जी हां । इस कार्य के लिए जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, नागौर द्वारा दिनांक 2.1.98 को रुपये 1.96 लाख

(राज्य मंत्री, विशिष्ट योजना संगठन)

स्वीकृत किये गये। बाद में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा दिनांक 9.3.98 को रुपये 2.45 लाख की संशोधित स्वीकृति जारी की गई। इस कार्य के लिए सरपंच, ग्राम पंचायत खीरडोदा मीठा (पंचायत समिति लाडनूं) द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। प्रस्ताव व स्वीकृति आदेश प्रति परिशिष्ट–1 एवं 2 पर संलग्न है।

(2) गांव वालों ने शिकायत पेश नहीं की थी अपितु उप प्रधान, पंचायत समिति लाडनूं द्वारा इस सम्बन्ध में शिकायत की गई। इस शिकायत के आधार पर कार्य बन्द करवा कर अभिकरण स्तर से इसकी जांच अतिरिक्त कलक्टर, डीडवाना द्वारा करवाई गई, उस जांच में पाया कि धोलामाटा की ढाणी में निर्मित सामुदायिक विकास भवन उपयुक्त स्थान पर बनाया गया है। जांच रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(3) जी हां। जिला कलक्टर के अनुमोदन उपरान्त अतिरिक्त कलक्टर (विकास) नागौर द्वारा इस कार्य को वापस चालू करने के आदेश दिनांक 13.4.98 के द्वारा दिये गये। जिसकी प्रति परिशिष्ट–4 पर संलग्न है।

(4) जी नहीं।

(5) जी नहीं।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

निदेशक, आयुर्वेद के प्रशासनिक अधिकार

330. **श्री अर्जुनदास मदान (लाडपुरा)** : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) निदेशक, आयुर्वेद को विभागाध्यक्ष होते हुए किस आधार पर समस्त प्रशासनिक अधिकारों से वंचित किया गया है।

(2) क्या सरकार इस निर्णय पर पुनर्विचार कर वापस लेने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) पूर्ववत अधिकार निदेशक के पास ही हैं।

ग्राम रायपुर पाटन की चरागाह भूमि पर अतिक्रमण

331. **श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना)** : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम रायपुर पाटन की खसरा नं. 709/2 की चरागाह भूमि पर कुछ व्यक्तियों ने अतिक्रमण कर रखा है ? यदि हां, तो उक्त अतिक्रमण अब कब तक हटा दिया जायेगा ?

(2) क्या उक्त अतिक्रमण हटाने पर पत्थर, चूना, बजरी, आदि जब्त की गई थी ? यदि हां, तो जब्त शुदा सामान किसके सुपुर्द किया गया ?

(श्री मोहनलाल मोदी)

(3) क्या यह सही है कि जब्त शुदा सामान की चोरी करके अतिक्रमणियों ने दुबारा अतिक्रमण कर लिया है ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई अथवा प्रस्तावित है ? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। ग्राम रायपुर पाटन की भूमि ख.न. 709/2 चरागाह पर श्री मनोहर पुत्र श्री गोरधन कुम्हार व श्री अनूपचन्द पुत्र श्री रामकुमार सोनी ने अतिक्रमण किया था जिन्हें दि. 14.7.90 को मौके से बेदखल कर दिया गया है।

(2) जी, हां। अतिक्रमण करने पर पत्थर, चूना, बजरी जब्त की गई थी। उक्त जब्त शुदा सामान पूर्व में पटवारी की देखरेख में था। फ़िर नीलामी बोली नहीं लगने पर श्री मालाराम सरपच, ग्राम पंचायत रायपुर पाटन की सुपुर्दगी में दिया गया था।

(3) जी, हां। जब्त शुदा सामान की चोरी कर अतिक्रमी द्वारा पुनः अतिक्रमण कर पुख्ता मकान का निर्माण कार्य शुरू करने पर थाना पाटन में तहसीलदार, नीमका थाना द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई। अतिक्रमी को दुबारा अतिक्रमण करने पर 3 माह कि सिविल कारावास की सजा का निर्णय पारित किया गया तथा दिनांक 14.7.98 को मौके से बेदखल कर दिया गया है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जिला नागौर में उपखण्ड स्तर पर गठित सतर्कता समितियां

443. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या मुख्य (प्रशासनिक सुधार) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार ने उप खण्ड स्तर पर सतर्कता समितियों का गठन किया था ? यदि हां, तो कब तथा इसका उद्देश्य क्या था और उसमें कहां तक सफलता मिली ?

(2) क्या उक्त समितियां अभी भी अस्तित्व में हैं ? यदि हां, तो नागौर जिले में गठित उक्त समितियों की चालू वर्ष सहित गत तीन वर्षों में कब-कब बैठकें हुई और उनमें क्या-क्या कार्य किये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त समितियों के अध्यक्षों ने सरकार द्वारा जारी निर्देशों की पालना की है ? यदि हां, तो किस प्रकार से और नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। दिनांक 11 मार्च, 1994 को उप खण्ड स्तर पर सतर्कता समितियों का गठन किया गया था। जन साधारण को कम से कम परेशानी उठानी पड़े इस उद्देश्य से उप खण्ड स्तर पर उप खण्ड जन अभियोग एवं सतर्कता समितियों का गठन किया गया था। इसमें प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण कराने में काफी सफलता मिली है।

(2) जी, हां। नागौर जिले में इन समितियों की गत तीन वर्षों में कब-कब बैठकें हुई तथा क्या कार्य किए गए, विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(3) उक्त समिति के अध्यक्षों (सम्बन्धित उप खण्ड अधिकारी) ने माह में कम से कम एक बैठक पूर्व सूचना व प्रचार करके की जानी थी लेकिन लगातार बैठकें

(मुख्य (प्रशासनिक सुधार) मंत्री)

नहीं हो सकीं। इसकी वजह थी कि जिला सतर्कता समिति की नियमित बैठकें होती रहने के कारण उस बैठक में उप खण्ड अधिकारियों द्वारा भाग लेने, समय–समय पर विभिन्न प्रकार के चुनावों में व्यस्त रहने, जाजम शिविरों में व्यस्त रहते हुए जनता के अभियोगों का निस्तारण करने के कारण एवं अति विशिष्ट व विशिष्ट व्यक्तियों व माननीय मंत्रीगणों के समय–समय पर भ्रमणों के कारण उक्त उप खण्ड स्तरीय बैठकें नियमित नहीं की जा सकी हैं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–4 देखें)

जिला भीलवाड़ा में रसोई गैस बाटलिंग हेतु भूमि आबंटन प्रकरण

444. श्री कालूलाल गूजर (माण्डल) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा नगर में इण्डेन कम्पनी द्वारा रसोई गैस भरने का बाटलिंग प्लान्ट लगाने हेतु जिला कलक्टर भीलवाड़ा को भूमि आबंटन हेतु प्रार्थना-पत्र दिया गया, जिस पर भीलवाड़ा (पुर) एवं ग्राम नोगावां की भूमि कलक्टर ने सेट ए पार्ट की आबंटन की सिफारिश की है ? यदि हां, तो क्या उक्त सिफारिश के आधार पर यह भूमि बाटलिंग प्लांट हेतु आबंटित की गई ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त आबंटन के आदेश पर राजस्व सचिव, ने स्थगन आदेश दे दिया है ? यदि हां, तो किस आधार पर ? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार अब उक्त स्थगन आदेश को हटाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। यह सही है कि भीलवाड़ा नगर में इण्डियन आयल कारपोरेशन लि. द्वारा रसोई गैस भरने का बोटलिग प्लान्ट लगाने हेतु भूमि आबंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया। जिस पर कार्यालय के पत्र क्रमांक 12–3(स) (18) आरए/96 दि. 5–3–97 द्वारा ग्राम पुर की बिलानाम आराजी नम्बर 9681/3078 रकबा 49 बीघा 8 बिस्वा में से 23 बीघा एवं चरागाह आ. नं. 3078 रकबा 124 बीघा 12 बिस्वा में से 41 बीघा कुल रकबा 64 बीघा भूमि गैस बोटलिंग प्लान्ट हेतु औद्योगिक प्रयोजनार्थ सेट–अ–पार्ट कर, पत्र क्रमांक समसंख्यक दिनांक 18–3–97 से राज्य सरकार को आबंटन की सिफारिश की। (आदेश एवं पत्र की प्रति "परिशिष्ट–क, ख" संलग्न है) उक्त सिफारिश के आधार पर राज्य सरकार (उद्योग विभाग) के आदेश क्रमांक प. 4 (22) उ.1/97 दिनांक 26–8–97 के द्वारा भूमि बोटलिंग प्लांट हेतु सशर्त आबंटित की गयी। (आदेश की प्रति "परिशिष्ट–ग" संलग्न है)

(2) जी, हां। यह सही है कि उक्त आबंटन आदेश पर राजस्व (ग्रुप–3) विभाग, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक प. 9 (23) राज/ग्रुप–3/97 द्वारा स्थगन आदेश दिनांक 9–1–98 दिया गया है (परिशिष्ट–घ" संलग्न है)। यह स्थगन आदेश इस आधार पर दिया गया है कि चारागाह भूमि को बिना

(राजस्व मंत्री)

राजस्व विभाग की स्वीकृति के आबंटन का अधिकार उद्योग विभाग को नहीं है। उप शासन सचिव राजस्व ग्रुप–3) विभाग राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक प. 9 (23) राज/ग्रुप–3/97 दिनांक 18–6–98 के द्वारा कीमतन इण्डियन आयल कोरपोरेशन लि. को एल.पी.जी. बोटलिंग प्लान्ट हेतु आबंटन की स्वीकृति प्राप्त हुयी है। आदेश की प्रति "परिशिष्ट–ड़" संलग्न है।

(3) इण्डियन आयल कोरपोरेशन लि. द्वारा 2–56 करोड़ रुपये का ड्राफ्ट जमा करा दिया है जो राजकोष में जमा हो चुका है अन्तर की राशि रुपये 3,42,400 भी रोजकोष में दिनांक 4–7–98 को जमा होने के फलस्वरूप कार्यालय के आदेश क्रमांक समसंख्यक दिनांक 4 जुलाई, 98 से इण्डियन आयल कारपोरेशन लि. के पक्ष में भूमि का आबंटन किया जा चुका है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट–5 देखें)

जिला नागौर में नया जिला, उपखण्ड एवं तहसील बनाने के प्रस्ताव

445. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राज्य में नये जिले, उपखण्ड व तहसील बनाने के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो कौन–कौन से कब–कब से तथा कब तक जिले, उपखण्ड तथा तहसील कार्यालय खोले जायेंगे ?

(2) क्या सरकार डीडवाना को नया जिला बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) नये उपखण्ड व तहसील बनाने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है। नये उपखण्ड/तहसीलें कहां–कहां स्थापित होगी, इस पर विचार किया जा रहा है।

(2) जी, नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

राज्य में राजस्व ग्राम घोषित करने की नीति

446. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडा-भीम) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला करौली तहसील नादौती के ग्राम लाला-रामपुरा को राजस्व ग्राम घोषित किया गया है ? यदि नहीं, तो अब कब तक घोषित कर दिया जायेगा ?

(2) क्या यह भी सही है कि लाला-रामपुरा को राजस्व ग्राम घोषित करने के लिये राजस्व मण्डल में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसे कब तक मंजूरी दे दी जायेगी ?

(3) सरकार की राजस्व ग्राम घोषित करने की क्या नीति है ? उक्त नीति की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(३०)

उत्तर

(1) जी नहीं। ग्राम लालारामपुरा, तहसील नादौती का भाग न होकर तहसील टोडाभीम का भाग है जिसे राजस्व गांव घोषित नहीं किया गया है।

(2) हां। ग्राम "लालारामपुरा" को राजस्व ग्राम घोषित करने हेतु प्रस्ताव जिला कलक्टर, करौली द्वारा दिनांक 20.5.98 को राजस्व मण्डल में प्राप्त होने पर मूल प्रस्ताव अपूर्ण होने के कारण पूर्ति हेतु जिला कलक्टर, करौली को वापस दिनांक 2.6.98 को लौटा दिये गये हैं। पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने पर राजस्व मण्डल द्वारा राज्य सरकार को उक्त ग्राम "लालाराम का पुरा" को राजस्व ग्राम घोषित करने की अनुशंषा के साथ प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(3) जिन मजरे/ढाणियों की जनसंख्या 250 व इससे अधिक हैं, उन मजरे/ढाणियों को नवीन राजस्व गांव घोषित किये जाने की नीति निर्धारित की हुई है। इस सम्बन्ध में जारी परिपत्र संख्या प. 9 (II) राज–1/84 दिनांक 4.10.96 की प्रति संलग्न है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट–6 देखें)

राज्य में सीलिंग भूमि के लम्बित प्रकरण

447. श्री अमराराम (धोद) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में सीलिंग में आयी हुई भूमि के विरुद्ध कितने प्रकरण तीस साल से न्यायालय में लम्बित हैं? सूची मय वर्ष, तथा भूमि के रकबे सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार कृषि भूमि में सीलिंग सीमा हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य सरकार की जानकारी में सीलिंग में आयी भूमि को बचाने के लिए न्यायालय में कोई प्रकरण ऐसा विचाराधीन नहीं है, जिसे 30 वर्ष से ज्यादा समय हो गया है।

(2) जी नहीं।

तहसील उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं) में बंजड़ सरकारी भूमि का आबंटन

448. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) तहसील उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं) के ग्राम बागोरा, गिरावड़ी, मण्डावरा, मणकसास, खोहू, में किस-किस खसरा नम्बरों की कितनी-कितनी सरकारी भूमि बंजड़ श्रेणी की है, जो अभी तक किसी के नाम आबंटित नहीं की गई है और न ही किसी के नाम नियमित की गई है एवं वह आबंटित होने की श्रेणी में आती है?

(2) क्या सरकार उक्त भूमि को काश्त हेतु आबंटित करने का विचार रखती है?

(3) उक्त गांवों में ऐसे कितने मामले

(श्री शिवनाथ सिंह)

हैं, जिन जमीनों पर लम्बे अर्से से लोगों के कब्जे व काश्त है, जो नियमित नहीं किये गये हैं ?

उत्तर

(1) तहसील उदयपुरवाटी के ग्राम बागोरा की बंजड़ भूमि किता 10 रकबा 7.52 हैक्टेयर व मणकसास की किता 7 रकबा 2.78 हैक्टेयर काबिज काश्त है। परन्तु मौके पर इस भूमि पर अतिक्रमण होने से भूमि का आबंटन नहीं हुआ हैं। अतिक्रमणियों के प्रकरण नियमन की श्रेणी में नहीं आने के कारण नियमन नहीं किये गये। ग्राम गिरावड़ी, मण्डावरा व खोह में भूमि काबिल काश्त नहीं होने से आबंटन योग्य नहीं है।

(2) झुन्झुनूं जिला डेजर्ट डवलपमेंट प्रोग्राम के अन्तर्गत आता है एवं वहां भूमि आबंटन पर प्रतिबन्ध है। अतः आबंटन की कार्यवाही सम्भव नहीं है।

(3) उक्त ग्रामों में ऐसा कोई मामला नहीं है जो कब्जे काश्त के आधार पर नियमन किया जा सके।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-7 देखें)

ग्राम नोरंगदेसर (बीकानेर) में अनुसूचित जाति के काश्तकारों का भू-आबंटन प्रकरण

449. **श्री भीमसेन चौधरी** (लूणकरणसर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) ग्राम नोरंगदेसर तहसील बीकानेर के किन-किन अनुसूचित जाति के भूमिहीन काश्तकारों को चक 7 आर एम. में सामान्य आबंटन में दिनांक 14 नवम्बर 1984 को पट्टे जारी किये गये ?

(2) क्या उक्त काश्तकारों को कब्जा दिया जा चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) उक्त प्रकरण में देरी के लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार है तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम नोरंगदेसर तहसील बीकानेर के अनुसूचित जाति के तीन काश्तकारों को चक-7 आर.एम. में दिनांक 14-11-84 को आबंटन हुआ जो निम्न है :-

1- रामकिशन पुत्र बख्ताराम मेघवाल मु.नं. 216/35 = 21 बीघा (कमाण्ड)

2- श्री रामलाल पुत्र बख्ताराम मेघवाल मु.नं. 216/25 में 21 बीघा (कमाण्ड)

3- श्री चैनाराम पुत्र बख्ताराम मेघवाल मु.नं. 216/33 में 21 बीघा (कमाण्ड)

(2) उक्त काश्तकारों को कब्जा लेने हेतु नोटिस भेजे गये परन्तु तीनों व्यक्ति कब्जा लेने नहीं आये। कब्जा नहीं लेने के कारण दिनांक 7-11-88 को आबंटन निरस्त कर दिया गया तथा दिनांक 30-6-98 को तीनों व्यक्तियों को 11 जी. डब्ल्यू. एम. में आबंटन कर दिया गया है। उनको शीघ्र ही कब्जा दे दिया जायेगा।

(3) उक्त आबंटन प्रकरण में कोई अधिकारी दोषी नहीं है।

(32)

रुकमणी बिड़ला को अस्पताल निर्माण हेतु सीलिंग कानून के अन्तर्गत छूट प्रकरण

450. **श्री भीखाभाई** (सागवाड़ा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) रुकमणी बिड़ला को अस्पताल निर्माण हेतु सीलिंग कानून के अन्तर्गत छूट किस-किस शर्त के अन्तर्गत दी गई थी ? शर्तों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि शर्तों के मुताबिक अस्पताल भवन का निर्माण तीन वर्ष की अवधि में पूर्ण किया जाना था ?

(3) क्या यह भी सही है कि ढाई साल की अवधि व्यतीत होने पर भी निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

(4) क्या सरकार भवन निर्माण का कार्य अभी तक प्रारम्भ ही नहीं करने की स्थिति में सीलिंग कानून के अन्तर्गत दी गई छूट को निरस्त करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) अधिसूचना क्रमांक एफ 6(78) राज/ग्रुप–8/95 दि. 11.12.95 द्वारा मै. नेशनल इंजीनियरिंग इण्डस्ट्रीज कम्पनी की खातेदारी भूमि ग्राम-गोपालपुरा की खसरा नं. 333 से 343, 348 व 341 की 40 बीघा 17 बिस्वा भूमि को एक बड़ा सुपर स्पेशलिटी होस्पिटल कम मेडिकल रिसर्च सेन्टर की स्थापना हेतु राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम के प्रावधानों से छूट दी गई थी। इसके पश्चात् अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 16.1.97 के अनुसार इस कम्पनी को ग्राम गोपालपुरा, तह. सांगानेर स्थित खातेदारी कृषि भूमि खसरा नं. 331/366, 331, 343, 344, 345, 346, 347, 355, 355/367 एवं 355/368 की कुल 36.41 एकड़ भूमि पर बिड़ला सेन्टर फार मेडिकल रिसर्च को अस्पताल की सहायक सेवाओं के लिए उक्त अधिनियम की धारा 22(2) के तहत कृषि सीलिंग के अन्तर्गत छूट प्रदान की गई थी। शर्तें अधिसूचना दिनांक 16.1.97 में अंकित है। प्रति संलग्न है।

(2) जी हां। अधिसूचना दिनांक 16.1.97 की शर्त सं. 3 के अनुसार जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्माण के मानचित्र की स्वीकृति 3 वर्ष की अवधि में कम्पनी द्वारा निर्माण कार्य पूर्ण करना है।

(3) जी हां। भवन निर्माण स्वीकृति का मामला जयपुर विकास प्राधिकरण के पास विचाराधीन है।

(4) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा भवन निर्माण की स्वीकृति जारी करने की दिनांक से 3 वर्ष की अवधि प्रारम्भ होगी, अभी वह स्थिति है ही नहीं।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट–8 देखें)

प्रश्न संख्या–451

(स्थगित)

ग्राम तिलवाड़ी (अलवर) के ग्राम रास्ते पर अतिक्रमण

452. **श्री पूंजालाल** (बागीडोरा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम तिलवाड़ी, तहसील राजगढ़, जिला अलवर के आराजी खसरा नं. 242 गैर मुमकिन सड़क राजस्व रिकार्ड में दर्ज है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस सड़क पर एक प्रभावशाली ठेकेदार द्वारा खान खोदकर रास्ते पर अतिक्रमण कर अवरुद्ध कर दिया गया है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त अतिक्रमण के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत/ग्रामवासियों द्वारा अतिक्रमण हटा कर रास्ता खोलने के सम्बन्ध में सरकार को ज्ञापन प्रस्तुत किये गये हैं – यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

(4) क्या यह भी सही है कि अतिक्रमण हटाने सम्बन्धी सरकार के आदेश प्रसारित करने के बावजूद भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया है ? यदि हां, तो क्यों और इसमें कौन–कौन दोषी है ? सरकार ने अब तक अतिक्रमण नहीं हटाने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

(5) उक्त अतिक्रमण को अब कब तक हटा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी, हां। यह सही है कि ग्राम तिलवाड़ी का आराजी ख.नं. 242 रकबा 27एयर गै.मु. सड़क राजस्व रेकार्ड में सिवाय चक दर्ज है।

(2) जी, हां। यह सही है कि आराजी ख.नं. 242 गै.मु. सड़क में एक बिस्वा रकबे पर श्री प्रदीप कुमार पारीक द्वारा खान खोदकर अतिक्रमण कर रास्ता अवरुद्ध किया है। खनि अभियन्ता, अलवर की जांच रिपोर्ट दिनांक 16.7.98 के अनुसार उक्त ख.नं. 242 गै.मु. सड़क का 5 एयर रकबा श्री पारीक को आवंटित खनन पट्टे की लीज एरिया में सम्मिलित है।

(3) जी, हां। यह सही है कि उक्त अतिक्रमण के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत/ग्रामवासियों द्वारा परिवाद प्रस्तुत कर अतिक्रमण हटाकर रास्ता खोलने हेतु निवेदन किया गया है। इस पर अतिक्रमण हटाने के लिये राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत दि. 30.8.97 को मौके पर निर्णय लिया जाकर उसी दिन थानाधिकारी, टहला एवं सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजगढ़ की मौजूदगी में जे.सी.बी. चलाकर अतिक्रमण हटा दिया गया था।

(4) यह सही नहीं है। दि. 30.8.97 को अतिक्रमण हटा दिया गया है एवं खनन कार्य बन्द करने हेतु अतिक्रमी को पाबन्द कर दिया गया है। कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है। अतः कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं होता।

(5) अतिक्रमण दिनांक 30.8.98 को हटाया जा चुका है।

पंचायत समिति पीसांगन के नव घोषित राजस्व ग्राम

453. **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(३४)

(श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)

(1) क्या पंचायत समिति गोला (पीसांगन) के नव घोषित राजस्व ग्राम पृथ्वीराज खेड़ा, गोगलपुरा व तितरड़ी का राजस्व अभिलेख आदि तैयार कर लिया गया है ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या पंचायत झडवासा के गांव रसूलपुरा एवं निजामपुरा की आबादी क्रमशः 382, 377 है, को भी राजस्व ग्राम घोषित कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या इनका भी राजस्व अभिलेख तैयार कर लिया है ? यदि हां, तो कब ?

उत्तर

(1) ग्राम गोला की प्रचलित जमाबंदी 2042 से नवीन घोषित राजस्व ग्रामों पृथ्वीराज खेड़ा, गोगलपुरा एवं तितरड़ी के क्षेत्र विभाजन के अनुसार पृथक–पृथक उक्त नवीन घोषित ग्रामों की जमाबन्दी एवं ग्राम गोगलपुरा व तितरड़ी का नक्शा दिनांक 25.2.98 तक पूर्ण कर लिया गया है। ग्राम पृथ्वीराज खेड़ा का नक्शा तैयार किया जा रहा है।

(2) ग्राम पंचायत झडवासा की ढाणी रसूलपुरा एवं निजामपुरा को नवीन राजस्व गांव घोषित कर अधिसूचना संख्या प. 9 (8) राज/ग्रुप–1/95 दि. 21.6.96 को जारी की जा चुकी है तथा उक्त नवीन घोषित राजस्व ग्रामों का राजस्व अभिलेख पृथक से तैयार कर लिया गया है।

ग्राम खरतवास (चूरू) की भूमि का बिना बहनामा दर्ज इन्द्राज प्रकरण

454. **श्री नन्दलाल व्यास (बीकानेर)** : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम खरतवास तहसील–तारानगर जिला चूरू के खसरा नं. 68 की भूमि 11 बीघा 4 बिस्वा का इन्द्राज तारानगर निवासी के पक्ष में बिना बहनामा दर्ज किया गया है ? यदि हां, तो सरकार क्या इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है और नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि कार्यालय जिला कलक्टर चूरू की अभिलेख शाखा की पत्रावली सं. 49/41 में शामिल अनुसूची में संलग्न पत्रों में सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कांट-छांट की गई है और क्या पत्रावली में से कुछ पत्र गायब किये गये हैं ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में अब क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(3) क्या यह सही है कि सहायक कलक्टर, चूरू द्वारा दिनांक 26 फरवरी, 1993 को अपने पत्र क्रमांक 166 द्वारा जिला कलक्टर चूरू को बिन्दु संख्या 2 में दर्शायी गई पत्रावली की अनुसूची में संलग्न पत्रों की कांट–छांट एवं गायब हो जाने के बारे में अपना जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ? क्या जिला कलक्टर चूरू द्वारा आज तक इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो कब एवं क्या और नहीं तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) जी, हां। कार्यालय जिला कलक्टर चूरू की अभिलेख शाखा की पत्रावली सं. 49/91 में संलग्न पत्रों में कांट–छांट

(राजस्व मंत्री)

बाबत परिवाद 16–9–92 को पेश हुआ था जिस पर सहायक कलक्टर चूरू द्वारा प्रस्तुत जांच दिनांक 26–2–93 एवं 29–1–94 द्वारा निष्कर्षत: यह तो माना गया है कि मिसल सं. 49/41 में शामिल अनुसूची में अंकित क्र.सं. 10 व 11 में अंकन काटे गये हैं तथा उक्त दोनों कागजों को हटाना भी साबित माना गया है लेकिन जांच रिपोर्ट में यह भी माना गया है कि विगत 50 वर्षों में कई कार्मिक अभिलेख शाखा में पद स्थापित व स्थानान्तरित हुए हैं। अतः यह साबित नहीं किया जा सकता कि किस कार्मिक द्वारा उक्त कार्यवाही की गई है। सहायक कलक्टर की जांच रिपोर्ट के सन्दर्भ में कटिंग पर लिखावट की जांच एफ.एस.एल. में कार्यवाही की जाने पर ही सही स्थिति की जानकारी देना सम्भव है।

(3) जी, हां। सहायक कलक्टर चूरू द्वारा दिनांक 26 फरवरी, 1993 को अपने पत्र क्रमांक 166 द्वारा जिला कलक्टर चूरू को बिन्दु संख्या 2 में दर्शाई गई पत्रावली की अनुसूची में संलग्न पत्रों की काट–छांट एवं गायब होने के बारे में अपना जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। सहायक कलक्टर द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट में किसी कार्मिक पर जिम्मेदारी निर्धारित नहीं की थी इसलिए पुन: सहायक कलक्टर चूरू से आशयान्तर्गत जांच प्रतिवेदन चाहा गया। जिस पर सहायक कलक्टर चूरू द्वारा दिनांक 29–1–94 क्रमांक 113 द्वारा पुन: जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। जिसके मुताबिक विगत 50 वर्षों में कई कार्मिक उक्त अभिलेख शाखा में पदस्थापित रहने एवं स्थानान्तरित होने के कारण किसी कार्मिक पर जिम्मेदारी निर्धारित करना असम्भव माना गया। फिर भी किसी कार्मिक विशेष पर उत्तरदायित्व का निर्धारण एफ.एस.एल. की जांच के आधार पर सम्भव हो सकेगा।

चूंकि जांच रिपोर्ट सहायक कलक्टर चूरू के आधार पर किसी भी कार्मिक पर कोई उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं किया जा सका था अतः आदिनांक किसी कार्मिक के विरुद्ध कोई कार्यवाही सम्भव नहीं हो पाई है।

तहसील अकलेरा (झालावाड़) में पटवारियों के रिक्त पद

455. श्री जगन्नाथ (मनोहरथाना) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या तहसील अकलेरा (झालावाड़) में लम्बे समय से पटवारियों के पद रिक्त हैं ? उक्त तहसील में पटवारियों के कुल कितने पद हैं और उनमें से कितने कब से रिक्त हैं ?

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी, नहीं। तहसील अकलेरा जिला झालावाड़ में पटवारियों के 63 पद स्वीकृत है। जिनमें से वर्तमान में 7 पद निम्नानुसार रिक्त है :–

क्र.सं	नाम पटवार हल्का	रिक्त होने की तिथि
1.	कोहड़ीझर	23.8.97

(राजस्व मंत्री)

1	2	3
2.	बांसखेडो लौठान	23.8.97
3.	चांदपुरा मिलान	23.8.97
4.	कोलुखेड़ा कलां	23.11.96
5.	बांसखेड़ा	28.4.97
6.	टोडरो मोरा	11.4.96
7.	वैसगढ़ (अतिरिक्त)	3.12.97

(2) राजस्व मण्डल स्तर से पटवारियों का चयन कर दिनांक 8.7.98 को प्रशिक्षण के लिए भिजवाया गया है। प्रशिक्षण पूर्ण होने पर नियमानुसार रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जावेगी।

ग्राम कानरपुरा मंदिर श्री सीतारामजी (चौमूं) के तहसील परिवर्तन की सूचना

456. **श्री सुखलाल सैंणचा** (रायपुर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि मन्दिर श्री सीताराम जी बिराजमान ग्राम कानरपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर की वार्षिक वृत्ति के सम्बन्ध में जिला कलक्टर (जागीर) जयपुर ने प्रपत्र 12 (ए) जारी किया है? यदि हां, तो कब? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि आयुक्त, देवस्थान उदयपुर ने उक्त प्रकरण में प्रपत्र 12 (ए) में तहसील आमेर के स्थान पर तहसील चौमूं का नाम परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में कोई जानकारी चाही है? यदि हां, तो जानकारी किस तिथि को मंगवाई?

(3) क्या जिला कलक्टर (जागीर) जयपुर ने आयुक्त, देवस्थान, उदयपुर द्वारा चाही गई जानकारी भिजवा दी है? यदि हां, तो कब, किस तिथि को भेजी गई? सूचना के पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि चौमूं (जयपुर) में नयी तहसील खुल जाने के कारण उक्त मन्दिर उसके क्षेत्र का होने से आमेर के स्थान पर तहसील चौमूं किया गया है? क्या सरकार इस परिवर्तन की सूचना से आयुक्त, देवस्थान, उदयपुर को अवगत कराने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों?

(5) अब तक उक्त चाही गई सूचना नहीं भिजवाने में कौन दोषी है और अब सूचना कब तक भिजवा दी जावेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। यह सही है कि मन्दिर श्री सीतारामजी बिराजमान कानरपुरा तहसील चौमूं, जिला जयपुर की वार्षिक वृत्ति के सम्बन्ध में जिला कलक्टर (जागीर) जयपुर ने प्रपत्र–12 (ए) दि. 1–11–96 को जारी किया है। प्रपत्र की प्रति (परिशिष्ट–"अ") संलग्न है।

(2) जी, हां। यह सही है कि आयुक्त, देवस्थान उदयपुर ने उक्त प्रकरण में प्रपत्र–12 (ए) में तहसील आमेर के स्थान पर तहसील चौमूं का नाम परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में जानकारी उनके पत्र दिनांक 15–4–97 एवं 4–11–97 से चाही गई थी।

(3) जी, हां। जिला कलक्टर (जागीर) जयपुर द्वारा आयुक्त, देवस्थान, उदयपुर

(राजस्व मंत्री)

द्वारा चाही गई जानकारी दिनांक 8-7-98 को भिजवाई गई है पत्र की प्रति (परिशिष्ट "ब") पर संलग्न है ।

(4) जी, हां । यह सही है कि चौमू नयी तहसील खुल जाने के कारण उक्त मन्दिर उसके क्षेत्र में होने से तहसील आमेर के स्थान पर तहसील चौमूं किया गया है । इस परिवर्तन की सूचना से आयुक्त, देवस्थान विभाग, उदयपुर को दिनांक 8–7–98 को उनके पत्र दिनांक 15–4–97 व 4–11–97 के सन्दर्भ में अवगत करा दिया गया है । तहसील गठन की सूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है अतः सभी विभाग स्वतः ही अवगत हुए माने जाते हैं ।

(5) चूंकि राजपत्र में तहसील गठन का प्रकाशन होता है अतः सभी विभाग व जनता स्वतः ही अवगत हुई मानी जाती है अतः किसी के दोषी होने की बात नहीं उठती ।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट—9 देखें)

जिला अलवर व भरतपुर के विद्यालयों में तृतीय भाषा उर्दू का अध्यापन

457. श्री तैयब हुसैन (कामां) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला अलवर व भरतपुर में ऐसे कितने प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं जिनमें तृतीय भाषा उर्दू पढ़ाने की व्यवस्था है? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार उक्त विद्यालयों में उर्दू पढ़ाने की व्यवस्था करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) अलवर जिले के 3 सीनियर माध्यमिक, 3 माध्यमिक एवं 6 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में तृतीय भाषा उर्दू हेतु पद स्वीकृत है, लेकिन मात्र एक सीनियर माध्यमिक विद्यालय को छोड़कर अन्य विद्यालयों में तृतीय भाषा उर्दू विषय में छात्र उपलब्ध नहीं होने के कारण तृतीय भाषा उर्दू का अध्यापन नहीं करवाया जा रहा है । प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्च माध्यमिक कक्षाओं में तृतीय भाषा अध्यापन का प्रावधान नहीं है। भरतपुर जिले में तृतीय भाषा उर्दू विषय में छात्र अध्ययनरत न होने के कारण पद सृजित नहीं किये गये, तथा न ही अध्यापन करवाया जा रहा है ।

(2) जी, हां । उक्त विद्यालयों में उर्दू विषय के अध्ययन हेतु छात्रों द्वारा पर्याप्त संख्या में प्रवेश लेने पर ही उर्दू विषय पढ़ाये जाने हेतु व्यवस्था की जायेगी ।

विधान सभा क्षेत्र डेगाना के विद्यालयों का क्रमोन्नयन

458. श्री रिछपाल सिंह (डेगाना) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र डेगाना में कुल कितने राजकीय उच्च प्राथमिक विद्याल य कार्यरत हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री रिछपाल सिंह)

(2) क्या यह सही है कि गत पांच वर्षों में उक्त विधान सभा क्षेत्र के एक भी उच्च प्राथमिक विद्यालय को क्रमोन्नत नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) वर्तमान शिक्षा सत्र 1998–99 में उक्त विधान सभा क्षेत्र की कितने उच्च प्राथमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत करने का सरकार का विचार है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र डेगाना में संचालित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी, नहीं। रा.उ.प्रा.वि. चान्दावता एवं चम्पाखेडी को जनसहभागिता योजना के अन्तर्गत माध्यमिक विद्यालय स्तर पर क्रमोन्नत किया गया।

(3) वर्ष 98–99 में 50 उ.प्रा.वि. को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। लक्ष्य की पूर्ति उपलब्ध सीमित वित्तीय ससाधन के तहत की जायेगी। प्राप्त क्रमोन्नति प्रस्तावों पर विचार किये जाते समय विधान सभा क्षेत्र डेगाना के विद्यालयों के क्रमोन्नति के प्रस्ताव प्राप्त होने पर गुणावगुण के आधार पर समग्र विचार किया जायेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–10 देखें)

प्रश्न संख्या–459

(स्थगित)

मेवड़ा व बैड़ा (डूंगरपुर) के प्राथमिक विद्यालय का क्रमोन्नयन

460. श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या सरकार जिला डूंगरपुर के ग्राम पंचायत मुख्यालय, मेवड़ा व बैड़ा के प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

राज्य सरकार की नीति प्रत्येक ग्राम ग्राम पंचायत क्षेत्र में उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा उपलब्ध करवाये जाने की है। ग्राम पंचायत मुख्यालय बैड़ा के पंचायत क्षेत्र उच्च प्राथमिक विद्यालय, भीलवा पचेला में तथा ग्राम पंचायत मुख्यालय मेवड़ा के ग्राम पंचायत क्षेत्र थाम का तालाब में उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा सेवा उपलब्ध है। वर्ष 98–99 में उक्त विद्यालय क्रमोन्नति के प्रस्ताव प्राप्त होने पर अन्य प्रस्तावों के साथ सरकार द्वारा निर्धारित नीति के तहत समग्र विचार किया जायेगा।

द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी अध्यापकों (बीकानेर) की नई नियुक्ति पर प्रतिबन्ध

461. श्री रेवतराम पंवार (नोखा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर जिले में द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी अध्यापकों की नई भर्ती पर तीन वर्ष का प्रतिबन्ध लगा रखा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि गत चार वर्षों में बीकानेर जिले में तृतीय एवं

(श्री रेवतराम पंवार)

द्वितीय श्रेणी अध्यापकों की नई नियुक्तियां नहीं की गई हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि गत पांच वर्षों से शिक्षा विभाग ने समानीकरण के नाम पर विभिन्न स्थानों पर कैम्प लगाकर अध्यापकों का समानीकरण कर बीकानेर शहर से अधिशेष अध्यापकों को ग्रामीण क्षेत्रों में पद स्थापित किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) बीकानेर जिले में केवल तृतीय श्रेणी अध्यापकों के पद पर वर्ष 98–99 में तब तक नवीन नियुक्ति नहीं की जायेगी, जब तक बीकानेर जिले में कार्यरत अधिशेष अध्यापकों (तृतीय श्रेणी) का समायोजन नहीं हो जाता है । द्वितीय श्रेणी अध्यापकों के पदों पर नियुक्ति हेतु कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है ।

(2) जी, नहीं ।

(3) जी, नहीं । समानीकरण के आधार पर बीकानेर शहर के तृतीय/द्वितीय श्रेणी के किसी भी अध्यापक का बाहर स्थानान्तरित नहीं किया गया है ।

जिला बीकानेर की निजी शिक्षण संस्थाओं को मान्यता

462. **श्री रेवतराम पंवार** (नोखा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य में निजी शिक्षण संस्थाओं को प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर पर मान्यता प्रदान करने हेतु क्या–क्या नियम बने हुए हैं ? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) गत पांच वर्षों में बीकानेर जिले में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक निजी शिक्षण संस्थाओं की मान्यया हेतु कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं व कितने निजी विद्यालयों को मान्यता प्रदान की गई ? वर्ष वार सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) राज्य में निजी शिक्षण संस्थाओं को प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर पर मान्यता प्रदान करने हेतु राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता अनुदान सहायता और सेवा शर्तें आदि) नियम, 1993 में नियम 3, 4 व 5 तथा परिशिष्ट–1 व 2 में प्रावधान उल्लिखित हैं । प्रति सदन की मेज पर प्रस्तुत है ।

(2) गत पांच वर्षों में बीकानेर जिले में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक निजी शिक्षण संस्थाओं के मान्यता हेतु प्राप्त आवेदन पत्र एवं मान्यता प्रदान करने सम्बन्धी वर्षवार विवरण निम्न प्रकार है :–

वर्ष	प्राप्त आवेदन पत्र	मान्यता दी गई
93–94	30	—
94–95	29	04
95–96	32	13
96–97	42	25
97–98	68	102
	201	144

प्राथमिक स्तर की संस्थाओं के लिए राज्य सरकार के आदेश क्रमांक: प. 3 (4) शिक्षा–5/94 दिनांक 18.3.95 के अनुसार मान्यता लिया जाना अनिवार्य नहीं है ।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

चित्रकला अध्यापकों की पदोन्नति प्रकरण

463. श्री कालूलाल गूजर (मांडल) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या दिनांक 19 नवम्बर, 1996 को शिक्षा अधिकारियों एवं चित्रकला अध्यापकों के साथ हुई बैठक में सरकार द्वारा चित्रकला अध्यापकों की पदोन्नति के लिए निर्णय लिया गया था ? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें । क्या पूर्व में भी शिक्षा निदेशालय द्वारा ऐसे निर्णय लिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या ?

(2) क्या उप शासन सचिव, प्रथम शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग के द्वारा आदेश संख्या प. 19 (7) शिक्षा–2/96 दिनांक 17.2.96 को तृतीय श्रेणी चित्रकला अध्यापकों की पदोन्नति के आदेश निकाले गये ? यदि हां, तो क्या शिक्षा निदेशक द्वारा इनकी अनुपालना की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? मय आदेश की प्रति विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या सरकार ने उक्त पदोन्नति प्रकरण के निस्तारण के सम्बन्ध में शिक्षा निदेशक को निर्देशित करते हुए कोई पत्र लिखा था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? इसके लिए कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी है ?

(4) क्या सरकार उक्त प्रकरण का निस्तारण कर कार्मिकों को राहत देने का विचार रखती हैं ? यदि हां, तो कब तक ?

(5) क्या यह सही है कि व्याख्याता चित्रकला के 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से तथा 50 प्रतिशत पद पदोन्नति से भरे जाने हेतु राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम, 1971 में स्पष्ट प्रावधान हैं ? यदि हां, तो क्या पदोन्नति कोटे के समस्त पद पदोन्नति द्वारा भरे जा रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? जयपुर जिले के कहां-कहां कितने-कितने पद रिक्त हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(6) क्या कला संकाय में शारीरिक शिक्षक सामान्य शिक्षक व अन्य विषय के अध्यापक, अध्यापन कार्यकर रहे हैं? जिससे चित्रकला, संगीत विषय के अध्यापकों के पदोन्नति से वंचित रहते हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, नहीं । दिनांक 19.11.96 को कोई निर्णय नहीं लिया गया । केवल नियमानुसार चित्रकला अध्यापक तृतीय श्रेणी को चित्रकला अध्यापक द्वितीय श्रेणी के रिक्त पदों पर पदोन्नति देने पर सहमति हुई थी ।

(2) जी, नहीं । आदेश क्र. प.14 (7) शिक्षा–2/96 दि. 17.12.96 द्वारा निदेशालय को लिखा गया, चित्रकला अध्यापकों की पदोन्नति के क्रम में अवगत कराया कि राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम, 1971 में संशोधन के पश्चात ही पदोन्नति देना सम्भव होगा । प्रकरण विचाराधीन है । (संलग्न)

(3) जी, हां । आदेश क्रमांक प. 14 (7) शिक्षा–2/96 दिनांक 17.12.96 द्वारा निदेशालय को लिखा गया था । निदेशालय ने चित्रकला अध्यापकों की पदोन्नति के क्रम में अवगत कराया कि

(शिक्षा मंत्री)

नियमों में संशोधन के पश्चात् ही पदोन्नति देना सम्भव होगा। प्रकरण विचाराधीन है इसके लिए कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है।

(4) जी हां। नियमों में प्रस्तावित संशोधन के पश्चात् ही आगामी कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सकेगा।

(5) जी हां। वर्ष 89–90 तक की रिक्तियों के विरुद्ध विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित कर पदोन्नति दी जा चुकी है। वर्ष 90–91 से पात्र आशार्थी उपलब्ध नहीं होने के कारण विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक का आयोजन नहीं हो सका है। जयपुर जिले में प्रथम श्रेणी अध्यापक (व्याख्याता चित्रकला) का कोई पद रिक्त नहीं है।

(6) जी नहीं। कला संकाय के विषयों में कला संकाय के विषय अध्यापक ही अध्यापन कार्य करवा रहे हैं। इससे चित्रकला अध्यापकों की पदोन्नति पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट–11 देखें)

संस्कृत शिक्षा के तृतीय श्रेणी अध्यापकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति

464. **श्री बनवारी लाल बैरवा** (निवाई): क्या संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि संस्कृत शिक्षा विभाग में तृतीय श्रेणी अध्यापकों के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो क्यों, कितने व कब से?

(2) क्या सरकार इन रिक्त पदों पर नियुक्ति देने का विचार रखती है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में विज्ञप्ति कब तक जारी कर दी जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। संस्कृत शिक्षा विभाग में तृतीय श्रेणी अध्यापकों के कुल 303 पद रिक्त हैं। उक्त पद संस्कृत शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियमों में संस्कृत अध्यापक, तृतीय श्रेणी व सामान्य अध्यापक, तृतीय श्रेणी की न्यूनतम योग्यता में प्रस्तावित संशोधन पारित नहीं होने के कारण नहीं भरे गये। उक्त पद सत्र 97–98 से रिक्त हैं।

(2) जी हां। इन रिक्त पदों पर सरकार नियुक्ति देने का विचार रखती है। राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन सं. 5639/95 व 920/96 में दिये गये निर्देशों के अनुसार संस्कृत शिक्षा सेवा अधीनस्थ नियमों में संशोधन किया जा रहा है। संशोधन प्रस्ताव राजस्थान लोक सेवा आयोग में विचाराधीन है। इस स्थिति में नियमों में संशोधन की प्रक्रिया पूर्ण होने पर ही विज्ञप्ति जारी किया जाना सम्भव हो सकेगा।

नादौती क्षेत्र का पांचना बांध प्रकरण

465. **श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडाभीम): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला करौली में पांचना सिंचाई बांध बना हुआ है? यदि हां, तो इससे तहसील टोडाभीम एवं नादौती

(श्री रामस्वरूप मीणा)

के कितने क्षेत्रों को पानी दिया जा रहा है और सरकार अब और कितने क्षेत्रों को पानी देने का विचार रखती है ?

(2) क्या सरकार लिफ्ट द्वारा नादौती क्षेत्र को पांचना बांध से पानी को देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। टोडाभीम तहसील के 87.66 हैक्टेयर क्षेत्र तथा नादौती तहसील के 538.13 हैक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। वर्ष 2002 तक टोडाभीम तहसील के 2128.20 हैक्टेयर तथा नादौती क्षेत्र के 1494.35 हैक्टेयर और क्षेत्र को सिंचित किया जाना प्रस्तावित है।

(2) जी नहीं।

गुड़गावां कैनाल एवं माइनर (जिला भरतपुर) का निर्माण कार्य

466. श्री तैयब हुसैन (कामां) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि भरतपुर जिले की गुड़गावां कैनाल एवं उसकी माइनर बजट के अभाव में अपूर्ण पड़ी है ?

(2) क्या सरकार उक्त कैनाल एवं माइनरों को पूर्ण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) सरकार चालू वित्तीय वर्ष में उक्त क्षेत्र की कितनी माइनरों को सिंचाई योग्य बनाने का विचार रखती है तथा शेष को कब तक पूर्ण कराने का अनुमान है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। बजट के अभाव में गुड़गावां कैनाल अपूर्ण नहीं है। गुड़गावां नहर की कामां क्षेत्र की सभी माइनरों का कार्य पूर्ण हो चुका है। डीग क्षेत्र में दो वितरिकाएं व 12 माइनरें पूर्ण हो चुकी हैं। शेष 6 माइनरों का कार्य भी पानी की उपलब्धता बढ़ने पर पूर्ण करा दिया जायेगा।

(2) जी हां। पानी की उपलब्धता के अनुसार माइनरों का कार्य पूर्ण कराने का विचार रखती है।

(3) शेष माइनरों को पानी की उपलब्धता के अनुसार पूर्ण कराने का विचार रखती है।

जवाजा क्षेत्र के पानी को सिंचाई हेतु उपयोग

467. श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार जवाजा क्षेत्र के बहकर जा रहे पानी को रोककर रूपारा फीडर नामक योजना से काबरा एवं कालीकांकर तालाब में डालकर इसके जल-स्तर में वृद्धि करने का विचार रखती है ?

(2) यदि हां, तो उक्त योजना का क्रियान्वयन कब तक कर दिया जायेगा ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त योजना को तकनीकी दृष्टि से उपयुक्त माना है ?

(श्री उगमराज मेहता)

यदि हां, तो उस पर हुई प्रगति का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रस्ताव विचाराधीन है।

(2) फिजीबिलिटी रिपोर्ट स्वीकृत होने के पश्चात् इस योजना का विस्तृत सर्वेक्षण कर तखमीना बनाया जायेगा। इसके पश्चात् इसकी प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति होने के पश्चात् ही इस परियोजना पर क्रियान्विति होगी।

(3) जी हां। प्रारम्भिक जांच पर यह योजना तकनीकी दृष्टि से उपयुक्त प्रतीत होती है। इसकी फिजीबिलिटी रिपोर्ट विचाराधीन है।

पोटलिया बांध (पाली) की मरम्मत प्रकरण

468. श्री माधव सिंह दीवान (सोजत): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला पाली में पोटलिया बांध क्षतिग्रस्त हो गया था? यदि हां, तो कब–कब तथा क्या अब भी क्षतिग्रस्त है?

(2) उक्त बांध निर्माण के लिए कब-कब कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त बांध निर्माण हेतु अब क्या कार्यवाही की जा रही है तथा इस पर कार्य कब तक शुरू कर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1973 एवं वर्ष 1979 में पोटलिया बांध क्षतिग्रस्त हुआ था और अभी भी क्षतिग्रस्त है।

(2) उक्त बांध का पुन: निर्माण कार्य वर्ष 1976–77 और 1977–78 में करवाया गया। इस कार्य पर वर्ष 1976-77 व 77-78 में क्रमश: रु. 1.30 लाख तथा 1.22 लाख रुपये व्यय किये गये।

(3) उक्त बांध के मिट्टी परीक्षण व हाइड्रोलोजी का कार्य प्रगति पर है। हाइड्रोलोजी प्राप्त होने पर बांध की फाइनल डिजाइन स्वीकृत करवाकर कार्य का प्रशासनिक तकमीना स्वीकृत किया जायेगा। स्वीकृति एवं बजट उपलब्ध होने पर निर्माण कार्य प्रारम्भ करने पर विचार किया जा सकेगा।

तहसील छबड़ा व छीपा बड़ौद के अविद्युतीकृत ग्राम

469. श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा), श्री कन्हैयालाल पाटीदार (पिड़ावा) एवं श्री फूलचन्द (सलूम्बर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) तहसील छबड़ा व छीपा बड़ौद में कितने गांव विद्युतीकृत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 1995–96 से दिसम्बर, 1997 तक कितने गांव व मजरों को विद्युतीकरण की स्वीकृति दी गई, उनमें से कितने गांवों का विद्युतीकरण कर दिया और कितने शेष हैं? शेष रहे गांव व मजरे कब तक विद्युतीकृत कर दिये जायेंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(५५)

उत्तर

(1) तहसील छबड़ा व छीपा बड़ौद में माह अप्रेल, 1998 तक क्रमशः 189 व 154 ग्राम विद्युतीकृत घोषित हैं। विद्युतीकृत घोषित ग्रामों की सूची परिशिष्ट "अ" व "ब" में संलग्न है।

(2) वर्ष 1995–96 से दिसम्बर, 1997 तक तहसील छबड़ा के 7 गांवों के विद्युतीकरण हेतु स्वीकृति दी गई। उनमें से 6 ग्रामों को विद्युतीकृत घोषित किया जा चुका है। शेष एक ग्राम वर्ष 1998–99 में विद्युतीकृत हेतु पुनः प्रस्तावित है। तहसील छीपा बड़ौद में उक्त अवधि में 27 ग्रामों के विद्युतीकरण हेतु स्वीकृति दी गई। उनमें से 24 ग्रामों को विद्युतीकृत घोषित किया जा चुका है। शेष रहे 3 ग्राम वर्ष 1998–99 में विद्युतीकरण हेतु पुनः प्रस्तावित हैं। उपरोक्त अवधि में तहसील छबड़ा व छीपा बड़ौद में मजरों के विद्युतीकरण हेतु अलग से स्वीकृति नहीं दी गई, परन्तु विद्युतीकृत ग्रामों के मजरों में आवेदन पत्र प्राप्त होने पर स्वीकृत योजना में उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कनेक्शन दिये जाने का नियमों में प्रावधान है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में पशु चिकित्सालयों की स्थापना

470. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम): क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) गत तीन वर्षों में विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में कुल कितने पशु चिकित्सालय खोले गये और अब कितने पशु चिकित्सालय खोले जाने प्रस्तावित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या खोले गये चिकित्सालयों में पशु गर्भाधान की कोई व्यवस्था है? यदि हां, तो डाक्टरों द्वारा गर्भाधान किये जाने की क्या व्यवस्था है?

(3) क्या सरकार ने गर्भाधान सिलण्डर को गांव तक पहुंचाने के लिए व्यवस्था कर रखी है? यदि हां, तो क्या?

उत्तर

(1) गत तीन वर्षों में विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम की तहसील नादौती में एक पशु चिकित्सालय केसला ग्राम में खोला गया है। वर्ष 1998–99 में 25 नये पशु चिकित्सालय खोले जाने का प्रावधान है जिनके स्थानों के नामों का चयन वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त किया जाना सम्भव है।

(2) जी हां। पशु चिकित्सालय में कार्यरत अधिकारी/पशु चिकित्सालय सहायक/पशुधन सहायक द्वारा गर्भाधान का कार्य सम्पादित किया जाता है।

(3) गांव तक तरल नत्रजन सिलण्डर को ले जाने की व्यवस्था कर रखी है। तरल नत्रजन सिलण्डर पशु चिकित्सा संस्था का कार्यकर्ता स्वयं अपने साथ ले जाता है।

अरबन कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड बालोतरा में प्रबन्ध संचालन के पद पर नियुक्ति में अनियमितता

471 श्री खंगार सिंह (खारची): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री खंगार सिंह)

(1) क्या बालोतरा अरबन को–ग्रापरेटिव बैंक लि. बालोतरा (बाड़मेर) में प्रबन्ध संचालक के पद पर नियुक्ति सेवा नियमों के अनुसार हुई है ?

(2) क्या उक्त नियुक्ति के सम्बन्ध में सरकार द्वारा कोई जांच करवाई गई है ? यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम रहे हैं ?

(3) क्या सरकार अब प्रबन्ध संचालक पद पर योग्यतानुसार नियुक्ति करना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) उक्त पद पर ग्रयोग्य नियुक्ति के सम्बन्ध में कौन जिम्मेदार है ग्रौर उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) बालोतरा ग्ररबन कोग्रापरेटिव बैंक लि., बालोतरा (बाड़मेर) में प्रबन्ध संचालक के पद पर नियुक्ति के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में श्री सुरेन्द्र नाथ बनाम राज्य सरकार एवं ग्रन्य लम्बित होने एवं नियुक्ति के सम्बन्ध में स्थगन ग्रादेश होने में प्रकरण सब-जुडिस है । ग्रतः टीप दिया जाना सम्भव नहीं है ।

(2) पदोन्नति के सम्बन्ध में जांच सहायक रजिस्ट्रार बाड़मेर से करवाई जा रही है । जांच रिपोर्ट ग्रभी प्राप्त नहीं हुई है ।

(3) जी, हां । उक्त रिट याचिका के निर्णय के उपरान्त निर्णयानुसार ही नियुक्ति की कार्यवाही की जायेगी ।

(4) उक्त पदोन्नति के सम्बन्ध में सहायक रजिस्ट्रार, बाड़मेर से जांच करवाई जा रही है । जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर मा. उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार नियमान्तर्गत दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ।

ज्ञान संस्थान (शैक्षणिक संस्था) के कार्यकलापों का प्रकरण

472. श्री महेन्द्र कुमार मीणा (सिकराय) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि रजिस्ट्रार (संस्थाएं) जयपुर से रजिस्टर्ड संस्था नं. 373/96–97 दिनांक 17–10–96 'ज्ञान संस्थान' शैक्षणिक संस्था हैं ? उक्त संस्था के उद्देश्यों व ग्रब तक किये गये कार्यों का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त संस्थान का कार्यालय कहां स्थित है ? क्या उक्त कार्यालय/संस्था निजी अथवा किराये के मकान में है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) उक्त संस्थान ने बैंक खाता कब खुलवाया है ? संस्था के ग्राय–व्यय का विवरण मय रसीद नं. व दिनांक के सदन की मेज पर रखें । क्या रजिस्ट्रेशन के समय पूर्व की किसी सम्पत्ति का उल्लेख भी संविधान में है ?

(4) उक्त संस्थान की ग्रब तक कुल कितनी मीटिंग हुई ? उक्त संस्था द्वारा इन्कमटैक्स छूट किस कारण से ली गई ?

(5) क्या दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 403/97 थाना मानसरोवर के

(श्री महेन्द्र कुमार मीणा)

आधार पर संस्थान ने जनता व सरकार को धोखा देते हुए लाखों रुपये हड़प कर लिये हैं ? क्या उक्त संस्था फर्जी रूप से मंदिरों पर कब्जे करती है ? यदि नहीं, तो हरिहर मंदिर किसका है और प्लाट नं. 775, 776, 777 का पट्टा किसके नाम है ? पट्टे की प्रति सदन की मेज पर रखें। क्या उन पट्टों की टाइटल डीड संस्था के पास है ? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या संस्थान में आज तक पूरे सदस्य हैं ? यदि हां, तो सदस्यों एवं पदाधिकारियों के नामों की सूची सदन की मेज पर रखें। उक्त संस्था के चुनाव कब हुए ? यदि नहीं, तो रजिस्ट्रार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

(7) क्या अनियमितताओं एवं वित्तीय अनियमितताओं पर एक ही व्यक्ति पर आधारित व्यक्ति विशेष/संस्था का रजिस्ट्रेशन समाप्त किया जाता है ? अब तक उक्त संस्थान का रजिस्ट्रेशन समाप्त नहीं किये जाने के क्या कारण है ?

उत्तर

(1) जी, हां। ज्ञान संस्थान, राजस्थान संस्थायें रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 के तहत एक पंजीकृत संस्था है। संस्था के पंजीकृत उद्देश्यों में धार्मिक एवं योग आदि के प्रचार–प्रसार एवं अन्य धार्मिक चर्चा आदि सम्मिलित हैं ? संस्था के उद्देश्यों की प्रति परिशिष्ट–"क" पर संलग्न है जहां तक संस्था द्वारा किये गये कार्यों का विवरण प्रस्तुत करने का प्रश्न है, संस्था द्वारा राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958के अन्तर्गत सेवा प्रस्तुत करने का प्रावधान नहीं है तथा न ही रजिस्ट्रार संस्थाओं को ऐसा कार्य विवरण प्राप्त करने का अधिकार है।

(2) संस्था का पंजीकृत कार्यालय प्लाट नं. 207–ए, डॉ राजेन्द्र प्रसाद नगर, अजमेर रोड़, जयपुर है। संस्था के भवन के विषय में इससे अधिक जानकारी प्रश्न के खण्ड एक के उत्तर दिये गये कारणों से, दिया जाना सम्भव नहीं है।

(3) संस्था द्वारा बैंक खाते खुलवाने, आय–व्यय का विवरण प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में सूचना देने के प्रावधान, उक्त अधिनियम में नहीं है तथा न ही रजिस्ट्रार, संस्थाओं को ऐसी सूचना प्राप्त करने का अधिकार है।

(4) संस्था द्वारा बुलाई गई मीटिंगों का विवरण इन्कम टैक्स में छूट के कारण इत्यादि के सम्बन्ध में सूचना दिये जाने के प्रावधान उक्त अधिनियम में नहीं है तथा न ही रजिस्ट्रार संस्थाओ को अधिनियमान्तर्गत ऐसी सूचना प्राप्त करने का अधिकार है।

(5) संस्था द्वारा खण्ड 5 में वर्णित सूचनाएं रजिस्ट्रार संस्थाओं को देने के प्रावधान नहीं है तथा न ही रजिस्ट्रार संस्थायें ऐसी सूचनाएं प्राप्त करने का अधिकार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत रखता है।

(6) रजिस्ट्रार, संस्थाएं कार्यालय में संस्था द्वारा प्रस्तुत अन्तिम सूचना के अनुसार संस्था के पदाधिकारियों की सूची परिशिष्ट–"ख" पर संलग्न है। इस संस्था के चुनाव 24.11.96 को हुए हैं।

(सहकारिता मंत्री)

(7) संस्था रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1958 में रजिस्ट्रार, संस्थाएं को इस आधार पर संस्थाओं का पंजीयन समाप्त करने की शक्तियां प्राप्त नहीं है ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 12–देखें)

राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ लिमिटेड में अनियमितताएं

473. श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ लि. जयपुर का गठन कब हुआ एवं इसके गठन के क्या उद्देश्य थे ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या उक्त आवासन संघ अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में सफल हुआ है ?

(3) उक्त आवासन संघ के विरुद्ध किस–किस प्रकृति के कितने-कितने प्रकरण कब से विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त आवासन संघ को बन्द करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों और हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ लि., जयपुर का गठन एवं पंजीयन राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 के अन्तर्गत दिनांक 31.12.1970 को हुआ । गठन के उद्देश्य परिशिष्ट–एक पर संलग्न हैं ।

(2) जी, हां । विवरण परिशिष्ट–दो पर संलग्न है (पृष्ठ सं. 1 से 41) संघ स्तर पर समिति के व्यक्तिगत सदस्यों की हिस्सा राशि जमा नहीं की जाती है ।

(3) संघ के विरुद्ध विभिन्न प्रकृति के 54 प्रकरण विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन हैं । विस्तृत विवरण परिशिष्ट–तीन पर संलग्न है ।

(4) यद्यपि मथुरादास माथुर समिति ने सार्वजनिक क्षेत्र की अन्य रूग्ण इकाइयों के साथ राजस्थान सहकारी आवासन संघ को भी बन्द किये जाने की अभिशंसा की है, किन्तु गत तीन–चार वर्षो से राजस्थान सहकारी आवासन संघ के कार्य परिणामों एवं गतिविधियों में निरन्तर सुधार को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान सहकारी आवासन संघ के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय मंत्रिमण्डल द्वारा लिये जाने हेतु प्रस्ताव वस्तुस्थिति के आकलन के साथ मंत्रिमण्डल के विचारार्थ प्रस्तुत किये जा चुके हैं ।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

हसनपुरा "ए" निर्माण सहकारी समिति का ऋण प्रकरण

474. श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ लि., जयपुर ने विभिन्न गृह निर्माण सहकारी समितियों के माध्यम से

(४८)

(श्री भंवरलाल शर्मा)

जयपुर नगर निगम क्षेत्र के कितने सदस्यों को कितनी–कितनी राशि का ऋण वर्ष 1989 से 1993 तक वितरित किया है एवं कितनी–कितनी राशि किन–किन सदस्यों से हिस्सा राशि के रूप में जमा की है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि हसनपुरा "ए" गृह निर्माण सहकारी समिति के माध्यम से दिये गये ऋण के पूरे चुकाने के पश्चात् सदस्यों की जमा पूरी हिस्सा राशि मय ब्याज के वापिस नहीं लौटाई गई है ? यदि हां, तो क्यों और अब कब तक लौटा दी जायेगी ?

उत्तर

(1) वर्ष 1989 से 1993 तक जयपुर नगर निगम क्षेत्र की 6 गृह निर्माण सहकारी समितियों के 397 सदस्यों को 2 करोड़, 91 लाख, 65 हजार, दो सौ रुपए का ऋण उपलब्ध कराया गया है। जहां तक व्यक्तिगत सदस्य वार जमा हिस्सा राशि का सम्बन्ध है संघ स्तर पर ऋणी समिति की हिस्सा राशि जमा की जाती है न कि व्यक्तिगत सदस्य की।

(2) संघ द्वारा हसनपुरा "ए" गृह निर्माण सहकारी समिति के माध्यम से ऋण के चुकारे के पश्चात समिति से प्राप्त आवेदन के अनुसार नियमानुसार देय हिस्सा राशि सम्बन्धित सदस्यों को लौटाने हेतु समिति को वापिस कर दी है। हिस्सा राशि पर ब्याज देने का प्रावधान नहीं है।

प्रश्न संख्या–475

(स्थगित)

विधान सभा क्षेत्र बागीडोरा में जल संग्रहणं के स्वीकृत कार्य

476. श्री पूंजालाल (बागीडोरा) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र बागीडोरा में गत तीन वर्षों में जल संग्रहण एवं भू–संरक्षण (Water Shede) के कितने कार्य कितने क्षेत्रफल एवं लागत के स्वीकृत किये गये हैं ? कार्यवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कार्यों में कार्यकारी एजेन्सी कौन–कौन सी है ? प्रत्येक एजेन्सी द्वारा अब तक कौन–कौन कितनी लागत के कार्य किये गये ? कार्य एवं व्यय का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि वर्ष 1997–98 के स्वीकृत कार्य अब तक प्रारम्भ नहीं किये गये ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बागीडोरा में गत तीन वर्षों में जल संग्रहण एवं भू–संरक्षण (वाटर शेड) की कुल 34 परियोजनायें, 16162 हैक्टेयर क्षेत्रफल एवं रुपये 626.68 लाख लागत की स्वीकृत की गई हैं। स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण परिशिष्ट–1 पर प्रस्तुत है।

(2) कार्यकारी एजेन्सी की सूचना परिशिष्ट–1 पर उपलब्ध है। जिन 12 जलग्रहणों पर कार्य आरम्भ हो गया है उनके सन्दर्भ में व्यय का विवरण परिशिष्ट–2 पर उपलब्ध है।

(राज्य मंत्री, विशिष्ट योजना संगठन)

(3) जी, हां। कार्यकारी संस्थाओं द्वारा मार्गदर्शिका अनुसार उपभोक्ता समूह, स्वयं सहायता समूह, वाटर शैड एसोसिएशन, वाटर शैड समिति का गठन, प्रशिक्षण तथा सामुदायिक संगठन के कार्य किये जा रहे हैं। साथ ही क्षेत्र का आर्थिक, सामाजिक एवं विस्तृत टोपोग्राफिक सर्वेक्षण भी प्रारम्भ किया गया है, जो प्रगति पर हैं। इसी प्रकार मूलभूत संगठनात्मक ढांचे की तैयारी कर, स्वीकृति उपरान्त ही भूमि पर वास्तविक कार्य प्रारम्भ हो पायेगा।

(विवरण के लिए परिशिष्ट 13 देखें)

विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में विधायक कोटे से कराये गये कार्य

477. श्री रामनारायण किसान (फुलेरा) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि विधायक कोटे से विकास कार्य करवाये जाते हैं? यदि हां, तो कितनी–कितनी राशि के?

(2) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में वर्ष 1997–98 में उक्त कोटे से कार्य नहीं कराये जाने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बत्तीस जिला बत्तीस काम तथा निर्बन्ध राशि योजना में प्रत्येक विधायक को उनके विधान सभा क्षेत्र में पांच–पांच लाख रुपये की लागत के विकास कार्य करवाने का प्रावधान है।

(2) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, जयपुर द्वारा जिले में वर्ष 1995–96 एवं 96–97 में पेयजल की गम्भीर समस्या को दृष्टिगत रखते हुए अधिक लागत के कार्य स्वीकृत किये गये थे, जिनको पूरा कराने के लिए दायित्व राशि अधिक होने के कारण वर्ष 1997–98 में सभी विधान सभा क्षेत्रों, जिसमें फुलेरा विधान सभा क्षेत्र भी सम्मिलित है, में विधायक कोटे के कार्य स्वीकृत नहीं किए जा सके।

इण्डियन मेडिसन बोर्ड द्वारा पंजीयन शुल्क में वृद्धि

478. श्री शान्तिकुमार धारीवाल (खण्डार) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि इण्डियन मेडिसन बोर्ड द्वारा पंजीयन शुल्क में वृद्धि की गई है? यदि हां, तो कितनी गुना एवं किस–किस मद में?

(2) पंजीयन शुल्क वृद्धि के नियम क्या हैं? क्या इस वृद्धि में इन नियमों का पालन किया गया? यदि नहीं; तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि पंजीयन शुल्क में वृद्धि के लिए मंत्रिमण्डल की स्वीकृति लेना आवश्यक होता है? यदि हां, तो क्या स्वीकृति ली गई थी? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। पंजीयन शुल्क में तीन गुनी एवं विकास शुल्क में दुगुनी।

(राज्य मंत्री, आयुर्वेद)

(2) राजस्थान इण्डियन मेडिसन एक्ट 1953 की धारा 48 की उपधारा 7 के अन्तर्गत एक्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बोर्ड द्वारा फीस बढ़ाने का प्रावधान है। इस क्रम में बोर्ड की बैठक दिनांक 21.8.97 में सर्वसम्मति से फीस बढ़ाने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् शुल्क बढ़ाने की कार्यवाही की गई।

(3) जी, नहीं। बोर्ड स्वायत्तशासी संस्था है। इसकी शक्ति इनमें ही निहित है।

मृतक राज्य कर्मी के आश्रित को नियुक्ति

479. श्री अर्जुनलाल जीनगर (गंगरार): क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की आयुर्वेद औषधालय राशमी में राज्य सेवा में रहते हुए मृत्यु हो गई थी? यदि हां, तो क्या मृतक आश्रित को राज्य सेवा में नहीं लिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या मृतक के आश्रित श्री हीरालाल माली ने इस सम्बन्ध में आवेदन पत्र पेश किया है? यदि हां, तो उसे सरकार अब कब तक राज्य सेवामें लेने का विचार रखती है।

उत्तर

(1) जी, हां। वरिष्ठता क्रमानुसार नियुक्ति की कार्यवाही विचाराधीन है।

(2) जी, हां। इसका उत्तर प्रश्न के बिन्दु एक में दिया जा चुका है।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :–

(1) श्री बनवारीलाल बैरवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से निवाई कस्बे की जनता को बिना फिल्टर किया पानी वितरित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है अतः इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। प्रस्तावक माननीय सदस्य को प्रस्ताव की विषय-वस्तु पर दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

(2) श्री लक्ष्मण सिंह रावत एवं नौ अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य में घरेलू उपयोग की आवश्यक वस्तुएं, यथा–प्याज, आलू, मसाले एवं तेल आदि के भाव अत्यधिक बढ़ जाने से गरीब और मध्यम वर्ग पर पड़ रहे प्रभाव के सम्बन्ध में।

इस पर अभी-अभी चर्चा हो गयी है इसलिए अनुमति देने में असमर्थ हूं।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : चर्चा तो करवा दो, साहब।

श्री अध्यक्ष : चर्चा तो हो गयी।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : अध्यक्ष महोदय, चर्चा कहां हुई? चर्चा तो करवाइये।

श्री अध्यक्ष : विराजिये।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : इस पर चर्चा कहां हुई है ?

श्री अध्यक्ष : विराजिये ।

मुझे माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हुई है –

श्री परसादीलाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से भरतपुर जिले के थाना मुसावर में हत्या के मामले में दर्ज मुकदमा नम्बर 205/98 में नामजद अपराधियों को गिरफ्तार नहीं करने के सम्बन्ध में ।

राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी का अवलोकन करने से यह समाधान हुआ है कि उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है अतः इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं ।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

(1) श्री रामगोपाल बैरवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से कोटा जिले के इटावा थाना में चोरी प्रकरण में दर्ज मुकदमा नम्बर 126/98 पर पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किये जाने के सम्बन्ध में ।

(2) श्री अर्जुन लाल जीनगर, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र गंगरार के सीनियर माध्यमिक विद्यालय राशमी में व्याख्याताओं के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में ।

(3) श्री हीरालाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र बामनवास की तहसील बौंली के ग्राम बोरदा में बनाये गये काज–वे का निर्माण पूर्ण होने से पहले टूट जाने के सम्बन्ध में ।

(4) श्री बनवारीलाल बैरवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से तहसील निवाई के ग्राम दतवास में समाज कल्याण विभाग द्वारा बनाये गये छात्रावास को शुरू करने के सम्बन्ध में ।

(5) श्री कमल कोली, सदस्य, विधान सभा की ओर से नवीन जिला करौली के कतिपय जिला स्तरीय अधिकारियों के कार्यालय हिण्डौन में खोलने के सम्बन्ध में ।

(6) श्री फतेह सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ के ग्राम पंचायत बडवास छोटी के विद्यालय का स्टाफ बडवास बड़ी में लगाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

(7) श्री कालूलाल गूजर, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र मांडल के कतिपय गांवों में पीने का पानी मीठा नहीं होने एवं उसमें फ्लोराइड होने के सम्बन्ध में ।

(8) श्री नारायण लाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला उदयपुर की तहसील धरियावद की उप तहसील लसाड़िया को तहसील में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में ।

(9) श्री लक्ष्मणसिंह रावत, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान राज्य में "मानव अधिकार आयोग" गठित करने के सम्बन्ध में ।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी । श्री लक्ष्मण सिंह रावत ।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह महंगाई वाला है क्या ?

श्री अध्यक्ष : क्या ?

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : महंगाई से सम्बन्धित है ? महंगाई वाला है या 295 है, यह कृपया आप बताएं। 295 है या जीरो आवर में है ?

श्री अध्यक्ष : 295 का आपका लेट है।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, यह संयोग की बात है कि मेरे एडजोर्नमेंट मोशन पर सरकार की तरफ से भी आज ही जवाब आया है और आज ही दिल्ली में....

श्री अध्यक्ष : मैंने यह निवेदन किया है न कि इसमें अनुमति देने में असमर्थ हूं।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : तो दो मिनट तो बोलने की अनुमति दो, साहब।

श्री अध्यक्ष : नहीं, दो मिनट का नहीं दिया इसमें। दो मिनट का नहीं दिया।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : तो आपने कॉल किया है, साहब। आपने ही कॉल किया है मुझे।

श्री अध्यक्ष : हां, सॉरी। श्री रामगोपाल बैरवा।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, दो मिनट तो कृपया, जो रिजेक्ट करते हैं उनको भी....

श्री अध्यक्ष : कृपया नियमों का ध्यान रखें।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, 295 एक हफ्ते पहले दिया, 131 दिया, हम नहीं बोलते हैं तो इसका मतलब आप हमारा लगाते ही नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : क्या ?

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : 295 दिया है, 131 में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया हुआ है। सबके आ रहे हैं, हमारा नहीं आ रहा है, क्या बात है इसमें ? (व्यवधान) अब फंस गये तो हमारे वे+++ (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : वह आ गया बताया, पढ़ा हुआ मान लिया गया बताया।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : कब आया, साहब ? दिया हुआ है मेरे द्वारा वह तो.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप मेरे चेम्बर में पधारें। मैं आपको टाइम भी बताऊंगा, घंटे, मिनट भी बताऊंगा, और डेट भी बताऊंगा, विराजिये आप।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

इटावा थाना जिला कोटा में वस्त्र चोरी प्रकरण में कार्यवाही

श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री रामगोपाल बैरवा)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत कोटा जिले के थाना इटावा में मुकदमा नम्बर 126/98 में दर्ज हुए चोरी प्रकरण में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं।

महोदय, विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा का कस्बा इटावा जो थाना इटावा में आता है, बस स्टैण्ड पर बजरंग लाल आत्मज धूलीलाल कलाल की सोने–चांदी के जेवरात की दुकान पर दिनांक 18.3.1998 को रात्रि को अज्ञात चोर–लुटेरों ने दुकान का शटर व तिजोरी के ताले तोड़ कर करीबन ढाई लाख रुपये के जेवरात चुरा लिये। प्रार्थी 19.3.1998 को सवेरे दुकान खोलने गया तो दुकान के ताले टूटे मिले। प्रार्थी ने तुरन्त घटना की रिपोर्ट कर थाना इटावा में दिनांक 19.3.1998 को प्रातः 8.30 बजे मुकदमा नम्बर 126/98 दर्ज करवाया।

यहां तक ही नहीं, इस बड़ी घटना के बाद भी पुलिस की निष्क्रियता के कारण व गश्त के अभाव के कारण लगातार चोरियों का प्रकरण चलता रहा और पुलिस निष्क्रिय बैठी रही। अन्य एक चोरी के प्रकरण में पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया उनको मेहमानों की तरह थाने में रखा गया। यदि पुलिस गिरफ्तार किये लोगों से सख्ती से पूछताछ करती तो अन्य चोरियों का भी पता लग जाता। लेकिन इतना बड़ा प्रकरण होने के बाद भी थानाधिकारी इटावा के द्वारा उचित कार्यवाही कर चोरी का पता लगाने के लिये नहीं करने व लगातार चोरियां होने से पुलिस की निष्क्रियता व संदेह पर प्रश्न चिन्ह लगता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो एक इतनी बड़ी घटना यहां पर हुई है उसका तत्परता से पुलिस पता लगाएं, ताकि भविष्य में इस तरह की घटना वहां पर नहीं हो और वहां पर लोगों में आज आतंक है चोरियां होने के कारण से, उससे वहां के ग्रामवासियों को राहत मिले।

श्री अध्यक्ष : विराजिये। श्री अर्जुन लाल जीनगर।

सीनियर माध्यमिक विद्यालय, राशमी विधान सभा क्षेत्र गंगरार में व्याख्याताओं के रिक्त पदों पर नियुक्ति

श्री अर्जुन लाल जीनगर (गंगरार) : अध्यक्ष महोदय, मैं विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

महोदय, उपरोक्त विषय में अनुरोध है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के सीनियर माध्यमिक विद्यालय राशमी में लम्बे अरसे से व्याख्याताओं के पद रिक्त चल रहे हैं, जैसे अर्थशास्त्र का पद 15.2.95 से, जीवविज्ञान का पद 4.7.98 से, गणित का 20.12.97 से, अंग्रेजी का 8.11.97 से रसायन शास्त्र का 2.9.97 से और व्यावसायिक संगठन का 5.7.97 से रिक्त है।

अतः जल्दी से जल्दी व्याख्याताओं के रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही कराएं तथा सीनियर माध्यमिक विद्यालय बस्सी(चित्तौड़-

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

गढ़) में जीव-विज्ञान एवं संस्कृत विषय खोलने का श्रम कराएं। सीनियर माध्यमिक विद्यालय राशमी में संस्कृत विषय खोलने का भी श्रम करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री हीरालाल मीणा।

बौंली तहसील विधान सभा क्षेत्र बामनवास के ग्राम बोरदा में काज-वे निर्माण पूरा होने से पूर्व क्षतिग्रस्त

श्री हीरालाल मीणा (बामनवास) : प्रक्रिया के संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र बामनवास की तहसील बौंली के ग्राम बोरदा में सांसद कोटा राशि के काज-वे निर्माण पूर्ण होने से पूर्व ही टूट जाने से दतवास नाला पर पुलिया व दो किलोमीटर रोड नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। तहसील बौंली में ग्राम बोरदा नाला पर पुलिया निर्माण हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग के एस्टीमेट के अनुसार 8 लाख 50 हजार रुपये की राशि सांसद श्री मूलचन्द जी मीणा से पुलिया निर्माण हेतु स्वीकृत करवाकर सार्वजनिक निर्माण विभाग ने ठेकेदार के माध्यम से पुलिया का कार्य करवाना चालू किया गया था। उक्त निर्माण कार्य में नींव में सूखा पत्थर लगाया और मात्र छह इंच ग्रेवल कूटकर सीमेंट रोड़ी कर दी गयी, जो मात्र तीन इंच की कुटाई थी। आधा हिस्सा अपूर्ण है जो पिछले वर्ष प्रथम वर्षा में ही टूट गया। उक्त कार्यों में किए गए घोटाले के सम्बन्ध में मैंने विभाग में एक वर्ष से शिकायतें की हैं किन्तु उसके बाद भी अभी तक कोई कार्य नहीं किया गया। उक्त पुलिया निर्माण में ठेकेदार से मिलकर सार्वजनिक निर्माण विभाग का मिस्त्री श्री चैनसिंह व तत्कालीन सहायक अभियन्ता, सवाईमाधोपुर ने घोटाला किया है।

यह कि तहसील बौंली के ग्राम मित्रपुरा व तहसील निवाई के ग्राम दतवास के बीच पड़ने वाले दतवास के नाले की पुलिया व दो किलोमीटर शेष सड़क का निर्माण नहीं होने से तहसील बौंली व आधा हिस्सा तहसील निवाई का है जिस पर आने–जाने वाले लोगों को इस रास्ते से ही गुजरना पड़ता है जिनमें कोथून, निवाई, टौंक, सवाईमाधोपुर, कोटा, चाकसू, जयपुर व लालसोट, दौसा, गंगापुर आता है। वर्ष में पांच महीने इस क्षेत्र की जनता का पूरा यातायात बन्द हो जाता है, दतवास नाले पर अभी दिन हो या रात, नाले के दोनों तरफ आठ-दस घण्टे तक जंगल में पड़े रहना पड़ता है। नाले के पास में कोई छाया का स्थान भी नहीं है।

अतः मैं इस प्रस्ताव के माध्यम से माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कर यह मांग करता हूं कि उक्त नाले की पुलिया व दो किलोमीटर की रोड शीघ्र बनाने का आदेश देकर समस्या का समाधान करें। बोरदा नाले की पुलिया के दोषी कर्मचारियों व अधिकारियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही करें व अधूरी पुलिया को पूर्ण करवाकर जनता की समस्या का समाधान करें।

श्री अध्यक्ष : श्री बनवारीलाल बैरवा–(अनुपस्थित)। श्री कमल कोली।

करौली जिले के अधिकारियों का मुख्यालय हिण्डौन किया जाना

श्री कमल कोली (हिण्डौन) : कार्य संचालन की प्रक्रिया नियम 295 के तहत नवीन जिला करौली के कुछ जिला स्तरीय अधिकारियों का मुख्यालय हिण्डौन में खोलने के क्रम में मैं निम्न प्रकार सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, हिण्डौन शहर की आबादी एक लाख से अधिक है। यह करौली जिले का सबसे बड़ा कस्बा है तथा जिले के मध्य स्थित है। यह जिले का मुख्य व्यापारिक व औद्योगिक केन्द्र भी है। जिले में होकर गुजरने वाली एक मात्र रेलवे लाइन हिण्डौन होकर गुजरती है, जहां से देश के विभिन्न शहरों को पर्याप्त मात्रा में प्रतिदिन रेल सेवा उपलब्ध है। हिण्डौन सड़क मार्ग से महत्वपूर्ण स्थानों से भी जुड़ा हुआ है, राज्य उच्च मार्ग संख्या-22 तथा 24 यहां होकर गुजरते हैं। यहां से करौली जिले के सभी मुख्य गांव या कस्बों को सीधी बसें पर्याप्त संख्या में प्रति दिन संचालित होती हैं जिससे जिले के सभी नागरिकों को हिण्डौन पहुंचने में कोई परेशानी नहीं होती है।

वर्तमान में हिण्डौन में जिला अधिकारी. उप पुलिस अधीक्षक, अधिशासी अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी तथा राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के कार्यालय स्थापित हैं। उप खण्ड स्तर के भी सभी विभागों के कार्यालय यहां पहले से उपलब्ध हैं। जिले का एक मात्र रोडवेज आगार भी हिण्डौन में स्थित है, अतः कुछ अन्य जिला स्तरीय कार्यालयों का मुख्यालय भी हिण्डौन में खोला जाना न्याय संगत है।

करौली को जिला बनाने के लिए प्रयास करने में हिण्डौन क्षेत्र के लोगों का भी पर्याप्त योगदान रहा था एवं मैंने भी इस सदन के माध्यम से तथा अन्य माध्यमों से करौली को नया जिला बनाने हेतु बार-बार सरकार से निवेदन किया था। अब जब नया जिला बन गया है तो हिण्डौन क्षेत्र के निवासियों को भी इसकी अनुभूति महसूस हो सके, इसके लिए आवश्यक है कि कुछ जिला स्तरीय कार्यालय हिण्डौन में खोले जाएं जो कि यहां होना तर्कसंगत है। ये कार्यालय निम्न हो सकते हैं :—

1. अतिरिक्त जिला कलक्टर
2. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
3. जिला उद्योग केन्द्र
4. जिला परिवहन अधिकारी
5. जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा)
6. उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, तथा अन्य भी जिसे सरकार आवश्यक समझे, शीघ्र हिण्डौन में खोलकर राहत का आभास कराएं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री फतेह सिंह (अनुपस्थित)। श्री कालूलाल गूजर।

माण्डल विधान सभा क्षेत्र के कुछ गांवों में पेयजल समस्या

श्री कालूलाल गूजर (मांडल) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत माननीय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्रीजी का ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र मांडल के कुछ गांवों में मीठा पानी नहीं होने एवं फ्लोराइडयुक्त पानी होने के सम्बन्ध में आकर्षित करना चाहता हूं।

(श्री कालूलाल गूजर)

मेरे विधान सभा क्षेत्र मांडल जिला भीलवाड़ा के ग्राम बड्डू, ग्राम कालूखेड़ा, कोचरियों, कालरीखेड़ा, गेगास, कर्णवास, माणिक्यास, सारणों का खेड़ा, मालपुरा, मालास, कराड़िया, जालमपुरा आदि गांवों में पानी खारा है और मीठे पानी की भारी समस्या है। ये गांव अलग-अलग जगहों पर स्थित हैं। इन गांवों में आबादी के चारों तरफ दो किलोमीटर की परिधि में पानी खराब है जबकि इन गांवों के आस-पास में मीठा पानी उपलब्ध है। खारा पानी होने से वहां के लोगों को पीने का पानी प्राप्त करने में काफी दिक्कतें आती हैं और खारा पानी होने के कारण आदमी कुबड़े हो रहे हैं। लोगों के दांत भी खराब हो रहे हैं और सबकी हालत खराब है। उक्त गांवों को मीठे पानी की योजना से जोड़ने हेतु इन सभी गांवों में पांच जल प्रदाय योजनाएं चल रही हैं :—

(1) बड्डू

(2) कोचरिया कालूखेड़ा

(3) कालरीखेड़ा गेगास

(4) कर्णवास माणिक्यास, सारणों का खेड़ा, मालपुरा

(5) मालास गराडिया जालमपुरा

उपरोक्त गांवों हेतु जल प्रदाय योजनाएं विभाग के अधिकारियों द्वारा बना ली गयी हैं। ये योजनाएं भी ऐसी बनायी गयी हैं जिससे ग्रामवासियों को मीठा पानी उपलब्ध हो सकेगा। ये योजनाएं छोटी-छोटी हैं और इनमें बहुत अधिक धन की आवश्यकता भी नहीं है। इन योजनाओं को एक बार विभाग ने मुख्य अभियन्ता महोदय के यहां भेजा था परन्तु उसमें कुछ तकनीकी एतराज लगाकर वापस भेज दिया गया है एवं यह करीब एक साल से अधिक समय से लम्बित है।

मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आप कृपा कर इन योजनाओं का विवरण तुरन्त मंगवाएं और उनकी वित्तीय स्वीकृति जारी करवाकर इन योजनाओं पर तुरन्त कार्य प्रारम्भ कराएं, ताकि इन गांवों के निवासियों को पीने का मीठा पानी उपलब्ध हो सके, फ्लोराइडयुक्त पानी होने के कारण जो बीमारियां फैल रही हैं ये दूर हो सकें और ग्रामवासियों का जीवन सुरक्षित हो सके। इस सम्बन्ध में तथ्य प्रस्तुत कराएं।

इसी प्रकार क्षेत्र की करेड़ा जल प्रदाय योजना की पुनर्गठित योजना की भी स्वीकृति तुरन्त जारी कराएं।

श्री अध्यक्ष : श्री नारायण लाल।

उप तहसील लसाड़िया को तहसील में क्रमोन्नति

श्री नारायण लाल (लसाड़िया) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विधान सभा मुख्यालय लसाड़िया और उप तहसील को तहसील में क्रमोन्नत करने बाबत माननीय राजस्व मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, उदयपुर जिले की तहसील धरियावाद की उप तहसील लसा-

(श्री नारायण लाल)

ड़िया जो विधान सभा क्षेत्र लसाड़िया के नाम से जाना जाता है, एक मुख्यालय है। पूर्व में लसाड़िया तहसील मुख्यालय था एवं इसी नाम से तहसील थी परन्तु राजनैतिक कारणों से इसका मुख्यालय धरियावद कर नामकरण भी धरियावद कर दिया गया है। चूंकि लसाड़िया क्षेत्र औद्योगिक दृष्टि से भी वर्तमान तहसील मुख्यालय से दूर है एवं धरियावद से 40 किलोमीटर दूर होकर 90 प्रतिशत आबादी जनजाति की है, अतः इस स्थान को तहसील घोषित करने हेतु राजस्व मंत्री का ध्यान इस उल्लेख के जरिये आकर्षित किया जाता है।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मण सिंह रावत।

राज्य में मानवाधिकार आयोग का गठन

श्री लक्ष्मण सिंह रावत (भीम) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान में मानव अधिकार आयोग स्थापित करने के लिए सरकार व सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पिछले कुछ वर्षों से प्रदेश में मानव अधिकारों का दमन बढ़ता जा रहा है। मानव अधिकारों का तात्पर्य ऐसे न्यूनतम अधिकारों से है जो प्रत्येक व्यक्ति में लिंग भेद, वर्ण भेद, भाषा भेद और धर्म भेद होते हुए भी मानव परिवार का सदस्य होने के नाते होते हैं और जो व्यक्ति के जीवन, समानता, स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा से जुड़े हुए हैं तथा संविधान में जिनकी रक्षा की गारंटी दी गयी है और जो भारत के न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय हैं। इन अधिकारों में प्रदूषण मुक्त पर्यावरण के वातावरण में जीने का एवं समानता और स्वतंत्रता सम्बन्धी अधिकारों के अतिरिक्त गरिमामय जीवन व्यतीत करने का अधिकार, चिकित्सा सुविधा का अधिकार, अभिरक्षा में यातनापूर्ण या अपमानजनक व्यवहार न होने सम्बन्धी अधिकार एवं प्रत्येक बच्चे को 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा प्राप्ति का और मानव परिवार का एक सदस्य बनने के लिए अपना समुचित विकास करने हेतु उपयुक्त अवसर पाने का अधिकार आदि शामिल हैं।

आज की व्यवस्था में रक्षक ही भक्षक होते जा रहे हैं। पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। शासकीय सेवकों द्वारा मानव अधिकारों के हनन की प्रवृत्ति बढ़ रही है। समय समय पर उक्त आयोग गठित करने की मांग होती रही है। देश के अधिकतर राज्यों में इस आयोग का गठन भी किया जा चुका है। सिक्किम, आसाम जैसे पिछड़े राज्यों में भी यह आयोग कार्यरत है। अतः शीघ्र राजस्थान में भी इसे गठित किया जाए।

उपाध्यक्ष का निर्वाचन

श्रीमती तारा भण्डारी का उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचन

श्री अध्यक्ष : उपाध्यक्ष का निर्वाचन।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : (विभाजन संख्या–189) प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि श्रीमती तारा भण्डारी, सदस्य विधान सभा (विभाजन संख्या-61) को राजस्थान विधान सभा का उपाध्यक्ष निर्वाचित किया जाए।

श्री खेत सिंह राठौड़ (शेरगढ़) : दो मिनट तो हमको सुनिये आप। दो मिनट सुन लीजिये, इसमें क्या बात है ? प्रस्ताव लाने से पूर्व निवेदन करना चाहता हूं, मान-

(श्री खेत सिंह राठौड़)

नीय अध्यक्ष महोदय। आपसे यही निवेदन है कि यदि आज सदन के नेता यहां होते····

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उप मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्रीमती तारा भण्डारी, सदस्य विधान सभा (विभाजन संख्या–61) को राजस्थान विधान सभा का उपाध्यक्ष निर्वाचित किया जाए।

श्री खेत सिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, यदि सदन के नेता यहां होते तो यह परिस्थिति पैदा नहीं होती।

श्री अध्यक्ष : श्री महावीर प्रसाद जैन (विभाजन संख्या–113) उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करेंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, मैं उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (वल्लभनगर): सरकार की हठधर्मिता के विरोध में हम बहिर्गमन करते हैं।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : + + + मौका नहीं दिया गया चुनाव लड़ने का। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह पवित्र अवसर है, आपसे निवेदन है कि आप यहां ही बिराजें। इस पवित्रता को नष्ट मत करिये। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष : कृपया शांत रहें, माननीय सदस्य। कृपया शांत रहें।

प्रश्न यह है कि श्रीमती तारा भण्डारी, सदस्य विधान सभा (विभाजन संख्या–61) को राजस्थान विधान सभा का उपाध्यक्ष निर्वाचित किया जाए ?

(स्वीकृत)

श्रीमती तारा भण्डारी (विभाजन संख्या–61) निर्विरोध उपाध्यक्ष निर्वाचित हुई।

श्री खेत सिंह राठौड़ :

(अनुपस्थित) श्री ओम प्रकाश शर्मा।

श्रीमती मीना अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट बोलना चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष : नहीं, मेरे ख्याल से जब वे आसन पर आएं तब।

बधाई एवं शुभकामना

श्रीमती तारा भण्डारी के उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचन पर बधाई

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अध्यक्ष महोदय, आपके निर्देशानुसार और आपके आदेशानुसार आज उपाध्यक्ष का चुनाव सम्पन्न हुआ है, लेकिन मुझे बड़ा खेद है इस बात का कि प्रतिपक्ष ने एक ऐसा बुरा उदाहरण प्रस्तुत किया है जो कभी भी किसी भी विधान सभा या पार्लियामैंट में उपस्थित नहीं हुआ है। यदि उनको चुनाव में कंटेस्ट करना था तो वे कंटेस्ट करने के लिए स्वतंत्र थे, लेकिन

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री हरिशंकर मामड़ा)

उन्होंने कंटेस्ट भी नहीं किया और आसन के प्रति अश्रद्धा पैदा की और एक ऐसी परम्परा निर्माण की। प्रतिपक्ष के आज के व्यवहार से ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी अब सत्ता में थी तब भी ठीक प्रकार से सत्ता नहीं चला पायी....

श्री परसादी लाल मीणा : सत्तापक्ष के व्यवहार से ऐसा हुआ है। आपके व्यवहार से ऐसा हुआ है।

श्री अध्यक्ष : कृपया व्यवधान नहीं, माननीय सदस्य। व्यवधान नहीं। (व्यवधान) कृपया विराज जाएं। बैठे-बैठे नहीं बोलें। (व्यवधान) व्यवधान अंकित नहीं होगा। व्यवधान अंकित नहीं होगा।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : × × ×

श्री हरिशंकर मामड़ा : और जब वह प्रतिपक्ष में बैठी है तब वह प्रतिपक्ष का काम भी सही ढंग से नहीं कर रही है।

मान्यवर, प्रतिपक्ष अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र है लेकिन मर्यादा, परम्परा और आसन के प्रति अवहेलना करना, यह प्रतिपक्ष के आचरण के उपयुक्त नहीं है और मैं समझता हूं इसलिए कांग्रेस पार्टी न सरकार के योग्य है, न प्रतिपक्ष के योग्य है। यही कारण है कि आज हिन्दुस्तान के अनेक राज्यों में कांग्रेस प्रतिपक्ष में भी नहीं है जिनमें वह कभी राज करती थी। कांग्रेस पार्टी का यह चरित्र मैं समझता हूं आज के इस उदाहरण से अत्यन्त निंदनीय है और इस कदम की मैं घोर शब्दों में भर्त्सना और निंदा करता हूं। इस पवित्र सदन और आसन के सम्मान और गरिमा पर जो उन्होंने एक कलंक लगाया है यह किसी भी प्रतिपक्ष के आचरण के लिए उपयुक्त नहीं है।

मान्यवर, मैं जानता हूं कि उपाध्यक्ष का जो चुनाव हुआ, आज के हालात में एक महिला उपाध्यक्ष बनती है उसके लिए प्रतिपक्ष को विरोध नहीं करना चाहिए था परन्तु मैं उपाध्यक्षा से भी कहना चाहता हू कि जिस प्रकार का व्यवहार प्रतिपक्ष इस सदन में कर रहा है, यह बहुत कठिन काम होगा उनके लिए। ऐसे लोग जो किसी तरह से अनुशासन में नहीं है, जो आसन की निरन्तर अवहेलना करते हैं, आसन के आदेशों का पालन नहीं कर उनका विरोध करते हैं, यदि कोई व्यवधान पैदा करता है और आसन बाहर जाने का आदेश देता है तो उसको बाहर नहीं जाने देते, मार्शल को आदेश आप देते हैं तो मार्शल को घेर कर खड़े हो जाते हैं, मैं समझता हूं कि इस प्रकार का आचरण करने वाले प्रतिपक्ष को अंकुश में रखना एक महिला उपाध्यक्ष के लिए कठिन होगा। लेकिन मैं आशा करता हूं कि इस सारी बात के बावजूद प्रतिपक्ष इस बात को समझेगा। हम सत्ता पक्ष की ओर से उपाध्यक्ष का पूरा सम्मान के साथ सहयोग करेंगे और मैं आशा करता हूं कि विपक्ष भी अपनी भूलों को सुधार कर भविष्य में इस आसन की गरिमा का, सदन की गरिमा को बनाये रखने योग्य आचरण करेगा।

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(60)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत (भीम) : अध्यक्ष महोदय, सदन के माननीय उप नेता महोदय ने जिस प्रकार से, जिस भाषा में आज अपने विचार व्यक्त किये, मैं उसके प्रति अपना स्ट्रौंग आब्जेक्शन रजिस्टर करना चाहूंगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रतिपक्ष ने सदैव आसन का सम्मान किया है। प्रतिपक्ष ने सदैव अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव के अन्दर अपनी तरफ से को-आपरेट किया है। अध्यक्ष महोदय, हम चाहते थे कि 28 तारीख की बजाय यह 30 तारीख को करवा दिया जाए। यह बहुत छोटी बात थी। हम उसमें एकोमोडेशन चाहते थे लेकिन माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय ने बातों को तोड़-मरोड़ कर इस प्रकार से प्रस्तुत करने की असफल कोशिश की कि प्रतिपक्ष, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद का सम्मान नहीं करता है। यह मेरे खयाल से बहुत निन्दनीय तरीका था, घोर आपत्तिजनक तरीका था। जिस प्रकार का प्रतिपक्ष के ऊपर घटिया आरोप लगाया, मेरे खयाल से सदन के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि चुनाव के मौके का दुरुपयोग किया गया हो। इस कारण से प्रतिपक्ष पूरे की ओर से कड़े शब्दों में उन मुख्य मंत्री महोदय के विचारों की मैं पूरी तरह से निन्दा करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि हम हमेशा से सम्मान करते आये हैं और आपके आदेशों का सम्मान करते रहेंगे, लेकिन पिछले साढ़े चार वर्षों में जिस प्रकार का आचरण यहां पर मुख्य सचेतक महोदय कर रहे हैं, जिस प्रकार का आचरण उप मुख्य मंत्री महोदय कर रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : कृपया विराज जाएं। आप विषयान्तर्गत हो रहे हैं, विषय के अन्दर नहीं बोल रहे हैं, कृपया बिराजें।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : मैं विषयान्तर्गत नहीं हो रहा हूं। जिस प्रकार से उन्होंने हम पर आरोप लगाये हैं, जिस प्रकार के आक्षेप उन्होंने हम पर लगाये हैं, यह बहुत ही निन्दनीय बात है। घटिया स्तर की बात करते हैं उप मुख्य मंत्री महोदय।

श्री अध्यक्ष : मुख्य सचेतक महोदय बोलना चाह रहे हैं, बिराजें आप। मुख्य सचेतकजी का तो आदर करें, बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया बिराजें। मैंने आपको अनुमति नहीं दी है।

श्री खेत सिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, ताराजी का चुनाव होने का पूरा विपक्ष उनको बधाई देता है। हमें इनके चुनाव के बारे में इतना ही निवेदन करना था, हम यह चाहते थे कि यह 30 तारीख को रखा जाए।

श्री अध्यक्ष : वह प्रसंग खतम हो गया।

श्री खेत सिंह राठौड़ : वह बात उस रोज खतम हो गयी। आज हमने आपसे निवेदन किया था कि दो मिनट हमको बोलने दें लेकिन माननीय सदन के उप नेता महोदय, पार्टी इन पावर के उप नेता महोदय खड़े हो गये और जल्दी में वे बोलने लगे। मै यह निवेदन करना चाहता था कि आज सदन में यदि सदन के नेता

(श्री खेत सिंह राठौड़)

महोदय होते तो परिस्थितियां दूसरी होतीं। निश्चित तौर पर वे विपक्ष में लम्बे समय तक रहे हैं, उनको बड़ा एक्सपीरियेंस है।

श्री अध्यक्ष : उनके अनुभव का लाभ आपको मिलता।

श्री खेत सिंह राठौड़ : किस तरह के ताल्लुक रखने चाहिए, किस तरह से आपस में मधुरता बढ़ सकती है, वे वह जानते हैं और आप कम जानते हो। उसी का नतीजा यह हुआ, मान्यवर, कि यह थोड़ी बहुत कटुता आयी है। बाकी आप उस बात को जानते थे कि इनके पास में बहुमत है। लेकिन हमने यह प्रयास किया था और वह हमारा प्रयास सफल भी हो जाता यदि चुनाव 30 तारीख को होता तो। अब हमारा इतना ही निवेदन है, हम उपाध्यक्ष महोदय से भी यही निवेदन कर रहे हैं। महोदय बोलेंगे या महोदया ?

श्री अध्यक्ष : महोदय।

श्री खेत सिंह राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय से यही निवेदन कर रहे हैं कि हम आपको हर तरीके से को-आपरेट करें, हमेशा भी हम को-आपरेट करते रहे हैं। हम विपक्ष की भूमिका को अच्छी तरह से निभाएंगे लेकिन सदन के उप नेता महोदय ने जिस तरह से भाषा का प्रयोग किया और जो घोर निन्दनीय बातें बतलायीं, वे अध्यक्ष भी रहे हैं, अपोजीशन में भी रहे होंगे इसलिए मेरा यह निवेदन है कि उनके कई शब्द ऐसे कड़े थे जो कार्यवाही में नहीं आने चाहिए। फिर वह आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, आप प्रोसीडिंग को देख लेना। उप नेता को वह भाषा शोभा नहीं देती, यह आपको मेरा निवेदन है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : अध्यक्ष महोदय, सदन के उप नेता महोदय ने जिस तरह से प्रतिपक्ष पर प्रहार किया वह उनके लिए मैं शोभाजनक नहीं मानता। इसका मैं प्रतिकार करता हूं। हमने हमेशा आसन के आदेशों का सम्मान किया है और आज भी हम सम्मान करना चाहते हैं और करते हैं। हमने उधर बैठकर भी अपनी भूमिका निभायी है और इधर बैठकर भी अपनी भूमिका हमने निभायी है। हम प्रजातांत्रिक मूल्यों और सिद्धान्तों में विश्वास रखने वाले लोग हैं। आज सत्ता पक्ष को यह भय पैदा हो गया था, अध्यक्ष महोदय, कि अगर 28 तारीख को बदलकर 30 तारीख कर देते तो शायद वे चुनाव हार जाएं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी व्यवस्था को चैलेंज नहीं करते हुए अनुरोध करना चाहता हूं, आपने कल कहा था कि हम अपना पक्ष मजबूती से नहीं रख पाये, तो आप देख लीजिये कि हमारे लोग कहां गये ? यह पक्ष साबित करता है कि हमको आज दिल्ली जाना था और दिल्ली की उस रैली को कांग्रेस की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी एड्रेस करने वाली थीं। हमारी पार्टी के नेताओं को उसमें जाना था इसलिए हमने अनुरोध किया था कि 28 के बजाय इसको 30 कर दिया जाए, लेकिन सत्ता पक्ष की हठधर्मिता के कारण आज उस व्यवस्था को नहीं बदल पाये। कल पूनम चन्दजी ने कहा था कि देश में लोक सभा के चुनाव भी, जो इलेक्शन कमीशन ने करवाये, उनको भी 15 दिन आगे खिसकाया जा सकता था परिस्थितियों के आधार पर तो क्या बात थी ? ताराजी आज नहीं

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

बैठतीं तो 30 तारीख को इस कुर्सी पर बैठ जातीं, कौनसा फर्क पड़ जाता ? कौनसा पहाड़ टूट जाता ? लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सत्ता पक्ष की हठधर्मिता की खातिर आज हमको बहिष्कार करना पड़ा ।

हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि सत्ता पक्ष जितनी अवहेलना करता है। उतनी ही जिम्मेदारी से प्रतिपक्ष आपके आदेशों की पालना करता है । हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जब–जब भी अवसर आएंगे, विपक्ष बराबर आसन का आदर करते हुए उसके अनुसार चलेगा ।

जैसाकि व्हिप महोदय ने ताराजी को बधाई दी, मैं भी बधाई देना चाहता हूं कांग्रेस दल की ओर से । हमारा प्रतिकार उनके प्रति नहीं था । इस सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोगों के रवैये के प्रति था । मैं इनको बधाई देना चाहता हूं कि वे निष्पक्ष तरीके से इस आसन पर बैठकर सत्तापक्ष और प्रतिपक्ष के प्रति अच्छा व्यवहार करेंगी । मैं उनको बधाई देता हूं । (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : अध्यक्षजी, श्रीमती ताराजी आज उपाध्यक्ष के पद पर आसीन हो रही हैं, हमें खुशी है ।

(12.39 बजे)

(श्रीमती तारा भण्डारी, उपाध्यक्ष पदासीन)

श्री हरि सिंह (महुआ) : जय सियाराम, हो गया काम ।

श्री भभूतराम (धोद) : हरिसिंहजी, आजकल ये जय सियाराम नहीं बोलते । जय सुखराम ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपका तो राम निकल गया, आप काहे का राम बोलोगे ?

श्री शिवनाथ सिंह : आप ठहरो ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं तो बधाई दे दूं । मेरी छोटी बहिन है । एक मिनट मैं बधाई दे दूं ।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय उपाध्यक्षजी, राजस्थान विधान सभा के इतिहास में आज यह पहला अवसर है जब हम एक महिला सदस्य को उपाध्यक्ष के आसन पर देख रहे हैं । हमें खुशी है और बार–बार आपको बधाई देते हैं । आप इस सदन की वरिष्ठ सदस्या हैं । वरिष्ठ ही नहीं, एक वीर–वीरांगना हैं. आप हमारी शेर बहिन हैं इसलिए हम आपका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं और बधाई देते हैं ।

माननीय, उपाध्यक्ष जी, अभी सदन के उप नेता महोदय ने आपको कुछ भ्रमित करने की चेष्टा की । मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि प्रतिपक्ष ने आसन की कोई अवहेलना नहीं की, आसन के प्रति कोई असम्मान व्यक्त नहीं किया । आसन की तरफ से हम पूरा सम्मान करते हैं अध्यक्ष जी का भी और आज से, माननीय उपाध्यक्ष जी, आपका भी । प्रतिपक्ष ने सिर्फ इतना ही कहा था कि यह जो कार्यवाही हो रही है वह+++है इसलिए हम बहिर्गमन करते हैं । इसमें कौनसा अनाचार हमने कर दिया ? कौन से सदन की मर्यादा को हमने खो दिया ? मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो सदन के उप नेता महोदय ने आपके दिमाग में कुछ गलत

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

(श्री शिवनाथ सिंह)

बातें बैठाने की चेष्टा की है उस पर ध्यान मत दीजिये। आप आसन पर विराजमान हैं, आप पहले ही आसन पर बैठी रही हैं, मेरा आपसे निवेदन है कि हम पूरा सहयोग आपको देंगे लेकिन उप नेता महोदय की बातों में आकर हे लक्ष्मीबाई। अपनी तलवार मत निकाल लेना हमारे ऊपर.... (व्यवधान) इसलिये, उपाध्यक्ष जी, यह दो-तीन दिन का मेला हैं। चाहे घस्यू का मेला कहो चाहे गोगामेड़ी का मेला कहो, चार दिन में इसकी झंडी उपड़ने वाली है। पता नहीं आगे कौन आएगा, कौन नहीं आएगा इसलिये इन चार दिन आप लक्ष्मी बाई का रूप धारण नहीं करें और हमारे प्रति भी आप संवेदनशील रहें।

अन्त में, मैं उपाध्यक्ष जी, आपकी इजाजत से सदन के उप नेता महोदय ने जिस प्रकार के यहां भाव व्यक्त किये और कहा कि प्रतिपक्ष का आचरण निंदनीय है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सदन के पक्ष के नेता के मुंह से ये शब्द अच्छे नहीं थे। आज वे सदन के नेता थे, आज वे सदन के नेता की तरह काम कर रहे थे। उनकी मंशा है कि मैं सदन के नेता के रूप में उभरूं लेकिन उपाध्यक्ष जी, ये लक्षण इस प्रकार के नहीं हैं। इसलिये जो कुछ उन्होंने प्रतिपक्ष के लिये कहा, वह घोर निंदनीय कार्य उन्होंने किया और उसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतना ही अच्छा है।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय उपाध्यक्ष जी, एक मिनट....

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदया, कुछ बोल रही हैं आप बिराजिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (संस्कृत राज्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज अपनी ओर से और सभी बहनों और भाइयों की ओर से आपका स्वागत करती हूं मेरा यह विश्वास है कि आप पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों ही को साथ लेकर अपनी प्रामाणिकता रखेंगी। निश्चित रूप 18 तारीख को कहा विपक्ष ने कि छुट्टी चाहिये, हमारे नेता आने वाले हैं, छुट्टी कर दी गयी शनिवार को। हम लोगों को यहां बैठना पड़ा। उपाध्यक्ष महोदय, खाटू के श्याम जी में हमारे नेता आये, हमने ऐसी कोई मांग नहीं की। हम चाहते थे कि सदन का काम ढंग से चलता रहे। आपकी बात मान ली गयी उसके बाद भी आप उप नेता महोदय को उपालम्भ कर रहे हो। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं, आप यह सोचिये कि उन्होंने 18 तारीख को छुट्टी आपके लिये नहीं रखी तो किसके लिये, मेरे लिये रखी? खाटू के श्याम जी में हमारे नेता आये, लेकिन यहां सदन चला और हम लोग वहां गये। फिर भी मैं आपसे आग्रह करूंगी कि आप यह मतभेद रखो लेकिन मन भेद भुला कर आप साथ रहो, अच्छा रहेगा। धन्यवाद। (व्यवधान) सोनिया गांधी उस दिन की बात है, छुट्टी रखी।

श्रीमती मीना अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के महिला मंडल की तरफ से और सदन में बैठे हुए पक्ष और विपक्ष की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई दे रही हूं। सदन के सभी सदस्यों ने मिलकर जो महिलाओं को पहली बार मौका दिया है, इसके लिये मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहती हूं।

मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहती हूं कि जिस पद पर आप बैठी हैं

(श्रीमती मीना अग्रवाल)

उस पद की गरिमा को बनाये रखें। मैं एक बात और कहना चाहती हूं कि आप पहली बार महिला उपाध्यक्ष बनी हैं तो आगे भी महिलाओ को इसी तरह का मौका दिया जाए जिससे महिला आगे बढ़ती जाए उपाध्यक्ष महोदय पद पर। यह पद महिला का ही रहे, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं।

दूसरी बात मैं आपसे और कहना चाहूंगी, आज मैंने पेपर में पढ़ा कि हमारी भा.ज.पा. सरकार केन्द्र में भी है, वहां भी श्रीमती रीता वर्मा का नाम चल रहा है। इसके लिये हमारी भा.ज.पा. को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं, जो महिला विरोधी नहीं है। महिलाओं के पक्ष की बात वे सुनते हैं इसलिये हमारे मुख्य मंत्री, हमारे सारे मंत्री विभाग के, केन्द्र के, सभी को मैं धन्यवाद देती हूं। जय हिन्द।

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से आपको बधाई देता हूं। इस सदन के उप नेता महोदय ने जिस तरह से शब्द प्रतिपक्ष के प्रति कहे हैं वे घोर निन्दनीय हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता था दो दिन बाद। निश्चित रूप से यह भारतीय जनता पार्टी संविधान, नियम और अपने कहे हुए पर कभी नहीं रही, क्योंकि 6दिसम्बर,1992 की घटना इसका सबूत है कि इस देश के संविधान को तोड़ने वाली केवल मात्र भारतीय जनता पार्टी है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। विषयान्तर नहीं।

श्री अमराराम (धोद) : इसलिये मैं आपको पुनः बधाई देते हुए कहना चाहता हूं कि प्रतिपक्ष यह चाहता था कि सम्पूर्ण प्रतिपक्ष यहां रहता उस समय चुनाव होता तब निश्चित रूप से इस बात का पता लगता। सत्ता पक्ष के पास अगर बहुमत था तो तीस तारीख को करवाते, उसके बाद रिजल्ट सामने आते। इससे घबराकर जो आज चुनाव किये हैं और कटुता फैलाई है, इसके लिये मैं उप नेता महोदय की फिर निन्दा करते हुए मेरी बात समाप्त करता हूं। आपको पुनः धन्यवाद।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके निर्विरोध निर्वाचन पर अनेकानेक शुभकामनाएं अर्पित करता हूं और यह अपेक्षा करता हूं कि आप इस पद की गरिमा को बढ़ाएंगी और इस प्रकार की व्यवस्था में भाग लेंगी और इस प्रकार के निर्णय देंगी जिससे आपके व्यक्तित्व में भी निखार आएगा।

मैं इस अवसर की पवित्रता के बारे में भी निवेदन करना चाहता हूं कि यह एक पवित्र अवसर था। जहां तक बहुमत का या अल्पमत का सवाल है, मैं समझता हूं कि यह संख्या का खेल है और इस बजट सत्र में तो प्रतिदिन प्रतिपक्ष को यह अवसर प्राप्त है। हम जिस दिन भी, जिस क्षण भी अपना बहुमत खो चुके हैं उस समय आपके पास इस प्रकार का शस्त्र है कि आप यह सिद्ध कर सकते हैं कि आपके साथ बहुमत नहीं है। इसलिये केवल यह कल्पनाओं में घूमना कि हम बहुमत में नहीं थे और अवसर नहीं दिया, मैं समझता हूं कि इस अवसर की पवित्रता को भी नष्ट किया

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

गया है। यह जो गणित का खेल है, प्रत्येक व्यक्ति जानता है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। ...

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप क्या अविश्वास की बात कर रहे हैं? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : पूरी बात तो कर लेने दो इनको।

श्री खेतसिंह राठौड़ : बात कर ली इन्होंने, बात इन्होंने कर ली। इन्होंने इशारा कर दिया।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : इशारा करने की इनकी उम्र नहीं है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : इसलिये आप मेरी बात को थोड़ा-सा सुन लीजिये। इन्होंने यह कहा कि आपके पास में आंकड़ों का खेल है और अगर हो तो कर लीजिये। हम आपसे यह कहते हैं आप अपने नेता को बुला लीजिये। इस राज का एक ही नेता है वह मुख्य मंत्री है और मुख्य मंत्री के लिये आप ही सब कहते हैं कि राजस्थान एक व्यक्ति पर चल रहा है। उसी एक व्यक्ति को हाउस में बुला लीजिये हम लाते हैं अविश्वास आपके खिलाफ। जब वे बीमार पड़े हैं तब विपक्ष यह नहीं सोचेगा कि बीमार आदमी के खिलाफ विपक्ष अविश्वास लाए। यह हमें शोभा नहीं देता, वह हम नहीं कर सकते।

श्री महावीर प्रसाद जैन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कांग्रेस दल के सचेतक जी का बहुत आभारी हूं कि इन्होंने मुझे यह स्मरण दिलाया। हमारे नेता के प्रति जिस उदारता का परिचय दिया, मैं उनका आभारी हूं। लेकिन मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि जिस समय हमारे माननीय नेता अत्यधिक बीमारी जैसी अवस्था में थे, उस समय जिस प्रकार षड़यंत्र रचा गया, मैं समझता हूं कि उसमें... (व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : यह भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। यह षड़यंत्र भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है, हमने कोई षड़यंत्र नहीं किया है। आपकी पार्टी के लोगों ने किया है....

श्री परसादीलाल मीणा : आपकी पार्टी के लोग यह कर रहे थे+++(व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : आप चाहो तो नाम भी बता सकते हैं+++ (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं इस अवसर पर उन अप्रिय बातों का उल्लेख तो नहीं करना चाहूंगा, न करना चाहता हूं लेकिन इतना ही मैं निवेदन करना चाहता हूं ...

श्री हरिसिंह (महुवा) : इनके मंत्रियों ने बगावत की है। मंत्रियों ने बगावत की है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : चुनाव 30 को होता तो स्थिति और होती।

+++अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : तीसरी बेंच पर बैठे हुए हैं आज, आप ही के लोग हैं। मंत्री बनकर बैठे हुए हैं,+++ उधर जाकर कहो, हमको क्या कहते हो ? हमने कुछ नहीं किया। मुख्य मंत्रीजी के स्वास्थ्य को खराब करने के लिये आप लोग जिम्मेदार हो। मुख्य मंत्रीजी.... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : आप लोगों ने दबाव डाला उन पर मंत्री बनने के लिये ...

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये–बिराजिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : जिस पद पर आप बिराजी हैं, जिस पद पर बैठी हैं, वह पद इस लोकतांत्रिक प्रणाली से सर्वोच्च संस्था का सर्वोच्च पद है। यह ऐसा पद है जिसकी अत्यन्त कठिनाइयां हैं, लेकिन हमारे यहां पर तो यह विक्रमादित्य का सिंहासन है, इस पर बैठने वाले व्यक्ति ने न्याय किया है। मैं समझता हूं कि इन छोटी बातों का आप अपने मन पर असर नहीं होने देंगी, प्रभाव नहीं होने देंगी और अपनी न्यायप्रियता इस पर आप स्थापित करेंगी। मैं आपको इस पद पर बने रहने की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपको वह शक्ति दे कि अपने पद की गरिमा को बनाये रखें। धन्यवाद। (व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं....(व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : आप इधर देखा करो। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : आप उधर नहीं, इधर देखिये। आपके दिन ही कितने हैं, इधर देखिये।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई (फलोदी) : उपाध्यक्ष महोदय, इस विधान सभा में इतिहास में प्रथम महिला के रूप में उपाध्यक्ष पर निर्विरोध चुने जाने के अवसर पर मैं हार्दिक बधाई देता हूं। मुझे इस बात का अफसोस है कि सदन के उप नेता ने इस तरह के शब्दों का यहां पर प्रयोग किया। वह उनके लिये शोभनीय नहीं था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में बैठे रहने काबिल नहीं है, विपक्ष के भी काबिल नहीं है। इस तरह की बातें कहीं कि सदन के अन्दर बाधा उपस्थित करते हैं। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि यह सदन है, यह कोई वाद–विवाद प्रतियोगिता का प्रांगण नहीं है। कालेज, स्कूल की वाद–विवाद प्रतियोगिता होती है, लेकिन यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे विचारार्थ आते हैं जिनके साथ करोड़ों लोगों का हित–अहित जुड़ा होता है। इसलिये कोई भी माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त करता है तो पूरा जोर देकर करता है। उसमें कई दफा गरमा–गरमी भी हो जाती है। यह कोई नहीं कह सकता कि पहले कभी गरमा गरमी नहीं होती थी और अब हम में है। एक आध दफे आसन ने किसी को बहिर्गमन का आदेश दिया और उसमें थोड़ी–बहुत खींचतान हो तो आप बिराजे हुए हैं, हमारी एक बड़ी बहन भी बिराजी हुई हैं, वह समय याद कीजिये जब मुखबंद के प्रयोग के विरुद्ध समय दो बार बढ़ा दिया तो भी आपने कहा कि

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

नहीं, और बढ़ाइये । जब बढ़ाने से इंकार कर दिया तो बहिर्गमन का कहा । तो बहिर्गमन हुआ नहीं, काफी खींचतान यहां पर हुई । तो इस तरह के अवसर आ जाते हैं, लेकिन यहां पर हमारे टाइम में तो बहुत कम ऐसे अवसर आए हैं । आप तो क्योंकि ज्यादातर विपक्ष में बैठे इसलिये इस तरह के अवसर इस सदन में पैदा करते रहे । खैर, यह सब कुछ होता है लेकिन सदन के उप नेता महोदय को ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिये थीं । उस दिन 25 तारीख थी जिस दिन अध्यक्षजी का चुनाव हुआ । हमारे दिल में कोई आपसे कम प्रसन्नता थी क्या उनके चुने जाने की ? वे शिड्यूल्ड ट्राइब्स के व्यक्ति हैं । उसके बाद में महिला को चुना है तो बहुत अच्छी बात है । परसों हमने इतना ही निवेदन किया था कि इस चुनाव को दो दिन आगे बढ़ा दिया जाए । हम भी चाहते थे कि हमारी तरफ से भी एक महिला उम्मीदवार बनें । हम महिलाओं को आगे लाना चाहते हैं, दोनों तरफ से महिला होतीं, चुनाव लड़तीं, कन्वेसिंग करती, उनका व्यक्तित्व उभरता, इसलिये हम कर रहे थे । हार–जीत जो होती सो हो जाती लेकिन उसमें इतनी बात कहने की, बात का बतंगड़ बनाने की कहां जरूरत है ? मैं समझता हूं इस अवसर पर उनको ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिये थीं । कांग्रेस पार्टी है, वह बहुत जिम्मेदार है, बड़ी पार्टी है, एक ऐतिहासिक पार्टी है । आपको ठीक है कोई हमारी गलतियों के कारण यह अवसर मिल गया तो बहुत थोड़ा अब समय बचा है, उसका आप सदुपयोग करो और ऐसी कोशिश करो कि सिवाय एक, दो के वापस इधर न आ जाओ । इसलिये मैं पुनः आपको बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं ।

आभार

श्रीमती तारा भण्डारी, उपाध्यक्ष का आभार

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीगण, माननीय सचेतकजी, सदस्यगण, प्रतिपक्ष के मुख्य सचेतकजी, वरिष्ठ सदस्यगण, आप सभी ने उपाध्यक्ष पद का निर्विरोध चुनाव किया, इसके लिये मैं आप सबकी आभारी हूं । जैसी अभी सभी की भावना प्रकट हुई कि यह विक्रमादित्य का सिंहासन है, मैं निश्चित रूप से आपको विश्वास दिलाती हूं कि मैं सभी के साथ निष्पक्ष रूप से व्यवहार करूंगी और मैं आशा करती हूं कि आप सभी का सहयोग भी आसन को पूरी तरह से मिलेगा । धन्यवाद ।

श्री खेतसिंहजी ।

श्री रामप्रताप कासनियां (राज्य मंत्री, सिंचित क्षेत्र विकास) : टमाटर की ये कह रहे थे, उपाध्यक्ष महोदय, टमाटर तो आज स्टोर में है । चालीस रुपये किलो भाव तो होगा ही, वह कोई गरीबों के खाने की चीज है कोल्ड स्टोरेज में जो रखी हुई है ?

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : आप विराजो । उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इतना-सा निवेदन है कि मेरे चुनाव क्षेत्र शेरगढ़ के अन्दर चामूं गांव है आपके यहां भी चामूं है, मेरे यहां भी चामू है ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (ऊर्जा मंत्री) : वहां भी चौमूं है ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपका चौमूं है, वह चामूं है, इतना फर्क है ।

(श्री खेतसिंह राठौड़)

मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता था कि वहां पर अभी 33 के.वी.ए. का सब-स्टेशन है; वहां से प्रस्ताव यह आया है कि उस सब-स्टेशन को बड़ा स्टेशन बनाया जाए और उसको 125 के.वी.ए. का स्टेशन बनाया जाए। शेरगढ़ ही नहीं, जैसलमेर तक की लाइन को अच्छा मौका मिल जाएगा। इसलिये मेरा आपसे निवेदन है, कल आप वक्तव्य देंगे उससे पहले, मैंने यह आपके सामने प्रस्ताव रखा है स्टेशन बनाने की बाबत। भ्राबू लेन में 11/33 के.वी.ए. का सब स्टेशन बनाने के बाबत दोनों प्रस्ताव जोधपुर के चीफ इंजीनियर आर.एस.ई.बी. के यहां से आपके यहां चेयरमैन के कार्यालय में आये हैं। आप उनको पूछकर ये दोनों काम करेंगे तो जनहित में होगा और वहां के काश्तकारों को इससे सुविधा मिलेगी। आप नये मंत्री बने हैं और आपने कुछ ऐसा फर्माया है कि मेरा प्रयत्न यह रहेगा कि मैं काश्तकारों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा दूं, वे भी आप ही के काश्तकार हैं इसलिए कल आप जब वक्तव्य दें उस वक्त आबूलाई के सब-स्टेशन और चामू के स्टेशन के बारे में निश्चित रूप से हमें बताएं।

(13.00 बजे)

श्री उपाध्यक्ष : श्री ओमप्रकाश शर्मा।

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बूंदी नगर की सफाई व्यवस्था के बारे में अपनी बात रखना चाहता हूं बूंदी नगरपालिका सीमा के अन्दर भयंकर गंदगी है। मैं मोहल्लों के नाम बताऊं—इंदिरा कालोनी, महावीर नगर, देवपुरा, विकास नगर, उंदाले की डूंगरी, गुरुनानक कालोनी, माजी साहब का कुण्ड, लोहार कटला, कागदी देवरा, मीरा गेट, डालचन्द पाड़ा, नाहरी का चौक। सारा का सारा शहर लगभग 6 महीने से सड़ रहा है क्योंकि सफाई कर्मचारियों की संख्या वहां 180 है और जो भी चेयरमैन आये वे जमादार बनाते चले गये, 45 जमादार हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि नगर की सफाई नहीं हो रही है, बीमारियां फैल रही हैं। वहां कम से कम 6 महीने का ठेका देकर यह देखा जाए कि वे सफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। सारा शहर सड़ रहा है। मंत्री महोदय यहां बिराज रहे हैं, मैं आपके माध्यम से उनसे निवेदन करूंगा कि बूंदी नगर के निवासियों को बीमारियों से बचाया जाए, गंदगी से बचाया जाए और वहां की सफाई करवाई जाए। मंत्री महोदय बिराज रहे हैं, शायद मेरी बात का कुछ जवाब दें।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य भी नगरपालिका के सदस्य हैं। उसमें आप भी मेम्बर हैं, यदि आप ठीक समझते हो आपकी नगरपालिका में तो आप ठेके पर दें, हमारी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है यह आपका विषय है आप ठेके से सफाई कराएं या जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनसे कराएं या आप श्रमदान से करें। यह आपका विषय है, जो मर्जी है वह करिये हमको कोई आपत्ति नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री टीकमचन्द कान्त।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : ठेके देने में दिक्कत कहां है ?

श्री उपाध्यक्ष : शून्यकाल में जवाब नहीं ।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : वहां केवल 180 कर्मचारी हैं, 45 जमादार बना दिये ।

श्री परसादीलाल मीणा : आप मीटिंग में जाइये ।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : नहीं, जाते हैं मीटिंग में । वहां कर्मचारी कम हैं ।

श्री परसादीलाल मीणा : अब तक तो आप इधर-उधर घूमते रहे ।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : मैं वहां जाता हूं तो कर्मचारी नहीं हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें व्यवधान नहीं डालें ।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : कर्मचारी कम हैं।

श्री टीकमचन्द कान्त (सिवाना) : उपाध्यक्ष महोदय, आने वाले कल 29 तारीख को राजस्थान के अन्दर सूचना एवं जन सम्पर्क के सारे अधिकारी अवकाश पर जाएंगे । ये वे लोग हैं जो सरकार की उपलब्धियों को जन सामान्य तक पहुंचाते हैं, राज्य का संदेश और कार्यक्रम एवं घोषणाओं को जनता तक पहुंचाते हैं । एक दिन यह कार्य पूर्णतया बन्द रहेगा । उनकी मांग है कि राजस्थान के अन्दर सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का पांचवें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार वेतनमान दे दिया गया लेकिन यही एक कर्मचारी और अधिकारियों का समूह बचा है जिसे चौथे और पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ नहीं मिला । उपाध्यक्ष महोदय, जब सरकार के सभी कर्मचारियों को लाभ दिया जा रहा है तो मेरा मानना है कि इन्हें भी यह लाभ दिया जाना चाहिये । यदि उनकी मांगें उचित हैं तो सरकार को इस पर ध्यान अवश्य देना चाहिए । इन्होंने अपनी ओर से सरकार को, माननीय वित्त मंत्री जी को, जन सम्पर्क मंत्री जी को, वित्त सचिव महोदय को, मुख्य सचिव महोदय को मांग रखी है । मैं चाहता हूं कि सरकार उपयुक्त निर्णय इस मामले में करे । इसके साथ ही मैं एक सूचना और देना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय, आज के अखबारों के मुखपृष्ठ पर हरमाड़ा के अन्दर एक पिता और एक पुत्र जो दोनों हरिजन समाज के थे, उनकी हत्या कर दी गयी ।

श्री परसादीलाल मीणा : ये दो कैसे उठा रहे हैं ?

श्री टीकमचन्द कान्त : दोष उनका यही था कि वे झाड़-फूंक करते थे, लेकिन मैं तो यह मानता हूं कि उनका दोष यही था कि वे हरिजन थे, कमजोर वर्ग से थे ।

श्री जगदीप धनखड़ : टू इन वन हो गये, फिर थ्री इन वन हो जाएंगे...(व्यवधान)

श्री टीकमचन्द कान्त : उनकी हत्या कर दी गयी । हालांकि, गृह मंत्रीजी, पुलिस ने तत्परता दिखाकर जिस प्रकार से गिरफ्तारी की है अपराधियों की उसके लिए तो धन्यवाद देता हूं लेकिन इस मानसिकता को जो इस देश के अन्दर, इस प्रदेश के अन्दर चल रही है, कि यह हरिजन, यह कमजोर, यह दलित कब तक इस प्रकार का अत्याचार सहन करेंगे, इस समाज को कब समझ आएगी । उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं ...

श्री परसादीलाल मीणा : यह गलत तरीका है ।

श्री हरजीराम बुरड़क : जब तक आप वहां बैठी रहेंगी... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य विराजें ।

श्री टीकमचन्द कान्त : सारे लोग इस समाज में इस प्रकार का वातावरण बनाएं कि इन कमजोरों के प्रति लोगों के भाव कुछ ढंग के बनें और इन कमजोरों को इसी प्रकार से सबल लोगों का शिकार नहीं होना पड़े । इतना ही निवेदन है, धन्यवाद ।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये ।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय टीकमचन्द जी कान्त ने जिस प्रश्न को उठाया हैं इसे राज्य सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए । आज जन सम्पर्क के लोग स्ट्राइक पर आये हैं कल दूसरे कर्मचारी जाएंगे और ऐसा ...

श्री उपाध्यक्ष : इनका स्लिप में नाम है, मैं पुकारती इससे पहले बोल गये । पर नाम इन्हीं का हैं, आप चिन्ता नहीं करें । कैसे बोल रहे हैं, मैं बोलना बंद भी कर सकती हूं ।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य :...जन सम्पर्क मंत्री जी और राज्य सरकार को इसकी गंभीरता को देखते हुए कि यह राजस्थान के कर्मचारियों का आंदोलन नहीं बने, इसको गंभीरता से लेना चाहिए, मेरा ऐसा निवेदन है ।

श्री गोपीराम जाट (आमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने हरिजन बाप और बच्चे की हत्या का जो मामला उठाया है, यह मामला मेरे विधान सभा क्षेत्र जयरामपुरा, तहसील आमेर, थाना हरमाड़ा का है । घटना इस तरह से हुई है कि जिनकी हत्या की गयी है वे हरिजन परिवार के व्यक्ति हैं । कुछ सम्पन्न लोग रात को आये ट्रैक्टर लेकर, और उन्होंने कहा कि आप चलिये, मेरा लड़का बीमार है, उसके झाड़-फूंक करना है, झाड़ा देना है । उसने मना कर दिया कि रात के 12 बजे का समय है, मैं नहीं जा सकता । उसके बाद 4–5 आदमी और औरतें उनके अन्दर आये और जबरदस्ती दोनों बाप बेटों को ट्रैक्टर में डालकर ले गये । वहां वृद्धा ने उनको बचाने का प्रयास किया तो वृद्धा के कपड़े फाड़ दिये, उसको धक्का देकर गिरा दिया । उनके ट्रैक्टर लेकर चले जाने के बाद वह वृद्धा सबसे बड़ा आदमी जो गांव का मुख्य सरपंच होता है, साढ़े 12 बजे सरपंच के घर गयी । सरपंच अपने घर से उठा नहीं और जो हरिजन वृद्धा वहां गयी उसको कह दिया कि आप यहीं सो जाओ, आपको भी मार देंगे । सुबह पांच बजे तक उस सरपंच ने उस वृद्धा को अपने घर पर रखा । यदि वह सरपंच उस वक्त चला जाता या वृद्धा को वापस लौटा देता तो वह गांव के लोगों से गुहार करके अपने परिवार के लोगों को बचा सकती थी, लेकिन 5–6 घंटे के कीमती क्षण जिस क्षण में उन हरिजनों की हत्या की गयी, उस सरपंच ने उसको अपने घर पर रोका । मैं तो गृह मंत्री जी से इस बात के लिए आग्रह करूंगा कि उस सरपंच के खिलाफ कार्यवाही की जाए, जांच में उसको अभियुक्त बनाया जाए कि 6 घंटे तक उस वृद्धा को अपने घर पर क्यों रोका ? यदि वह सरपंच गांव के लोगों में हल्ला–गुल्ला

(श्री गोपीराम जाट)

करता, चलता तो निश्चित रूप से उन दोनों ग्रादमियों की जान बच सकती थी। उसके एक 15 साल का लड़का है, एक 10 साल का बच्चा है। आज उन दो गरीबों के पास में अपनी वृद्धा माता के ग्रलावा रोजी–रोटी का कोई सहारा नहीं है। मैं ग्राग्रह करता हूं सरकार से कि इस तरह के गरीब व्यक्ति को टैम्प्रेरी 20-20, 30-30 हजार रुपये की सहायता दी जानी चाहिए। हालांकि मैं, गृह मंत्री जी, ग्राज इस ग्रवसर पर प्रशंसा भी करूंगा कि जैसे ही साढ़े 6 बजे वह हरिजन महिला हमारे पंचायत समिति के मैम्बर के पास गयी, पंचायत समिति मैम्बर उसके साथ हरिजनों के घर गया ग्रौर उसके परिवार के व्यक्ति को 10 रुपये जेब से दिये किराये के और थाने भेजा। थाने में पहुंचते ही थाने के सिपाही दो मिनट में रवाना होकर घटना-स्थल पर साढ़े आठ बजे पहुंच गए और दो आदमियों को उनमें से उन्होंने गिरफ्तार भी कर लिया। जो बाकी बचे हुए लोग हैं उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए।

दूसरी बात महत्वपूर्ण है कि जयराम-पुरा में कोई अधिकृत शराब की दुकान नहीं है, ग्रवैध शराब का बेचान होता है। हरिजन बस्ती में हनुमानजी के मंदिर के पास शराब की दुकान है, ऐसी जगह शराब की दुकान को बंद कराया जाना चाहिए, वही खास तौर से झगड़े की जड़ है। जो लोग ग्राये थे वे भी शराब पीये हुए थे ग्रौर शराब के नशे में इस तरह की दर्दनाक घटना घटी है। यह हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए ग्रौर गरीबों को सरकार की तरफ से तुरंत मदद दिलाई जानी चाहिए, यह मेरा सरकार से ग्राग्रह है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री परसादीलाल जी।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : उपाध्यक्ष महोदय, इसी सम्बन्ध में मैंने भी आपको एक स्लिप के जरिये निवेदन किया था। माननीय गृह मंत्री महोदय, राजधानी के नीचे बिलकुल जयपुर के नजदीक हर-माड़ा है, वहां पर दो बाप–बेटों को ट्रोली में जबरदस्ती ले जाकर उनकी निममंता-पूर्वक हत्या कर दी और उनकी लाशों को घर पर डाल गए। जैसा कि गोपीरामजी कह रहे थे, यह सही बात है कि सरपंच के वहां गए। सरपंच का यह कर्तव्य था कि वे पुलिस थाने पर उसकी सूचना देते, लेकिन तीन–चार घण्टे तक किसी को सूचना नहीं दी। उसकी हत्या हो जाना अपने ग्राप में मानवीय मूल्यों का हनन है। इस तरह का अपराध जिन लोगों ने किया है, अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है, उनकी जाति ग्रपराधी होती है। आप जितनी भी ठोस से ठोस कार्यवाही कर सकते हैं–क्योंकि यह हत्या निर्ममता-पूर्वक की गई है और इसके लिए दूसरे लोगों को सबक मिले ऐसी ठोस कार्यवाही इसमें ग्राप करें कि ग्राइंदा लोगों को किसी हरिजन, किसी कमजोर को इस तरह से मारने का दुस्साहस न हो।

ग्रापने जो कार्यवाही की है, ग्रभी दो गिरफ्तारियां की हैं, क्या दो ही लोग थे? ग्राप सारे लोगों को गिरफ्तार करवाएं। सारे लोगों के खिलाफ कार्यवाही करवाएं। चाहे ग्रापको कितना ही ठोस से ठोस कदम उठाना पड़े, ग्राप ठोस कार्यवाही करें जिससे राजस्थान के हरिजन, एक हरिजन

(श्री परसादीलाल मीणा)

गृह मंत्री के होते हुए इस तरह निर्ममता-पूर्वक न मरें। ग्रापका कर्तव्य है कि ग्राप ठोस कार्यवाही करें ग्रौर ग्रपना स्टेटमैंट हाउस में दें। राजस्थान के हरिजनों पर, पिछड़े वर्गो पर, कहीं नाक में नकेल डाली जा रही हैं, कहीं हरिजन मारे जा रहे हैं, कहीं उन्हें घोड़े पर नहीं चढ़ने दिया जा रहा है, कहीं बाजा नहीं बजाने दे रहे हैं। ग्रापने पूरे पांच साल बेकार कर दिए। राजधानी के नीचे ऐसी घटनाएं घटीं, ग्राप इसके ऊपर ठोस कार्यवाही कीजिए, यह ग्रापसे निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कमल कोली, बैठिए, गृह मंत्रीजी कुछ कह रहे हैं। ग्रापकी स्लिप है न ?

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं ग्रापको धन्यवाद देता हूं कि ग्रापने उपाध्यक्ष पद को सुशोभित किया और उसके लिए ग्राप बधाई की पात्र हैं, लेकिन इसके साथ-साथ मैं एक मांग करना चाहता हूं। ग्रापके उपाध्यक्ष पद को सुशोभित करने के बाद यह सबसे ग्रहम मुद्दा है राज्य के लिए। एक ग्रनुसूचित जाति के साथ, वह भी हरिजन, इतने गरीब ग्रौर ग्रसहाय हरिजन की निर्मम हत्या के सम्बन्ध में मैं ग्रापके माध्यम से गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि कानून में जितने भी प्रावधान हैं, नियमों में ग्रलग से प्रावधान किया जाय। तत्काल उनको ग्ररैस्ट किया जाय ग्रौर राज्य सरकार से उनको एक-एक लाख रुपए राजकोष से सहायता प्रदान कराई जाए। यह भी मांग करूंगा कि उन महिलाग्रों को नगरपालिका में स्थाई रूप से नौकरी दिलाई जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कमल कोली, ग्राप बैठिए, गृह मंत्रीजी कुछ कह रहे हैं। फिर आपको बुलवा दूंगी। ग्रापका विषय दूसरा है इसलिए गृह मंत्रीजी को कहने दीजिए फिर ग्रापका नाम पुकार लूंगी।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : गृह मंत्रीजी उसके साथ में यह भी बता दें--

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : ग्रा गए, सारे तथ्य ग्रा गए।

श्री उपाध्यक्ष : दोनों तरफ से एक ही बात....

श्री हरजीराम बुरड़क : एक हरिजन थानेदार को मार दिया ग्रौर ग्रापने कुछ नहीं किया। ग्रभी पांच-सात दिन पहले हमारे वहां हरिजन थानेदार को मार दिया, कुछ नहीं किया। साथ में सिपाही भी थे, वे उसको छोड़कर भाग गए ग्रौर कोई कार्यवाही नहीं की पुलिस ने।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत ही हृदय विदारक घटना हुई है रात्रि में सदस्यों ने जो चिंता व्यक्त की है, उसके साथ मैं भी ग्रपनी चिंता व्यक्त करता हूं। वरिष्ठ ग्रधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। यहां पर सदस्यों ने जिस तरह के तथ्य रखे हैं, सरपंच का क्या कर्तव्य था, क्या नहीं था, कहां पर वह गया, तो वरिष्ठ ग्रधिकारियों को निर्देशित पहले भी किया है ग्रौर यहां की भावना के ग्रनुरूप उनको फिर से निर्देशित किया जाएगा। उस सम्पूर्ण घटनाचक्र में

(श्री कैलाश मेघवाल)

जिससे जैसी चूक हुई है और जो अपराध हुआ है, उन अपराधियों के खिलाफ तुरन्त गति से अनुसंधान करके कानून के हवाले दंडित करने के लिए किया जाएगा।

जहां तक आर्थिक सहायता की मांग उठाई है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि नियमों की परिधि में जो कुछ भी हो सकेगा, राज्य सरकार करेगी।

श्री टीकमचन्द कान्त : उपाध्यक्ष महोदय, जन सम्पर्क मंत्रीजी भी कुछ कहना चाहेंगे शायद, पहले वाले मामले पर।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये, आपको क्या पता?

श्री राजेन्द्र गहलोत (राज्य मंत्री, सूचना एवं जन सम्पर्क) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारियों और कर्मचारियों की वेतन विसंगति के सम्बन्ध में जो मांग यहां रखी है, इसके सम्बन्ध में कर्मचारियों और अधिकारियों का एक शिष्टमण्डल मुझसे मिला था और विसंगतियों को दूर करने के लिए गम्भीरता से विचार किया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कमल कोली।

श्री कमल कोली (हिण्डौन) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन में पिछले 15 दिन से एक बूंद पानी नहीं बरसा है। पहले तो पानी ज्यादा बरस गया था जिससे वहां तबाही हुई और अब 15 दिन से बरसात नहीं होने के कारण फसलें सूखने लगी हैं। अतः मैं आपके माध्यम से माननीय विद्युत मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि वहां पर इस समय बिजली की सप्लाई बहुत घट-बढ़ आ रही है, उसको सही करें जिससे किसान ट्यूबवैल के द्वारा अपनी खेती को बचा सकें। दूसरा मैं राहत मंत्रीजी का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि वे क्षेत्र का सर्वे कराके जो नुकसान हुआ है उसका आकलन कराकर उनको राहत पहुंचाएं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती मीना अग्रवाल।

श्रीमती मीना अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज इस बजट पर सरकार ने शून्य काल चल रहा है न?

श्री उपाध्यक्ष : हां, शून्यकाल है, बजट नहीं है। श्री अमराराम धोद।

श्रीमती मीना अग्रवाल : एक मिनट।

श्री अमराराम (धोद) : तैयारी करके बोल देना।

श्री उपाध्यक्ष : देखिए, मैं आपका विषय बता देती हूं, आपने लिखा है राशन कार्ड के बारे में।

श्रीमती मीना अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्र में भाजपा की सरकार बनने के बाद इन्होंने राजस्थान में मिट्टी के तेल का कोटा काफी मात्रा में बढ़ाया मगर सरकार के इतना कुछ करने के बाद भी यहां के अधिकारियों की लापरवाही के कारण अप्रेल और मई के महीने में मिट्टी के तेल का कोटा नहीं उठाया गया। केन्द्र सरकार को मैं बहुत–बहुत धन्यवाद दूंगी मगर मन में थोड़ा सा दुःख होता है कि

(श्रीमती मीना अग्रवाल)

यहां के अधिकारियों की लापरवाही के कारण, उनके कोटा नहीं उठाने से यहां की जनता को मिट्टी का तेल नहीं मिल रहा। इसके साथ-साथ मैं आपसे यह भी कहना चाहूंगी कि जिला रसद विभाग की लापरवाही के कारण राशन का गेहूं, चीनी सही मात्रा में नहीं मिल पा रहा है। कभी गीली चीनी मिलती है, कभी कम तोल पर देते हैं, कभी पहले दो-तीन दिन तो माल देते हैं फिर कहते है कि माल खत्म हो गया, इसलिए इसकी सही व्यवस्था की जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं। पुराने जो राशनकार्ड हैं वे सारे फट गए, गल गए, भर गए लिख-लिखकर, अब नए राशन कार्ड की अत्यन्त आवश्यकता है। मैं आपके जरिए सरकार से मांग करना चाहूंगी कि राशन कार्ड जल्दी से बनाएं। आपने मौका दिया, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमराराम (धोद)।

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार और सहायता मंत्रीजी का ध्यान ओलावृष्टि की तरफ दिलाना चाहता हूं। 22 मार्च, 1998 को कुचामना, नावां, सांभर, मकराना के बहुत से गांवों में भयंकर ओलावृष्टि हुई। उस ओलावृष्टि से 75 प्रतिशत किसानों के खेत की खड़ी फसल तबाह हो गई। उसके बाद राजस्व ग्राम पंचायत जो पंचायत समिति कुचामन की ग्राम पंचायत है, वहां के पटवारी ने घर बैठकर सर्वे किया। उससे जो सहायता मिली वह सहायता उन लोगों को मिली जिनके नाम की जमीन ही नहीं है, उन किसानों को मिल गई जिनके खेत में कोई फसल नहीं थी और जिनकी फसल नष्ट हुई उनको कोई राहत नहीं मिली। मात्र 20 लोगों को राहत मिली, बगैर खेत वालों को मिली, क्योंकि पटवारी ने घर बैठकर उनके नाम दे दिए जिनकी खातेदारी नहीं थी। उसके बाद उस ग्राम पंचायत के सरपंच और किसान वहां के प्रशासनिक अधिकारियों से मिले। तहसीलदार मय पटवारी उस गांव में गया, उसकी उपस्थिति में तीन गांव जो उस पंचायत में हैं, उनकी लिस्ट बन गई। 168 लोगों की लिस्ट बनी जिसमें से 20 उन लोगों को सहायता मिली जो पहले पटवारी ने सर्वे किया था। लेकिन जितने भी बकाया किसान हैं, जिनकी लिस्ट वहां के तहसीलदार की उपस्थिति में, सरपंच की उपस्थिति में बनायी गई, जिस पर दस्तखत थे, जिला कलक्टर से दरयाफ्त करने पर पता लगा कि उस पटवारी को बचाने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों ने पूर्ण रूप से तहसीलदार की उपस्थिति में बनी हुई लिस्ट को कहीं इन्द्राज नहीं किया इसलिए मेरा सहायता मंत्री जी से निवेदन है कि इस वाकये की पूर्ण जांच कराएं। ओलावृष्टि के सम्बन्ध में जिन किसानों को राहत नहीं मिली है, जिनकी शिकायतें मिली हैं उनकी पूर्ण रूप से जांच करें और जिन पटवारियों ने समुचित सर्वे नहीं किया उन लोगों को बचाने की कोशिश न करके उनको दण्डित करें जिससे आने वाले समय में कोई भी किसान की फसल नष्ट हो तो उसको समुचित राहत मिले। पहले तो पर्याप्त नार्म्स नहीं हैं, लेकिन जो भी सहायता के नार्म्स हैं उनके अनुसार सही-सलामत जिसका नुकसान हो कम से कम उसको मिले यह मेरा आपके माध्यम से निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री चुन्नीलाल गरासिया। (अनुपस्थित)। श्री रामगोपाल बैरवा।

श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय ऊर्जा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के कस्बा इटावा में गत वर्ष 1988–89 में 0.5 मेगावाट की एक मिनी हाइडल योजना स्वीकृत की गयी थी। स्वीकृत योजना पर 1990–91 से लेकर 1995–96 तक लगातार छह वर्षों तक राशि खर्च करते रहे और इस योजना में किसानों की भूमि भी अवाप्त की गई। विधान सभा प्रश्न के माध्यम से इस योजना पर जो खर्चा बताया गया था वह इस प्रकार था : 1990–91 में 19,72,600 रुपये, 1991-92 में 4,395 रुपये, 1992 93 में 17,005 रुपये 1993–94 में 25,52,681 रुपये, 1994-95 में 3,06, 056 रुपये, 1995–96 में 1,84,000 रुपये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस योजना पर छह साल तक लगातार इतनी राशि खर्च करने के बाद 1996 में इस योजना को विद्युत विभाग के अधिकारियों के द्वारा, विद्युत मंत्रीजी के द्वारा कैंसिल कर दिया गया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय ऊर्जा मंत्रीजी से, इस सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि इस योजना पर छह साल तक खर्चा करने के बाद ऐसी कौनसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई थीं जिससे इस योजना को कैंसिल किया गया? यदि योजना को कैंसिल किया गया तो जो खर्चा इस योजना पर छह साल तक लगातार किया गया उन पैसों को कहां पर एडजस्ट किया गया?

मैं माननीय ऊर्जा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस स्वीकृत योजना को पुनः स्वीकृत करने का कष्ट करें और जो इस योजना पर राशि खर्च की गई है उन पैसों का कहां पर उपयोग किया गया, इसमें कितना भ्रष्टाचार किया गया, इसकी जांच करायी जाए। मैं आपके माध्यम से माननीय ऊर्जा मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इटावा में स्वीकृत 0.5 मेगावाट मिनी हाइडल को पुनः स्वीकृत करने का कष्ट करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लक्ष्मण सिंह जी।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत (भीम) : उपाध्यक्ष महोदय, अजमेर विश्वविद्यालय और राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र अपने भविष्य को लेकर काफी आशंकित हैं परीक्षा परिणामों में अत्यधिक विलम्ब होने के कारण से। अजमेर विश्वविद्यालय के बी.ए., बी.एससी., एम एससी. (प्रीवियस) और एम. एससी. (फाइनल) के कई विषयों के परीक्षा परिणाम अभी तक घोषित नहीं हुए हैं। वहां पर प्रशासन बुरी तरह से इस दृष्टिकोण से असफल हुआ है और राजस्थान विश्वविद्यालय में इससे भी बुरा हाल है। राजस्थान विश्वविद्यालय का परीक्षा कलैण्डर बुरी तरह से बिखर चुका है। यहां पर अशैक्षणिक कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है और कल ही शिक्षकों की एसोसिएशन रूटा है उसने भी यह निर्णय लिया है कि अशैक्षणिक कर्मचारी जो कार्य करते थे परीक्षा और प्रवेश से सम्बन्धित वह कार्य शिक्षक अब नहीं करेंगे। इसी कारण से परीक्षा परिणाम के लिए जो वैकल्पिक व्यवस्था यूनिवर्सिटी ने की थी, कई शिक्षक उस वैकल्पिक व्यवस्था से

(श्री लक्ष्मण सिंह रावत)

बाहर हो गये हैं और परीक्षा परिणाम में अब और भी ज्यादा देरी होने की सम्भावना है। इसलिए सरकार को इस दृष्टिकोण से अजमेर विश्वविद्यालय और राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्रों के भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए शैक्षणिक और अशैक्षणिक कर्मचारियों का जो आन्दोलन है उनकी मांगों पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। प्रशासन को, शिक्षा मंत्रीजी को यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में विचार–विमर्श करके अशैक्षणिक कर्मचारियों की जो मांगें हैं, उसमें उनकी जो वाजिब मांगें हैं उनको मनवाया जाए जिससे वे अपने असहयोग आन्दोलन को बन्द करें। विद्यार्थियों का जो नुकसान हो रहा है, परीक्षा परिणाम में जो विलम्ब हो रहा है इस विलम्ब को समाप्त करें और दोनों यूनिवर्सिटीज के परीक्षा परिणामों को शीघ्रातिशीघ्र घोषित कराएं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राकेश मेघवाल।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक अत्यन्त ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। मकराना घाटी चौराहे से विश्वविख्यात औद्योगिक क्षेत्र बिदास है। यह एक ही मार्ग है जहां आज यह स्थित है। देश के कौने–कौने से व्यापारी उस मार्बल उद्योग में, औद्योगिक क्षेत्र में मार्बल खरीदने आते हैं। वहां इस तरह की स्थिति बन जाती है कि एक साइड में माइंस एरिया है और एक साइड में रेलवे लाइन है। माइंस का मलबा धीरे–धीरे सड़क पर डाल दिया जाता है, उससे आज स्थिति यह है कि वह सम्पर्क सड़क एकदम से बन्द हो गई है। कई बार इस मामले में माननीय ललित किशोर जी चतुर्वेदी सार्वजनिक कल्याण मंत्रीजी को भी अवगत कराया गया लेकिन मंत्रीजी का सोचा–समझा–सा जवाब आता है कि, माननीय विधायक महोदय, यह सड़क सार्वजनिक निर्माण विभाग में नहीं आती है माननीय खनिज मंत्रीजी से आप सम्पर्क करें। मैंने खनिज मंत्रीजी से भी सम्पर्क किया था....

श्री उपाध्यक्ष : ध्यानाकर्षण हो गया, बिराजिए।

श्री राकेश मेघवाल : इसलिए मैं चाहूंगा कि इस सड़क के खनिज मंत्रीजी तत्काल प्रपोजल मंगाकर स्वीकृति करावें तथा इसका कार्य भी बोरावड़ मकराना विकास समिति के माध्यम से करावें, क्योंकि माननीय खनिज मंत्रीजी ने....

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए।

श्री राकेश मेघवाल : एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। माननीय खनिज मंत्रीजी ने बिदास से मोरबड़ तक चार किलोमीटर सड़क के लिए 35 लाख रुपये दिये थे, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। लेकिन उस सड़क के लिए मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि उच्च स्तरीय जांच करायी जाए। 35 लाख रु. में से 20 रु. लगे, 15लाख का उस चार किलोमीटर की सड़क में घोटाला है। माननीय मंत्रीजी, एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी बिठाकर उस सड़क की जांच करावें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी (मांडलगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके

(श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी)

माध्यम से कृषि मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। भीलवाड़ा जिले में अभी जी.एस.एफ.सी. का डी.ए.पी. खाद वितरित किया गया, इस डी.ए.पी. खाद में इतनी मिलावट है जिससे किसानों को काफी नुकसान हुआ। इसमें अमोनियम सल्फेट की मात्रा पायी गयी है जो कि डी. ए. पी. खाद में नहीं होती है। यह सुपर फास्फेट में होती हैं, अमोनियम सल्फेट सुपर फास्फेट खाद में प्रयोग किया जाता है। सुपर फास्फेट का थैला 135 रुपये में आता है और डी.ए.पी. खाद का थैला 400–450 रुपये में आता है। डी.ए.पी. खाद अलग है, यह अलग है। उसमें भयंकर रूप से मिलावट की गई है। आपके कृषि अधिकारियों को वहां बताया गया है, लेकिन वे कम्पनी से मिलकर इस मामले को दबा रहे हैं। मैं कृषि मंत्रीजी से चाहूंगा कि इसकी उच्च स्तरीय जांच कराएं और सदन में घोषित करें। भीलवाड़ा जिले में खाद में भयंकर रूप से मिलावट पायी गयी है उसके लिए उन दोषियों जिन्होंने मिलावट की है, उनके खिलाफ यहां से उच्च स्तरीय अधिकारी भेजकर जांच कराएं। धन्यवाद।

श्री अमराराम चौधरी (राज्य मंत्री, कृषि) : माननीय उपाध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने जो बात कही है कि डी. ए. पी. खाद में बहुत मिलावट है, वैसे तो हमारे निरीक्षक हैं, उड़नदस्ते है वे जगह–जगह जाकर दवाइयों में, खाद में जहां भी मिलावट पायी जाती है उनका सैम्पल लेकर प्रयोगशाला में भेजते हैं लेकिन यदि माननीय सदस्य स्पेफिक बात बता रहे हैं तो मैं इसमें निश्चित तौर पर जांच करवाऊंगा और प्रयोगशाला के रिजल्ट आने के बाद में जो भी दोषी पाये जायेंगे उनके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही करूंगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : सवाल नहीं, बिराजिये।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : सवाल नहीं कर रहा हूं। वे सैम्पल बदल दिये गये हैं जो लिये हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि यहां से उच्च स्तर के अधिकारियों को भेजें और जांच कराएं। सैम्पल जो लिये किसानों से, उन सैम्पल को दिल दिया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : कह दिया मंत्रीजी ने कि जांच करवाऊंगा, सैम्पल दे देना।

श्री अमराराम चौधरी : सैम्पल बदल दिया जो प्रयोगशाला में है, दूसरा सैम्पल अब अगर आप बतायेंगे तो वह भी व्यवस्था कर देंगे। आपको साथ ले जाकर जांच करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री चुन्नीलाल गरासिया।

श्री चुन्नीलाल गरासिया (उदयपुर ग्रामीण) : माननीय उपाध्यक्ष महोदया, उदयपुर सम्भाग में मानसून नहीं आने के कारण सारी फसलें नष्ट हो रही हैं, सूख रही हैं। सारे किसानों के मन में एक बहुत बड़ी आशंका बन रही है कि अगर मानसून नहीं आया तो हमारा क्या होगा, क्योंकि उन्होंने अपना अमूल्य बीज खेतों में डाल दिया है। मानसून समय पर नहीं आया है, मक्का–चावल सब सूख रहा है। उदयपुर सम्भाग में, सारा जनजाति क्षेत्र है–चाहे बांसवाड़ा हो, चाहे डूंगरपुर हो, उदयपुर

(श्री चुन्नीलाल गरासिया)

हो, आज उदयपुर की सारी झीलें खाली हैं, आगे खेती ही नहीं, पीने के पानी का भी बहुत बड़ा संकट आने वाला है। आज उदयपुर राजस्थान का कश्मीर कहलाता है, उसके पीछे कारण एक ही है, यहां की झीलों के कारण ही उदयपुर का विश्व के नक्शे पर नाम है। सारी झीलें खाली हैं। ऐसी परिस्थिति में आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि सारे सम्भाग की गिरदावरी की जाए और उसमें अगर समय लगता है तो राहत कार्य प्रारम्भ किये जाएं क्योंकि रोजगार की बहुत बड़ी समस्या है। वहां का किसान, वहां का वनवासी, वहां का आदिवासी अपनी खेती का काम पूरा करने के बाद शहर में काम के लिए आता है और शहर में मांकूल कार्य नहीं मिलने के कारण आज उसकें रोजगार की समस्या है। अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि अविलम्ब सरकारी कार्य शुरू किया जाए। साथ ही साथ अकाल राहत कार्य प्रारम्भ करने के लिए जो प्राइमरी खानापूर्ति करनी है, चाहे गिरदावरी हो, कुछ और हो, कलक्टर से जानकारी चाहनी हो तो वह अविलम्ब कराएं, अकाल राहत मंत्री और सरकार से यही मेरी मांग है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री श्रवणकुमार।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोल गये थे टीकम जी के साथ।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : नहीं, नहीं, मैंने तो टीकमजी की बात का ध्यानाकर्षित किया था, मेरी बात का अलहदा थी।

श्री उपाध्यक्ष : दो–दो बार ध्यानाकर्षित? हमने सोचा कि, देखिये, बिराजिये। आपकी स्लिप में नाम बोलने वाली थी पर आप बोल गये तो मैंने उसको ही मान लिया कि आप बोल लिये।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : उपाध्यक्ष महोदय, मैं क्षमा चाहता हूं, मैंने तो टीकम जी की बात का ध्यानाकर्षित किया था।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार का और इस सदन के माननीय सदस्यों का भी ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं कि आज सम्पूर्ण उदयपुर बन्द है। वहां की शैक्षणिक संस्थाएं बन्द हैं, वहां का सारा कारोबार बन्द है, वहां की सब दुकानें बन्द हैं। आज बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमन्द, चित्तौड़, यह सारा मेवाड़ सम्भाग आज आन्दोलित है इस बात के लिए कि राजस्थान का जो कृषि विश्वविद्यालय 1987 में शासन ने बीकानेर शिफ्ट कर दिया था। कृषि विश्वविद्यालय जो बना बनाया था, उसका सारा ढांचा तैयार है, आज वहां के सारे लोग यह चाहते हैं कि वहां पर कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हो। राजस्थान सरकार मालूम कराकर देख ले, सब एक ही बात से आज वहां पर चिन्तित हैं। वहां के सारे व्यवसायियों ने....

श्री उपाध्यक्ष : रिपीटीशन हो रहा है।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : अपना व्यवसाय बन्द रखा है, इसलिए बन्द रखा है कि राजस्थान सरकार का ध्यानाकर्षित हो। मैं ध्यानाकर्षित करता हूं।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

मांडल (भीलवाड़ा) में समुचित चिकित्सा व्यवस्था का अभाव

श्री उपाध्यक्ष : प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत श्री कालूलाल गूजर एवं श्री रामरिछपाल नुवाल, सदस्य, विधान सभा, मांडल जिला भीलवाड़ा में चिकित्सा की समुचित व्यवस्था नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री का ध्यानाकर्षित करेंगे।

श्री कालूलाल गूजर (मांडल) : उपाध्यक्ष महोदया, मैं माननीय चिकित्सा मंत्री जी का ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र मांडल के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में व्याप्त अनियमितता और इसमें काफी कमियां हैं, उसके बारे में आकर्षित करता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की तरफ पूर्ण आकर्षित होते हुए मैं तथ्य आपके माध्यम से सदन के सम्मुख रखना चाहूंगा।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मांडल में आउटडोर एवं इनडोर रोगियों हेतु चिकित्सा उपलब्ध हैं। केन्द्र पर 30 रोगी शैय्याएं स्वीकृत एवं उपलब्ध हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर स्थित प्रयोगशाला में खून, मूत्र एवं थूक इत्यादि की जाँच सुविधा उपलब्ध है। ई.सी.जी. मशीन एवं एक्स–रे मशीन भी उपलब्ध है। केन्द्र पर एम्बुलेंस, लेबर रूम एवं आपरेशन थियेटर आदि की भी सुविधा उपलब्ध है।

वर्तमान में दो वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी एव एक चिकित्सा अधिकारी का पद स्वीकृत है जिन पर एक वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी एवं एक चिकित्सा अधिकारी कार्यरत है। एक पद वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी का 11/97 से रिक्त है जिसे शीघ्र भरने के प्रयास किये जा रहे हैं।

अन्य संवर्गों के 17 पर स्वीकृत हैं जिनमें से 15 भरे हुए हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है :—

क्र.सं.	पद का नाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1.	मेल नर्स–प्रथम	1	1	—
2.	मेल नर्स–द्वितीय	4	4	—
3.	स्टाफ नर्स	1	1	—
4.	सहायक रेडियोग्राफर	1	—	1
5.	वरिष्ठ लिपिक	1	1	—
6.	कनिष्ठ लिपिक	1	1	—
7.	लैब तकनीशियन	1	1	—
8.	वाहन चालक	1	1	—
9.	वार्ड बॉय	5	4	1
10.	स्वीपर	1	1	—
	योग	17	15	2

(80)

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

इस प्रकार उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि नर्सिंग स्टाफ में मात्र दो पद रिक्त हैं। इस प्रकार आवश्यकतानुरूप एवं स्वीकृत पदानुसार नर्सिंग स्टाफ एवं पैरा मेडिकल स्टाफ उपलब्ध है। सहायक रेडियो ग्राफर का पद रिक्त होने के फलस्वरूप पूर्व में एक मेल नर्स-द्वितीय को एक्स-रे मशीन के संचालन हेतु तीन माह का प्रशिक्षण दिलवाया गया था परन्तु उक्त मेल नर्स-द्वितीय का स्थानान्तरण अन्यत्र हो जाने से यह पद रिक्त है। ई.सी.जी. मशीन का प्रशिक्षण मेल नर्स-द्वितीय को दिलवाया गया है। वर्ष 1997 में 31 ई.सी.जी. किये गये एवं वर्ष 1998 में 30.6.98 तक 44 ई.सी.जी. हो चुकी हैं। एम्बुलेंस चालू हालत में हैं एवं वाहन चालक पद स्थापित है। इसका उपयोग मण्डल से रैफर किये गये केस भिजवाने में, मौसमी बीमारियों की रोकथाम, राष्ट्रीय कार्यक्रमों एवं परिवार कल्याण शिविरों तथा मोबाइल टीमों आदि में किया जा रहा है।

पिछले तीन वर्षों में निम्नानुसार रोगियों को केन्द्र पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी गयी है :—

वर्ष	बाह्य रोगी	अन्त रोगी
1995-96	27,362	—
1996-97	23,965	62
1997-98	29,363	33
अप्रेल, 98 से जून 98	5,861	25

माइनर आपरेशन की सुविधा निम्नानुसार ओ.पी.डी. में है एवं अब तक निम्न आपरेशन माइनर किये गये :—

क्र.सं.	नाम	1995	1996	1997	1998 (30 जून तक)
1.	ट्यूमर एण्ड सिस्ट	12	18	27	18
2.	एप्सेस	145	177	192	126
3.	रिमूवल ऑफ फोरेन बोडीज	70	78	85	65
4.	डेंटल ऑपरेशन(टूथ एक्स्ट्रेशन)	70	141	153	79
5.	रिपेयर ऑफ वूण्डस	30	47	83	56

इसके अलावा परिवार कल्याण के दौरान भीलवाड़ा की टीम द्वारा महिला नसबंदी आपरेशन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मांडल पर किये गये जिनका विवरण निम्नानुसार है :—

1995-96	—	162 आपरेशन
1996-97	—	189 आपरेशन
1997-98	—	208 आपरेशन

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

इसी प्रकार प्रयोगशाला में की जा रही विभिन्न जांचों का विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र.सं.	जांच का नाम	1995	1996	1997	1998 (30 जून तक)
1.	यूरिन फॉर कम्प्लीट एग्जाम	1380	1580	1390	153
2.	ब्लड फॉर शुगर	175	125	55	—
3.	टी.एल.सी.	85	65	112	46
4.	डी.एल.सी.	85	65	112	45
5.	हीमोग्लोबीन	412	500	375	45
6.	ब्लड फॉर ई.एस.आर.	165	120	135	16
7.	स्पूटम फॉर ए.एफ.बी.	135	85	47	5
8.	ब्लड फॉर एम.पी.	5808	6066	6619	2796

इस प्रकार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मांडल पर सभी आवश्यक सुविधा एवं समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर विशेषज्ञ के पद स्वीकृत करवाया जाना सम्भव हो सकेगा।

श्री कालूलाल गूजर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने जो जवाब दिया वह केवल आंकड़े प्रस्तुत करता है। मैंने जो प्रश्न उठाया, मैंने जो आपका ध्यान आकर्षित किया, उसके ऊपर जिस तरह से आपने केवल आंकड़े देकर जवाब दिया, वह अपर्याप्त है।

मांडल एक तहसील मुख्यालय है और यहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र करीब 10–12 साल से चल रहा है। इस सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के बारे में आपने आंकड़े दे दिये कि इतने पद सृजित हैं और इतने अगेन्स्ट में काम कर रहे हैं। इसमें चिकित्सकों के तीन पद बताये हैं एक एस.एम.ओ. का, एक एम.ओ. का और एक एम.ओ. की जगह खाली बताई। इन्होंने जवाब दिया, मेरे पास कापी है, कि जनवरी, 1997 से खाली है। पहली बात तो यह है कि जनवरी, 1997 से अब तक यह पद भरा क्यों नहीं गया ? दूसरा, मेरा प्रश्न यह है, मंत्री महोदय यह बताएं कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का मतलब क्या है ? इसमें क्या सुविधाएं होनी चाहिए, सरकार ने इसके क्या नार्म्स तय कर रखे हैं ? कितने डाक्टर की पोस्ट होनी चाहिए ? आपने तो सीधा कह दिया कि तीन पद स्वीकृत हैं। अब स्वीकृत तीन क्यों है ? नियमों के अनुसार कितने पद होने चाहिए? क्या इसमें महिला डाक्टर का पद भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए ? क्या इसके अन्दर कोई स्पेशलिस्ट का पद भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए ? आपने कह दिया कि हमने एक्सरे मशीन दे दी, लेकिन एक्सरे मशीन की रीडिंग करने वाला रेडियोग्राफर है कि नहीं है ? इसमें

(श्री कालूलाल गूजर)

रेडियोलोजिस्ट कोई है या नहीं है? उसकी भी आवश्यकता है या नहीं है ? आपने कहा कि यहां पर शल्य चिकित्सा के लिए आपरेशन थियेटर खोल दिया । आपने बता दिया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं परन्तु उसको आपरेट करने के लिए, वहां शल्य चिकित्सा को चालू करने के लिए क्या किसी स्पेशलिस्ट की आवश्यकता सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में पड़ती है या नहीं पड़ती है ? आपने कहा कि हमने एक्सरे मशीन दे दी लेकिन आर्थोपेडिक्स का स्पेशलिस्ट चाहिए, वह स्पेशलिस्ट वहां है या नहीं है ? उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि रैफरल अस्पताल या सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र आप खोलते हैं, उसके क्या नार्म्स हैं ? उसमें कितना स्टाफ होना चाहिए, कितने डाक्टर होने चाहिए, कितना पैरा–मेडिकल स्टाफ होना चाहिए, कितने मेल नर्स होने चाहिए, कितने मेल नर्स–II होने चाहिए, स्टाफ नर्स कितनी होनी चाहिए और बाकी विशेषज्ञ कितने होने चाहिए, इन सारी बातों का आपने इसमें कोई खुलासा नहीं किया । मैंने पूछा ही यही था, मैंने ध्यान ही आकर्षित इसलिए किया कि यह रैफरल अस्पताल बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें काफी मरीज आते हैं । भीलवाड़ा जिले में आपने और भी रैफरल अस्पताल बना रखे हैं, जिनमें काफी जूनियर स्पेशलिस्ट और सीनियर स्पेशलिस्ट लगा रखे हैं लेकिन वहां मरीज ही नहीं हैं, आश्चर्य की बात तो यह है और वहां पर आपने सारे स्टाफ को लगा रखा है, सारे अच्छे–अच्छे विशेषज्ञ लगा रखे हैं । मांडल का यह जो अस्पताल है, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट अस्पताल है, इस अस्पताल में मांडल के अलावा चारों तरफ के कम से कम 15–20 पंचायतों के लोग इलाज कराने के लिए आते हैं । मांडल जहां यह अस्पताल है, वहां से 25 किलोमीटर के रेडियस में चारों तरफ से देखा जाए तो कोई अस्पताल नहीं है । या तो भीलवाड़ा में है या फिर वहां से जाने के बाद सीधा करेड़ा में है और वह भी उप स्वास्थ्य केन्द्र है । इतना बड़ा अस्पताल आपने खोला है, आपने यहां सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोला है । सरकार की नीति के अनुसार, सरकार ने कहा कि हर तहसील पर, हर पंचायत हैडक्वार्टर पर एक ना एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र या रैफरल अस्पताल होगा । अब रैफरल अस्पताल में सुविधाएं क्या होंगी ? मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि जो भीलवाड़ा का महात्मा गांधी अस्पताल है, जिसमें भीलवाड़ा जिले भर के मरीज आते हैं, चित्तौड़गढ़ जिले के मरीज वहां आते हैं राजसमंद के मरीज वहां आते हैं और काफी संख्या में आसपास के मरीज वहां आते हैं उससे काफी दबाव अस्पताल पर पड़ रहा है । उसके बाद यह अस्पताल ऐसा है जो भीलवाड़ा के नजदीक है । यदि इसमें सारी सुविधाएं होती तो मैं सोचता हूं कि भीलवाड़ा के अस्पताल का बहुत बड़ा दबाव कम हो जाता । उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय एक बार स्वयं वहां पधारे, मैं आपको वहां पर ले गया था । आपने सारे अस्पताल का निरीक्षण किया, उस समय आपने यह फरमाया था....

श्री किशन गोपाल कोगटा : प्रश्न क्या है ?

श्री कालूलाल गूजर : सुन लो आप ।

(श्री कालूलाल गूजर)

आपने कहा था वहां पर कि इसमें इतना स्टाफ और होना चाहिए और मैं इसके लिए पद सृजित करूंगा। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आज उस बात को एक–डेढ़ साल हो चुका है। (व्यवधान) आपका नम्बर भी आ जाएगा, ऐसी क्या बात है ? माननीय कोगटाजी, आपको भी छूट करूंगा ना फिर। आप बोलते हैं जब हमने तो नहीं कहा है। माननीय कोगटाजी, आप सीनियर हैं, अब कुछ तो सीखिये दो बार में।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, व्यवधान नहीं करें। आप प्रश्न पूछिये।

श्री कालूलाल गूजर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन करता हूं, आपने वहां पर स्वयं मौका देखा था, अस्पताल देखा था। आपने यह फरमाया था कि यहां स्पेशलिस्ट के पद भी सृजित करूंगा। मेरे सामने आपने सी.एम.एच.ओ. साहब को कहा था कि आप जहां पर भी इस तरह के पद बेकार पड़े हैं, जहां उनकी उपयोगिता नहीं हो तो यहां ट्रांसफर करने के लिए प्रस्ताव भेजें। उन्होंने प्रस्ताव भी भेजे कि इतने पदों की आवश्यकता है, इतने स्टाफ की आवश्यकता है। वह सारा विभाग को भेजा लेकिन आज तक उसकी कोई स्वीकृति नहीं हुई। बहुत आश्चर्य की बात तो यह है कि आपने आपरेशन थियेटर के साथ साथ अन्दर भर्ती करने के लिए भी वहां बैड स्वीकृत किये। इसमें आपने अभी जो जवाब पढ़ा....

श्री परसादीलाल मीणा : पौने पांच साल में आज तक एक शब्द नहीं बोला, अब जब चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो बोल रहे हो। क्या होगा तीन महीने में, क्या कर पाएंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये।

श्री कालूलाल गूजर : आपका उद्देश्य क्या केवल इंट्रप्ट करने का ही है क्या ? कुछ तो उद्देश्य अच्छा रखो तो सुनो ना फिर।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री कालूलाल गूजर : उपाध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री महोदय ने अपने जवाब में यह कहा कि बहिरंग के अन्दर इतने रोगी आये। लेकिन आपने अन्तर रोगी कितने आये, उनको नहीं पढ़ा। 1996–97 में 62 लोग वहां भर्ती हुए, उसके बाद में 1997–98 में 33 लोग और अप्रेल, 98 तक 25। अब आप देखिये, पहले 62 थे, फिर 37 हुए, फिर 25 हो गये। कारण ? अन्दर भर्ती होने वालों की संख्या घट रही है। पहले जो डाक्टर थे 2–3, उनका भी आपने ट्रांसफर कर दिया वहां से....

श्री उपाध्यक्ष : बीमारी घट रही है। लोग स्वस्थ हो गये।

श्री कालूलाल गूजर :...तीन साल पहले पद ज्यादा थे। लोग स्वस्थ हो गये फिर यह बाह्य रोगियों की संख्या क्यों बढ़ी? वे तो 29000 हो गये, तो यह कैसे घट सकती है ?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यहां पहले पद थे ज्यादा, फिर आपने पद और कम कर दिये। पहले छह थे, अब आपने तीन कर

(श्री कालूलाल गूजर)

दिये। जबकि आपको छह बरकरार रखते हुए जूनियर स्पेशलिस्ट और लगाना चाहिए था। आपने वहां पर एम्बुलेंस दे दी, आपने ई.सी.जी. की मशीन दे दी, आपने वहां आपरेशन थियेटर बना दिया, आपने वहां पर एक्सरे मशीन दे दी। इतने इक्विपमैंट दे दिये तो फिर उनका लाभ क्या होना है, उनकी उपयोगिता क्या हो रही है? इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि कई गांवों के लोग जो इस चिकित्सा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, उनको लाभ तभी मिल सकता है कि आपकी वहां चिकित्सा सुविधा सारी उपलब्ध हो जाए। आप बताएं कि आपके क्या नॉर्म्स हैं, कितना स्टाफ है? उसको आप कब तक लगाएंगे, कब तक आप पद सृजित करेंगे? इस तरह के और भी अस्पताल जिले में हैं, जहां पर पद खाली पड़े हुए हैं। मैं मंत्री महोदय से चाहता हूं कि इन सारी बातों का आप खुलासा, सदन में करें और आज घोषणा करें कि कब तक उन पदों का सृजन करके उस अस्पताल को बढ़िया अस्पताल के रूप में कार्य करने हेतु तैयार कर देंगे?

श्री उपाध्यक्ष : रामरिछपाल जी नुवाल।

श्री रामरिछपाल नुवाल (भीलवाड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं, जैसे अभी माननीय सदस्य ने भी पूछा कि इसमें क्या नॉर्म्स हैं कि रैफरल अस्पताल के अन्दर कितने डाक्टरों की आवश्यकता है, कितने मेल नर्स, कितने फीमेल नर्स, कितनी क्या आवश्यकता है। यह कम से कम एक बार साफ हो जाए तो फिर हम इस बात की चिंता नहीं करेंगे कि वाकई में इतने डाक्टर हैं। फिर ठीक है, कोई आपत्ति नहीं हमें। वहां पर बिस्तर, चद्दर सफाई नाम की कोई चीज नहीं है, इतना गंदीवाड़ा है कि वहां पर मरीज और ज्यादा मरीज हो जाता है। मैं शिकायत के माध्यम से नहीं कह रहा हूं, पर इस व्यवस्था को ठीक करने का कौन जिम्मेदार है, इसके बारे में आपको चिंता करने की आवश्यकता है।

श्री परसादीलाल मीणा : भीलवाड़ा की सुविधाएं मांडल ले आना चाहते हैं, इस सम्बन्ध में क्या कहना है आपको?

(13.50 बजे)

(श्री समर्थलाल मीणा, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री रामरिछपाल नुवाल : ऐसा नहीं है। यह व्यवस्था आपने की है। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि इस व्यवस्था को मजबूत बनाएं। यह व्यवस्था अच्छी होने से, भीलवाड़ा वहां से नजदीक पड़ता है, वहां से करीब 15 किलोमीटर दूर है, दबाव कम हो जाएगा भीलवाड़ा के अन्दर। यह मांडल का अस्पताल भीलवाड़ा से, आसींद से, करड़ा से भी नजदीक है। फिर नेशनल हाइवे रूट होने के कारण वहां एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं, लेकिन व्यवस्था ठीक नहीं होने के कारण से जितने भी एक्सीडेंट के मरीज होते है उनको भीलवाड़ा भेजना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय को यह निवेदन करना चाहता हूं, कि आपके नियम के अनुसार रैफरल अस्पताल .

(श्री रामरिछपाल नुवाल)

के अन्दर कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, वह व्यवस्था आप बता दें। बाकी भीलवाड़ा के बारे में भी मेरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगा हुआ है, मैं उसके बारे में बाद में बात करूंगा, परन्तु केवल मांडल की व्यवस्था अच्छे ढंग की हो....

श्री अध्यक्ष : आप क्वेश्चन कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं ?

श्री रामरिछपाल नुवाल : मैं प्रश्न ही कर रहा हूं, साहब।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न करिये।

श्री रामरिछपाल नुवाल : हां, वही मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं और पूछ भी रहा हूं। मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि आपके नियम के अनुसार आपकी वहां पर क्या व्यवस्था होनी चाहिए ? कितनी चद्दर होनी चाहिए, कितने बैड होने चाहिए ? वहां पर डी.जी. सैट भी होना चाहिए। अब आपरेशन थियेटर है और डी.जी. सैट नहीं है, लाइट आती–जाती रहती है। तो लाइट के अभाव में आपरेशन थियेटर के अन्दर बहुत दिक्कत होती है, मरीजों के पंखे नहीं चलते....

श्री अध्यक्ष : यह क्वेश्चन नहीं है।

श्री रामरिछपाल नुवाल : यह तो क्वेश्चन ही है।

श्री अध्यक्ष : यह क्वेश्चन की परिभाषा में नहीं आता, जो आप बोल रहे हैं। बिराजें।

श्री रामरिछपाल नुवाल : कमी है न, साहब। यही तो कमी है। आपके माध्यम से निवेदन है कि रैफरल अस्पताल के नॉर्म्स हैं उसमें 30 बैड है, आगे बैड बढ़ने चाहिए। या रैफरल अस्पताल के अन्दर क्या–क्या व्यवस्था प्रमुख है, जैसे पट्टी नहीं मिलती है, वहां पर रूई नहीं मिलती है, या और कोई चीज नहीं है, तो यह आप थोड़ा–सा ध्यान करिये। आपको धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का समय दिया।

श्री अध्यक्ष : श्री पराक्रम सिंह।

श्री पराक्रम सिंह (बनेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने जो जवाब दिया उससे मैं पूरी तरह संतुष्ट नहीं हूं। मैं समझता हूं कि इनकी कुछ मजबूरियां रही होंगी, मैं समझता हूं कि वित्त विभाग ने कुछ इनके ऊपर पाबंदियां लगा रखी हैं इस वजह से इनका जवाब स्पष्ट नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नहीं, प्रश्न क्या है आपका ?

श्री पराक्रम सिंह : मेरा प्रश्न यह है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के अन्दर एक तो यह बताने की कृपा करें कि कितनी पोस्ट हैं, कितनी स्पेशलिस्ट पोस्ट हैं ? और वे पोस्ट खाली हैं तो क्यों न भरी गई हैं ? ऐसे और कितने पी.एच.सीज हैं, उनके अन्दर भी पूरी पोस्ट नहीं भरी हुई है। मैं इसके साथ एक छोटा–सा निवेदन यह करना चाहता हूं कि भीलवाड़ा जिले का हमारा अस्पताल पूरे जिले का भार नहीं सहन कर पा रहा है और जब तक इस सामुदायिक केन्द्र, पी.एच.सी. को पूरी तरह से इक्विप्ड नहीं करेंगे तब तक यह लोड भीलवाड़ा अस्पताल पर बढ़ता जाएगा। इन पी.एच.सी. और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को पूरी तरह से इक्विप्ड करने का,

(श्री पराक्रम सिंह)

अन्य सुविधाओं के साथ डाक्टरों को लगाने का इनका मानस है ? यह जरूर बताएं कि किस कारण ये पोस्ट कम की गई थीं, और क्यों नहीं ये पोस्ट वापस बढ़ाई जा सकती हैं ? अगर वित्त विभाग ने इनके ऊपर कोई अंकुश लगा रखा है तो मैं समझता हूं, अध्यक्ष महोदय, आप भी इनकी मदद करें और वित्त विभाग से इनको पोस्ट स्वीकृत कराने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी। प्रश्न। पाइंटेड प्रश्न। दोहराएं नहीं। जो अब तक बात आई वह दोहराएं नहीं।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी (माण्डलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि भीलवाड़ा जिले के जो ये रैफरल अस्पताल हैं और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं इनमें आपकी कितनी जगह आपरेशन थियेटर की स्वीकृतियां हैं, आपरेशन थियेटर बने हुए हैं, वहां पर कितनी जगह आपरेशन थियेटर चालू हैं ? चालू किस–किस में हैं, चालू किस–किस में नहीं हैं ? नहीं है तो क्यों नहीं हैं ? उनके पास एनेस्थीशिया के लिए किसी व्यक्ति को लगाया ? नहीं लगाया तो क्यों नहीं लगाया ? जो औजार चाहिये वे दिये या नहीं दिये ? यह प्रमुख है। एक प्रश्न मैं और करना चाहता हूं मंत्री महोदय से कि माण्डलगढ़ रैफरल अस्पताल में एम.डी. कितने समय से नहीं आ रहा है ? जिस एम.डी. मेहता की नियुक्ति की थी वह कभी अस्पताल में नहीं आया, वह कितने समय से नहीं आ रहा ? उसको हटा दिया तो क्या उसकी जगह किसी अन्य की नियुक्ति कर दी ? तीसरा यह है, जैसा पराक्रम सिंहजी ने कहा कि भीलवाड़ा के अन्दर बहुत दबाव है, दबाव की मुख्य वजह यह है कि जितने भी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं और जितने भी रैफरल अस्पताल भीलवाड़ा के हैं वहां एम.पी. का भी दबाव है, मध्यप्रदेश से भी काफी लोग वहां दिखाने के लिये आते हैं। भीलवाड़ा अस्पताल में आने वालों की बाढ़ लगी हुई है। हजारों डाक्टर वहां आना चाहते हैं और वहां वर्षों से डाक्टर जमे हुये भी हैं। क्या इन डाक्टरों को रैफरल अस्पतालों में नियुक्त करके इनकी व्यवस्था सुधारने के लिये आप भी गम्भीर हैं ? धन्यवाद। मैं सोचता हूं कि मंत्री महोदय इसका जवाब देंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को अवगत करना चाहूंगा कि भीलवाड़ा मॉडल अस्पताल शहरी डिस्पेंसरी थी और इस शहरी डिस्पेंसरी को 12अप्रेल, 89कोक्रमोन्नत करके रैफरल अस्पताल का दर्जा दिया गया। मैं आपके माध्यम से यह भी बताना चाहूंगा कि यह वह वर्ष था जिस वर्ष में कांग्रेस सरकार अपना अन्तिम बजट प्रस्तुत कर रही थी। थोथी वाहवाही लेने के लिए न तो यह सोचा कि जिन नयी संस्थाओं को हम खोल रहे हैं, उन संस्थाओं में आवश्यक बजट है या नहीं, निश्चित मानदण्डों के अनुसार पद सृजित होंगे या नहीं होंगे। अध्यक्ष महोदय, उस वर्ष 50 शहरी डिस्पेंसरियों को सी.एच.सी. में क्रमोन्नत किया गया था और जब ये क्रमोन्नत हुईं तो इनके साथ इनके नये पदों का सृजन किया गया। नये पदों का सृजन इस प्रकार किया गया कि एक सी.एच.सी. के अन्दर

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

दो एस. एम. ओ. के पद क्रीएट कर दिए जाएं, एक एम. ओ. पहले से था, इसके साथ–साथ एक रैफरल अस्पताल का मापदण्ड है कि 30 शय्या हों वह रैफरल अस्पताल, परन्तु इन्होंने मापदण्ड तय कर दिया कि 15 शय्या का, क्योंकि चुनावी वर्ष था । अभी माननीय सदस्य ने पूछा कि मापदण्ड क्या है, मैं मापदण्ड के लिए निवेदन करना चाहूंगा कि किसी भी रैफरल अस्पताल में कनिष्ठ विशेषज्ञों के दो पद होते हैं, एक मेडिसिन का, एक सर्जरी का, चिकित्साधिकारी के दो पद होते हैं. नर्स ग्रेड प्रथम का एक पद, नर्स ग्रेड द्वितीय के दो पद, असिस्टेंट रेडियोग्राफर का एक पद, ड्राइवर का एक पद, लैब टैक्नीशियन का एक पद, कनिष्ठ लिपिक का एक पद, वार्ड ब्वॉय और स्वीपर के तीन पद । अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 1988–89 में जब यह रैफरल अस्पताल खुला, उसमें दवाइयों के लिए 26 हजार रुपये का बजट रखा गया था । अभी सदस्यों ने चिंता व्यक्त की है, मैं सदस्यों को अवगत करना चाहूंगा, आपको स्मरण होगा कि इस अस्पताल का 1994 से पहले स्वरूप क्या था । यहां कोई वार्ड नहीं था, दस लाख रुपये सरकार ने स्वीकृत करके यहां शय्याएं लगे, इसकी व्यवस्था की । एक्सरे मशीन नहीं थी, रैफरल अस्पताल का दर्जा दे दिया, एक्सरे मशीन दी । एम्बुलेंस नहीं थी, एम्बुलेंस की व्यवस्था की । ई.सी.जी. मशीन नहीं थी, उसकी व्यवस्था की । आपरेशन थियेटर नहीं था, आपरेशन थियेटर की व्यवस्था हुई ।

अध्यक्ष महोदय, कहा गया कि निश्चित मानदण्ड के अनुसार पदों का सृजन नहीं हुआ । अध्यक्ष महोदय, उस वक्त जितनी डिस्पेंसरीज क्रमोन्नत हुई थी रैफरल अस्पताल में, सब में जो स्टाफ पैटर्न रखा था उस स्टाफ पैटर्न के अनुसार पदों का सृजन है । अब 50 का बजट रखा था, एक साथ 55 क्रमोन्नत कर दीं उस वक्त, और उनमें निर्धारित मापदण्ड के अनुसार स्टाफ लगाया नहीं । अब शनैः शनैः हमने इस मामले को लिया है । 55 जूनियर स्पेशलिस्ट और 55 ही जूनियर स्पेशलिस्ट मेडिसिन और सर्जरी की जरूरत थी । वित्त विभाग को कई बार प्रयास किया, कई बार लिखा भी है । वर्तमान में राजस्थान के अन्दर इस तरह के जो रैफरल अस्पताल हैं जिनमें इसी तरह की व्यवस्था है मैं इस व्यवस्था को ठीक भी नहीं मानता । इस तरह के अभी 25 प्रांत रहते हैं जहां इसी तरह एस. एम. ओ. के पद सृजित हैं लेकिन स्पेशलिस्ट के पद सृजित नहीं है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने वित्त विभाग को इस बारे में प्रशासनिक विभाग के कारण से प्रार्थना की है, लिखा भी है । मैं वित्त मंत्री जी से भी निवेदन करूंगा । मुझे उम्मीद है कि माननीय सदस्य और हम दोनों प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर इस रैफरल हास्पिटल को रैफरल हास्पिटल का रूप मिल जाएगा ।

(14.00 बजे)

अध्यक्ष महोदय यहां यह बात भी कही गई कि यहां स्वीकृत पदों में से एक पद रिक्त है । एक चिकित्सक के नाम के साथ यह भी कहा गया कि यह चिकित्सक अब तक हॉस्पिटल में कभी गया नहीं । मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अवगत कराना चाहूंगा कि डा. मेहता के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है, आरोप पत्र जारी कर दिया गया है। हमें सी. सी. ए. रूल्स में जो अधिकार प्राप्त हैं, अध्यक्ष महोदय, उन्हीं अधिकारों में हम अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जितनी बड़ी संख्या में चिकित्सकों के विरुद्ध कार्यवाही इन वर्षों में हुई है, पहले नहीं हुई। मैं इस चीज को भी स्वीकार करना चाहूंगा कि आज हमारे चिकित्सक सेवा के भाव को लुप्त करके व्यवसाय के भाव की ओर बढ़ रहे हैं। आज, अध्यक्ष महोदय, चंद ऐसे बड़े शहर जहां चिकित्सक पदस्थापित होना चाहते हैं, जब इनको इच्छित स्थानों पर पदस्थापित नहीं करें तो ये अपने प्राइवेट क्लीनिक खोलकर या घर पर मरीजों को देखना चालू कर देते हैं। अध्यक्ष महोदय, दूसरी कोई सेवा हो और कोई व्यक्ति पदस्थापित स्थान पर नहीं जाए तो वहां तो उसकी तनख्वाह बन्द हो जाएगी, वेतन बन्द हो जाएगा परन्तु यहां वेतन बन्द हो गया उसकी परवाह नहीं है क्योंकि वे प्राइवेट प्रेक्टिस करके धन का अर्जन कर लेते हैं। इसलिए हमारे सामने सबसे बड़ा संकट यह है।

यहां एक बात उठी रेडियोग्राफर का पद। अध्यक्ष महोदय, पिछले वर्षों में जो टैक्निकल स्टाफ से जुड़ी हुई चीजें थीं चाहे वह ए. एन. एम. हो, चाहे वह मेल नर्स हो, रेडियोग्राफर हो, इनको जिन संस्थाओं से प्रशिक्षण प्राप्त होना था वे संस्थाएं बंद पड़ी थीं। हमने पिछले चार वर्षों में इन संस्थाओं को पुनर्जीवित किया है ट्रेनिंग चल रही है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहूंगा कि इन्हीं 10 दिनों के अन्दर-अन्दर हमारे पास प्रशिक्षित रेडियोग्राफर उपलब्ध हो जाएंगे। पूरे राजस्थान के अन्दर 68 पद रिक्त हैं, मैं समझता हूं कि हम आने वाले 10-15 दिनों में, रिजल्ट आ गया है, इन पदों को भर देंगे। जिस पद की आपने बात की, एक पद लम्बे समय से रिक्त है उस पद को भी निश्चित तौर पर भरेंगे। परन्तु जिस तरह हमने लक्ष्य रखा था कि हम पूरे राजस्थान के अन्दर हर पंचायत समिति में रैफरल होस्पिटल कायम करेंगे, रैफरल होस्पिटल तो, अध्यक्ष महोदय, कायम हो गये परन्तु अब हमारा लक्ष्य है कि हम एक लाख की जनसंख्या को रैफरल चिकित्सालय से लाभान्वित करेंगे। सारी जनसंख्या के अनुसार राजस्थान में 346 रैफरल होस्पिटल की आवश्यकता है। वर्तमान में 262 हैं, 84 की कमी है। चरणबद्ध तरीके से इस कमी को पूरा करने का हम निश्चित तौर पर प्रयास करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले चार वर्षों में कई संस्थाएं खुली हैं, कई चिकित्सा संस्थाएं क्रमोन्नत भी हुई हैं परन्तु एक भी संस्था का ऐसा उदाहरण नहीं है अध्यक्ष महोदय, जहां निर्धारित मापदण्ड के अनुसार उस संस्था को खोला गया, क्रमोन्नत किया गया परन्तु उसके साथ-साथ स्वीकृत पद हैं उनका सृजन नहीं किया गया। अध्यक्ष महोदय, इसके बाद चुनावी दंगल है

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

यह हो सकता था कि थोथी वाहवाही लेने के लिये मैं भी वित्त मंत्रीजी से कह देता कि बजट की और आवश्यकता नहीं. आप तो मुझे दो सौ रैफरल हास्पिटल दे दो। मैं भी इस तरह की रचना कर सकता था परन्तु मुख्य मंत्रीजी की यह बात मुझे ध्यान है कि इन सेवाओं को मात्र राजनीति की दृष्टि से नहीं, हमें इन सामाजिक सेवाओं विशेष रूप से चिकित्सा सेवाओं को उसी दृष्टि से लेना चाहिए कि हर गरीब को लाभ मिले। इस दृष्टि से इन सेवाओं को राजस्थान में खोलने का काम हमने किया है।

अध्यक्ष महोदय, जो अव्यवस्था और कुछ बातों का इन्होंने जिक्र किया है, निश्चित तौर पर मैं सम्बन्धित अधिकारियों को कहूंगा कि वे जाएं और व्यवस्था करें। कहा गया कि इंडोर पेशेंट की संख्या कम हैं। वास्तव में इंडोर पेशेंट की संख्या कम है तो निश्चित तौर पर वहां कोई न कोई कमी रही होगी, या तो रात में चिकित्सक नहीं रुकते होंगे या रात में पैरा मेडिकल स्टाफ के लोग नहीं रुकते होंगे। उसकी भी व्यवस्था करूंगा। रही बात पद के सृजन की, वह वित्त विभाग से बात करके, अध्यक्ष महोदय, मैं कोशिश करूंगा। नये पद अगर आ जाएं तो वास्तव में यहां रैफरल हास्पिटल का दर्जा पूरा हो जाएं। नाम रैफरल हास्पिटल है परन्तु दर्जा वास्तव में जिस तरह मापदण्ड से होना चाहिये उन पदों का सृजन नहीं....

श्री पराक्रम सिंह : आप तो संघर्ष करें वित्त विभाग के साथ, हम आपके साथ हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपरेशन थियेटर के लिये पूछ रहा था, बिजौलिया का आपरेशन थियेटर चालू नहीं है। आपने पूछा था कि कौनसा आपरेशन थियेटर चालू नहीं है। कृपया उसको चालू करवा दें बिजौलिया का है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय यह ध्यानाकर्षण से सम्बन्धित बात नहीं है परन्तु फिर भी आपके माध्यम से माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहूंगा कि मैं कल इस सारी चीज की जानकारी कि भीलवाड़ा जिले में कितने आपरेशन थियेटर हैं, कितने आपरेशन थियेटर वहां वास्तव में फंक्शनिंग हैं, कितने आपरेशन थियेटर अनफंक्शनिंग हैं, सारी जानकारी आपको कल उपलब्ध करवा दूंगा।

श्री पराक्रम सिंह : आप तो वित्त विभाग के साथ संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत श्री ओमप्रकाश शर्मा, श्री मांगीलाल मेघवाल, श्री अर्जुनदास मदान, श्री मूलसिंह शेखावत, श्री रामनारायण किसान, श्री रामेश्वर भाटी, श्री भवानी जोशी एवं अन्य श्री भीमराज मीणा (आसपुर), सदस्य, विधान सभा बूंदी जिले में स्थित बायीं मुख्य नहर एवं ब्रांचों की जीर्ण-शीर्ण स्थिति के सम्बन्ध में सिंचित क्षेत्र विकास राज्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

चम्बल सिंचित क्षेत्र बूंदी में नहरों की जीर्ण-शीर्ण स्थिति

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी) : अध्यक्ष महोदय, चम्बल सिंचितक्षेत्रों में, नहरों, ब्रांचों,

(90)

(श्री ओमप्रकाश शर्मा)

मुख्य नहरों एवं ड्रेनों की अत्यन्त खराब स्थिति के सम्बन्ध में मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

श्री रामप्रताप कासनियां (राज्य मंत्री, सिंचित क्षेत्र विकास) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से माननीय बूंदी से आने वाले सदस्य ने व मांगीलाल जी ने जो मेरा ध्यान आकर्षित किया है उसके सम्बन्ध में मैं सदन के सामने कुछ तथ्य रखना चाहूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री मांगीलाल मेघवाल एवं श्री ओमप्रकाश शर्मा, सदस्य, राजस्थान विधान सभा ने उक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से बूंदी जिले में बायीं मुख्य नहर, ब्रांचों व माइनरों एवं ड्रेनों की अत्यन्त खराब स्थिति के सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित किया है तथा यह प्रस्ताव दिया है कि इन नहरों एवं ड्रेनों की सफाई व मरम्मत हेतु अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध करवाई जाए तथा मशीनों को सिंचाई शाखा के सहायक अभियन्ताओं के चार्ज में दिया जाए।

चम्बल सिंचित क्षेत्र के अन्तर्गत बूंदी जिले में सिंचाई सुविधा वर्ष 1960 से प्रारम्भ की गई थी। यह सुविधा एक मुख्य नहर जिसकी लम्बाई 2.55 किलोमीटर है तथा उसकी तीन शाखाएं–बूंदी ब्रांच, पाटना ब्रांच एवं कापरेन ब्रांच कैनाल जिनकी कुल लम्बाई 171 किलोमीटर तथा इन शाखाओं से निकलने वाली 27 राजवाह एवं 176 माइनर जिनकी लम्बाई क्रमशः 310 एवं 765 किलोमीटर है, द्वारा बूंदी जिले के कमाण्ड को उपलब्ध कराई जाती है। इस प्रणाली द्वारा 1,02,000 हैक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान था।

नहरों का निर्माण खरीफ एवं रबी फसल में क्रमशः 21 प्रतिशत एवं 55 प्रतिशत (कुल 76 प्रतिशत) सिंचाई सघनता के अनुरूप किया गया था। यह सघनता धीरे–धीरे बढ़ती हुई वर्ष 1996–97 तक 133 प्रतिशत हो गई, जो कि नहरों की डिजाइन क्षमता 76 प्रतिशत से कहीं अधिक है। इस बढ़ोतरी के कारण नहर प्रणाली पर अत्यधिक दबाव है एवं सुदूर टेल के क्षेत्रों को पानी उपलब्ध कराने में कठिनाई आती है। यहां यह ज्ञातव्य है कि इस क्षेत्र के लिए क्रापिंग पैटर्न भी 70 प्रतिशत सिंचाई सघनता के अनुरूप ही निर्धारित किया गया था। ऐसी फसलों को प्रमुखता दी गई थी जिनमें पानी की आवश्यकता कम होती है। कुछ वर्षों पूर्व तक यहां पर मोटा अनाज, जैसे ज्वार, बाजरा तथा मक्का आदि प्रमुख थे जबकि कुछ समय से यह क्षेत्र व्यापक रूप से धान, गन्ना एवं सोयाबीन की पैदावार के लिए प्रसिद्ध हो गया है। इन फसलों को पानी की अत्यधिक आवश्यकता होती है। सिंचाई सघनता में बढ़ोतरी एवं इस फसलीय चक्र में परिवर्तन के कारण नहरों में इसकी डिजाइन क्षमता से अधिक पानी चलाना पड़ता है जिसके कारण नहरों पर प्रति वर्ष दबाव बढ़ता जाता है। नहरों के रख–रखाव हेतु प्रति वर्ष जो धनराशि आवंटित की जाती है उसमें नहरों की सफाई एवं मरम्मत का कार्य प्राथमिकता के आधार पर प्रोग्राम बनाकर किया जाता है। इस क्रम में एक नहर की पुनः सफाई तीन वर्ष

(श्री रामप्रताप कासनियां)

से पहले सम्भव नहीं हो पाती है। उपलब्ध बजट में से मात्र साधारण रख–रखाव ही हो पाता है। अधिकांश नहरें मिट्टी की बनी हुई हैं, इनमें केकड़ों द्वारा छिद्र बना देने से, काश्तकारों द्वारा कट लगाने से तथा जगह–जगह मवेशी छोड़ देने से पाईपिंग इत्यादि हो जाते हैं। उसे उपलब्ध सीमित वित्तीय साधनों से यथा सम्भव ठीक करवा दिया जाता है तथा नहरें टूटने की स्थिति नहीं आने दी जाती हैं। बायीं मुख्य नहर प्रणाली खरीफ एवं रबी दोनों फसलों को पानी देने हेतु लगातार चलाने के कारण, बैंकों के क्षतिग्रस्त होने के कारण नहरों के तल में मिट्टी अवश्य जमा होती है जो कि उपलब्ध बजट से आवश्यकतानुसार साफ भी की जाती है। किन्तु इतनी विशाल प्रणाली के सही तल भराव का आकलन नहरों के सम्पूर्ण हाइड्रोलिक सर्वे कराने के पश्चात् ही ज्ञात किया जा सकता है।

सिंचित क्षेत्र विकास परियोजना, चम्बल, कोटा में अब तक 68 माइनरों के लिए जल वितरण सहकारी समितियों का गठन किया जा चुका है। इनमें से 32 जल वितरण सहकारी समितियों को धनराशि भी उपलब्ध करा दी गई है। और भी जल वितरण सहकारी समितियों के गठन का कार्य प्रगति पर है।

बूंदी जिले के बायीं मुख्य नहर क्षेत्र में मेन ड्रेन एवं मेन सब कैरियर ड्रेन सीपेज ड्रेन, की लम्बाई क्रमशः 351 एवं 740 किलोमीटर है। इस प्रकार कुल 1091 किलोमीटर है। इसमें से वर्ष 1994–95 से वर्ष 1997–98 तक कुल 225.17 किलोमीटर ड्रेन की सफाई कराई जा चुकी है जो कि कुल लम्बाई का 20.63 प्रतिशत है।

यह सही नहीं है कि नहरों एवं ड्रेनों का कार्य गर्मियों में न होने के कारण वर्ष भर की छुट्टी हो जाती है। ड्रेनों का कार्य बरसात अवधि के अतिरिक्त सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष के दौरान किया जाता है। वर्ष 1998–99 में गर्मियों के दौरान माह अप्रेल से जून,'98 तक बायीं मुख्य नहर क्षेत्र में 30 किलोमीटर ड्रेन की सफाई का कार्य किया गया। इससे स्पष्ट है कि ड्रेन सफाई का कार्य समय पर किया गया है। गर्मियों के समय में भी कैचमैंट कार्यों के साथ–साथ ड्रेनों की सफाई का कार्य भी कराया जाता है। ड्रेनों की सफाई का कार्य उपलब्ध बजट के अनुरूप ही कराना सम्भव हो पाता है। बायीं मुख्य नहर के रख–रखाव व जलोत्सरण के कार्यों हेतु मद 2701 में वर्ष 1997–98 में उपलब्ध कराई गई धनराशि व किये गये व्यय तथा वर्ष 1998-99 में उपलब्ध कराई गई धनराशि का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है:–

आइटम	**वर्ष 1997–98**				**वर्ष 1998–99**
	अनुमान	संशोधित अनुमान	अतिरिक्त उपलब्ध कराई गई राशि	कुल योग	अनुमान
नहरों का रख-रखाव					
1. कार्य	40.00	43.00	10.00	53.00	40.00
2. स्थापना	136.00	125.00	—	125.00	166.00

(९२)

(श्री रामप्रताप कासनियां)

जलोत्सरण के रख-रखाव

1.	कार्य	20.00	20.00	---	20.00	20.00
2.	स्थापना	6.00	5.60	—	5.60	7.50

कार्यों की महत्ता व धनराशि की उपलब्धता को देखते हुए संशोधित अनुमानों के समय आवश्यकता होगी तो अतिरिक्त धनराशि वित्त विभाग की सहमति से उपलब्ध कराने के प्रयास किये जाएंगे।

जहां तक मशीनों को सहायक अभियन्ता स्तर पर दिये जाने का प्रश्न है, यह व्यावहारिक नहीं है। ऐसा करने से मशीनों के संचालन एवं रख-रखाव में अड़चन आयेगी, क्योंकि सिचाई शाखा के सहायक अभियन्ता, सिविल अभियन्ता हैं जबकि सिंचित क्षेत्र विकास परियोजना, चम्बल, कोटा में अलग से फील्ड मशीनरी खण्ड है। इस खण्ड के द्वारा मशीनों का संचालन एवं रख-रखाव किया जाता है। नहरों के रख-रखाव, मरम्मत एवं सफाई के लिए जब भी सिंचाई शाखा के अभियन्ताओं के द्वारा मशीनों की मांग की जाती है, उनको मशीनें उपलब्ध करा दी जाती हैं।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि 1994 से लेकर 1998 तक जो नहरों के रख-रखाव के लिये पैसा दिया है वह किस अनुपात में दिया है? 1994-95 में 54.78 लाख, 1995-96 में 95.84 लाख, 1996-97 में 50.24 लाख, 1997-98 में 43.14 लाख और 1998-99 में 40 लाख। इससे स्पष्ट है कि एक ओर तो महंगाई बढ़ रही है और दूसरी ओर नहरों के रख-रखाव में पैसा कम दे रहे हैं। नहरें सारी बरबाद हो चुकी हैं। आज लगभग 29-30 साल से वे नहरें बनी हुई हैं। आप बता रहे हो कि उसकी क्षमता बढ़ गई, 75-76 पर्सेंट पानी ज्यादा पिला रहे हो और नहरों के रख-रखाव के लिये पैसा कम दे रहे हो। इसलिये मेरा निवेदन है कि जब तक इन नहरों के लिये पैसा नहीं देंगे, नहरें बिलकुल ठीक नहीं होंगी। मैं कुल नहरों के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। कुल नहरें बाईं मुख्य नहर में 1248 किलोमीटर हैं। ड्रेन 1091 किलोमीटर हैं। चार साल में 486 किलोमीटर नहरों की सफाई की गई, जबकि आप बता रहे हैं कि हर तीन वर्ष में नहरों की सफाई की जाती है। आज तक 762 किलोमीटर नहरें बिना सफाई के बची हुई हैं। इसी प्रकार ड्रेन हैं, ड्रेनों में केवल 225 किलोमीटर की सफाई की गई। 866 किलोमीटर ड्रेनें अभी भी बिना सफाई के बची हुई हैं। फील्ड मशीनरी के बारे में अभी आपने बताया कि फील्ड मशीनरी कोटा में है और सफाई वह मशीन करती है, मरम्मत वह करती है। अध्यक्ष महोदय, हमारा भी निवेदन यही है कि वे फील्ड मशीनरी कोटा में रखते हैं, उनको बूंदी से मतलब ही नहीं है। अधिकारी कोटा बैठते हैं, उनके जे.ईएन. बूंदी आते हैं, मशीनों पर जाते हैं। मशीन 10-10 दिन तक खड़ी रहती है, तेल बीत जाता है या कोई खराबी हो जाती है तो उसके लिए कोटा जाना पड़ता है। मेरा निवेदन करना यह है कि या तो मशीनें सिंचाई खण्ड के जो अधिकारी हैं सहायक अभियन्ता

(श्री ओमप्रकाश शर्मा)

उनको दी जाएं, या फिर फील्ड मशीनरी का जो डिवीजन है, इसके दो सब-डिवीजन एक बूंदी में और एक कापरेन में खोला जाए। जो मशीन आप देते हो उसका रख-रखाव करने के लिये आपके अधिकारी तो कम से कम वहां मौजूद रहें। आपके अधिकारी नहीं हैं। पहली बात तो पैसा नहीं है और फिर जो पैसा देते हो, जो मशीनें हैं उनको कोई चैक करने वाला नहीं है, कोई जांच करने वाला नहीं है। जब हम बात करते हैं तो एक अधिकारी दूसरे को डांटता है और वह मशीन जो खराब हो जाती है वह भी ठीक नहीं हो पाती है। अध्यक्ष महोदय, इसलिये मेरा निवेदन है कि जब तक इन नहरों के ऊपर एक अधिकारी नियुक्त नहीं किया जाएगा और उससे काम नहीं लिया जाएगा, नहरें ठीक नहीं होंगी।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं दो-तीन प्रश्न पूछना चाहूंगा। मार्च, 1999 तक आप कितनी किलोमीटर नहरें और कितनी किलोमीटर ड्रेन साफ कराएंगे, नम्बर एक? अभी बारिश नहीं हो रही, इस समय किसान को खेतों में पानी चाहिये नहरों का पानी रोक दिया जायेगा आज। अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले आपके समक्ष निवेदन किया था उस समय पानी छोड़ दिया गया था, परन्तु मुझे पता लगा परसों जब मैं गांव गया, कि नहरों का पानी मंगलवार को बन्द कर दिया जाएगा। उस पानी का क्या करेंगे रख कर? जहां गल्ला बो दिया, गल्ले का बीज लगा दिया, सोयाबीन खड़ी है, किसान बरबाद हो जाएगा। पानी छोड़ नहीं रहे, नहरों में पानी नहीं दे रहे और फाटक खोलकर नदी का पानी बाहर निकाला जा रहा है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि नहरों का पानी चालू रखा जाए, नहरों का पानी बन्द नहीं किया जाए। इसके लिये धनराशि कितनी सरकार दे रही है? अगर नहीं दे रही तो आपके विभाग को पैसा दिया है उसमें से नहरों को पानी दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय भी किसान हैं, वे किसान की पीड़ा को जानते हैं। मैं उस किसान की मांग कर रहा हूं जहां पर चावल पैदा होता है, जहां गल्ला पैदा होता है। उससे विदेशी मुद्रा मिलती है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इसके लिये कम से कम 2 करोड़ रुपये आपको देने चाहिये। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। पिछली बार मैंने मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन किया था, उन्होंने चालीस लाख रुपये स्वीकृत कर दिये। इधर तो स्वीकृति दी और तीसरे दिन फैक्स भेज दिया कि बीस लाख रुपये रोक लिये जाएं इसीलिए आज इन नहरों की दुर्दशा हुई है। अध्यक्ष महोदय, मैं पुनः आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि 2 करोड़ रुपये बायीं मुख्य नहर के लिये दिये जाएं तब जाकर किसानों को लाभ होगा, नहरें और ड्रेनें ठीक होंगी।

श्री अर्जुनदास मदान : मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि मैं सौभाग्यशाली क्षेत्र से आता हूं, दायीं मुख्य नहर और बायीं मुख्य नहर कोटा दोनों मेरे विधान सभा क्षेत्र में चलती हैं। मैं इतना जरूर कह सकता हूं मंत्री महोदय से कि किसी सचिव महोदय ने उनको लिख कर दे दिया और उन्होंने प्रत्युत्तर दे दिया।

(९५)

(श्री अर्जुनदास मदान)

मैं यह मानता हूं कि स्वयं प्रत्यक्षदर्शी बनते और वहां जाकर स्थिति का अवलोकन करते तो प्रत्युत्तर बिलकुल नहीं आता। मैं तो सबसे पहले मूल प्रश्न पूछना चाहता हूं मंत्री महोदय से, कि नहरों पर खर्च किये जाने वाले पैसे को वे एक्सपैण्डीचर समझते हैं या इंवेस्टमैंट समझते हैं ? मंत्री महोदय, इंवेस्टमैंट वह होता है जहां आदमी का पैसा खर्च होता है उसके बाद में उसको उसकी प्राप्ति होती है। दुकानदार दुकान लगाता है, पैसा तो निश्चित रूप से वह भी खर्च करता है किन्तु उससे उसका अर्थोपार्जन का एक साधन बनता है, लेकिन खर्चे में वह पैसा वापस हमको लौटकर नहीं आता। मुझे वह दिन याद है इस कोटा की धरती में, मान्यवर, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है–सभी मंत्री सदन में बिराजे हुए हैं, कई वरिष्ठ सदस्य भी हैं, कि जब नहरें नहीं आयी थीं तो उस जमीन के मालिक नहीं बनते थे, पटवारी जाता था तो उसे कहते थे कि जमीन हमारी नहीं हैं। यानी केवल मात्र कर्तव्य से बचने के लिए जमीनों की स्थिति इतनी दयनीय थी कि 50 रुपये, सौ रुपये बीघा में खरीद लो। आज 50 हजार रुपये बीघा भी नहीं मिलती जमीन। गंगनहर को ले लें, क्या स्थिति हुआ करती थी ? या पंजाब की क्या स्थिति हुआ करती थी ? मेरा निवेदन यह है, मंत्री महोदय, कि आज स्थिति नहरों की बहुत खराब है। आप यह मानियेगा कि नहरों की खराबी के कारण पानी सीपेज होकर बहता है कई–कई स्थानों पर तो। सी.ए. डी. की नहरें हैं, पास में हमारे अलनियां की नहरें हैं, आपके क्षेत्र में हैं, मेरा निवेदन यह है कि स्थिति इतनी दूभर है, इतनी विकट है कि कभी–कभी तो लगता है कि जितना पानी आप देते हैं, उसका कम से कम थर्ड पानी बेकार जाता है। अब पानी अगर आप नहीं बचाएंगे, नहरों की मरम्मत आप नहीं कराएंगे, खेत नहीं लहलहाएंगे तो किसान कहां तरक्की करेगा? आज कोटा की जितनी आर्थिक प्रगति हुई, चाहे आप किसी भी चीज को ले लें, चावल को देख लें, किसी जमाने में लोग देहरादून का चावल याद करते थे। मैं तो आज कहता हूं कि देहरादून का चावल अब बूंदी में आकर वहां पर कट्टे में भराकर बूंदी की मोहर लगती है। आप तिलहन को ले लें, सरसों को ले लें, सोयाबीन को ले लें, किसी भी चीज को ले लें। आप मेहरबानी करें, इस चीज के ऊपर आप धीरे–धीरे पैसे कम करते चले जा रहे हैं। तीन साल के आंकड़े उपलब्ध नहीं होते हैं, लेकिन मेंटिनेंस पर आपने 1994–95 में जो दिया तो 1995–96 में नहीं दिया और 1996–97 में फिर आप वही करते चले जा रहे हैं। अन्य मुद्दों पर दिये जाने वाली राशियां तो बढ़ाते चले जा रहे हैं लेकिन इसे आप कम करते चले जा रहे हैं। जबकि अन्तरात्मा यह भी महसूस करती है कि महंगाई बढ़ती चली जा रही है और हर चीज पर खर्च किये जाने वाले पैसे चाहे हम बढ़ा भी रहे हों, जो वास्तविकता उसकी वैल्यू है वह कम होती चली जा रही है। इन सारी बातों के ऊपर मनन करें और मेरा निवेदन है कि एक बार आप स्वयं पधार कर कोटा की स्थिति व नहरों का अवलोकन करें तो आपकी अन्तरात्मा निश्चित रूप से कचोटेगी कि जरूर इसके ऊपर हमको कुछ अलग पैसा देना चाहिए। मेरी आपसे याचना,

(श्री अर्जुनदास मदान)

प्रार्थना है कि आप वस्तुस्थिति का अवलोकन करें फिर इस राशि को निश्चित रूप से बढ़ाएं क्योंकि स्थिति बहुत दूभर होती चली जा रही है दिन ब दिन। आप कहते हैं 3 साल तक, मैं आपको कहता हूं मेरे विधान सभा क्षेत्र में कई नहरें हैं जिनकी 6-6 साल तक कोई मरम्मत ही नहीं हुई, बल्कि नहरें भी इस तरह से बह रही हैं जैसे उनका धणी-धोरी कोई ही नहीं हो, कोई बारिश ही नहीं हो। सदन की चारदीवारी में बैठकर यदि हम परिचर्चा करेंगे तो उससे उतना लाभ नहीं मिलने वाला है। आप स्वयं एक बार कष्ट करें, आप तो स्वयं किसान हैं, किसानों की पीड़ा और उनकी वेदना को समझते हैं। अब आप जाएंगे तो आप भी नहरी क्षेत्र से आते हैं, आप बिलकुल सारी वस्तुस्थिति का अवलोकन करेंगे तो पूरी स्थिति ध्यान में आ जाएगी। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री विजय सिंह (दीगोद) : अध्यक्ष महोदय, मैं विधायक महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा कि अपने क्षेत्र की एक प्रमुख समस्या को उन्होंने यहां पर उठाया। यह समस्या बहुत पहले उठायी जानी चाहिए थी लेकिन किसी कारण से नहीं हो सका। इस बारे में बहुत ज्यादा लोग आन्दोलित हैं, इसको देखते हुए भी इस समस्या को बहुत देर से उठाया है।

अध्यक्ष महोदय, मानव मात्र के लिए पानी, भोजन, मकान, सुरक्षा, कपड़ा ये पांच चीजें सबसे ज्यादा आवश्यक हैं और मैं समझता हूं कि इसमें, अनाज सबसे ज्यादा आवश्यक है। अभी शनिवार को यहां पेयजल के बारे में काफी चर्चा हुई, उस वक्त एक बात आयी थी कि राजस्थान में देश का एक प्रतिशत सतही पानी है और जनसंख्या 4 करोड़। यहां का भू-भाग 6 प्रतिशत, जनसंख्या 4 प्रतिशत और इसके लिए एक प्रतिशत पानी में हमको यहां बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए भोजन का प्रबन्ध करना है। इसलिए जहां भी पानी उपलब्ध हो, जहां भी पानी सिंचाई के लिए हम उपयोग कर सकते हों, वहां पर हमको पानी का उपयोग करना चाहिए, चम्बल की नहर राजस्थान के लिए वरदान है, उस चम्बल की नहर से वहां का किसान खुशहाल हुआ है इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आज वहां का किसान बहुत परेशान है। नहरों का रख-रखाव, ड्रेनों का रख-रखाव, इनकी सफाई के ऊपर बहुत वर्षों से कुछ काम नहीं होने की वजह से पानी ज्यादातर वेस्ट जा रहा है और किसानों को पानी मिलने में दिक्कत होती है। अभी मंत्री महोदय ने यहां पर कुछ आंकड़े बताये थे, उन्होंने बताया कि नहरों की सफाई के लिए 53 लाख रुपये इस साल निर्धारित किये गये हैं, जबकि एस्टेब्लिशमैंट के ऊपर एक करोड़ से ज्यादा रुपये निर्धारित किये गये हैं। अब एक करोड़ 30 लाख रुपये एस्टेब्लिशमैंट के लिए हो जाएं और हो, जिस नहर से पानी किसानों को देना है उसकी सफाई के लिए 55 या 50 लाख रुपये दिये जाएं, यह तो बहुत ही चिन्ताजनक बात होगी। मेरा निवेदन मंत्री महोदय से है कि आप कृपा करके इन नहरों की सफाई को एक अभियान के तौर पर लीजिये। आप वहां पर स्वयं आइये, वहां स्वयं आकर आप देखिये, किसानों से मिलिये। वहां पर एक संस्था

(श्री विजय सिंह)

है काड़ा—कैनाल एरिया, डवलपमेंट एजेंसी उसकी बैठक कभी भी नहीं हुई। आप उसकी बैठक कीजिये, उसकी बैठक लेकर वहां पर जन प्रतिनिधियों से बात करिये तो आपको वहां पर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि वाकई में इस क्षेत्र में नहरों और ड्रेनों में मिट्टी भर गई है, उनमें जंगल खड़े हो गये हैं, उनमें घास वगैरह दूसरी चीजें इस कदर भर गयी हैं कि वे नहरों नहीं रही हैं, जमीन के बराबर हो गयी और उसमें पानी चलता नहीं है। यह स्थिति है आज वहां पर। आप कह रहे हैं कि वहां पर पहले जो फसल चक्र था उसमें ज्वार, चना और दूसरी इस तरह की चीज बोते थे जिनमें पानी की कम जरूरत पड़ती है। आजकल वहां पर दूसरी फसलें होने लगीं—गन्ना होने लगा और सोयाबीन होने लग गयी, चावल होने लग गया, इस वजह से पानी की ज्यादा जरूरत पड़ती है। लेकिन आप अगर वहां जाकर लोगों से बात करेंगे तो आप देखेंगे कि ज्यादातर नहरें खराब होने की वजह से, इनकी सफाई न होने की वजह से नहरें बन्द पड़ी हैं। एक बार अगर नहरों को आप साफ करा देंगे तो कम से कम 10 साल तक उसमें दुबारा सफाई कराने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आज माफ करिये, मैं थोड़ा–सा ज्यादा समय लूंगा, 2–3 मिनट ज्यादा लूंगा क्योंकि मैं कम बोलता हूं और यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है हमारे क्षेत्र का, इस वजह से दो मिनट और दे देंगे तो मैं आपका आभार मानूंगा।

वहां पर हम जानते हैं, सड़क आवागमन का साधन ऐसा है जो सबसे ज्यादा जरूरी हैं, विकास के लिए सड़कें बहुत ज्यादा जरूरी हैं, सड़कों के ऊपर बजट में करोड़ों अरबों रुपये खर्च किये जाते हैं लेकिन सड़कें हर साल खराब होती हैं, पानी बरसने से खराब होती हैं। पानी भरा रहता है तो डामर वहां से बह जाता है। सड़कें खराब होती हैं तो उनको ठीक करने के लिए काफी पैसा हर साल खर्च किया जाता है और इस बात को सौभाग्य माना जाता है कि सड़कों का रख-रखाव करने के लिए उनको काफी पैसा खर्च करना है तो आप नहरों का रख-रखाव करने के लिए क्यों नहीं पैसा खर्च करते हैं? मेरा निवेदन यह है अध्यक्ष महोदय, कि एक लॉबी है और वह लॉबी किसान विरोधी है। वे कौन हैं, मैं उनका जिक्र नहीं करना चाहता लेकिन वे किसान विरोधी हैं। वे कहते हैं कि किसान विशेषाधिकार प्राप्त लोग हैं, इनको बहुत ज्यादा विशेषाधिकार मिले हुए हैं, इनके ऊपर कोई टैक्स नहीं हैं, इनको सब तरह की सहूलियतें हैं। जहां पानी मिल गया है वहां किसान बहुत धनाढ्य हो गये हैं, और टैक्स इनके ऊपर हैं नहीं। इससे कोई आमदनी सरकार को होती नहीं है इसलिए इनके ऊपर कम से कम खर्च करो। उस नीति के अनुसार यह सारा एक तरह से दुष्चक्र चला है कि नहरें साफ करने के लिए सरकार वहां पर पैसा नहीं भेजती है। आज वहां पर इतना पानी है कि अगर पानी को उठाकर सिंचाई का प्रबन्ध कर दिया जाए तो बहुत सारा क्षेत्र जो नहरों में नहीं आता है वह भी सिंचित हो सकता है। लेकिन लघु सिंचाई के ऊपर कोई ध्यान नहीं है। लघु सिंचाई के ऊपर इस तरह की पाबन्दियां लगा दी गयी हैं, इस तरह की शर्तें लगा दी गयी हैं कि जहां लघु सिंचाई चलाते हैं वहां पर चलती नहीं है। किसानों को कहते हैं कि पहले इतना पैसा लाओ,

(श्री विजय सिंह)

इतना पैसा करो सहकारी बनाकर आप ही इसको चलाओगे और आपके ऊपर ही इसका सारा भार रहेगा। लेकिन किसान जो बिना पढ़ा-लिखा और गरीब है वह न तो पैसे दे सकता है और न उसको चला सकता है और इस एक शर्त की वजह से कितना ही पानी नदियों में बह जाता है। आज वहां पर नहर अधिकारी यह कहते है कि 38 प्रतिशत पानी नहर का बेकार जाता है। अगर नहरों की सफाई करके या किसी प्रकार से पानी को बचा लिया जाए तो निश्चित ही वहां पर 38 प्रतिशत पानी अधिक उपयोग में आएगा और ज्यादा जमीन वहां सिंचित हो सकती है। लेकिन उस विषय में, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे वहां पर जाएं, वहां पधारें और पधारकर काडा की मीटिंग करें, दूसरे लोगों को बुलाएं। अभी तो समय है कि बजट में वहां के लिए और प्रावधान करें, ज्यादा पैसा दें। इस साल नहरों को और ड्रेनों को सफाई कराने के लिए जैसा अभी हमारे साथी बूंदी से आने वाले विधायक महोदय ने कहा है, एक करोड़ रुपया या दो करोड़ रुपये बायीं नहर के लिए मांग रहे हैं। दाहिनी नहर कोटा जिले में जाती है, उसके लिए यह प्रबन्ध करें जितनी आवश्यकता हो। लेकिन सारी नहरें, सारी ड्रेनेज इस बार इस वर्ष में एक साथ साफ हो जाएं, ऐसा प्रबन्ध करें। निश्चित ही वह पैसा एक तरह से आपका इंवेस्टमैंट होगा और उससे कई गुना पैसा अनाज के रूप में, पैदावार के रूप में देश को मिलेगा। एक बार नहरें, ड्रेनेज साफ होने के बाद में निश्चित ही कम से कम 8 साल या 10 साल तक दुबारा साफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

इस वजह से मेरा निवेदन है कि यह जो प्रस्ताव आया है, आप इस पर ध्यान देकर बायीं नहर और दाहिनी नहर, इन दोनों के ऊपर ज्यादा पैसा आबटित करें। वह उपयोग में आए उसकी एक योजना बने। उस योजना को बनाने के लिए आप कोटा पधारें और वहां पर जन प्रतिनिधियों की बैठक बुलाकर सारा जायजा लें। उसके बाद योजना बनाकर आप इस काम को करवाएं। आपके अधिकार में ही आया है, इसका श्रेय आपको मिलेगा। इतना ही मुझे निवेदन करना है, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय। पहले एक सवाल और है।

श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, नहरों के सम्बन्ध में जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आया है मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि कोटा बैराज से बायीं मुख्य नहर और दायीं मुख्य नहर जो निकाली गयी है और उनमें से जो किसानों के खेतों में पानी पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है, आज 35 साल के बाद उन नहरों की सफाई नहीं होने, मेड़ कटिंग का कार्य नहीं होने और ड्रेनों की सफाई न होने की वजह से हालत बड़ी खस्ता है और किसानों के खेतों में अन्तिम छोर पर पानी नहीं पहुंच पाता है। प्रति वर्ष अन्तिम छोर के 2–3 किलोमीटर के एरिये तक पानी नहीं पहुंचता है। कारण इसका स्पष्ट है कि पिछले सालों में जो कुछ भी सी.ए. डी. के द्वारा बजट दिया गया है वह एरिये

(श्री रामगोपाल बैरवा)

के हिसाब से, जितनी नहरें और वितरिकाएं निकाली गयी हैं उसके हिसाब से दिया गया है, ड्रेनों की सफाई के हिसाब से वह बजट कम मिलता है। अतः इसके लिए बजट बढ़ाया जाए।

दूसरा, इस सिस्टम में जहां-जहां भी कैचमैंट का कार्य हुआ है उस कैचमैंट के कार्य में नहरें निकालने की वजह से पानी बेकार जाता है ड्रेनों के माध्यम से। तो इस एरिये में जहां-जहां कैचमैंट का कार्य हुआ है वहा प्राथमिकता के आधार पर बाड़ाबंदी का सिस्टम लागू किया जाए ताकि जो राइट मेन कैनाल है और लैफ्ट मेन कैनाल है, जो पानी बेकार बहकर जाता है उसका सदुपयोग किसानों के लिए किया जाए।

तीसरी बात है कि सी.ए.डी. के माध्यम से जो राशि अण्डरग्राउण्ड वाटर शेड के लिए खर्च की जा रही है, जमीन में पाइप डालकर जो राशि खर्च की जा रही है, जो कनाडा की सहायता से आयी है, उस राशि का उपयोग सी.ए.डी. में नहरों की सफाई और ड्रेनों की सफाई के लिए भी किया जाए। उस राशि में से कुछ राशि इधर भी खर्च की जाए तो यह वहां के किसानों के लिए अच्छा होगा। आज जिस तरह की हालत वहां पर है, माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आप स्वयं उस हाड़ौती क्षेत्र में पधारकर, उस कोटा सम्भाग में पधारकर उस योजना को जो किसानों के लिए लाभप्रद सिद्ध हुई थी, आज उसकी दयनीय स्थिति का स्वयं आंकलन करें। हिसाब से वहां किस तरह से हम इस समस्या का निराकरण कर सकते हैं, किस तरह से किसानों के हित में, किसानों के खेतों में पानी पहुंचाने का काम कर सकते हैं, इसके लिए आप स्वयं आकर उस सिस्टम को देखें। एक करोड़ रुपया जो आज इसमें मिलता है, वह एक तरह से मांग के हिसाब से नगण्य है। राइट मेन कैनाल और लैफ्ट मेन कैनाल के लिए कम से कम 4 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की जाए ताकि वहां पर कुछ कार्य कर सकें। अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्री रामप्रताप कासनियां : माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी माननीय सदस्यों ने बजट बढ़ाने पर मुख्य रूप से जोर दिया है। प्रथम तो मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि विधान सभा के तुरन्त बाद मैं दो दिन के लिए माननीय सदस्यों के साथ मौके पर पधारूंगा, जाऊंगा।

श्री अमराराम (धोद) : पधारना कैसे, कहां पधारेंगे ?

श्री रामप्रताप कासनियां : माफ करना जी, माफ करना। मैंने पहले भी कई बार कह दिया है कि मैं पढ़ा-लिखा नहीं हूं।

श्री नाथूसिंह गुर्जर (राज्य मंत्री, पंचायती राज) : आपको ऐसा शरीफ मंत्री नहीं मिलेगा जो हाथ पकड़कर कान पकड़ ले।

श्री रामचन्द्र रावत : आप भी इतने शरीफ बनिये ना।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : मैं तो आप लोगों को शरीफ बनाता हूं।

श्री रामप्रताप कासनियां : अध्यक्ष महोदय, बूंदी से आने वाले माननीय सदस्य ने तीन वर्ष मे नहरों की सफाई नहीं होती है, इस सम्बन्ध में चर्चा की और कहा कि विभाग ने जो उत्तर दिया है यह सही नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहूंगा कि अगर यह जानकारी विभाग ने मुझे गलत दी है तो यह जानकारी देने वाले अधिकारी के खिलाफ मैं कार्यवाही करूंगा।

अध्यक्ष महोदय, बजट के सम्बन्ध में मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि जो बजट विभाग को मिला है, उसमें मैं उदाहरण के तौर पर निवेदन करना चाहूंगा कि जैसे पिछले वर्ष एक किलोमीटर की सफाई हुई तो मैं इस वर्ष सवा किलोमीटर की उतने ही बजट में सफाई करवाने की घोषणा इस सदन में करता हूं और मैं माननीय सदस्यों को यह आश्वासन देना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, बजट बढ़ाने की जो बात है, मैं माननीय सदस्यों को साथ लेकर माननीय वित्त मंत्रीजी, उप मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि जितना भी हो सके, यह काश्तकारों के हित का काम है इसमें राशि और बढ़ाने की आवश्यकता है, वह बढ़ाई जाए।

अध्यक्ष महोदय, मशीनरी खण्ड की चर्चा की। मशीनरी अकेले नहरों की ड्रेनेज की सफाई का काम ही नहीं करती है, कुछ और भी काम करती है मशीनरी खण्ड अलग से है। उनकी देखरेख का काम, उनके मिस्त्री वगैरह सारे ही अलग हैं। उनका खण्ड अलग है और जब मैं मौके पर जाऊंगा, सारी चीज वहां पर मौके पर देखकर अगर इनका सुझाव उपयुक्त हुआ तो, यह करना पोसिबल है तो मैं वहां मौके पर ही माननीय सदस्यों से विचार करके इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करूंगा।

श्री अध्यक्ष : सुझाव तो उपयुक्त ही लगता है।

श्री रामप्रताप कासनियां : उपयुक्त नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर दूं। प्रति वर्ष नहरों और ड्रेनेज की सफाई की मरम्मत हेतु फील्ड मशीनरी खण्ड, कोटा द्वारा विभिन्न सिंचाई खण्डों को मशीनरी आबंटित की जाती है। एक ही जगह नहीं, अलग–अलग जगह है। शुरू में मशीनों को चलाने हेतु समस्त खर्चा फील्ड मशीनरी खण्ड द्वारा वहन किया जाता है। हमारे ऊपर 81 लाख मशीनरी खण्ड का बकाया है। मशीनरी खण्ड डिपार्टमेंट जो अलग से खोल रखा है, वह कोई एक हमारी ड्रेंस और नहरों की ही सफाई नहीं करता है। अलग-अलग जगहों पर जहां उनको काम उपलब्ध होता है, अलग–अलग जहां पर काम मिलता है, वहां मशीनरी जाती है।

श्री अर्जुनदास मदान : मैं क्षमा चाहूंगा साहब। देखिएगा, जरूरत मेरी है। एक्स. ईएन. काम लेता है, मशीन के लिये उसको सी.डी. कमिश्नर से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। फिर कमिश्नर महोदय दूसरे को लिखते हैं और वे कहते है मैं भी चार दिन उपलब्ध नहीं करा सकता। कभी ऐसी व्यवस्था देखी है क्या आपने कि मालिश का धंधा करने वाला तेल की शीशी अपने साथ रखता है या फिर हर ग्राहक से मंगवाएगा ? यह कहेगा कि साथ लाएं ?

श्री रामप्रताप कासनियां : अध्यक्ष महोदय, मैंने मोटे रूप से निवेदन कर दिया कि मैं मौके पर जाऊंगा और जाकर जो भी उचित होगा माननीय सदस्यों को साथ लेकर कार्यवाही करने की कोशिश करूंगा।

अध्यक्ष महोदय, चम्बल एरिया में मैं थोड़ा फसल के बारे में निवेदन कर दूं कि सन् 1975 तक खरीफ की फसल थी 27058 हैक्टेयर में और अब रबी की फसल 1,37,502 हैक्टेयर में। वह बढ़कर, अध्यक्ष महोदय हो गयी 1996–97 में 9,28,030 हैक्टेयर और 2,14,954 हैक्टेयर तो यह कहना सही नहीं है कि काश्तकारों को पानी नहीं मिल रहा है। नहरों की हालत बहुत ही खस्ता है, अध्यक्ष महोदय, यह बात सही नहीं है। इसकी जो सिंचाई क्षमता थी 78.63, वह बढ़ाकर 133.35 पर्सेंट कर दी गयी हैं। सिंचाई क्षमता कितनी बढ़ी है ? तो यह कहना कि नहरों की हालत बिलकुल ही खराब है, पानी मिल ही नहीं रहा हैं, सही नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा बायीं मुख्य नहर चम्बल परियोजना में सिंचाई राजस्व की वसूली मात्र 30–40 पर्सेंट ही हो रही है। वित्त विभाग वसूली को देखकर ही बजट आबंटन करता है। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह से राजस्थान कैनाल के अन्दर 90–95 पर्सेंट वसूली है, उसी तरह से आप यहां भी वसूली कराने का प्रयास करें तो मैं वित्त विभाग से कुछ बजट प्राप्त कर सकूं और यह बात कह सकूं कि हमने वसूली काफी बढ़ायी है। यह काम आपके सहयोग के बिना नहीं हो सकता। मैं थोड़ा सा निवेदन कर दूं कि 1995–96 में 246.58 लाख रुपये की मांग थी, वसूली सिर्फ 66.29 लाख की ही हुई 1996–97 में 270.31 की मांग थी और वसूली हुई 69.36। 1997–98 में मांग थी 259,45 लाख और वसूली हुई 78.39 लाख की। तो आप लोग थोड़ा सहयोग करेंगे वसूली के सम्बन्ध में, आप लोगों से मेरा यही निवेदन है।

अध्यक्ष महोदय, हमें बजट की आवश्यकता है मोटे रूप से। मैं काश्तकार हूं, मैं काश्तकारों की पीड़ा समझता हूं। वैसे मैंने पूर्व में भी निवेदन किया कि, हमारे पास वर्तमान में जो बजट है, उससे भी हम पिछले वर्ष में जितना कार्य हुआ है, उससे सवाया करवाएंगे और बजट आबंटन कराने के लिये उप मुख्य मंत्री महोदय के पास मैं माननीय सदस्यों को लेकर जाऊंगा और मौके पर भी मैं माननीय सदस्यों को साथ लेकर जाऊंगा। जितना मेरे से बन सकेगा, मैं काश्तकार के हित में, नहर की खुदाई हो, चाहे कोई और काम हो, अध्यक्ष महोदय, मैं करने की कोशिश करुंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरी बात समाप्त करता हूं।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

श्री अध्यक्ष : श्रीमती नरेन्द्र कंवर, पर्यटन राज्य मंत्री राजस्थान होटल्स कारपोरेशन लिमिटेड का 32वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1996–97 सदन की मेज पर रखेंगी।

राजस्थान स्टेट होटल्स कारपोरेशन लिमिटेड का 32वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1996-97

श्रीमती नरेन्द्र कंवर (राज्य मंत्री, पर्यटन) : अध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619 (ए)

(श्रीमती नरेन्द्र कंवर)

के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट होटल्स कारपोरेशन लिमिटेड का 32वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1996–97 सदन की मेज पर रखती हूं।

सभापति तालिका

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 9 (1) के अन्तर्गत निम्नांकित सदस्यों को सभापति तालिका के लिये मनोनीत करता हूं :—

(1) श्री अर्जुनदास मदान, विभाजन संख्या 8, तथा

(2) श्री टीकमचन्द कान्त, विभाजन संख्या–60.

विधायी कार्य : विधेयक पर विचार

राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 1998

राजस्थान विनियोग (संख्या–3) विधेयक, 1998।

श्री परसादीलाल मीणा।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : अध्यक्ष महोदय, विनियोग विधेयक (संख्या-3) पर कल से चर्चा शुरू की है जिसके जरिए राज्य सरकार को 16586 करोड़57 लाख 87हजार रु. जिसमें लेखानुदान भी शामिल है, इस राशि को आहरण करने का अधिकार मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के जरिए उनको अधिकार मिलने के बाद विकास कार्यों की पूरी शक्ति राज्य सरकार को मिलेगी। इसके धन का सदुपयोग कैसे किया जाए? राज्य सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है कि हमने गांवों का विकास किया है। अध्यक्ष महोदय, आप और हम सब ज्यादातर सदस्य गांवों से आते हैं और गांवों के विकास के लिये इस बजट में कितना धन है? दस प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पचास सीनियर सैकण्डरी, पचास सैकण्डरी, सौ मिडिल, 25 आयुर्वेदिक औषधालय, 25 पशु–चिकित्सालय यह गांवों का विकास करने का इनका ढोल पीटने का तरीका है। हम गांवों का विकास कर रहे हैं, हम गांवों में विकास की गंगा बहा दें, इस तरह के थोथे नारे लगाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो पिछले नौ साल से सत्ता में है, उसकी पोल खुल गयी है लोक सभा चुनाव में। गांवों के लोगों ने आपके थोथे नारों को स्वीकार नहीं किया है और आपको चेतावनी दी है कि अगर आपने इसी तरह से विकास के ढोल बजाए, इस तरह से विकास की गंगा के ढोल बजाए, गांवों में जो थोथे साबित हो चुके हैं, तो आने वाला समय आपके लिये बहुत ही खतरनाक होगा। आप राज्य सरकार में बैठे हैं, क्या किया है गांवों के विकास के लिये? क्या दस प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों से आप राजस्थान का विकास करेंगे? क्या दस, पच्चीस आयुर्वेदिक औषधालय से राजस्थान का विकास करेंगे? यह तो शोचनीय विषय है, इस पर आपके पूरे मंत्रिमण्डल को सोचना चाहिये। आप दूसरी मदों पर, शहरों में जैसा जलदाय मंत्रीजी कह रहे थे कि हमने इतने खर्च कर दिये। गांवों के मुकाबले शहरों में दुगनी राशि खर्च कर दी पेयजल पर और गांवों

(102)

(श्री परसादीलाल मीणा)

के सम्बन्धित मंत्री बैठे-बैठे सुन रहे हैं। यह गांवों में जवाब देना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह के खर्चे बढ़ाये हैं, अपनी साख बचाने के लिये, अपनी पार्टी को एक करने के लिये भी सरकारी धन का दुरुपयोग किया है। अध्यक्ष महोदय, क्या जरूरत थी, पौने पांच साल निकाल दिये, मंत्रि-मण्डल बढ़ाने की? दो मंत्री आपके हटे थे माननीय कौशल साहब और देवीसिंहजी भाटी, आप दो मंत्री बनाते। आप पौने पांच साल तक तो इन मंत्रियों से काम चला रहे थे, अब आपने ये+++जो बांधे हैं, मैं गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा,+++जो बांधे हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है, वो गाड़ी दे दी, एस.टी.डी. टेलीफोन दे दिया (व्यवधान)....इसी को, सफेद हाथी हैं।

श्री अध्यक्ष : ये तो इन्सान हैं,+++ थोड़े ही हैं।

श्री परसादीलाल मीणा : इसी को, +++है, ग्रोफ्क में....(व्यवधान)...

श्री मदन दिलावर : +++कैसे कह सकते हैं?

श्री परसादीलाल मीणा : अगर इनके ऐसे थे नहीं, माननीय मुख्य मंत्री जी उस समय विपक्ष में थे। हम उधर बैठते थे, हम इनके भाषण सुनते थे। जे.डी.ए. कांग्रेस ने बनाया था, उसको +++ कहा करते थे कि सारे अफसर +++ बैठे हैं, सारे भ्रष्टाचार में डूब गए हैं। अध्यक्ष महोदय, कहना चाहूंगा इन मंत्रियों को क्या विभाग दे दिया? किसी को सी.ए.डी....

श्री मदन दिलावर (राज्य मंत्री, समाज कल्याण) : +++

श्री परसादीलाल मीणा : किसी को ग्राई.जी.एन.पी., किसी को इरिगेशन। उसी एक विभाग में से बारूबार, किसी को उप-निवेशन, किसी को राजकीय उपक्रम, खुश हो रहे हैं। उनके ऊपर जो राजकीय खर्चा आया है वह राजस्थान की जनता भुगत रही हैं। आज जिस तरह के हालात प्रदेश में है, राजस्थान की जनता, राजस्थान का किसान, राजस्थान में गांव में रहने वाला आज यह आस लगाए बैठा है कि हमारे तार और खम्भे के पैसे कम होंगे। कांग्रेस के राज में तार और खम्भे जैसे फ्री में मिला करते थे किसानों को, उस तरह प्रायोरिटी के कनेक्शन कब मिलेंगे? गांव का विद्युतीकरण कांग्रेस के राज में जैसा हुआ, वैसा कब होगा? गांव में सड़कें कब बनेगी?

अध्यक्ष महोदय, जिस तरह आज गांव के विकास की आप बात कर रहे है, आपके राज मद से गांव में आप एक पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं। गांवों की जो विकास की योजनाएं हैं, वह सारा केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं से हो रहा है-चाहे वह जवाहर रोजगार योजना हो, चाहे वह इन्दिरा आवास योजना हो, चाहे वह आई.आर.डी.पी. की हो, चाहे और दूसरी योजनाएं हो। आपका क्या लेना-देना है राज मद में से? इसलिए आपकी जो यह विकास की ढोल पीटने की बात है, आप अपने दिल में झांकिए 1989 में जब हम हारे थे 25 सीटें, हमने भी ऐसी

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री परसादीलाल मीणा)

ही कोशिश की थी। कल राजस्थान पत्रिका में एक लेख छपा था। हमने भी कोशिश की थी कि मंत्री बनाने से कहीं हमको सत्ता मिल जाएगी, पर हमारा भी वह प्रयास विफल गया। उसी तरह का प्रयास इनका भी विफल जाने वाला है। राजस्थान की जनता पर आज इन्होंने चुंगी खतम करके वाहवाही लूट ली। अध्यक्ष महोदय, आज इन्होंने चुंगी खतम करके वाहवाही लूट ली। क्या हो रहा है बड़ी चौपड़ पर? क्या बैनर लगे हुए हैं बड़ी चौपड़ पर? आपको पहले व्यापारियों को समझाना चाहिए कि चुंगी का यह विकल्प होगा और नगर–पालिका को भी विश्वास में लेना चाहिए कि चुंगी हटने पर आपकी यह व्यवस्था होगी। इधर व्यापारी हड़ताल पर, उधर नगरपालिका के कर्मचारी हड़ताल पर आ-एंगे। इस तरह की अव्यवस्था फैलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इस बजट का उपयोग किया है। राज्य सरकारी खर्चे का दुरूपयोग किया है। सरकार ने जो घोष–णाएं की हैं, वह एक भी घोषणा राजस्थान में लागू होने वाली नहीं है।

हमारे मुख्य मंत्री जी कहा करते थे धौलपुर का बिजलीघर बनेगा, हम भ्रष्टा–चार को मिटा देंगे। अध्यक्ष महोदय, इन अफसरों के खिलाफ मुख्य मंत्री जी बोले थे तब एक बार सवाल उठा था कि मैं सारी चीजें लोकायुक्त को दे रहा हूं। लोकायुक्त ने जांच कर ली, जांच करके लोकायुक्त ने सर-कार को भेज दी, सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की? कावड़िया जी के खिलाफ बहुत बोले। 50 लाख का सीमेंट का एड-वांस ड्राफ्ट दे दिया, खा गए राजस्थान को। इधर आई.जी.एन.पी. को खा गए। आज तक अगर कोई आई.ए.एस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही हुई हो तो बता दे। सरकारी पक्ष बैठा है, किसी के खिलाफ इन्होंने कार्यवाही नहीं की। इस तरह से आज तक भ्रष्टाचार को मुक्त करने की बात है, उनके स्तर से भ्रष्टाचार दूर नहीं हुआ। आज सारी आम चर्चा है एस.पी. का अपां-इटमैंट पैसे लेकर हो, कलेक्टर पैसे लेकर लगे, थानेदार पैसे लेकर लगे, एस.डी.ओ पैसे लेकर लगे तो क्या हम स्वच्छ प्रशा–सन दे सकते हैं?

श्री मदन दिलावर : माननीय सदस्य, ये अपनी परम्परा बता रहे हैं कि ऐसा करते थे, होता नहीं है। आप पैसे ले-लेकर अधिकारियों को लगाते थे।

श्री परसादीलाल मीणा : यह राजस्थान की जनता आपको पूछेगी। आपका नम्बर आए तब, मंत्री जी, आप कह दें। आप इधर आएंगे तो इधर से आज जो कुछ पूछेंगे, कहेंगे वह हम उधर बैठकर सुनेंगे। आप चिंता मत रखिए।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : आप सुनने की क्षमता रखो।

श्री शांतिलाल छोईवाल : आप बता दे कि अमुक व्यक्तियों को लगाने के लिए अमुक व्यक्ति ने यह किया है तो उसकी जांच हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है।

श्री परसादीलाल मीणा : जब आप इधर आएंगे, जब आप इधर बैठेंगे हम उधर बैठेंगे तब आप जो भी कहेंगे, हममें सुनने की क्षमता है।

श्री मदन दिलावर : +++

श्री परसादीलाल मीणा : जवाब देने की क्षमता है। जिस तरह के आज ये सरकारी खर्चे बढ़ाये जा रहे हैं...मितव्ययता, यह सी. ए. जी. रिपोर्ट है, इसमें बारां में कोई तेंदु पत्ता संग्रहण किया गया था, माननीय कौशल साहब मंत्री थे, विभाग ने अपने स्तर पर करवाया उसमें 40 लाख का घाटा गया। कौन जिम्मेदार है उसके लिए ? किसको आपने पनिश किया ? विभाग ने 40 लाख का सरकारी +++ लगा दिया।

इसी तरह राजेश जी पायलेट जब भारत सरकार में वन और पर्यावरण मंत्री थे, उन्होंने बाणगंगा परियोजना और मोरेली परियोजना, दौसा जिले में दो परियोजनाएं सैंक्शन कीं। अध्यक्ष महोदय, अगर आप उनको देखें, जो करोड़ों रुपये खर्च किए, चार करोड़ की योजना थीं, उनमें से कहीं भी 10 परसेंट से ज्यादा पौधे जीवित नहीं हैं। इनकी सी. ए. जी. रिपोर्ट बता रही है। किस तरह का भ्रष्टाचार खुला ? इन्होंने वन विभाग के अधिकारियों से चुनावों में चन्दे लिये हैं, इनके नेताओं ने चन्दे लिये हैं। जिला स्तर पर उनका शोषण हुआ है। इलाके में मोरेल परियोजना पड़ती है, एक गांव का मैंने सवाल लगाया, अगर एक भी पौधा मिल जाए। लेकिन सारी मस्टर रोल भर ली गयी। यह आपकी सी. ए. जी. की रिपोर्ट कह रही है, हमने मस्टर रोल भरी ही नहीं, हमने तो वैसे ही पेमेंट कर दिये। इस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है, पैसा बहाया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, आप ले लीजिए पी. डब्ल्यू. डी. को। सड़कों की क्या हालत है ? आज डामर चोरी के सैकड़ों मुकदमें दर्ज हैं। उनको बचाने में कौन लगे हुए हैं? सरकारी ठेकेदार, आजकल तो सरकारी पार्टी के ठेकेदार हो गये। सब जगह पी. डब्ल्यू. डी. में बी. जे. पी. के सब कार्यकर्ताओं को चाहे जिला परिषद का सदस्य हो, कोई जिले का अध्यक्ष हो, सबको ठेकेदार बना दिया। ललित जी ने अपनी पार्टी का विस्तार करने के लिये, पार्टी में अपनी मजबूत पकड़ करने के लिये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जो एम. एल. ए. बनने से रह गये, उनको सरकारी ठेकेदार बना दिया। उनके बिल्ला लगा हुआ है—अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी। अगर कोई जे. ईएन., ए. ईएन. और एक्स. ईएन. उनका काम नहीं करें तो वे कहेंगे, हम ललित जी भाई साहब से तुम्हारा ट्रांसफर करवा देते हैं। उसी का नतीजा है कि इन पिछले पांच सालों में दौसा में एक्स. ईएन. के दस ट्रांसफर हुए हैं, दस एक्स. ईएन. बदले गए हैं। पिछले टाईम दौसा जिले के एम. एल. ए. ने यह सवाल उठाया उसके बाद रोक लगी है, ललित जी के कान खुले हैं। ललित जी को हम बहुत अच्छा मानते थे, पर ललित जी जिस तरह से राजनीति विकास के कामों में करते हैं, राजेन्द्र जी पारीक का पुल सैंक्शन नहीं करें। क्या आफत आ रही है आपको भारत सरकार को, रेल मंत्रालय को उसका

+++शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री परसादीलाल मीणा)

प्रपोजल भेजने में ? सारे एस्टीमेट बना लिये, क्या आ रही है आपको आफत कि वहां से कांग्रेस का एम. एल. ए. है ? कोथून का पुल क्यों नहीं भेजा जा रहा है? उन्होंने कहा था सार्वजनिक मंच पर कि कोथून का पुल मैं बनाऊंगा और जवाब दे रहे थे उस दिन भी कह रहे थे मैं राज मद से बनाऊंगा। क्यों आप राज मद के बेकार कर रहे हैं पांच करोड़ रुपये ? आप क्यों नहीं भारत सरकार को उसको भेजते। टोल टैक्स से आपकी वसूली होगी, उसमें क्या आफत आ रही है आपको ? विकास के कार्यों में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जी इस तरह की राजनीति कर रहे हैं। जिस तरह का घिनौना कार्य कर रहे हैं अधिकारियों की अदला-बदली में, कलक्टर ठीक नहीं, एक्स. ईएन. ठीक नहीं, यह अधिकारी ठीक नहीं रोज इस धन्धे में लगी हुई है सारी पार्टी।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहूंगा, कालेज खोलने में देख लीजिए आप। रतनगढ़ में कालेज खुल जाएगा। करौली में एक भी निर्दलीय विधायक का समर्थन लेने के लिये कहा, वहां जिला बन जाएगा। ब्यावर के माननीय सदस्य अगर निर्दलीय विधायक होते तो, उगमराज जी, ब्यावर भी आज जिला होता। भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं इसलिए जिला नहीं बना। हम कांग्रेस के विधायक हैं इसलिए मंत्रियों के घोषणा करने के बाद भी हमारे लालसोट में कालेज नहीं खुलता। आज इस तरह का ये शोषण कर रहे हैं। जयपुर में पुल बनाएंगे, कोटा में पुल बनाएंगे। कोटा के लिए मंत्री जी को कुछ कह दो, तत्काल पुल बना दें। मंत्री जी आप तो नौकरी करते थे, आप सरकारी खर्चे पर जीवित थे, कोटा का विकास कांग्रेस ने किया है, कोटा के विकास के लिए जो देन है, वह कांग्रेस की देन है।

श्री मदन दिलावर : इंजीनियरिंग कालेज, मेडिकल कालेज, यूनिवर्सिटी आप आप बना रहे हो वहां ?

श्री परसादीलाल मीणा : अगर कांग्रेस इस तरह काम करती तो, मदन दिलावर, आपका कहीं पता नहीं लगता, कहीं बीड़ी के पत्ते बीनते आप बैठकर। यह कांग्रेस की देन है कि आप यहां बैठे हो। कांग्रेस अगर यह देन नहीं देती, मदन दिलावर उस सीट पर नहीं बैठते। आपको ज्ञान होना चाहिए, जिस तरह का हमारे साथ में नौ साल में सौतेला व्यवहार हुआ है, आज हम उस बात को लेकर बैठे हैं। अध्यक्ष महोदय, जनता हमको चुनकर भेजती है, विपक्ष के लोगों को भी, पर इन्होंने जिस तरह नौ साल तक हमारे साथ व्यवहार किया है, कई मंत्रियों के तो हमने दरवाजे भी नहीं देखे। ये कहते हैं कि हल्के लोग हैं कि हमारे पास यह काम कराने आए थे, इसलिए हमने इनका काम नहीं किया, इसलिए हमारे खिलाफ बोलते हैं। पर आज हम कह सकते हैं कि इनके आधे से ज्यादा मंत्रियों के हमने कभी दरवाजे नहीं देखे। न ऑफिस के देखे, न इनको कोई पत्र लिखा। हम जानते हैं कि निहाल कुछ करने वाले नहीं हैं। +++ दूसरे को क्या निहाल करेंगे।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री परसादीलाल मीणा)

माननीय भंवरलाल जी हमारे सामने बैठे हैं, इन्होंने हमारी कुछ योजनाएं सैंक्शन कीं पर भंवरलाल जी के जब पीछे से गियर लगा, पार्टी का गियर लगा तो इन योजनाओं पर + + + मंजूर की, मैं नहीं कहता मंजूर नहीं की....

श्री अध्यक्ष : जैसे आपके लगा रहे हैं। जैसे पार्टी का गियर आपके लग रहा है इस समय।

श्री परसादीलाल मीणा : पार्टी का गियर लग रहा है, बी. जे. पी. का गियर लग रहा है कि हमारी पार्टी कैसे जिन्दा रहे। पर, अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस ने कभी यह नहीं सोचा था। हमारे स्वर्गीय मुख्य मंत्री श्री हरिदेव जी जोशी जब स्कूल खोलते थे, हमारी पार्टी का आदमी, अगर वहां से हारा हुआ आदमी है, तो यह कहते थे 200 विधान सभा क्षेत्रों में स्कूल खुले। आज कटारिया जी कह रहे हैं, कटारिया जी ने नौ साल में सिर्फ मुझे एक स्कूल दिया है। सिर्फ एक स्कूल दिया है। आप हमसे बार-बार लिस्टें लेते हैं कि आप प्रस्ताव भेजिये, आपके स्कूल खोलेंगे। 9 साल में एक। आज कहते हैं कि 50 स्कूल सैकण्डरी, 50 सीनियर, किस को बाटेंगे आप? अपने चहेतों को बांटेंगे, आप इनको बांटेंगे इसलिए हमसे बजट पास करा रहे हैं। जब आप इधर आओगे तब आपका क्या होगा, कटारिया जी सोचिये।

(15.00 बजे)

(श्री टीकमचन्द कान्त, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, आपको मेरी ओर से बधाई।

श्री सभापति : धन्यवाद।

श्री परसादीलाल मीणा : आज जिस तरह के हालात हैं....

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : आशा है कि आप संतुलित रह कर हमारी भी सुना करेंगे।

श्री सभापति : मैं संतुलित हूं। आप लोग संतुलित रह जाएं, यह ठीक है।

एक माननीय सदस्य : आसन तो संतुलित ही रहता है।

श्री राजेन्द्र पारीक : संतुलित हैं लेकिन मानसिक संतुलन आप बनाये रखेंगे।

श्री सभापति : यहां आने पर तो मानसिक संतुलन बनाये रखते हैं।

श्री परसादीलाल मीणा : सभापति महोदय, आज राजस्थान में बेरोजगारी की समस्या है। भारतीय जनता पार्टी ने 1990 का चुनाव घोषणा पत्र जारी किया था कि हम हर हाथ को काम देंगे, हर खेत में पानी देंगे। पोस्टर लगाये गये थे बड़े-बड़े। सभापति महोदय, आज 11 लाख बेरोजगारों का पंजीकरण है राजस्थान में और उस पर इन्होंने एक बहुत बड़ी राजस्थान के युवाओं पर तलवार और लट-

---

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री परसादीलाल मीणा)

कायी है और वह तलवार यह है कि सेवा-निवृत्ति को इन्होंने 58 से 60 कर दिया। इसलिए कर दिया कि आपके बजट में घाटा बहुत बढ़ रहा था। आपने युवाओं का गला काट दिया। सभापति महोदय, अगर हमारे युवा नौकरी नहीं लगे तो आज जो गांवों में अपराधी बढ़ रहे हैं वे क्यों बढ़ रहे हैं? अपराध बढ़ रहे हैं क्यों बढ़ रहे हैं? पढ़े–लिखे लोग क्या कर रहे है? वे यह कह रहे हैं कि हमने पढ़ाई की, हमारी पढ़ाई बेकार गयी, इससे तो अच्छा है हम कहीं मर जाएं।

सभापति महोदय, आज सिंचाई की परियोजनाएं ले लीजिये। इनके लोग भाषण देते हैं, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया 40 साल में, यह आई. जी. एन. पी. किसने बनायी? महावीरजी, बीसलपुर की आधारशिला, इसकी योजना किसने बनायी? ब्यावर को पानी पहुंचाने का किसने सोच पैदा किया? ठीक है आप राज्य में आ गये और शुरू हम कर गये आपने उस योजना को वहां पर लिया, लेकिन आपकी तरह राजनीतिक आधार पर चन्दनमल जी बैद के यहां पानी बंद नहीं करवाया हमने कहीं। हमने कहा कि ब्यावर और अजमेर जिले को पानी चाहिये, योजना बनायी, स्वर्गीय हरिदेव जी जोशी ने एक सोच किया। माही किसने बनायी? आपने कोई चीज बनायी हो तो उसका नाम हमको बताएं। सारे राजस्थान का सत्यानाश कर दिया आपने 9 साल में। आज आपकी जो राजस्थान में दुर्दशा हुई है, अभी 25 में से 5 और आने वाले 200 में से आपके 20 भी नहीं बचेंगे, अगर इस तरह का सोच रहा। सारे राजस्थान का विकास करने के लिए आप दीजिये शिक्षा मंत्रीजी को 200 स्कूल।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अभी आपने अपने प्रारम्भ में कहा था कि विकास का ढोल मत बजाओ, इसका मतलब आप विकास विरोधी हो। यह जनता ऐसे फूलने वालों को माफ नहीं करती है। विकास के लिए वोट नहीं मिलते, यह गलत धारणा है। यह आने वाला विधान सभा का चुनाव आपको बताएगा कि किस प्रकार आप अपने आप को भूले हुए हो।

श्री परसादीलाल मीणा : आप बैठों मेहरबानी कर के। आप पड़ौसी हो मेरे, आप पड़ौसी से मत लड़ो, नुकसान खा जाओगे।

श्री मदन दिलावर : घमंडी का सर नीचे होता है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप तो नुकसान कर सकोगे कि नहीं कर सकोगे, पर आप जानते हैं मैं नुकसान कर सकता हूं।

श्री परसादीलाल मीणा : आपका तो नुकसान पहले ही हुआ है। आप जिसकी बात करते हो वह तो पहले ही कर रखा है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप स्वयं जानते हो, मुझे चैलेंज मत करो।

श्री परसादीलाल मीणा : क्या, आपको चैलेंज है, आप में जितनी ताकत है उतना नुकसान करो।

श्री महावीर प्रसाद जैन : और मेरा भी चैलेंज है।

श्री परसादीलाल मीणा : चैलेंज क्या है, आप तो वैसे ही हारे हुए हो दस हजार से अभी, दस में और जुड़ जाएंगे थोड़े-बहुत।

श्री महावीर प्रसाद जैन : काहे के हारे हुए हैं ?

श्री परसादीलाल मीणा : आप तो वैसे ही हारे हुए हो।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप कई बार हारे हो। 1984 में चुनाव में हारे हो, कई बार हारे हो। यह हार और जीत चलती रहती है, इसमें फूलो मत। कई कारण होते हैं हार और जीत के।

श्री परसादीलाल मीणा : मैं कभी कोई चुनाव नहीं हारा। महावीर जी, तीन चुनाव लड़ा हूं तीनों जीता हूं और आपकी कृपा से कभी चुनाव नहीं जीता और ना कभी जीतने वाला।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं भी किसी की कृपा से नहीं जीता हूं।

श्री राजेन्द्र पारीक : सभापति महोदय, इनको रोकिये +++

श्री सभापति : मैं सोचता हूं अपने आप संतुलित हो जाएं तो ठीक है।

श्री परसादीलाल मीणा : सभापति महोदय, जिस तरह के हालत आज राजस्थान में है, आप पशु चिकित्सा में ले लो। आयुर्वेद में ले लो। आयुर्वेद के नर्सेजकर्मी 70–72 दिन से धरने पर हैं, सरकार की आंख नहीं खुलती। वे अपना अनशन किये बैठे हैं। धरना दिये बैठे है। सारे राजस्थान के आयुर्वेद नर्सेज कर्मी स्टेच्यू सर्किल पर 72 दिन से धरने पर बैठे हैं, सरकार उनकी सुध नहीं लेती। वेतन आयोग की सब वर्ग के कर्मचारियों अधिकारियों को सुविधा दे रहे हैं, आई. ए. एस. को और आर. ए. एस. को दे दीं, आप इन नर्सेजकर्मी को क्यों नहीं दे रहे हैं ? आप दीजिये इनको भी, कर्ज में और कर्जा। पर आज जिस तरह के सरकार के हालात हैं, सरकार जिस तरह से काम करना चाहती है, लोगों को रुला–रुला कर देना चाहती है।

आज जिस तरह से कहते हैं हमने गरीबों का बहुत सहारा किया, राजस्थान का बहुत भला किया, सभापति महोदय, विधान सभा के चुनावों में जो बी. जे. पी. की हार के कारण हैं उनमें एक कारण यह भी है, जो आपकी पार्टी मीटिंग में तय हुआ है कि हमने चुनाव से पहले रोडवेज का किराया बढ़ाया। क्यों बढ़ाया किराया? किसने कहा था आपको ? आपने किराया तीस प्रतिशत बढ़ाय। आपने दिल्ली से जयपुर जाने वाली गाड़ियों का कौनसा कम किया ? आप कह रहे हैं, किराया कम कर दिया। इन मंत्री को तो चुनाव जीतना नहीं, इनको चुनाव लड़ना नहीं आपकी पार्टी से इसलिए, सभापति महोदय, ये आपकी पार्टी को डुबोएंगे। यह मेरा आपसे निवेदन है कि अगर चुनाव जीतना है तो आपने जो रोडवेज का किराया बढ़ाया, उस पर विचार करें।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री परसादीलाल मीणा)

आज बिजली में गांवों की हालत देख लें, 9000 से 12,000 खम्भे की रेट कर दी। लोगों के डिमांड नोटिस पड़े हैं, किसान रो रहे हैं एक साल से कि हमने 9000 में एप्लीकेशन लगायी थी 12,000 में नहीं लगायी थी। इस तरह के हालात पैदा किये हैं। सभापति महोदय, आज राजस्थान में एक ही बात है कि बी.जे.पी. ने इस राजस्थान के विकास का बी.जे.पी. करण कर दिया। सब जगह ठेकेदार पैदा कर दिये। शिक्षा मंत्रीजी बैठे हैं, इन्होंने जरूर इस विभाग को बचाया हैं। स्कूल खोलने के अलावा इन्होंने एक ट्रांसफर पालिसी बनायी और उस पालिसी पर इनको चाहे विरोध सहने पड़े हों, पर इन्होंने किसी भी राजनीतिक आधार पर किसी भी अध्यापक का ट्रांसफर नहीं किया। और विभागों का हाल देखो। इनसे इन और मंत्रियों को शिक्षा लेनी चाहिये कि राजनीतिक आधार पर नहीं हो।

सभापति महोदय, हमारे पेयजल की योजनाएं, हुडको की योजनाए, दूसरी योजनाएं अधूरी पड़ी हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आज सरकारी खर्चा, मंत्रियों का खर्चा देखो। सी.ए.जी. की रिपोर्ट में हमारे मंत्रियों पर निजी काम में लेने पर गाड़ियों के पैट्रोल का किराया बकाया निकल रहा है, और उसकी मंत्रिमंडलीय उप समिति बना कर लीपापोती कर रहे हैं। आपको सरकारी दो गाड़िया मिली हुई हैं, आप ज्यादा पैट्रोल जलाएंगे तो अगर आप में नैतिकता है तो तुरन्त सरकारी खजाने का जो पैसा है, सी.ए.जी. की जो रिपोर्ट है, वह जमा कराना चाहिये। कैसे बैठे हैं मंत्रिमण्डल में सी.ए.जी. के आब्जैक्शन के खिलाफ ? आपको पैसा जमा कराना चाहिये।

इस तरह से आप बीसलपुर में देख लीजिये। सभापति महोदय, जिस तरह के काम हुए, आपके आने के बाद करोड़ों रुपये का चूना लगाया है। वहां स्टील प्लेट की दीवार बनायी गयी और प्लेटें बनवायी गयीं, वो काम में नहीं आयीं। 20 लाख रुपये बरबाद हो गये। जो ठेकेदार वहां पर थे, सभापति महोदय, अगर सी.ए.जी. की रिपोर्ट पढ़ें, अगर सरकार कार्यवाही करे तो ठेकेदार ने इस बीसलपुर में करोड़ों रुपये का घपला किया है। और घपले करने में आपके सरकारी विभाग के अधिकारी, इंजीनियर, चीफ इंजीनियर ठेकेदार के साथ शामिल हैं। ठेकेदार ने काम ही नहीं किया। दायीं मुख्य नहर का काम कर दिया तीन किलोमीटर का, काम नहीं आयी, दूसरी जगह काम था दूसरी जगह कर दिया, एक करोड़ रुपये का चूना लग गया। बीसों करोड़ों रुपया लग गया। जो बीसलपुर का अनियमित काम हुआ है, सी.ए.जी. ने आपके खिलाफ चार्ज लगाये हैं। जिस तरह की आपकी योजनाएं हैं, सभापति महोदय, मैं आपको कहना चाहूंगा कि राजस्थान में पैसे का दुरुपयोग किया गया है।

आज स्कूलों की हालत देख लें, शिक्षा मंत्रीजी बैठे हैं। हम को अलवर बुलाया गया कि आपके अध्यापक लगेंगे। शिक्षा मंत्रीजी, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आपके कहने के बाद अगर हम मीटिंग में नहीं जाते हो सकता था हमारे अध्यापक लग जाते, पर आपके बुलावे पर अलवर

(श्री परसादीलाल मीणा)

गये उसके बाद एक लैक्चरर नहीं लगा। पूरी परीक्षाएं हो गयीं, न आपके मिडिल स्कूलों में हैडमास्टर लगे, न आपके सब्जेक्ट लैक्चरर लगे। ऐसी हालत आपने पूरे साल हमारे क्षेत्र की बना रखी है। आज भी सैकड़ों पद हमारे इलाके में अध्यापकों के थर्ड ग्रेड के खाली हैं। यही हालत पंचायत राज विभाग की है। कह रहे हैं कि हम दो टीचर लगाएंगे, आज भी पचासों स्कूलों में हमारे सैकड़ों पद खाली हैं। आप फाइनेंस डिपार्टमेंट से उनकी स्वीकृति नहीं देते। जिला परिषद में जगह निकाल दी, आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इन्टरव्यू ले लिये, शिक्षा मंत्रीजी, उनके अपाइंटमैंट क्यों नहीं हो रहे? आपने लिस्टें बना लीं, अपाइंटमैंट क्यों नहीं हो रहे एक–एक, डेढ़–डेढ़ महीने में? कब करेंगे आप अपाइंटमैंट? मेरा आपसे निवेदन है कि आज अध्यापक हो चाहे डाक्टर के पद हों, सब गांवों में खाली मिलेंगे। सरकार का सोच है कि शहरों में काम करो, गांवों को पीछे छोड़ो। अध्यापक का मामला है, हमारे एक अध्यापक से मिडल स्कूलें चल रही हैं जबकि शहर में आप जाओ तो पांच–पांच, दस–दस अध्यापक हैं। 10 लड़के और 10 अध्यापक मिलेंगे आपको। ऐसे भी उदाहरण हैं जहां लड़का एक नहीं था वहां भी आपके स्टाफ ने तनख्वाह उठायी है दस–दस अध्यापकों की। ऐसे भी उदाहरण आपके आये हैं। शिक्षा मंत्रीजी, आप गांवों की तरफ ध्यान दें। आप आये हैं न, उदयपुर से चुन कर नहीं आये हैं....

श्री गुलाबचन्द कटारिया : एक–दो नाम बता दो कृपा करके तो मैं कुछ कार्यवाही करूं।

श्री परसादीलाल मीणा : हां, बता दूंगा नाम आपको मैं। जयपुर शहर का है। एक लड़का नहीं और अध्यापकों का वेतन उठ रहा है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : बता तो दो।

श्री परसादीलाल मीणा : मैं आपको नाम बता दूंगा अध्यापकों की नियुक्ति समय पर करें। जब आप स्कूल खोल रहे हैं, बजट ले रहे हैं, हमारे को बजट दे रहे हैं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : सभापति महोदय, बड़ी नम्रता के साथ मैं सोचता हूं कि शिक्षा विभाग में अध्यापकों के चयन का जो तरीका है वह 100 प्रतिशत सही और मैरिट के आधार पर है।

श्री परसादीलाल मीणा : हां, वह तो है। उसके लिए आपको धन्यवाद।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मैरिट बनाने में समय लगता है। एप्लीकेशंस के बाद उसको जमाने में और मैरिट को अनाउंस करके फिर उसके बाद सात दिन का समय और देते हैं कि अगर किसी की शिकवा–शिकायत है तो वह उसको और दर्ज कराए उसके बाद फाइनल लिस्ट बनती है, 31 मार्च तक वही लिस्ट काम आती है। मैं सोचता हूं कि इतना परफैक्ट तो हिन्दुस्तान में कहीं नहीं होगा जो हमारे यहां भर्ती का सिस्टम है। क्या बात कर रहे हो?

श्री परसादीलाल मीणा : डेढ़ महीना हो गया अब तक नहीं लगाये अध्यापक। डेढ़ महीने में नहीं लगाये, एक महीना निकल गया पूरा पढ़ाई का। अध्यापकों की पोस्ट खाली पड़ी हुई हैं। गत वर्ष निकल गया पूरा, आपने गत वर्ष एक भी नहीं लगाया। पूरे पद खाली पड़े हैं।

(श्री परसादीलाल मीणा)

सभापति महोदय, ग्राज हमारा पूरा दौसा जिला डार्क जोन में है, कोई सरकारी सुविधा किसान को मिल नहीं पा रही है। न उनको पम्प सैट मिलते हैं, न उनको डीजल सैट मिलते हैं, न कोई ग्रौर मिलता, आज जो भारत सरकार की स्कीम है वाटर शेड की, उस वाटर शेड की स्कीम के करोड़ों रुपये डी.आर.डी.ए. में पड़े हैं।

श्री सभापति : सारे विषय ले रहे हैं क्या ग्राप?

श्री परसादीलाल मीणा : एक–दो ग्रौर ले लेता हूं आपकी ग्रनुमति से। ग्राप पहली बार आये हैं। पहली बार मैं बोल रहा हूं आपके सामने।

सोइल कंजरवेशन इनका डिपार्टमैंट है वाटर शेड की एक स्कीम भारत सरकार की है। उसमें हर ब्लाक में जो भी एस. आर.वाई. का पैसा ग्राएगा....

श्री हरिसिंह (महुग्रा) : सभापति महोदय, मुबारक हो।

श्री परसादीलाल मीणा :....उसमें से 50 प्रतिशत राशि वाटर शेड पर खर्च करेंगे। वाटर शेड का सदुपयोग इनके पी.डी., इनके कलक्टर ग्रौर इनके इंजीनियर सभापति महोदय, समझ नहीं पा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ग्रापका उद्देश्य है पानी को रोकना। गांवों में पानी रोकना है, हर गांव में एनीकट बना दो आप। पानी रुक जाएगा किसी के खेत में जाकर। झूट-मूठ डोला बांधकर, पाल बांधकर, वाटर शेड का वाटर लेवल नीचे थोड़े ही होगा उससे। सभापति महोदय, आप एनीकट बनाए इस वाटर शेड के स्थान पर। ग्राप भारत सरकार को यह सजैस्ट करिये, मंत्रीजी, कि वाटर शेड के लिए नहीं एनीकट निर्माण के लिए राज्य सरकार को ग्रलाउ किया जाए, हमारा पैसा जो डी.ग्रार.डी.ए. में पड़ा है वह सारा पैसा काम में ग्रा जाएगा। ग्राज कुग्रों का जल स्तर, यह सही बात है, ज्यादा हो रहा है, पानी की सिंचाई की सुविधाएं ज्यादा बढ़ी हैं। लेकिन तालाब सूख गये, कुएं सूख गये ग्रौर पानी का लेवल दिनोंदिन नीचे बैठता जा रहा है। ग्रगर हमने समय रहते उसको नहीं सोचा, समय रहते अगर उपाय नहीं किये तो राजस्थान में पीने के लिये पानी नहीं मिलेगा। ग्रगर इसका कोई कारगर उपाय है तो यह है कि छोटे-छोटे एनीकट बनाग्रो, हर गांव में बनाग्रो। जहां पानी बह रहा है उस गांव को गांव का पानी मिलना चाहिए। एनीकट बना दीजिये। यह वाटर शेड ग्रौर खेतों की लेवलिंग से हमारा पानी रुकने वाला नहीं है ग्रौर न ही वाटर लेवल को ठीक करने का कोई फायदा होने वाला है। तो ग्रापसे निवेदन है, राज्य सरकार को यह सोचना चाहिए कि वाटर शेड के पैसे का हम कैसे सदुपयोग करें। उसकी गाइड लाइन्स ग्रफसरों ने बनायी हैं, यदि उन ग्रफसरों की सजा राजस्थान की जनता भुगते, राजस्थान का किसान भुगते तो यह ठीक नहीं है। हम सारे सदस्य जो गांवों से चुनकर ग्राते हैं ग्रगर उस योजना को ठीक नहीं मानते हैं तो हमको एक प्रस्ताव पारित करना चाहिए कि ग्राप वाटर शेड की जगह एनीकट बनाए जिससे राजस्थान में यह पैसा काम ग्राए।

(श्री परसादीलाल मीणा)

मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि आप हैल्थ डिपार्टमेंट को देखे लो। पांच–पांच साल और आठ–आठ साल हो गये प्राथमिक स्वास्थ्य और उप स्वास्थ्य केन्द्र खुले हुए, उन केन्द्रों में आज ए.एन.एम. नहीं हैं, हास्पिटल्स में डाक्टर्स नहीं है। आयुर्वेद में 200–250 पद वैद्यों और कम्पाउण्डर्स और क्लास फोर्थ के खाली पड़े हैं। क्यों नहीं लगा रही है यह सरकार? सरकार कहती है कि आर.पी.एस.सी. करेंगे। आप जैसे....

श्री अचलाराम (राज्य मंत्री, आयुर्वेद): सभापति महोदय, थोड़ा–सा डिस्टर्ब कर दूं। पांच वर्ष पहले तो 700 के आसपास चिकित्सकों के पद खाली थे।

श्री परसादीलाल मीणा : अब कितने खाली हैं?

श्री अचलाराम : 721 की भर्ती कर दी, 153 अब खाली है उसका प्रोसेस में है और कुछ मामले कोर्ट में चल रहे हैं उसके बाद कर लेंगे।

श्री परसादीलाल मीणा : 121 औषधालय इनके बन्द हैं इन्हीं के शब्दों में।

श्री अचलाराम : 365 कम्पाउण्डर्स की भर्ती की है अभी और 158 की भर्ती हम करने जा रहे हैं लेकिन कोर्ट में मामला अटका हुआ है। यह निपटते ही हम और कर लेंगे। आपने बजट सम्बन्धी बात बतायी, सिर्फ 54 करोड़ का बजट था जब हम मंत्री बने। अब 100 करोड़ के आसपास बजट है। करीब 60 प्रतिशत के आसपास बजट भी बढ़ा है। औषधि के मद में जो बजट है 97 लाख का था, आज 2 करोड़ 28 लाख का है। 130 प्रतिशत के आसपास बजट इसमें बढ़ा है। और हमारे चिकित्सकों की क्या हालत थी? आज एलोपैथिक चिकित्सकों के बराबर उनका कैडर बढ़ा है। ये उपलब्धियां तो हैं ही। हां, यह बात सही है कि औषधालय कम खुले हैं। 30 पहले खुले थे और 25 अब खुले हैं। आपने मांग भी कब की है? गये साल सिर्फ छः कट मोशंस आये थे। छः के मुकाबले 25 औषधालय खुले हैं, और भी खोलने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।

श्री हरिसिंह (महुआ) : राजस्थान के टोटल बजट का 1.5 प्रतिशत मिल रहा है आपको। आज पूरे संसार में और विदेशों में आयुर्वेद पद्धति पर लोगों का ध्यान केन्द्रित हो रहा है। (व्यवधान)

श्री अचलाराम : अब 5 प्रतिशत मिल रहा है। 1990 के पहले कितना प्रतिशत मिल रहा था, वह भी बता दूं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : .... (व्यवधान) आयुर्वेद को जो बजट दिया है, इससे खराब स्थिति और क्या हो सकती है?

श्री अचला राम : माननीय हरिसिंह जी परसादीलाल जी, 1990 के पहले कितना प्रतिशत मिलता था, वह भी बता दूं? सिर्फ 40 करोड रुपये का प्रावधान था। आज तो ...

श्री परसादीलाल मीणा : विराजो आप।

श्री अचलाराम : धन्यवाद।

श्री परसादीलाल मीणा : माननीय सभापति महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री

(श्री परसादीलाल मीणा)

जी ने कहा, हमारे 121 औषधालयों में वैद्यों के पद खाली हैं। एक साल से, डेढ़ साल से पद खाली हैं। जैसाकि आज हैल्थ मिनिस्टर साहब ने जवाब दिया कि डाक्टर्स के जितने भी पद खाली हैं उनको वे एडहॉक पर भरेंगे, आप क्यों नहीं भर देते हो? आप में ताकत नहीं है? आप भी भर दीजिये एडहॉक पर।

श्री अचलाराम : मामला प्रोसेस में है।

श्री परसादीलाल मीणा : आज करीब दो साल हो गये, आप क्यों नहीं भरते हो आयुर्वेद के पदों को?

श्री अचलाराम : कोर्ट में लगी हुई रिट्स के समाप्त होते ही हम ये पद भर लेंगे।

श्री किशन गोपाल कोगटा : ऐसे सवाल जवाब नहीं चलेगा।

श्री परसादीलाल मीणा : इनके कोर्ट में कोई मामला नहीं है।

श्री सभापति : सवाल-जवाब मत कीजिये। आप अपनी बात कह लें थोड़ा। कृपया समाप्त करें।

श्री परसादीलाल मीणा : सभापति महोदय, यही हाल आपके दूसरे विभागों का है, कहीं चले जाओ। आज लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति खराब हो रही है। नये थाने खोलने हैं, नवीं पंचवर्षीय योजना में थानों के प्रस्ताव आये है, लेकिन आपने थाने नहीं खोले है। जब प्रदेश में लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति इतनी खराब हो रही है, आपको नये थाने खोलने चाहिए। एक भी थाना इस साल नहीं खोला, गये साल नहीं खोला आप शहर में जरूर खोल देंगे, शास्त्रीनगर में दो थाने बना दो, हवामहल में दो थाने बना दो। गांवों में लोग सुरक्षित नहीं हैं। गांवों में गरीब लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं, गांवों में गरीबों के साथ अन्याय हो रहे हैं, पुलिस में जाते हैं तो यह कहते हैं कि हमारे पास स्टाफ नहीं है। किसी गरीब का खेत जोत लिया तो थानेदार कहेगा, हमारे पास स्टाफ नहीं है, हम आपकी मदद नहीं कर सकते हैं। आपके जयपुर में 20-25 थाने हैं। आपने दो रेंज बना दीं, जयपुर शहर में दो एस. पी. बना दिये। सभापति महोदय, अगर इस सरकार का गांवों के प्रति सोच होता तो गांव में जैसे कल हरिजन की हत्या हुई, रात को पकड़ कर ले गये, वह नहीं हो पाता। आज इस तरह का कोई भी क्राइम हो जाए, कहीं भी कोई बात हो जाए, गांवों में इनका न तहसील खोलने का है, न थाने वहां पर खोलेंगे। अगर कोई निर्दलीय सदस्य इनकी सरकार को समर्थन दे तो वहां तो जिला भी खोलने को तैयार हैं सरकार बचाने के लिए। इस पार्टी में अगर कोई नुकसान की बात हुई है तो यही है। ठीक है आपको जनता ने ज्यादा सीटें दीं, 95 एम. एल. एज. आपके जीते हैं परन्तु आपने जिस तरह के हालात पैदा किये सरकार बनाने के लिए, जिस तरह की आपकी सरकार की छवि बनी यह मैं नहीं कह रहा, 1996 के लोकसभा के चुनाव के बाद राजस्थान पत्रिका में एडीटोरिल छपे, इस सरकार के मंत्रियों के खिलाफ टिप्पणी की गयी कि पूरा मंत्रि-मण्डल कोल्ड स्टोरेज के आलू, ऐसी टिप्पणी कांग्रेस के मंत्रियों के

(श्री परसादीलाल मीणा)

खिलाफ अभी 40 साल में नहीं की गयी। पार्टी के अध्यक्ष पर टिप्पणी की गयी, सभापति महोदय, उनके खिलाफ मुकदमा किया गया।

श्री किशन गोपाल कोगटा : कांग्रेस के राज में रोज अखबारों में कई स्कैंडल्स आते थे, कोई पूछने वाला ही नहीं था। कहते थे कि रोज यह क्या मामला हो गया है। आप तो उन पुराने दिनों को याद रखो जो जनता ने ... (व्यवधान)

श्री सभापति : विराजें।

श्री परसादीलाल मीणा : सभापति महोदय, आज जिस तरह के हालात हैं, लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति....

श्री किशन गोपाल कोगटा : कोई पुड़ी खाता था, कोई सोना खाता था और कोई क्या खाता था। रोजाना बड़े-बड़े स्कैंडल्स आते थे।

श्री सभापति : वे समाप्त कर रहे हैं अपना वक्तव्य, आप विराजें।

श्री हरिसिंह (महुआ) **:** कोगटा साहब, अब तो सभापति का पद भी खाली नहीं है।

श्री परसादीलाल मीणा : हमारे हिण्डौन से आने वाले ... (व्यवधान) अब तो सभापति का पद भी भर दिया गया आज, अब क्या करेंगे आप ?

श्री हरिसिंह (महुआ) **:** आप स्टाफ की परफोरमेंस दिखा रहे हो।

श्री किशन गोपाल कोगटा : .(व्यवधान).... हम तो राज करेंगे ही करेंगे और आप लोगों की धज्जियां उड़ाएंगे।

श्री परसादीलाल मीणा : सभापति महोदय, मेरी सरकार से मांग है, माननीय मंत्री जी मंत्रि-मण्डल के बहुत वरिष्ठ सदस्य बैठे हैं, आपने जनता से वायदा किया है कि लोकायुक्त की रिपोर्ट में जितने भी अधिकारियों के खिलाफ टिप्पणी की गयी है चाहे वह आई. ए. एस. काबड़िया हो, चाहे वह जैन हो, चाहे और दूसरे हों उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। इनकी पार्टी के आज जो अध्यक्ष हैं उन्होंने 1993 में एक मामला उठाया था कि कलक्टर कोटा ने वहां से सरकारी ट्रकों में फोरेस्ट की शीशम की लकड़ियां भरकर अपने मकान में काम में लीं। लोकायुक्त की रिपोर्ट आ चुकी, क्यों नहीं कार्यवाही कर रहे हैं ? आप तो पार्टी के अध्यक्ष हैं, क्यों नहीं कार्यवाही कर रहे हैं इनके खिलाफ ? यह अधिकारियों की +++ करना, सरकार के मंत्री उन अधिकारियों को दबाकर, +++ करके ...

श्री सभापति : मैं समझता हूं बिना घंटी के आप बैठ जाएं तो ठीक है।

श्री परसादीलाल मीणा : इसलिये, सभापति महोदय, सरकार की कथनी और करनी में फर्क है। कहते क्या हैं और करते क्या हैं, कि ब्लैकमेल कैसे किया जाए, सरकार को और अफसरों को कैसे दबाया जाए। आज इस तरह के हालात हैं। जिस तरह से मीठालाल जी मेहता की

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री परसादीलाल मीणा)

छत्रछाया आती है, अब एक और आयोग का गठन कर रहे हैं। मीठालाल जी मेहता के लिये राज्य योजना आयोग का प्रारूप तैयार हो गया, अधिसूचना जारी हो गयी। इन अधिकारियों के ऊपर जो स्वतन्त्र हुए थे, गुलामी से आजाद हुए थे उनके ऊपर फिर राज्य आयोग के नाम पर मीठालाल जी मेहता को बैठा रहे हैं। क्या किया मीठालाल जी मेहता ने? डुबो दिया इस भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में। + + + सारा घाटा उनको दिया, आज सुजानसिंह जी क्या जवाब दें। सारी करनी मीठालाल जी मेहता की और राज्य आयोग के और अध्यक्ष बन गये।

श्री किशन गोपाल कोगटा : माननीय सभापति महोदय, ये मीठालाल जी मेहता को समझ नहीं पाये। राजस्थान का विकास, उसकी नीति और उनको समझिये पहले।

श्री परसादीलाल मीणा : इस तरह की सरकार की कार्यवाहियां हैं।

श्री सभापति : आप समाप्त करें।

श्री परसादीलाल मीणा : ग्रामीण विकास के प्रति बेरूखी है। सरकारी योजनाओं का पैसा पहले इनका जो ग्रामीण डी. आर. डी. ए. का अकाउन्ट था वह अलग हुआ करता था और उसका ब्याज डी. आर. डी. ए. को मिलता था। इन्होंने उसको भी उसी पी. डी अकाउन्ट में डाल दिया, उसको काम में लेते हैं। गांवों में जब काम सैंक्शन किये जाते हैं उनके पेमेंट नहीं होते, समय पर काम नहीं होता सड़कों का, ग्रामीण सड़कों का और उसको वेतन और भत्तों में काम लेते हैं। इस तरह की अनियमित बातें की हैं इन्होंने, अनियमित समायोजन किया है। सभापति महोदय, राजस्थान के दस प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों से विकास हो जाएगा? आपको क्या देंगे, कटारिया जी को क्या देंगे, सुजानसिंह जी को क्या देंगे?

श्री सभापति : समाप्त कब करेंगे?

श्री परसादीलाल मीणा : समाप्त कर रहा हूं। मैं इस सरकार की सोच की बात कर रहा हूं, दस प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र। आप कम से कम अपने सदस्यों के लिये तो खोलिये, हमको नहीं दें, सौ तो खोलो। इनमें भी मतभेद, इनमें भी भेदभाव। पचास सैकण्डरी! मेरी सरकार से मांग है, आप चाहे खर्चे हैं फालतू के इनको रोकिए, लेकिन गांव में 250 बालिकाओं की स्कूल खोलिये। आप कालेज खोलिये। आपके शिक्षा मंत्री जी का वायदा है। आप लालसोट में कालेज खोलेंगे। अगर लालसोट में चुनावों से पहले कालेज नहीं खोला तो इनके कैंडिडेट की वहां जमानत जब्त होने वाली है, यह बता देता हूं। मैं इनको चेतावनी देता हूं, मेरी कोई चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं है पर आपके कैंडिडेट की जमानत जब्त होने वाली है। मोरेल के पुल का एस्टीमेट अगर चुनाव से पहले भारत सरकार को हमारे सांसद महोदय इतने जागरूक हैं, उन्होंने मोरेल पर तीन पुल बना दिये, बाण गंगा का पुल बना दिया, दौसा जिले में कोई एक नदी नहीं छोड़ी। सिर्फ एक पुल बाकी है, राजनी-

---

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री परसादीलाल मीणा)

तिक कारणों से चतुर्वेदी जी उसका प्रपोजल भिजवाना नहीं चाहते हैं। आज क्यों जरूरत पड़ी है पारीक साहब को प्रश्न छोड़ने की ? सरकार का सोच नहीं हुआ। आठ दिन हो गये, सरकार सोच नहीं रही है। क्यों नहीं सोच रही है ?

श्री ओमप्रकाश शर्मा : चालीस वर्ष में तो कुछ किया होगा आपने।

श्री परसादीलाल मीणा : इसलिये मेरी आपसे मांग है, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न छोड़ने का प्रण लिया है, आपको करना तो यही है, सभापति महोदय, आपके पी.डब्ल्यू.डी.विभाग से रेल मंत्रालय को आप प्रस्ताव भिजवा दो। आपने प्रोजेक्ट बना लिया प्रोजेक्ट की रिपोर्ट बना ली, आपको प्रपोजल भेजने में क्या हो रहा है ? हम नहीं मांग रहे हैं राज मद से आपसे पैसा। महावीरजी, आप जीत भी गये तो आने वाला समय आपके लिये बहुत बुरा होगा, हम इधर बैठेंगे। हम तो आपके मंत्रियों के दरवाजे नहीं बैठे, पर आप मेरे पड़ोसी हो, आपका कोई काम अटकेगा तो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उस इलाके के लिये कराएंगे। यह सोच कांग्रेसियों का है। आपने मेरे से 9 साल में नहीं कहा कि परसादीलाल जी, आपका कोई काम है क्या। मैं बोलूंगा, आप मेरे मित्र हो, पड़ोसी हो। पर आपको मैं कहता हूं कांग्रेस का राज आएगा तो मैं ज्यादा से ज्यादा....

श्री सभापति : आपकी मित्रता बनी रहे। आप बिराजें।

श्री परसादीलाल मीणा : आने वाले राज में सारे विकास के काम, महावीर जी, आपकी सलाह से करेंगे। टौंक जिले का काम, निवाई का काम आप कहोगे जैसे करेंगे। राजनीतिक भेदभाव नहीं है हम पीछे से गियर नहीं लगाते हैं। आपके सारे पीछे से गियर लगे हुए हैं आज भी। सभापति महोदय, जिला बनाया दौसा, अच्छा सोचकर बनाया।

श्री सभापति : अब हो गया।

श्री परसादीलाल मीणा : दो मिनट। जब चार में तीन एम. एल. ए. भारतीय जनता पार्टी के थे इन्होंने जिला बनाया। एक मैं अकेला एम. एल. ए. था 1990 में कांग्रेस से। इन्होंने सोचा, जिला बनाने के बाद हमारे चारों एम. एल. ए. जीत जाएंगे, हमारे सांसद जीत जाएंगे। सभापति महोदय, एक हमारे पूर्व सांसद तो जिला छोड़कर ही चले गये टौंक में, वे तो आने का नाम ही नहीं लेते। एक ये और लाये कैंडिडेट, उसकी भी बिदाई और हम पांच में से चार एम एल. ए. कांग्रेस के बन गये। इसलिये भारतीय जनता पार्टी का सोच दौसा जिले के प्रति प्रतिशोध का है आपने बदले की भावना से दौसा जिले को विकास के कामों में पीछे रखा है। नाथूसिंह जी की राजनीतिक पैदावार दौसा से हुई है और आज दौसा की तरफ घूमकर नहीं देखते हैं।

श्री सभापति : अब आप समाप्त करें। श्री शांतिलाल खोईवाल।

श्री परसादीलाल मीणा : इसलिये मैं कहना चाहता हूं कभी, नाथूसिंह जी, काम

(श्री परसादीलाल मीणा)

आएगा तो दौसा आएगा। लालसोट का लगाव आपसे भी है, आपने भी तीन लोकसभा चुनाव लड़े हैं।

श्री सभापति : मैंने दूसरा नाम पुकार लिया है, कृपया बन्द करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (राज्य मंत्री, चिकित्सा) : माननीय सभापति महोदय, आपको मालूम होगा नाथूसिंह जी की पहली फिल्म दौसा के अन्दर सबसे पहले लगी है, प्रीमियर वहां हुआ है। इन्होंने हर एक चीज दौसा से प्रारम्भ की है, इन्होंने राजनीति दौसा से चालू की, इन्होंने फिल्मी जीवन का सफर दौसा से चालू किया है।

श्री परसादीलाल मीणा : गूजरों का देव नारायण जब तक राजेश पायलट जिन्दा है तब तक नाथूसिंह जी दौसा से नहीं बन सकते। जब तक राजेश पायलट राजनीति में हैं तब तक चाहे देव नारायण हो .. (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैंने दूसरा नाम पुकार लिया, कृपया आप बैठिये।

श्री परसादीलाल मीणा : राजेश पायलेट के आगे (व्यवधान) ... इन्होंने अपना जिला बदल लिया।

श्री राकेश मेघवाल : इस फिल्म के माध्यम से सम्पूर्ण गूजर जाति के मतदाता भा. ज. पा. को वोट देंगे और कांग्रेस का सफाया हो जाएगा।

श्री परसादीलाल मीणा : मैं आपसे कहना चाहता हूं, नाथूसिंह जी, आपको दौसा जिले ने दो बार मंत्री बनाया है। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप विराजें।

श्री राकेश मेघवाल : और यह एक फिल्म क्या, ऐसी अनेक फिल्में बनाने की तैयारी कर रहे हैं।

श्री परसादीलाल मीणा : अब 42 वोट से जीते हो आप। मैं, नाथूसिंह जी, आपको कहना चाह रहा हूं।

श्री सभापति : नहीं, अब मत कहिये आप। अब समाप्त कीजिये। मैंने दूसरा नाम पुकार लिया है।

श्री परसादीलाल मीणा : बस एक मिनट कहकर ही समाप्त कर रहा हूं। आप कालेज खोलने का अपना वादा पूरा करो। आप तो दौसा फिर भी कभी आओगे तो दौसा जिला आपके काम आ सकता है। अगर आपने दौसा जिले के साथ बेरुखी के रुख पर चलोगा। सभापति महोदय, आपने समय दिया उसके लिये आपको बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री शांतिलाल खोईवाल।

श्री नाथूसिंह गुर्जर (राज्य मंत्री, पंचायती राज) : सभापति जी, मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने जितनी स्कूलें लालसोट में खोली हैं, कांग्रेस के चालीस साल में इतनी स्कूलें, प्राइमरी स्कूलें वहां नहीं खुलीं। ये इस बात को स्वीकार करेंगे।

(118)

श्री परसादीलाल मीणा : आपने दस स्कूलें खोली हैं, जोड़कर बताऊं क्या ? हमने 200 स्कूल पहले खोल दिये । आपने दस खोली हैं सारी, दस खोली हैं दस । ले आओ आप रिकार्ड । क्या बात कर रहे हो आप ।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : परसादी लाल जी आप सारा रिकार्ड उठाकर देख लो, जितनी स्कूलें मैंने खोली हैं....

श्री परसादीलाल मीणा : आपने राजनीतिक कारणों से नहीं खोलीं स्कूल । आपने एक भी स्कूल नहीं खोली । .... (व्यवधान) जो भी राजस्व विलेज की स्कूलें खोली हैं । आपकी कालेज के प्रति जो बेरूखी है यह आपको समय आने पर बताएगी ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप विराजें । धन्यवाद ।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : इन्होंने ++ले रखा है क्या ? एक सदस्य ने सारे सदन का +++ ले लिया क्या बोलने का ? ये क्या बताएंगे सबको ? यह क्या तरीका है ?

श्री परसादीलाल मीणा : आप तो रोज बोलते हो, अब तो हमारा टाइम हैं । अगर आप पौने पांच साल तक इस तरह बोलते तो अभी पार्लियामैंट के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नहीं हारती अब । पौने पांच साल तक सोते रहे हो ।

श्री सभापति : बोलें माननीय सदस्य ।

श्री **शांतिलाल खोईवाल** (राजसमंद) : माननीय सभापति महोदय, आज विनियोग विधेयक संख्या–3 पर चर्चा हो रही है । मैं आंकड़ों के जाल में नहीं जाकर कुछ व्यावहारिक बातें कहना पसन्द करूंगा । माननीय सभापति महोदय, बजटरी प्रोवीजन का सही उपयोग हो, उसके लिए पर्याप्त धन उपलब्ध हो, इसके कारण हमें सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है राजस्व प्राप्तियों पर यदि राजस्व की सही स्वरूप से, सही ढंग से वसूली की जाएगी तो हमारे बजट के प्रावधान जो भी हम विकास के काम-काज के लिए रखेंगे, उसमें किसी प्रकार की तकलीफ, दिक्कत नहीं आएगी ।

सभापति महोदय, आज बजट में कई तरह के करारोपण किये गये हैं, कुछ में कमियां की गयी हैं । मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि पोस्त दानों पर 4% सेल्स टैक्स इम्पोज किया है । अब यह पोस्त दाने का उत्पादक क्षेत्र कौनसा है ? मैं आपकी जानकारी के लिए निवेदन कर दूं, चित्तौड़, उदयपुर, पार्ट आफ भीलवाड़ा, झालावाड़, बूंदी, कोटा, ये सारे के सारे जिले जो मध्य प्रदेश के एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं 4% जो सेल्स टेक्स लगाया है पोस्त के दाने पर वह मैं समझता हूं कि क्योंकि किसानों को अपने पोस्त के दाने जहां भी ज्यादा पैसा मिले नजदीकी स्टेट ले जाकर बेचने का अधिकार है, ऐसी स्थिति में मंडी टैक्स के रूप में राजस्थान की मंडियों को जो पैसा प्राप्त हो सकता है वह इस कारण प्राप्त नहीं हो सकेगा । मध्य प्रदेश के मंडी टैक्स वाले इसकी वसूली कर रहे है । ऐसी स्थिति में मेरा अनुरोध है कि इस व्यवसाय को अन्य प्रदेशों में पलायन न होने दें । इस व्यावसायिक पलायन को रोकने के लिये, 4

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

(श्री शांतिलाल खोईवाल)

प्रतिशत सेल्स टैक्स लगाया है उसको या तो 2 प्रतिशत कर दिया जाए, या मेरा सुझाव है कि इसको पूर्णतया समाप्त कर दिया जाए, तो कम से कम राजस्थान को मंडी टैक्स के रूप में तो पैसा प्राप्त होगा ।

दूसरा, मैंने पहले भी निवेदन किया था कि हमारे स्टेट का व्यवसाय अन्य प्रदेशों में पलायन नहीं हो इसके लिए हमें दूसरे राज्यों के करारोपण के बारे में भी ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी । पहले राजस्थान में जिस तरह के टैक्सेशन थे, प्रयास किया है इसको कम करने का, अन्य प्रदेशों की में सामंजस्य बैठाने का प्रयास किया है लेकिन कई मुद्दों में अब भी बाकी है ।

आज पैट्रोल की कीमत राजस्थान की तुलना में दिल्ली में, हरियाणा में, गुजरात में ढाई रुपये से लगाकर पौने तीन रुपये प्रति लीटर के हिसाब से कम है । हर व्यक्ति अपने वाहन में जिसको इंटर स्टेट यात्रा करनी है वह राजस्थान में पैट्रोल या डीजल भराने की कोशिश नहीं करेगा । वह प्रयास यह करेगा कि अगली स्टेट में प्रवेश करने के बाद अपना पट्रोल या डीजल भराए । यह राजस्थान को होने वाली आय का बहुत बड़ा घाटा हो रहा है । यह घाटा नहीं हो, इसके लिए वित्त मंत्रीजी को निवेदन करूंगा और सुझाव दूंगा कि इसमें कोई सामंजस्य बैठाए । कोई अन्तर नहीं हो हमारी स्टेट से दूसरी स्टेट में पैट्रोल और डीजल की कीमत में, तो निश्चित तौर से जो आज हमारे व्यवसाय और प्राप्तियों का अन्य प्रदेशों में पलायन हो रहा है उसकी समाप्ति हो जाएगी और राजस्थान की इनकम बढ़ जाएगी, राजस्थान की प्राप्तियां बढ़ जाएंगी ।

सभापति महोदय, मार्बल व्यवसाय में भी माननीय वित्त मंत्रीजी ने 16 प्रतिशत सेल्स टैक्स से घटाकर 12 प्रतिशत किया है, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं । मार्बल व्यवसाय पर तो वैसे ही बहुत आर्थिक भार पड़ रहा है इस समय, मंदी के दौर से गुजर रहा है । मार्बल व्यवसायियों की हालात खराब है । कई फैक्ट्रियां बन्द हो चुकी हैं, खदानें बन्द हो चुकी हैं । ऐसी स्थिति में मेरा माननीय वित्त मंत्रीजी से अनुरोध है कि जो यह 16 प्रतिशत से 12 प्रतिशत किया है, उसको और घटाकर 8 प्रतिशत कर दें तो हमारे व्यवसायियों को और जो मार्बल का उपभोग करते हैं उनको आर्थिक लाभ होगा और साथ-साथ व्यापारी भी अपने व्यवसाय को रिकार्ड पर लाना पसन्द करेगा । इससे स्टेट की भी प्राप्ति ज्यादा बढ़ेगी ।

इसी के साथ मैं आपको निवेदन करूं कि जो कटर ओनर्स हैं मार्बल व्यवसाय में, वह कॉटेज इंडस्ट्री है । व्यक्ति अपनी खेती करता है और वहां अपने ही खेत पर एक छोटा-सा कटर लगा लेता है और छोटे-मोटे लपड़े जो वेस्टेज होता है मार्बल का, उसको इकट्ठा करके उसको चीर करके एक बाई एक, एक बाई डेढ़ के मार्बल के पाटे बनाता है । उन पाटियों की रायल्टी लगाने के कारण उनको उत्पादक कॉस्ट से भी कम कीमत में मार्केट में बेचना पड़ रहा है । मेरा अनुरोध है माननीय खनन मंत्रीजी और वित्त मंत्रीजी से कि जो रायल्टी इम्पोज कर रखी है कटर ओनर्स पर, वह बिलकुल समाप्त कर देंगे तो वे भी सेलस टैक्स के रूप में चोरी नहीं करेंगे, रिकार्ड पर लाएंगे । रिकार्ड पर लाने पर न केवल सेल्स टैक्स के रूप में राज्य को

(श्री शांतिलाल खोईवाल)

प्राप्ति होगी अपितु वह अपने रिकार्ड को सही रूप संधारित कर केन्द्रीय सरकार को आयकर के रूप में भी पैसा जमा कराएगा। इसलिये कॉटेज इंडस्ट्री को समाप्त न होने दें, ऐसी मेरी गुजारिश है।

वित्त मंत्रीजी ने पंजीयन शुल्क 10 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत एक एक्सपेरीमेंट के बतौर किया है, मैं उनका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं क्योंकि 10 प्रतिशत पंजीयन शुल्क बहुत ज्यादा है। आम आदमी खरीद-फरोख्त तो कर लेता है लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन कराता नहीं है, क्योंकि किसी को लाख रुपये देने पड़ते हैं, किसी को 2 लाख रुपये रजिस्ट्रेशन फीस के रूप में जमा कराने पड़ते हैं जो उनके बस की बात नहीं है। तो इस कारण कुछ भी इनकम नहीं होती है। ऐसी स्थिति में जो 7 प्रतिशत किया है, निश्चित तौर से एक लुभावनी स्थिति है और आम व्यक्ति जिसने अपनी सम्पत्ति के क्रय-विक्रय का पंजीयन नहीं कराया है, अब वह कराना पसन्द करेगा। लेकिन इसके साथ एक छोटा सा सुझाव और निवेदन करूंगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जमीनों की खरीद-फरोख्त सामान्य व्यक्तियों की जो कीमत से लगभग आधी होती है क्योंकि उनकी खरीद-फरोख्त सिर्फ शिड्यूल्ड कास्ट का व्यक्ति ही कर सकता है, शिड्यूल्ड ट्राइब की जमीन शिड्यूल्ड ट्राइब का व्यक्ति ही खरीद सकता है। सामान्य बाजार दर यदि 1 लाख रुपये प्रति बीघा है तो उसकी जमीन की कीमत उसे 50,000 रुपये से ज्यादा नहीं मिलती। ऐसी स्थिति में मेरा सुझाव है सभापति महोदय, कि वित्त मंत्री जी अपनी घोषणाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जमीनों की खरीद-फरोख्त में पंजीयन शुल्क 5 प्रतिशत कर देंगे तो निश्चित तौर से इस वर्ग विशेष का जो पंजीयन कार्य अवरुद्ध है, वह अवरुद्ध नहीं होगा और अपने खाते में जमीन ट्रांसफर हो जाएगी तो आने वाले समय में उनको किसी तरह से लिटिगेशन में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

सभापति महोदय, पेयजल के लिये मैं निवेदन कर रहा था कि पेयजल में माननीय मंत्री महोदय ने बहुत घोषणाएं की हैं, स्वागत योग्य हैं। श्मशान घाट पर हैंडपम्प लगाने की घोषणा की है, हर गांव में प्राथमिक शालाओं और उच्च प्राथमिक शालाओं में हैंडपम्प खोदने की घोषणाएं की हैं, बहुत अच्छी बात है, स्वागत योग्य है, लेकिन मैं उनसे निवेदन यह करना चाहूंगा कि जब तक हमारी जमीनों में भूमिगत जल स्तर बढ़ेगा नहीं, तब तक हैंडपम्प, कुए और ट्यूबवैल का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसके लिये हमें बरसाती पानी रोकने की जरूरत है। यदि बरसाती पानी नहीं रोकेंगे तो आगे जाकर पेयजल का क्राइसिस पैदा हो जाएगी जिसके कारण आपसी, जैसे आजकल कम्युनल राइट्स होते हैं, इसी तरह पानी की किल्लत के कारण लड़ाई-झगड़ा शुरू हो जाएगा। वैसे इरिगेशन की मांगों में एक प्रस्ताव माननीय वित्त मंत्री जी ने रखा था कि जो प्रस्ताव आएगा एनीकट्स निर्माण के लिये, उस पर विचार किया जाएगा एनीकट के प्रस्ताव आने पर विचार करना, यह बड़ा वेक्सड है, एक अभियान के रूप में इस तरह का काम करना चाहिये। जगह-जगह एनीकट बना-

(श्री शांतिलाल खोईवाल)

कर बरसात का पानी रोकें, तभी हमारा एक सुखद भविष्य सम्भव हो पाएगा, नहीं तो गांव के लोगों को पेयजल के अभाव में पलायन करना पड़ेगा, इसलिये अभी से सावचेत होने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, इसी तरह हिन्दुस्तान में इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था में सभी वर्गों को समान दृष्टि से देखने का प्रावधान है चाहे विकास के काम-काज हों, चाहे सुख-सुविधाओं का सम्बन्ध हो। मैं एक छोटा-सा सुझाव देना चाहूंगा कि मुस्लिम समुदाय संख्यात्मक दृष्टि से एक निश्चित 11-12 प्रतिशत है हमारे देश में। पाठशालाओं में उर्दू तालीम की व्यवस्था ग्राम तौर पर जहां पर मुस्लिम समुदाय का बाहुल्य है, वहां पर भी नहीं हैं। मैंने मुख्य मंत्रीजी से निवेदन किया, उन्होंने मेरे क्षेत्र में चार जगह जो मेरे मुस्लिम बहुल क्षेत्र थे, एक-एक अध्यापक की व्यवस्था करने की घोषणा की। शिक्षा मंत्रीजी ने भी मुझे पत्र लिखकर इस बात के लिये आश्वस्त किया कि इस नवीन सत्र के प्रारम्भ होने के पहले एक-एक उर्दू अध्यापक की दो शालाएं रेलमगरा की और दो शालाएं राजनगर की, वहां पर व्यवस्था कर दी जाएगी। नवीन सत्र प्रारम्भ हुए कितना समय गुजर चुका है, मेरा शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध है कि उर्दू अध्यापकों की तत्काल व्यवस्था फरमाए तो उचित रहेगा।

इसी के साथ ही एक छोटा-सा निवेदन करना चाहूंगा. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्रीजी ने अपने विभिन्न वक्तव्यों में जो बताया कि हमने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार पूरे प्रदेश में किया है। इसमें कोई दो राय भी नहीं हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासन के पहले प्राइमरी हैल्थ सेन्टर्स के लिए, सब सेन्टर्स के लिए जो खोलने का प्रावधान था वह जगह-जगह खोले हैं, इसमें भी दो राय नहीं हैं, लेकिन उसमें राजनीतिक भेदभाव बरता गया है। रेलमगरा तहसील में 40 हजार जनसंख्या के एक विशेष भू-भाग ने चिकित्सा की कोई व्यवस्था नहीं है। मैंने चिकित्सा मंत्री जी से जब अनुरोध किया कि चराणा में एक प्राइमरी हैल्थ सेन्टर खोल दीजिये मेहरबानी करके, आपकी बड़ी कृपा होगी, तो उन्होंने बताया कि रेलमगरा एज सच का जनसंख्या की दृष्टि से जो रेशो बनता है उतने प्राइमरी हैल्थ सेन्टर खोल दिये हैं। लेकिन उसमें पक्षपाती रवैये से एक निर्धारित भू-भाग में तो बहुत खोल दिये, दूसरा भू-भाग जो 40 हजार जनसंख्या का हैं, उसमें एक भी प्राइमरी हैल्थ सेन्टर नहीं है। पूरी तहसील की जनसंख्या का आकलन करके इस तरह कैलकुलेट करें तो मैं समझता हूं, उपयुक्त नहीं है। मेरा निवेदन है कि वे एक प्राइमरी हैल्थ सेन्टर चराणा में खोलें तो 40 हजार जनसंख्या के भू-भाग को चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगे।

सभापति महोदय, पानी के बारे में मैं चर्चा कर रहा था-कल भी मैंने निवेदन किया था, मैं इसको रिपीट नहीं करना चाहूंगा, चित्तौड़ जिला मुख्यालय पर पानी का जबरदस्त क्राइसिस है। उस पर मैं समझता हूं पी.एच.ई.डी. मंत्री जी ध्यान दे रहे हैं, लेकिन इसका एकमात्र निदान यही है कि घोसुण्डा बांध से जब तक वहां पर पानी उपलब्ध नहीं कराएंगे तब तक

(श्री शांतिलाल खोईवाल)

चित्तौड़ के पानी के संकट का निवारण होना सम्भव नहीं है। घोसुण्डा बांध के लिए आप मेहरबानी करके सिंचाई विभाग और हिन्दुस्तान जिंक के सामंजस्य बैठाएं और इसको और ऊपर उठाकर भराव क्षमता बढ़ाएं। ऊपर उठाने में और नींव के खर्चे में बहुत अन्तर होता है। नींव और एक निर्धारित ऊंचाई तक जो बांध का निर्माण हुआ है, वह तो हिन्दुस्तान जिंक ने उस खर्चे को वहन किया है। इसका खर्चा तुलनात्मक दृष्टि से कम आएगा। उसको भी यदि ऊपर बढ़ाएंगे तो उसमें पानी की आवक जबरदस्त है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके लिए मेहरबानी करके उपयुक्त योजना बनाकर उसको क्रियान्वित करेंगे तो मैं समझता हूं चित्तौड़ में पेयजल की समस्या का निवारण हो जाएगा। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री शिवनाथ सिंह।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : सभापति महोदय, इस विधेयक के मार्फत माननीय वित्त मंत्री जी सदन की स्वीकृति चाहते हैं धनराशि के लिए। बजट पेश करते वक्त माननीय वित्त मंत्री जी ने काफी लम्बा-चौड़ा तुलनात्मक एक ढांचा हमारे सामने पेश किया। यह बात सही है कि हर साल हर योजना में रुपयों की बढ़ोतरी होती है और उसी को आपने हमें सदन में बताया है मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि किसी भी योजना की क्रियान्विति के लिए रुपया आवश्यक है और रुपया सदन देने में कोई संकोच नहीं करता है, लेकिन जो रुपया हम स्वीकृति करें उसका उपयोग किस तरह से हो रहा है, सदुपयोग हो रहा है या दुरुपयोग हो रहा है, यह हमारे देखने का अधिकार है।

माननीय सभापति जी, मैं अपनी बात इसी बिन्दु पर सीमित रखना चाहूंगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले सालों में जो धन इस सदन ने सरकार को खर्च करने के लिए दिया है उसका सदुपयोग नहीं हो पाया है। यह आपकी सी.ए जी. की रिपोर्ट हैं, बहुत पन्ने उसके भरे हुए हैं। मैं सदन का समय नहीं लेना चाहूंगा, सभी माननीय सदस्यों के पास वह हैं। एक-दो जगह मैं आपको उसका उदाहरण देना चाहूंगा और यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस पर अंकुश लगाया जाए। माननीय वित्त मंत्री जी यह कहते हैं कि मैं वित्तीय प्रबन्ध के द्वारा इस सरकार को, इस प्रदेश को चलाना चाहता हूं। जैसा वित्तीय कुप्रबन्ध इस समय हो रहा हैं, इतिहास के किसी पन्ने में ऐसा नहीं मिलेगा। आज एक बात सामने आती है ग्रामीण क्षेत्र की और शहरी क्षेत्र की। एक बात सही है कि आज आप चाहे कितना ही कहें, ग्रामीण क्षेत्र इस बात से पीड़ित है कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। आज आप आकड़े देकर कह सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में हमारे बजट का इतना हिस्सा हम खर्च करते हैं और वह हिस्सा निश्चित रूप से शहरी क्षेत्र से अधिक होगा, लेकिन यह धूल झोंकने वाली बात है। ग्रामीण क्षेत्र का विस्तार देखिये, उसकी जनसंख्या देखिये। उस जनसंख्या के अनुपात में हम उनको साधन मुहैया कराना चाहेंगे, विस्तार के सम्बन्ध में हम उनको साधन मुहैया करना चाहेंगे तो आप पाएंगे कि कहीं भी शहरी क्षेत्र के मुकाबले में ग्रामीण क्षेत्र के विकास पर धन बहुत कम खर्च किया जा रहा है।

(श्री शिवनाथ सिंह)

आज शहर में पानी की व्यवस्था को ही आप लीजिये। एक करोड़ रुपये में इतनी आबादी को लाभान्वित किया जा सकता है, शहरी क्षेत्र में एक करोड़ रुपये से उसका 10वां हिस्सा भी लाभान्वित नहीं होगा। मैं हमारे पी. एच. ई. डी. मंत्री महोदय का आभार व्यक्त करता हूं।

एक माननीय सदस्य : कोरम नहीं है।

श्री सभापति : कोरम है।

श्री शिवनाथ सिंह : इन्होंने गांवों की समस्या को ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं को समझने की चेष्टा की है, समझे भी हैं और इन चार साल के समय में काफी पीने के पानी की समस्या के निराकरण के लिए योजनाएं भी स्वीकृत की हैं। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहूंगा आप सदन में घोषणा करते हैं, आदेश निकालते हैं स्वीकृतियां जारी कर रहे हैं लेकिन उनका 10वां हिस्सा भी क्रियान्वित नहीं हो रहा है। मैं अपने क्षेत्र की बात कहूं। कितने हैण्ड पम्प आपने मंजूर किये? कितनी जल योजनाएं आपने आपने मंजूर की? चार साल में एक भी योजना पूरी नहीं हुई है। इसका कारण मैं यह मानता हूं कि आप अपने दायित्व का योजना स्वीकार करने के साथ ही अंत समझ लेते है। अधिकारी आपके विभाग को फेल करना चाहते हैं, उनका निहित स्वार्थ होता है और वे आपको सहयोग नही करते हैं।

सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि समय है, सिर्फ 3-4 महीने बचे हैं, आप अपनी आत्म-शक्ति का संचार करें और अपनी ताकत को पहचानें। जिस मंशा से, शुद्ध मंशा से आप ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं का, पानी की समस्याओं का निराकरण करना चाहते हैं, आप साथ बैठिये-विधायकों के साथ बैठिये, आफिसर्स के साथ बैठिये और इसकी पूर्ति, इसकी क्रियान्विति हो इस प्रकार का इंतजाम आप कीजिये। सभापति महोदय, जो योजनाएं चल रही हैं गांवों के अन्दर, उनमें अधिकारी जितने फंड्स उनको दिये जाते हैं उसे खर्च नहीं कर पाते हैं। एक-दो उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। मुझे मेरे ही प्रश्न के उत्तर में जवाब मिला है। मैंने जानना चाहा था कि ये जो सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं हैं उसमें आपकी क्या योजनाएं हैं और कितना धन आप व्यय कर रहे हैं। इन्होंने उत्तर दिया है रूरल डवलपमेंट प्रोग्राम फलां-फलां, नेशनल सोशल प्रोग्राम, ओल्ड एज पेंशन। माननीय सभापति जी, आश्चर्य होगा सदन को जानकर कि दो लाख का लक्ष्य था ओल्ड एज पेंशन, मानवीय आधार पर इससे शुद्ध कोई काम नहीं हो सकता, दो लाख का इसका लक्ष्य था और एक लाख सैंतीस हजार की इन्होंने प्राप्ति की है।

माननीय सभापति जी, फैमिली पेंशन स्कीम, यह स्कीम वह है जहां परिवार में कोई दुर्घटना हो जाए तो सहायता दी जाए बचे हुए सदस्यों को। यह इतना पवित्र धार्मिक काम है, इसमें भी आपको लक्ष्य दिए गए थे 15,80 और आपने लक्ष्य की प्राप्ति की है 8,000। कोई भी व्यक्ति इस बात को सुनकर आश्चर्य व्यक्त करेगा,

(श्री शिवनाथ सिंह)

गर्भवती महिलाओं को मदद देने का हमारे यहां एक प्रावधान है, उसमें 2,17,100 का लक्ष्य था और आपने प्राप्ति की है 47,000 । इन तीनों योजनाओं में राज्य सरकार का पैसा खर्च नहीं हुआ, ये तीनों ही योजनाएं केन्द्र की योजनाएं हैं और केन्द्र के द्वारा आपको रुपया मिलता है । इन योजनाओं में सिर्फ आपको काम करना है, लेकिन आपके अधिकारियों और इस सरकार का मानस यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अगर इस तरह की सहूलियतें देने लग जाएंगे तो ग्रामीणों में जागरूकता आ जाएगी और हमारी मनमानी वहां नहीं चलेगी । सभापतिजी, मैं सरकार पर आरोप लगाता हूं कि जानबूझकर इन योजनाओं को सरकार ने फेल किया है, जहां मानवीय दृष्टिकोण होना चाहिए । तीनों ही योजनाएं ऐसी हैं, जहां मानवीय दृष्टिकोण अपनाकर इनको काम करना चाहिए था, लेकिन अपने स्वार्थों के वश इन्होंने इन योजनाओं को पूरा नहीं होने दिया ।

सभापति जी, ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने का डी. आर. डी. ए. ही एक प्रमुख माध्यम है और उसके माध्यम से एम. पी. कोटे का एक करोड़ रुपया एक जिले में और एक कांस्टीट्यूएंसी में आता है, विधायक कोष से रुपया आता है । उसका एचीवमैंट है, सी ए. जी. ने अपनी रिपोर्ट में दिया है, उसको मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं । "सांसदों को उनके निर्वाचन क्षेत्र में छोटे निर्माण कार्य कराने के उद्देश्य से भारत सरकार ने फरवरी, 1994 में यह योजना प्रारम्भ की । योजना की समीक्षा में दृष्टिगत हुआ कि 1993–94 से 1996–97 के दौरान जिला कलक्टरों के निर्मोचित रुपये 91.83 करोड़ में से 39.93, 91 करोड़ में से 39 करोड़ रुपये बिना खर्च किये रह गये ।" माननीय सभापति जी, इस सरकार का लगता क्या है ? सिर्फ एक ही बात का इनको डर है कि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास नहीं होना चाहिये । इस प्रकार का यह जो दृष्टिकोण है, वह जब तक नहीं बदलेगा, ग्रामीण क्षेत्र अपने आपको उपेक्षित समझता रहेगा ।

सभापति जी, संक्षेप में एक–दो बातें निवेदन करना चाहूंगा । अगले रोज शिक्षा मंत्री जी, अपने जवाब में सम्पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम, सहभागी और पता नहीं कौन–कौनसी योजनाएं कह रहे थे, सदन के प्रत्येक सदस्य ने उन योजनाओं का विरोध किया था । आज ग्रामीण क्षेत्र में छोटे–छोटे बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन देने का हमारा कर्तव्य है, धर्म है । मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इन योजनाओं में इतना रुपया अपव्यय होता है और ये सब सरकारी अधिकारियों की बनाई हुई योजनाएं हैं । सरकारी अधिकारियों को अधिक फायदा हो, वही योजनाएं वे बनाते हैं । यदि पूरे रुपयों को एक साथ लगाकर प्राइमरी एजुकेशन का विस्तार किया जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में एक भी लड़का जो स्कूल जाने की उम्र का है, शिक्षा से वंचित नहीं रह सकता । लेकिन उनका दृष्टिकोण रुपया खर्च करने का नहीं है, रुपया गबन करने का है और वे गांवों के बच्चों को शिक्षा देकर प्रबुद्ध नहीं बनाना चाहते ।

(श्री शिवनाथ सिंह)

माननीय सभापति जी, आज स्कूलों की हालत देख लीजिए। ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी के लिये पूरे अध्यापक नहीं हैं, लाइब्रेरी नहीं हैं, स्कूल नहीं है, कोई भी सुविधा नहीं है। आप सोच-विचार कीजिये कि वह ग्रामीण क्षेत्र का विद्यार्थी शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों से जहां पब्लिक स्कूल में उसको पढ़ने को मिलता है, बाप-मां दिनभर उसकी निगाह रखते हैं, ट्यूशन करवाते हैं और आज की वे सुविधाएं जो लक्जरी में गिनते हैं, वे सारी उन बच्चों को उपलब्ध हैं, आज हम कैसे कम्पेयर कर सकते हैं? जो लड़का देहात का है, जिसको सब सुविधाओं से आपने वंचित कर रखा है, उन शहरी लड़कों का मुकाबला कर पाएगा? सर्विसेज में जा पाएगा? इस तरह से एक इम्बैलेंस राजस्थान में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ रहा है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की शिक्षा को देख लीजिये, चाहे स्वास्थ्य को देख लीजिए, पीने के पानी की सुविधा को देख लीजिए किसी भी दृष्टि से देख लीजिये, इम्बैलेंस बन रहा है।

आज किसान छोटे-छोटे काम के लिये, बिजली के छोटे–छोटे काम के लिये घूमता फिरता है, दर–दर की ठोकर खाता है, यह है क्यों? बिजली बोर्ड का वित्तीय प्रबन्ध उसका कारण है। माननीय सभापति जी, एक खबर छपी थी, उसका हैडिंग है, "50 उद्योगों पर बिजली के 124 करोड़ रुपये बकाया"। समझ में नहीं आता, जो उद्योग चल रहे हैं उनमें बकाया कैसे हुआ? आप कह सकते हैं कि इसका मामला उलझा हुआ है, अदालत में गया हुआ है, सैटलमैंट नहीं हो रहा है। उसके बारे में एक बात निवेदन करना चाहूंगा कि जो उद्योग यह कहे कि उसके अन्दर 50 लाख रुपये नहीं सिर्फ 10 लाख रुपये ही बकाया हैं, उससे 10 लाख रुपये तो लीजिये आप, अण्डर प्रोटेस्ट उसके जमा कीजिये, बाकी के 40 लाख के लिये वह करता रहेगा। इस प्रकार की व्यवस्था अगर आप बिजली बोर्ड में करें तो किसान को जो नर्सरी योजना में लुट गया है, अनाप–शनाप खर्च करना पड़ा है, आज भी वह अपनी बारी का इंतजार कर रहा है, इस योजना को ठीक ढंग से करना चाहेंगे, उस किसान को बिजली के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। बिजली बोर्ड की व्यवस्थाओं को सुधारना अत्यन्त आवश्यक है।

माननीय सभापति जी, मैं एक–दो बात माननीय वित्त मंत्री जी जो यहां नहीं हैं, उनसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति : मैं निवेदन करूं क्या समाप्त करने के लिए?

श्री शिवनाथ सिंह : मैं आपके निवेदन के बिना समाप्त कर दूंगा। माननीय सभापति जी, करों में छूट दी गई है, उस छूट का असर क्या होगा? मेरी मान्यता यह है कि जहां कर वसूली नहीं हो रही थी, उन आइटम्स पर छूट नहीं दी गयी है। कर लगाना कोई बुरा नहीं है, मगर दुरुपयोग करना बुरा है। आपने एक आइटम, पिछले बजट में फुटवीयर पर कर लगाते वक्त यह घोषणा की थी कि सौ रुपये तक की कीमत के फुटवीयर टैक्स से बरी होंगे। इस साल आपने मूल्य आधारित कर मुक्ति हो जाने से, फुट-

(129)

(श्री शिवनाथ सिंह)

वीयर पर वर्तमान दर दस प्रतिशत से घटाकर आठ प्रतिशत किया जाता है, माननीय सभापति जी, बड़ी चतुराई से किया गया है। आज शहरों की मैं नहीं कहता जहां पांच हजार, तीन हजार, दो हजार के जूते पहने जाते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में विद्यार्थी, लड़के, हमारी महिलाएं, बच्चियां और सब के सब ये चप्पल पहनते हैं, जिसकी कीमत तीस रुपये, चालीस रुपये, अस्सी रुपये से अधिक होती नहीं है। उन सब पर आपने टैक्स लगा दिया। पहनने वाले को तो दिक्कत हो गई, लेकिन छोटे–छोटे व्यापारी हैं, उनको भी सेल्स-टैक्स नम्बर लेना पड़ेगा, हिसाब करना पड़ेगा। इसलिए माननीय वित्त मंत्री जी से मैं करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूं, इस आइटम को आप जैसा पिछली बार था वैसे ही रखिए और यह मूल्य आधारित छूट जो आपने बन्द की है इस छूट को आप चालू रखिए।

(16.00 बजे)

माननीय सभापति महोदय, आपकी घंटी के बिना ही मैं निवेदन यह करना चाहूंगा कि अभी एक सदस्य वाटरशेड के बारे में कह रहे थे। वाटरशेड में जो घपला डी. आर. डी. ए. के मार्फत हो रहा है उतना बड़ा बड़ा घपला कहीं नहीं है। वाटरशेड में अधिकारी गांवों के स्तर पर जाकर छोटी–छोटी कमेटियां बनाते हैं, अपने आदमियों को नोमिनेट करते हैं और उनके माध्यम से वे क्या–क्या घपले करते हैं, यह कहते हुए मुझे यहां पर +++ आती है। इसलिए इस योजना को यदि क्रियान्वित करना है तो पंचायत की मार्फत, पंचायत समिति के माध्यम से कीजिए। यह छोटी–छोटी कमेटियां बनाकर इस रुपये का दुरुपयोग हो रहा है।

माननीय सभापति महोदय, इस तरह एक बीमारी और लग गई है एन. जी.ओ., नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। पता नहीं यह बीमारी कहां से आई? इन पर किसी का अंकुश नहीं है। इन नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सरकार का ऊपर से आदेश आता है, यहां के आदेश जाते हैं, सैक्रेटरीज के आदेश जाते हैं कि इन एन. जी. ओ. को काम दीजिए। एन. जी. ओ. को काम देना इतना खराब है कि आप कह ही नहीं सकते। मैं सुबह भी निवेदन कर रहा था कि डी. आर. डी. ए. की कार्य प्रणाली को आप दुरुस्त कीजिए। डी. आर. डी. ए. के अन्दर अलग–अलग निगरानी समितियां बनी हुई हैं, जिला लेबल पर बनी हुई है, उपखण्ड स्तर पर बनी हुई है, लेकिन एक भी कमेटी की मीटिंग नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? इसलिए नहीं होती है कि जो डी. आर. डी ए. का चेयरमैन कलक्टर है, उसकी पोल खुली है। वे कमेटी की मीटिंग नहीं बुलाते हैं। वे निगरानी रखेंगे तो उसका चैक होगा। इसलिए, माननीय मंत्री महोदय, जो डी. आर. डी. ए. से सम्बन्ध रखते हैं उनसे मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि जितने भी आपने नियमों के प्रावधान कर रखे हैं उन सब कमेटियों को आप जीवित कीजिए

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री शिवनाथ सिंह)

और आदेश दीजिए कि समय-समय पर उनकी मीटिंग हो ताकि डी.आर.डी.ए. के चेयरमैन के निरंकुश शासन पर अंकुश लग सके।

श्री सभापति : श्री ओमप्रकाश शर्मा।

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी) : सभापति महोदय, विनियोग विधेयक (संख्या—3) में चर्चा में मैं भी आपको सम्मिलित करता हूं। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 1991 से बनी। 1994 में दुबारा सरकार बनी, तब क्रमबद्ध राजस्थान का विकास कैसे हो उसके लिए नीतियां बनायीं। उन नीतियों में एक वर्ष का बजट शिक्षा को दिया, एक बजट स्वास्थ्य को दिया और एक वर्ष का बजट पेयजल को समर्पित किया। शिक्षा के बारे में जो बजट दिया उसके बारे में निवेदन करना चाहूंगा।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में 1985 से 1990 तक 848 नये प्राथमिक विद्यालय खोले गए थे एवं 1,536 प्राथमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत किया गया था। 1990–91, 1991–92 में 2005 नये प्राथमिक विद्यालय खोले गये। 1992 से 97 तक 5,730 प्राथमिक विद्यालय खोले गये और 2,649 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया, 442 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया एवं 340 माध्यमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत किया गया। इसी प्रकार 1997–98 मे 496 नये प्राथमिक विद्यालय खोले गए, 659 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया। 232 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया, 132 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया।

लेकिन, सभापति महोदय, इस वर्ष जो संख्या रखी है 50 सैकण्डरी स्कूल और 50 हायर सैकण्डरी स्कूल, यह काफी कम है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि पिछली सरकार की तरह घोषणा तो नहीं करें, झूठी घोषणा तो न करें, परन्तु विद्यालय खोले जाएं। इस राजस्थान को साक्षर किस प्रकार बनाया जाए, उसके बारे में, मैं निवेदन करूंगा इतनी योजनाएं दी हैं कि अब जनता भी जागरूक हुई है, गांव जागरूक हुए हैं और और जगह–जगह पर मांग उभरने लगी है, विद्यार्थी पढ़ने जाने लगे हैं। जब विद्यार्थी पढ़ने जाने लगे हैं तो निश्चित रूप से मांग बढ़ेगी। मैं उसी आधार पर आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि वे इस संख्या को कम से कम 200 सैकण्डरी और 200 हायर सैकण्डरी स्कूल करें।

सभापति महोदय, अभी सेंट्रल की एक एजेन्सी सर्वे ऑफ नेशन ने एक सर्वे किया था। एवरेज 52 है और राजस्थान का 38 था। मैं भी इस बात को नहीं मानता हूं क्योंकि मैं भी गांवों का रहने वाला हूं, मैं भी जानता हूं, परन्तु जो सर्वे हुआ उसने हमारी आंखें चौंका दीं। आज राजस्थान को प्रथम श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया, 55 प्रतिशत उसकी रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान में साक्षरता बतायी गयी है। अब यह सर्वे सही है, या जो मैं निवेदन कर रहा हूं वह बात सही है....

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : सर्वे किसका है?

श्री ओमप्रकाश शर्मा : यह सेंट्रल सर्वे ऑफ नेशन ने किया है। जब गांवों में जाते हैं तो देखते हैं कि आज भी अनपढ़ हैं, पर जब यह सर्वे हुआ है और सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने किया है, उनकी टीम आई है, इसका मतलब यह सर्वे सही होना चाहिए। इससे भी साफ जाहिर होता है कि लोगों में पढ़ाई के प्रति जागरूकता बढ़ी है।

इसके साथ ही, सभापति महोदय, आज शिक्षा की एजेंसी हैं लोक जुम्बिश, डी. पी. ई. पी., शिक्षाकर्मी, अनौपचारिक शिक्षा और साक्षरता, इनमें इतने अधिकारी भर रखे हैं, इतना खर्चा होता है। ये सारे डिपार्टमेंट एक ही डिपार्टमेंट को क्यों नहीं दिये जाते? शिक्षाकर्मी का अलग जाएगा, लोक जुम्बिश को अलग जाएगा। यह खर्चा तो आखिर राजस्थान की जनता पर होगा, ये सारे डिपार्टमेंट जो शिक्षा विभाग में आते हैं, अगर शिक्षा विभाग में ज्यादा लोड है तो पंचायत विभाग को दे दें। पंचायत से नहीं सम्भाला जाए तो कम से कम मानीटरिंग ही होगी। आज मानीटरिंग नहीं होती और हर विभाग अपने-अपने हिसाब से चलता है। वहां गांवों के अन्दर जाकर देखते हैं तो जो आंकड़े बताये जाते हैं वे नहीं मिलते। इसलिए मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इन सभी विभागों को एक ही विभाग के अन्दर दीजिए।

इसी के साथ, आज प्रशासनिक अधिकारियों की ए.सी.आर. के आधार पर पदोन्नति की जाती है, उसी के आधार पर उनको लगाया जाता है। लेकिन उन अधिकारियों की कार्यप्रणाली, जहां पर वे रहे हैं वहां उन्होंने क्या परिणाम दिए? शिक्षा विभाग में अभी स्थानान्तरण के अन्दर एक नीति बनायी कि जो अधिक अच्छा रिजल्ट देगा उसका इच्छित स्थान पर स्थानान्तरण किया जाएगा। उसी प्रकार इनके लिए क्यों नहीं बनायी जाती? वे परिणाम दें या नहीं दें, जहां वे चाहें, अगर उच्चाधिकारी या बड़े नेता का ऊपर हाथ है तो वहां पर चले जाएंगे, उससे परिणाम अच्छा आने वाला नहीं है। जो अच्छा काम करता है वह भी काम नहीं करेगा। इसलिए, सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अधिकारियों को पदोन्नत किया जाए परन्तु अच्छी पोस्टों पर जो अच्छे परिणाम देने वाले हों उनको लगाया जाए।

सभापति महोदय, जैसा मैंने अभी निवेदन किया, मानीटरिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। हमारे मंत्रीगण भी बीस सूत्री कार्यक्रम के अलावा जाते ही नहीं, इनको भी मीटिंग लेनी चाहिए। ये जिला मुख्यालय पर जाकर मीटिंग लें और जो सरकार नीति निर्धारण करती है, जो सरकार यहां से योजना बनाती है वह लागू की या नहीं की, इसको देखें इसकी मानीटरिंग करें। यह बार-बार बात आती है कि डी.आर.डी.ए. में कलक्टर साहब मीटिंग नहीं बुलाते, वास्तव में ऐसा है कि कई जिलों में तीन महीने में ठीक समय पर मीटिंग नहीं होती।

एक निवेदन और करना चाहूंगा कि एग्जीक्यूटिव की मीटिंग भी डी.आर.डी.ए. की तरह होती है, वह तो कलक्टर साहब बुलाते ही नहीं हैं। जिसमें राज्य सरकार ने एक-दो विधायक नियुक्त कर रखे हैं, उसकी मीटिंग तो होती ही नहीं। अगर

(श्री ओमप्रकाश शर्मा)

वह मीटिंग वहां हो, वहां सारी मानीटरिंग हो तो निश्चित रूप से राज्य सरकार जो नीतियां बनाती है, जो आदेश जारी करती है उनका बड़ा लाभ मिलेगा ।

इसी प्रकार से चालू वित्त वर्ष में राज्य का राजस्व व्यय 11521 करोड़ रखा गया है । पुलिस विभाग पर 600 करोड़, शिक्षा विभाग पर 2935 करोड़ और चिकित्सा विभाग पर 794 करोड़ रखा गया है । पुलिस, शिक्षा और चिकित्सा विभाग पर कुल 47 प्रतिशत है, इससे स्पष्ट जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता की सुख सुविधाओं के लिए, गांव और शहरों की सुख–सुविधाओं के लिए योजना बनाकर इस प्रकार कार्य करना चाहती है । उपरोक्त विभागों की जो सेवाएं हैं, अन्य की अपेक्षा मानव संसाधन पर निर्भर करती हैं ।

सभापति महोदय, इसके साथ ही निवेदन करना चाहता हूं कि अभी इतने पैसे चिकित्सा के लिये रखे, बूंदी का अस्पताल है, वहां पांच साल से लगातार ए श्रेणी के ऊपर के रोगियों की संख्या है मैंने जो प्रश्न पूछा था उसमें मंत्री महोदय ने माना है कि ए श्रेणी के बराबर बूंदी चिकित्सालय में रोगियों की संख्या है । परन्तु मुझे दुःख इस बात का हुआ कि आज बूंदी जिला मुख्यालय होते हुए भी उसको 'ए' श्रेणी का नहीं किया गया, जबकि मेरे पास में कई जिलों में 'ए' श्रेणी के अस्पताल हैं, मेडिकल कालेज हैं, वहां पर एक और अस्पताल खोल दिया गया है । मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि यह बात सही है कि अस्तपाल की दृष्टि से बूंदी में बहुत सुविधाएं दी हैं, उसके लिए मैं मंत्री महोदय का, राज्य सरकार का आभारी हूं परन्तु अ श्रेणी में बूंदी अस्पताल को क्रमोन्नत करें ।

उद्योग की दृष्टि से मैं निवेदन कर रहा था, सभापति महोदय, बूंदी जिले में दूसरा उद्योग लग नहीं सकता, वहां कृषि पर आधारित या पर्यटन की दृष्टि से उद्योग लगेंगे । पर्यटन विभाग की दृष्टि से बूंदी जिला बहुत महत्व रखता है । कला है, प्राकृतिक सौन्दर्य है । आज बूंदी जिले का रणथम्भौर से लेकर इन्द्रगढ़ का किला, रामगढ़, तणवास, बूंदी गढ़, रामेश्वर महादेव, इन सब स्थानों को अगर पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाता है, तो काफी फायदा होगा । पर्यटन मंत्री महोदय यहां नहीं हैं, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि बूंदी जिले में पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए । वहां बड़ी होटलें आ रही थीं उन होटलों को लाया जाए और कुछ दूसरे लोगों को भी उसके लिए प्रोत्साहित किया जाए ।

सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं और बड़े दुःख के साथ निवेदन कर रहा हूं कि पांच वर्ष में नहीं, 10 वर्ष में बूंदी जिले के अन्दर एक बीघा जमीन जहां पानीदार जमीन है, वह उद्योग के लिए नहीं ली गयी । उद्योग के लिए जमीन ली गयी वहां जहां पानी नहीं है । अब जहां पानी नहीं हो वहां उद्योग कौन लगाएगा? इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जहां पानीदार जमीन हो वहां उद्योग के लिए जमीन आबंटित की जाए । रीको का काम जमीन लेना है लेकिन रीको के अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं । उद्योग

(श्री ओमप्रकाश शर्मा)

मंत्रीजी जहां बैठे होंगे, मेरी बात की ओर अवश्य ध्यान देंगे और उनको निश्चित रूप से इसके लिए करना चाहिए।

दो मिनट और लूंगा, सभापति महोदय, बूंदी जिले में, कई बार चर्चा आती है, चावल, गन्ना पैदा होता है। मण्डी ए क्लास हैं। हमारे यहां पर दोहरी चाल चल रहे हैं। क्योंकि आज वित्त मंत्रीजी जवाब देंगे, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो बड़े उद्योग हैं, सोयाबीन प्लांट, चावल प्लांट, उनको सब्सिडी मिलती है, उनके इन्कम टैक्स फ्री है और जो छोटे उद्योग हैं उनको 4 प्रतिशत का टैक्स देना पड़ता है। वह जब गरड़ा आता है, गरड़े का मतलब यह कि चावल उसमें होता है, उसका 4 प्रतिशत टैक्स देना पड़ता है। जबकि बड़े उद्योगों को नहीं देना पड़ता। वह चावल निकाल कर अगर राजस्थान के बाहर ले जाएंगे तो उनको टैक्स देना पडेगा। जबकि बडे उद्योग वहां से गरडे ले जाते हैं, वह चावल निकालकर ले जाते हैं तो उनको टैक्स नहीं देना पड़ता। इस कारण दोहरी नीति हो गयी। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि दोहरी नीति समाप्त की जाए। अगर यह दोहरी नीति समाप्त नहीं की गयी जो जो छोटे उद्योग हैं, ऐसे 30 उद्योग वहां पर हैं, वे 30 उद्योग बन्द हो जाएंगे। पहले भी वहां गन्ना उद्योग, शुगर फैक्ट्रियां थी वे बन्द हो गयीं। आज शुगर फैक्ट्री बूंदी में केवल एक या दो रह गयीं और एक शुगर मिल सहकारी शुगर मिल रह गयी है। तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन मिले, बडे उद्योगों पर प्रतिबन्ध लगे, उन बडे और छोटे उद्योगों में अन्तर नहीं हो। रियायत दोनों को दी जाए तब जाकर उद्योग पनपेंगे, मजदूरों को लाभ मिलेगा।

सभापति महोदय, मैं खनिज विभाग के बारे में निवेदन करूंगा केवल दो मिनट में। खनिज मंत्री यहां विराजमान हैं, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहुंगा कि खनिज क्षेत्र में मलवा डाला जाता है। सड़क बीच से निकलती है वह सड़क खरंजे से बने तब पानी नहीं भरेगा, वरना आपने सड़क बनायी, मलवा दोनों तरफ हो जाता है, पानी भर जाता है वह तालाब हो जाता है पैसा बेकार जाता है। खासतौर से बूंदी जिले की ओर आपने पांच वर्ष में मुझे कितना पैसा दिया, यह तो आप जानते हैं, बूंदी जिला खनिज की दृष्टि से बहुत महत्व रखता है, आप बिजौलिया से लगती हुई बुद्धपुरा, डाबी सूंतरा, धनेश्वर और सूंतरा से नरसिंहपुरा, डोरा और बडमल चौराहा, वहीं से गरड़दा, नमाणा बंवी, इन सड़कों के लिए पैसे की व्यवस्था करिये।

आश्वासित रोजगार योजना के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं। सभापति महोदय, आश्वासित योजना में दो तरह की बात चल रही है। पी.डी. और कलक्टर जिसको चाहते है वहां तो देते हैं पी डब्ल्यू–डी को काम के लिए, सिंचाई विभाग को काम के लिए और कोई मनचाहा सरपंच हो गया तो उसको देते हैं। आश्वासित योजना का मतलब यह है कि जिस गांव का व्यक्ति, गरीब जिसको रोजगार नहीं है उसको रोजगार सुलभ कराने के लिए एक वर्ष में 100 दिन का रोजगार मिले, वह आश्वासित योजना है। मैं आपके माध्यम

(श्री ओमप्रकाश शर्मा)

से निवेदन करना चाहूंगा कि उन गरीब गांव के किसानों को रोजगार देने की व्यवस्था करें और सरपंच को देनी हो तो वहां दें, पी डब्ल्यू डी को देनी हो तो वहां दें। आपने मुझे समय दिया उसके लिए बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री विष्णु मोदी–(अनुपस्थित)। श्री लक्ष्मणसिंह जी।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत (भीम) : सभापति महोदय, एप्रोप्रियेशन बिल पर आज सदन में बहस हो रही है। 1996 में, 1997 में और यों कहें तो 1998 के चुनाव से पहले भी जो भारतीय जनता पार्टी ने देश के सामने एक नारा दिया था कि हम देश से भय, भूख और भ्रष्टाचार को समाप्त करेंगे यह बहुत ही मन लुभावना नारा था और आज भी है। लेकिन कुछ महीनों से भारतीय जनता पार्टी ने इस नारे की तरफ ध्यान देना बन्द कर दिया क्योंकि जो इसकी सरकारें बनी हैं, वे कुछ और ही प्रकार की वस्तुस्थिति बताती हैं। जहां तक भय का प्रश्न है, यह सही है कि भय इन्होंने समाप्त किया, लेकिन भय किसके मन से समाप्त किया ? जो क्रिमिनल्स थे उनके मन से भय समाप्त हो गया। एंटी–सोशल एलीमेंट्स के मन में से भय समाप्त हो गया, गुण्डा-तत्वों के मन से भय समाप्त हो गया, डैकोइट्स के मन से भय समाप्त हो गया, लुटेरे हैं उनके मन से इस राज का भय समाप्त हो गया। आज गरीब आदमी फिर भी भयभीत है, छोटा आदमी, दलित व्यक्ति फिर भी भयभीत है। अगर हम उदाहरण देखना चाहें तो राजस्थान मे ऐसे ऐसे उदाहरण हुए हैं जो ढूंढने पर भारतवर्ष में कहीं पर भी नहीं मिलेंगे : जहां तक भय की समाप्ति की बात है, शायद बिहार में भी ऐसे उदाहरण नहीं मिलेंगे। यह राजस्थान ही है जहां पर दलित व्यक्ति की नाक में नकेल डालकर उसको घुमाया जाता है, यह राजस्थान ही है जहां पर एक मौलवी को जिन्दा जला दिया जाता है, यह राजस्थान ही है जहां पर पुलिस कस्टडी के अन्दर जुगताराम का लिंग काटने जैसी घटनाएं होती हैं और यह राजस्थान ही है जहां पर दलित महिलाओं पर अत्याचार होते हैं और इसकी पराकाष्ठा तो तब होती है जबकि रक्षक ही भक्षक हो जाए....

श्री मदन दिलावर : कितने सिक्ख बंधुओं को टायर डालकर आग में जलाया था दिल्ली में ?

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : मिनिस्टर जब इंटरवीन करता है तो यह समझा जाता है कि कोई बीच में विशेष पालिसी स्टेटमैंट आएगा, इसलिये जिम्मेदारी से बोलिये।

सभापति महोदय, यह सम्भवतया राजस्थान में ही होता है कि एक मीणा महिला के साथ बलात्कार करता है और कौन करता है? पुलिस का वरिष्ठ अधिकारी डी. आई.जी. टंडन, और एक साल तक भी उस डी.आई.जी. टंडन को गिरफ्तार नहीं किया जाता है। फिर यह सरकार कहती है कि हम भय समाप्त कर देंगे, हम भूख समाप्त कर देंगे, हम भ्रष्टाचार समाप्त कर देंगे। तो भय इन्होंने कितना समाप्त किया है, इसका स्पष्ट उदाहरण हम देख सकते हैं।

सभापति महोदय, जहां तक भूख की बात करें, तो इन्होंने भूख तो नहीं समाप्त

(श्री लक्ष्मणसिंह रावत)

की लेकिन मूखों को ये निश्चित रूप से समाप्त कर रहे हैं, गरीब को ये निश्चित रूप से समाप्त कर रहे हैं, असहाय और दुर्बल व्यक्ति को निश्चित रूप से समाप्त कर रहे हैं। अभी जो केन्द्र का बजट आया, वह इस दशक का सबसे निराशाजनक बजट माना जाता है, सबसे खराब बजट इस दशक का माना जाता है। इतना नकारात्मक बजट भारतवर्ष में पिछले 10 वर्षों के अन्दर पेश नहीं हुआ है। इस बजट के आने के बाद में क्या हो रहा है? इस बजट के आने के बाद में आपका फोरेन एक्सचेंज रिजर्व 1.2 अरब डालर कम हो गया है। इस बजट के आने के बाद एक्सपोर्ट्स बिलकुल घट गये हैं। इस बजट के आने के बाद औद्योगिक प्रोडक्शन बिलकुल घट गये हैं। आपकी इन्फ्लेशन रेट 8 के अंक को पार कर गई है और डालर की स्थिति यह हो गई है कि आजाद भारत में कभी भी डालर 43 के अंक को पार नहीं किया था, इस बजट के आने के बाद में यह स्थिति हो गई हैं। इस बजट के आने के बाद आज हमारा सट्टा बाजार बिलकुल औंधे मुंह गिरा हुआ है। वह दर्शाता है कि भारतवर्ष की आर्थिक स्थिति क्या है, और भारतवर्ष में ही क्योंकि राजस्थान है इसलिए इस बारे में भी चिन्तन करने की आवश्यकता है। जहां ये भूख समाप्त करने की बात कर रहे हैं, उसके बाद में हमारा राजस्थान का यह बजट आ गया, क्या स्थिति हो रही है महंगाई की? भूख समाप्त कर रहे हैं ये, महंगाई चरम सीमा पर पहुंच रही है। पहले कहते थे कि दाल रोटी खाएंगे, प्रभु के गुण गाएंगे, दाल बहुत महंगी हो गई। उसके बाद में गरीब कहने लगा कि साग–रोटी खाएंगे, प्रभु के गुण गाएंगे, आज वह साग भी बहुत महंगी हो गई। अब तो यह है कि हवा खाओ और प्रभु के गुण गाओ। इसलिए गरीब आदमी का प्याज उसको नसीब नहीं हो रहा है, दाल उसको आज नसीब नहीं हो रही है। यह सब क्यों हो रहा है? क्योंकि यह सरकार गरीबों की सरकार नहीं है, यह पूंजीपतियों की सरकार है, यह बड़े–बड़े व्यापारियों की सरकार है, यह मुनाफाखोरों की सरकार है। आज इस सरकार की हालत यह नहीं है कि व्यापारियों के ऊपर हाथ डाल सके, मुनाफाखोरों के ऊपर हाथ डाल सके। उसी का परिणाम है कि आज इतनी महंगाई यहां बढ़ती जा रही है, सुरसा की तरह मुंह उठा रही है, और ये भूख समाप्त करने की बात करते हैं, ये भय समाप्त करने की बात करते हैं।

सभापति महोदय, तीसरी बात जिसका यहां बहुत ढिंढोरा पीटते थे, बहुत ऊंचा–ऊंचा+++करते थे कि हम भ्रष्टाचार समाप्त कर देंगे। अब इन्होंने यह कहना बन्द कर दिया है। मैं यह नहीं कहता कि सभी अधिकारी भ्रष्ट हैं, मैं यह नहीं कहता कि सभी मंत्री भ्रष्ट हैं। ऐसा नहीं है लेकिन+++हैं अधिकारियों में भी, और कुछ+++हैं मंत्रियों के अन्दर भी, उनको पिन पाइंट करने की आवश्यकता है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि समय कम है, इसलिए मैं सिर्फ दो विभाग की तरफ ही आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

सभापति महोदय, पहले तो सार्वजनिक निर्माण विभाग, करोड़ों का बजट राजस्थान

+++शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री लक्ष्मणसिंह रावत)

की सरकार जिसके लिए आरक्षित रखती है और अपेक्षा की जाती है कि राजस्थान ने पी डब्ल्यू.डी. सड़कों का जाल बिछाएगी और अच्छे-अच्छे भवन यहां पर बनाएगी। लेकिन इस पी.डब्ल्यू.डी. के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी के क्या विचार हैं, वह मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर कोई कहता कि विपक्ष का नेता बोल रहा है तो सम्भवतः हमारे सत्ता पक्ष के लोगों को वह बात गले नहीं उतरती, लेकिन मुख्य मंत्रीजी की एक स्पीच, जो कि इन्होंने 5.3.96 को डिलीवर की थी सड़क विकास नीति के लोकार्पण के समय में, मुख्य मंत्री जी की वह स्पीच मैं कोट करना चाहता हूं। मुख्य मंत्रीजी ने यह कहकर सनसनी फैला दी कि पी. डब्ल्यू. डी. कुछ ऐसी व्यवस्था करे जिससे उस पर संदेह की अंगुली उठना बन्द हो। संदेह की अंगुली के सम्बन्ध में उन्होंने सड़क निर्माण की गुणवत्ता और उस पर आने वाली लागत को जोड़ते हुए कहा कि इसकी चर्चा करने वालों का मुंह बन्द होना चाहिए। उन्होंने चुटकी ली कि भ्रष्टाचार के मामले में सबसे ऊपर रहने का एकाधिकार अपने पास में मत रखिये।" यह राजस्थान के मुख्य मंत्री भैरोंसिंह जी शेखावत कहते हैं। उन्होंने आगे यह भी कहा कि परिवार की तरह राजस्थान को समझ लिया तो बदनामी के मामले में पी.डब्ल्यू.डी का एकाधिकार खतम हो जाएगा और कोई आलोचना नहीं होगी। सभापति महोदय, इससे ज्यादा बड़ा सर्टिफिकेट, इससे ज्यादा एडमोनिशन इससे ज्यादा क्रिटिसिज्म किसी विभाग की, अपने ही विभाग की अगर राजस्थान के मुख्य मंत्री करे तो मेरे ख्याल से इस आलोचना के बाद में हमारे माननीय ललित किशोर जी चतुर्वेदी को इस विभाग से तो कम से कम त्याग पत्र दे देना चाहिए था। लेकिन या तो ललित किशोर जी चतुर्वेदी साहब असहाय हैं या उनकी पकड़ नहीं है या उनकी कनाइमेंस है या कसेंट है उनकी, यह तो सही कुछ न कुछ, जिसके ऊपर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। माननीय चतुर्वेदी जी ने भी अपने स्वयं के विभाग के बारे में क्या कहा, वह मैं बताना चाहूंगा जो उन्होंने 14.10.97 को कहा। चतुर्वेदीजी सड़कों के घटिया निर्माण पर अफसोस हुआ, उन्होंने राज्य में सड़कों के घटिया निर्माण पर अफसोस जताते हुए निर्माण विभाग के अभियन्ताओं को कहा कि वे ऐसा काम नहीं करें जिससे सरकार व विभाग की छवि खराब हो। पी. डब्ल्यू. डी. के ग्रेजुएट इंजीनियर्स एसोसिएशन के फंक्शन के समय में वे बोल रहे थे। उन्होंने आगे यह भी कहा कि जिस सड़क को तीन महीने हुए हों वह पहली ही बरसात में उखड़ जाए तो उसकी जिम्मेदारी अभियन्ताओं की ज्यादा बनती है और मंत्री भी फिर ऐसी हालत में शक्ल दिखाने लायक नहीं रहता है। मुख्य मंत्री कहते हैं, स्वयं विभाग के मंत्री कहते हैं और उसके बाद में भी अगर इस बात को पुख्ता करना हो तो सचिव महोदय, पी.डब्ल्यू.डी. की बात भी सुन लीजिये, वे क्या कहते हैं। उसी मौके पर 14 अक्टूबर को निर्माण विभाग के सचिव बी.जी. शर्मा ने कहा कि सड़कों की गुणवत्ता के मामले में विभाग को पिछले दो वर्षों से बदनामी झेलनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि वे शर्म तब महसूस करते हैं कि जब विश्व बैंक के छोटे स्तर के अधिकारी निर्माण के घटियापन के

(श्री लक्ष्मणसिंह रावत)

लिए कोसते हैं। सभापति महोदय, इससे बढ़कर और दयनीय स्थिति क्या हो सकती है। राजस्थान की पी.डब्ल्यू.डी. की।

मैं एक स्पेसिफिक लेटेस्ट उदाहरण देना चाहूंगा कि जिस प्रकार से पी.डब्ल्यू.डी. में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, किस प्रकार से इसमें अनियमितताएं होती जा रही हैं और किस प्रकार से घोटालेबाजी होती जा रही है। हमारे स्वयं से सम्बन्धित राजस्थान विधान सभा का निर्माणाधीन भवन, पी.डब्ल्यू.डी. इस भवन को बना रही है जिसकी लागत करीबन 100 करोड़ रुपये के आसपास आएगी। जब इसकी शिकायतें हुई तो फाइनेंस सैक्रेटरी महोदय ने एक आदेश जारी किया और उस आदेश के अनुसार उन्होंने इस विभाग की जांच कराई, audited by Director-Inspection, ordered by Finance Secretary. उसका जो प्रभारी दल था, 6.9.97 को जांच दल गठित किया गया और प्रभारी दल ने अपने पत्र दिनांक 20.11 97 के द्वारा जिसका कि नम्बर क्रमांक 14477 है, अपनी कुछ टिप्पणियां प्रस्तुत कीं। उसमें स्पष्ट रूप से कहा, प्रतिवेदन में उल्लेखित टिप्पणी निम्न प्रकार से है। वैसे तो डिटेल ज्यादा है लेकिन मैं सिर्फ संक्षेप में निवेदन करना चाहूंगा कि किस प्रकार से अगले 100 वर्षों के लिए कैहर किया जाने वाला 100 करोड़ रुपये का राजस्थान विधान सभा का नया भवन बन रहा है, निर्माणाधीन भवन बन रहा है, उसमें कितनी गम्भीर अनियमितताएं हो रही हैं। उनकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इसमें पहला बिंदु है जोधपुर स्टोन के कार्य जिसमें 13 फेज के अन्दर कार्य कराया। इस अंकेक्षण दल को सिर्फ 5 फेज की रिपोर्ट उपलब्ध कराई गई और यह जोधपुर स्टोन को सप्लाई किया गया है उस पर 1 करोड़ 82 लाख रुपये का अधिक भुगतान किया गया। दूसरा, मिट्टी के परिवहन दल की गलत गणना करके 7 लाख 63 हजार रुपये का भुगतान किया गया है। तीसरा, परियोजना के सभी कार्य लेबर कांट्रेक्ट के आधार पर कराये गये फिर भी विभिन्न श्रेणी के श्रमिकों को 35 लाख का भुगतान दिलाया गया जिसका कि कहीं पर कोई रिकार्ड नहीं है। यह भुगतान संदिग्ध माना गया है। इसके साथ ही सभापति महोदय, इस कमेटी ने यह भी बताया कि 7 करोड़ 77 लाख कोरीजन रेसिस्टेंस बिना निविदाओं के, करोड़ों रुपयों का माल बिना निविदाओं के इन्होंने खरीदा और वह भी इन्होंने इसको से खरीदा। जब बी.एच.ई.एल. इस्पात निगम, जो भारत सरकार का उपक्रम है और जिसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, इसका कम दामों पर स्टील उपलब्ध हो रहा था, इस आइटम पर भी 1 करोड़ 72 लाख रुपये का अधिक भुगतान किया गया। इसी प्रकार से निर्माण सामग्रियों का कोई रिकार्ड नहीं रखा जा रहा है। यह निर्माण सामग्री कहीं अन्यत्र उपयोग में ली जा रही है और हमें इस बात की भी सूचना है, क्योंकि हम पास में रहते हैं और कई प्रिजिलेंट विधायक हैं कांग्रेस के, कि किस प्रकार से यहां से अधिकतर सामग्री, काफी कुछ सामग्री कई अधिकारियों के पास में भी जा रही है। अधिकारियों के यहां पर मकान बन रहे हैं, अधिकारियों के फार्म हाउसेज बन रहे हैं, उन अधिकारियों के फार्म हाउसेज में राजस्थान

(श्री लक्ष्मणसिंह रावत)

विधान सभा की कंसट्रक्शन सामग्री जा रही है। मैं यहां नाम नहीं लेना चाहूंगा, मुझे मालूम है, क्योंकि मैंने नोटिस नहीं दिया है, लेकिन अगर माननीय चतुर्वेदीजी चाहेंगे तो मैं उनको नाम प्रस्तुत कर दूंगा। सभापति महोदय, कहने का मतलब....

श्री सभापति : अभी और बोल रहे हैं क्या ?

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : हां। कहने का तात्पर्य यह है कि यह जो भय, भूख और भ्रष्टाचार मिटाने वाली सरकार है, यह निश्चित रूप से इस दृष्टिकोण से असफल हुई है। अब, सभापति महोदय, मैं दूसरे विभाग के बारे में कहना चाहता हूं जो कि माननीय हमारे भामड़ा साहब के ...

श्री सभापति : शीघ्र कर लें थोड़ा।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : दो-तीन मिनट।

श्री सभापति : दो–तीन नहीं, थोड़ा कम में कर लें।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : इण्डस्ट्रीज डिपार्टमैंट आपके अण्डर में है। मैं सिर्फ जयपुर की डी.आई.सी. के सम्बन्ध में बात करूंगा, उससे भी आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि यहां पर पूरे राजस्थान में इण्डस्ट्रीज डिपार्टमैंट के अन्दर कितने गम्भीर घपले, अनियमितताएं और भ्रष्टाचार होंगे। इसकी एफ.आई.आर. भी दर्ज कराई जा चुकी है एन्टी करप्शन डिपार्टमैंट में। सभापति महोदय, डी.आई.सी. जयपुर ने एक बजरंग वायर प्रोडक्ट्स को नियमों के विपरीत सेल्स टैक्स में एग्जम्पशन दिया जिससे सरकार को 64 लाख रुपये का नुकसान हुआ। इसी प्रकार शिवशक्ति ट्यूब, जयपुर को इन्होंने लाभ पहुंचाया नियमों को मेनीपुलेट करके, जिससे 43 लाख रुपये का नुकसान हुआ। इसी प्रकार से अरविन्द इन्टरनेशन को इन्होंने एनसिकरी स्माल स्केल इण्डस्ट्री बताया जिससे कि 65 लाख रुपये का उस यूनिट को फायदा हुआ, पांच लाख रुपये उस यूनिट को सब्सिडी के अन्दर भी फायदा हुआ। इसी प्रकार से कई–कई यूनिट हैं जिनसे नाम अगर मैं गिनाऊं तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। शुभम ट्रेडर्स, जयपुर; पी.एस.बी. इण्डस्ट्रीज, जयपुर; डाबरिया हाइग्लोमरेट्स, जयपुर; जिनको कि यहां के जनरल मैनेजर मिस्टर कुमार ने, अर्जुनराम जनरल मैनेजर थे, उन्होंने इनको फायदा पहुंचाया। उनकी शिकायत हुई, उनको यहां से हटा दिया गया लेकिन वे क्योंकि माननीय उप मुख्य मंत्रीजी के नजदीक हैं, उनको वापस जयपुर लाकर बैठा दिया गया। तो कहने का मतलब यह है, सभापति महोदय, कि हमारे उप मुख्य मंत्रीजी, वित्त मंत्रीजी, बड़ी–बड़ी+ + + टांसपेरेंसी की+ + +फाइनेंशियल मैनेजमेंट की+ + +फाइनेंशियल विजार्डी की + + +हैं, वह सारी बातें थोथी हैं। अगर मैं कहूं कि it is full of sound and fury, dignrfying nothing, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अत. इस सरकार को इस विषय के ऊपर एडमोनिश करना चाहिए, इस सरकार की निंदा करनी

+ + +अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री लक्ष्मणसिंह रावत)

चाहिए कि इसने राजस्थान के हितों की रक्षा नहीं की है।

श्री सभापति : श्री शिवकिशोर जी सनाढ्य।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री सुरेन्द्र गोयल (उप मुख्य सचेतक) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटे के लिए बढ़ाया जाए।

श्री सभापति : सदन का समय एक घंटे के लिए बढ़ाया जाए, क्या सब लोगों की सहमति है ?

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ाया गया।

राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 1998 पर विचार

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : माननीय सभापति महोदय, विनियोग विधेयक आज हमारे सामने रखा गया है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो बजट है, इस बजट के आने के बाद में राज्य सरकार की इच्छाशक्ति झलकती है, दृढ़ता झलकती है, राजस्थान सरकार का सोच झलकता है राजस्थान के विकास के लिए, राजस्थान की जनता की बहबूदी के लिए और राजस्थान की जनता का जो दुःख दर्द है उसको दूर करने के लिए। राजस्थान के प्रत्येक व्यक्ति का चहुंमुखी विकास हो. इस बात की झलक राजस्थान के बजट से मिलती है। आप देखें, मान्यवर, शिक्षा के ऊपर 1991–92 में जहां 894.59 थे 1998–99 के बजट में 2292.49 हैं, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण पर 300.36 थे, अब 747.53 है, जलापूर्ति तथा सफाई पर 329.54 थे अब 973.35 हैं, कृषि पर 72.84 थे अब कृषि के ऊपर होगा 287.91, सिंचाई पर 381.81 थे अब होगा 1054.36, ऊर्जा पर था 372.16 अब होगा 433.42, सड़कों पर था 162 अब होगा 16.60, ये करोड़ रुपये हैं। इन आंकड़ों से लगता है कि ऐसा कोई विभाग नहीं है जिस विभाग के अन्दर राजस्थान सरकार ने 1998–99 के बजट में तीन गुना और चार गुना पैसा नहीं लगाया हो। जब इतना पैसा राजस्थान में लगने वाला है तो आप देखियेगा कि राजस्थान जो आज पिछड़ा कहलाता रहा, जो राजस्थान आज तक बैकवर्ड स्टेट के नाम से जाना जाता रहा, वह राजस्थान हिन्दुस्तान के नक्शे के ऊपर उभर रहा है भारतीय जनता पार्टी के शासन में। कांग्रेस के लोग चाहे कितना भी कहें, कितने भी आरोप लगाएं, कितना भी कुछ कहें लेकिन आज तक इस सदन में किसी आदमी पर अंगुली उठा कर कोई भ्रष्टाचार की बात नहीं कह सका। इस सदन के अन्दर घपले के, भ्रष्टाचार के, बेईमानी के–मंत्रियों और अधिकारियों के, बहुत लम्बे–लम्बे, अगर कोई प्रोसीडिंग्स उठा कर देखें तो पता लगता है कि किस तरीके से यहां पर आरोप लगते रहे, लेकिन इस आठ साल के शासन के अन्दर कभी इस सदन में ऐसी परिस्थिति पैदा नहीं हुई कि किसी को

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

शर्म से मुंह झुकाना पड़े। तो जिस राजस्थान के अन्दर भ्रष्टाचार की गंगा बहती थी उस राजस्थान में भ्रष्टाचार रूका है। राजस्थान के अन्दर जिस प्रकार से विकास होना चाहिए था, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जनजाति क्षेत्र के अन्दर करोड़ों रुपया सेन्टर से आया, करोड़ों रुपया वहां के जनजाति के लोगों का कांग्रेस शासन में आता रहा, लेकिन आज भी उन लोगों की स्थिति क्या है? लेकिन इन आठ सालों के अन्दर समाज कल्याण विभाग ने और जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग ने राजस्थान में ग्राम स्वराज की कल्पना साकार की है। जो कभी आजादी के पहले महात्मा गांधी ने की थी या पण्डित दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानववाद की कल्पना की है, जिसमें मानव का विकास हो, जिसमें समानता मिले। भारतवर्ष का जो संविधान बना उस संविधान में सब लोगों को समानता दी गई, लेकिन अनुसूचित जाति के नाम पर, जनजाति के नाम पर, जो राजस्थान की तीस प्रतिशत संख्या है, उसके उत्थान के लिए करोड़ों रुपये केन्द्र से लाने के बाद भी राजस्थान सरकार न उनका आर्थिक उत्थान कर सकी, न उनका सामाजिक न उनका शैक्षिक उत्थान कर सकी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में उनका आर्थिक विकास हो, सामाजिक विकास हो और उनका शैक्षणिक विकास हो उसके लिए योजनाएं बनाई गई। आज कोई भी बच्चा किताब के अभाव में, ड्रेस के अभाव में, शिक्षण सामग्री के अभाव में नहीं पढ़ पाये, यह राजस्थान में कहीं स्थिति नहीं है। आज प्रत्येक बच्चा जो पढ़ना चाहता है, उसको प्रोत्साहित किया जा रहा है। ऐसा कोई माननीय सदस्य नहीं जिसने स्कूल की मांग नहीं की आज कोई ऐसा गांव नहीं है। जिसमें स्कूल नहीं है आज गांव के अन्दर अगर शिक्षा का विकास देखना है तो आप चले जाइये गांव के अन्दर, पक्की बिल्डिंग नजर आती है, वहां पर एक भी जो लिपी-पुती बिल्डिंग नजर आती है वह स्कूल है। मैं तो 35 साल तक शिक्षक रहा। पंचायत समिति में भी शिक्षक रहा। मैंने स्वयं देखा कि उन पटेलों की पोल में बैठकर, किराये के भवनों में बैठ कर, गांव की चौपाल पर बैठकर, पेड़ों के नीचे बैठकर, वे तो शिक्षक थे जो पढ़ाते रहे और राजस्थान का इस तरीके से प्रतिशत बढ़ाते रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासन में जो योजना बनी, आज कहीं भवनों की कमी नहीं है, किसी लड़के को धूप में बैठने की आवश्यकता नहीं है, किसी को पानी में भीगते हुए बैठने की आवश्यकता नहीं है। जहां जानवर बंधते हों वहां बैठ कर आज कोई भी बच्चा नहीं पढ़ता। लोक जुम्बिश की कितनी आलोचना की जाए, लेकिन आज लोक जुम्बिश के माध्यम से गांवों के लोगों की मदद से, उनके सहयोग से जिस तरीके से भवन का निर्माण हो रहा है, आज जिस तरीके से पंचायतों के माध्यम से भवनों का निर्माण हुआ है, आज वह बात नहीं हो रही है कि उसमें भ्रष्टाचार हो, क्योंकि गांव का आदमी उसमें इन्वाल्व होता है और उसे मालूम होता है कि इसमें मेरा ही बच्चा पढ़ने वाला है। आज शिक्षा की दृष्टि से अगर देखें, अभी राजसमन्द से आने वाले, बूंदी से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि जो सर्वे हुआ है उसमें

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

50.7% आज लिट्रेसी राजस्थान में आंकी गई है। मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि खैरवाड़ा के अलावा कहीं की लिट्रेसी नहीं थी। जनजाति क्षेत्र है, लेकिन प्रतापगढ़ से लेकर सिरोही तक जो बैल्ट है उसके अन्दर जनजाति के लोगों की और महिलाओं की लिट्रेसी देखी जाए तो राजस्थान में शर्म महसूस होती थी, लेकिन आज कोई एरिया नहीं रहा, कोई एक क्षेत्र नहीं रहा जहां पर शिक्षा नहीं पहुंची हो और जहां शिक्षा के प्रति लोगों का रूझान पैदा नहीं हुआ हो। आज वातावरण निर्माण किया गया है उन क्षेत्रों के अन्दर। आज निःशुल्क छात्रावास राजस्थान के चल रहे हैं, आश्रम विद्यालय चल रहे हैं और आवासीय विद्यालय की सुविधा आज प्रदान की गई है। जो छात्रवृत्तियां दी गई हैं उन छात्रवृत्तियों के माध्यम से आर्थिक भार नहीं पड़े बच्चे के ऊपर, वह भी किया गया है। परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र बनाये गये हैं, आज जितने भी बच्चे हैं चाहे वे किसी भी कम्पीटीटिव एग्जामिनेशन में बैठें, उनके पढ़ने का प्रबन्ध किया गया है। बुक बैंक बनाया गया है, बुक बैंक की योजनाएं लागू की गई हैं। भवन निर्माण पर पैसा खर्च किया गया है विशेष अनुसूचित जाति संगठन योजना बनाकर। अनुसूचित जाति के लोगों के लिए राजस्थान अनुसूचित जाति/जनजाति विकास वित्तीय सहकारी निगम बनाया गया है। अत्याचार एवं उत्पीड़न के शिकार व्यक्तियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जाए, यह राजस्थान की सरकार ने किया। अन्तरजातीय विवाह यदि कोई होता है तो उस सवर्ण को जो अन्तरजातीय विवाह करता है, प्रोत्साहन देती है ताकि समाज के अन्दर जो विसंगतियां रही हैं, जो आज तक नफरत का वातावरण रहा वह सारा का सारा वातावरण समाप्त होकर राजस्थान में खुशहाली पैदा हो, राजस्थान आगे बढ़ सके। इस इस तरह के राजस्थान सरकार ने प्रबन्ध किये हैं।

मान्यवर, राजस्थान के अन्दर उस शासन के दौरान ढाणी-ढाणी, गांव-गांव शराब तो पहुंचायी गई, उसके पीने की तो दुकानें खोली गईं लेकिन हजारों गांव, सैंकड़ों गांवों वर्षों तक प्यासे रहे हैं, ढाणियां प्यासी रही हैं। पानी पीने के लिए कितने-कितने किलोमीटर से जाकर लोगों को पानी लाना पड़ता था। लेकिन जब पहली बार 1990 में भैरोंसिंह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, मुझे याद है उसमें कहा गया कि हम प्रत्येक व्यक्ति को स्वच्छ जल देंगे। उसके लिए नाबार्ड से अगर पैसा लेने की जरूरत पड़ रही है तो नाबार्ड से पैसा ला रहे हैं, अगर हमको जीवन बीमा निगम से पैसा उधार लेने की जरूरत पड़ रही है तो ले रहे हैं और प्रत्येक ढाणी और गांव को और अभी जो घोषणा की उस दिन माननीय मंत्री महोदय ने, 4800 गांवों और ढाणियों को जल आपूर्ति की योजना उन्होंने बनाई है, इस तरीके से प्रत्येक गांव और ढाणी जल से जुड़ेगा। उन्होंने जिस तरीके से हैण्ड पम्पस् की योजना बनाई है उससे लगता है कि हम पानी की जो बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने है, उसे हल कर सकेंगे।

मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से सदन के माननीय सदस्यों को

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

कि प्रतापगढ़ के अन्दर छोटी सादड़ी के अन्दर जो गांव के लोग हैं उन्होंने अपनी योजनाएं बनाई जल की ...

श्री नन्दलाल मीणा : वैरी गुड ।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : उन्होंने अपनी योजना बनायी जिसका 30 प्रतिशत पैसा गांव के लोगों ने और 70 प्रतिशत पैसा राजस्थान सरकार ने दिया । अपनी इंजीनियरिंग है उनकी, उन्होंने पाइप लाइन अपने आप बिछायी है, उन्होंने कनक्शन गांव में अपने आप दिया है, उन्होंने टंकी अपने आप बनाई है, पानी का सोर्स अपने आप देखा है और योजनाएं जितनी अच्छी चल रही हैं कोई शिकायत नहीं है ।

श्री नन्दलाल मीणा : खर्चा भी आधा हुआ है । खर्चा आधा हुआ है ।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : ...कोई कमीशनखोरी नहीं, जो जलदाय विभाग खर्चा करता है, क्योंकि उनके तो अपने नार्म्स हैं । लेकिन मैंने कहा न गांव का व्यक्ति जो प्रत्येक बात को देखता है, घर की तरह से देखता है । जिस तरीके से विद्यालय का या सामुदायिक भवन का निर्माण करता है उसी तरीके से उन्होंने अपनी पेयजल योजनाएं बनायीं हैं । उसमें आधा खर्चा हुआ, जितना खर्चा होना चाहिए था और आज वे बहुत अच्छी तरह से स्कीमें चल रही हैं । तो यह राजस्थान सरकार का ही सोच था कि गांव का आदमी अगर 30 प्रतिशत रुपये खर्च करता है तो 70 प्रतिशत सरकार खुद खर्च करेगी । इसलिए आज अगर देखें तो राजस्थान के अन्दर चाहे वह विद्यालय के भवन हों, चाहे वह आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी हों, चाहे वे मेडिकल के भवन हों, हास्पिटल हों, सामुदायिक केन्द्र हों, इन भवनों का निर्माण हुआ है और गांव का आदमी जुड़ा है । आज शिक्षा विभाग में भामाशाह योजना के अन्तर्गत जिन भामाशाहों का सम्मान हुआ है, करोड़ों रुपये उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में दिये हैं और करोड़ों रुपया देने के बाद में वे राजस्थान सरकार के विकास के साथ जुड़े हैं, इसलिए उनको सम्मानित किया गया ।

मान्यवर, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक–एक बात पर दृष्टि रखती है । अभी सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती का अजमेर के अन्दर 786वां उर्स अक्टूबर में होने वाला है, राजस्थान सरकार ने अभी से 16 करोड़ रुपये का उसका प्रावधान किया है । जो बाहर से आने वाले जायरीन हैं उसमें मुस्लिम बहुत संख्या में आने वाले हैं, सारे संसार से लोग आते हैं । उनके पानी की व्यवस्था अलग से तीन करोड़ रुपयों की और बाकी पैसा उनकी सुविधाओं के लिए, इस तरीके से राजस्थान सरकार एक सद्भाव एक सर्वधर्म समभाव दिखा रही है कि सब धर्मों का सम्मान हो, आदर हो, जो भी जिस पद्धति को मानता हो । यह राजस्थान सरकार का ही सोच है, इसलिए एक सौहार्दपूर्ण वातावरण आज भी राजस्थान के अन्दर है ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक निवेदन और करना चाहता हूं कि देवस्थान विभाग में मन्दिरों के उद्धार की योजना बनाई गयी है । हमारी ये पुरातत्व की

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

राजाओं के जमाने की बनी हुई जितनी इमारतें हैं, इन सबको संग्रह करके इनको हिफाजत से रखने के लिए मैं खास करके वित्त मंत्री जी का ध्यान आपके माध्यम से दिलाना चाहता हूं। उन्होंने बजट भाषण में ये 178 जो आइटम हैं, इनके अन्दर उन्होंने कर प्रपोज किया है। उसमें उन्होंने लिखा है, शिक्षण संस्थाओं के प्रकरण में भूमि एवं भवन कर में दी जाने वाली छूट अब कक्षा 8 तक की शालाओं तक ही लागू होगी, किन्तु राजकीय विद्यालय तथा डीम्ड विश्वविद्यालय को यह छूट उपलब्ध होगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां राजस्थान को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहते हैं, सम्पूर्ण राजस्थान को साक्षर करके आज केरल के मुकाबले में खड़ा होना चाहते हैं कि हमारे यहां शत-प्रतिशत शिक्षा हो। निजी विद्यालय वाले आज बरसों से सेवा कर रहे हैं, आपकी मदद कर रहे हैं, आज करोड़ों रुपया भामाशाहों से आपको दान प्राप्त हुआ है, आपकी बिल्डिंग बनी हैं करोड़ों की, राजकीय बिल्डिंग बनी हैं। मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज राजस्थान में अगर इन विद्यालयों के ऊपर कर लगा दिया गया तो आप सोचिएगा कि ऐसे सैंकड़ों स्कूल हैं जो निजी विद्यालय चल रहे हैं, जो कालेज चल रहे हैं मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। प्राथमिक विद्यालय 2600, उच्च प्राथमिक विद्यालय 3110, माध्यमिक विद्यालय 671, उच्च माध्यमिक विद्यालय 348 आज 1142 विद्यालयों को हम एड देते हैं, जो हमारे माध्यम से चल रहे हैं। प्राइवेट लोग, दानदाता बरसों से शिक्षण संस्थाएं चला रहे थे। राजस्थान तो पिछड़ा हुआ था, राजाओं के राज में भी शिक्षा की तरह ध्यान नहीं दिया गया था। आज का जो शेखावाटी क्षेत्र है इसमें कितनी बिल्डिंग बनी हुई हैं, जरा कोई देखे तो सही। आज उनको देख-देख कर कितने राजस्थान के प्रवासी जो बाहर हैं, जो मुम्बई, सूरत में इधर-उधर काम कर रहे हैं आज प्रत्येक व्यक्ति अपने गांव में आकर स्कूल बना रहा है, भवन बना रहा है, कालेज बना रहा है, आप उन पर टैक्स लगा देंगे तो उनके मन में कितनी पीड़ा होगी? इसलिए मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि शिक्षण संस्थाओं को भवन और भूमि कर से मुक्त रखें। उनके बहुत अच्छे खेलने के प्ले ग्राउंड हैं, कितने खिलाड़ी पैदा होते हैं? रोज हमारे यहां चर्चा होती है हमारे यहां खिलाड़ी नहीं हैं, हम विश्व के मानचित्र पर कहीं टिकते नहीं हैं खिलाडियों की दृष्टि से और हम इस तरीके से टैक्स लगा कर उन लोगों को निरुत्साहित करेंगे तो यह कितना बड़ा जघन्य पाप होगा। आज 276 कालेजों में से 100 राजकीय महाविद्यालय हैं, 137 प्राइवेट क्षेत्र में हैं, उनकी अपनी बिल्डिंग है, उनके अपने मैनेजमैंट हैं। आप उन पर अगर कर लगा देंगे तो वे महाविद्यालय चल पाएंगे? अगर ये सब महाविद्यालय बन्द हो गये तो राज्य सरकार इतने बच्चों को शिक्षा दे पाएगी? यह कभी सम्भव नहीं होगा। मान्यवर, इसलिए मैं आपके माध्यम से पुनः अपील करता हूं कि निश्चित रूप से यह कर नहीं लगाए और भवन कर से उनको मुक्त करें।

मान्यवर, मैं दो-एक बात और निवेदन कर मेरी बात को समाप्त कर रहा हूं।

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

एलोपैथिक दवाई में, आयुर्वेद की दवाई में आपने बहुत राहत दी, कई राहतें दी, हैं आपने। लेकिन सभी तरह की दवाइयों-एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी सर्जीकल आइटम पर कर दर एक हो ताकि भ्रान्तियां पैदा न हों। एक–सी दर क़ायम कर दें उन पर, जो भी दर कायम करना चाहते हैं। जो वैक्सीन है यह वैक्सीन सिर्फ बच्चों के ही नहीं लगता, उसको तो आपने कर मुक्त कर दिया, बड़े लोगों को भी लगता है। सभी तरह के वैक्सीन टैक्स फ्री होने चाहिये। कुत्ते के काटने पर लगने वाला एन्टी रैबीज का टीका, होपाटाइ-सिस के टीके, इसके अलावा कई तरह के वैक्सीन होते हैं जो बड़ों के लगते हैं। भविष्य में बीमार न हों, इसके लिए भी टीके लगते हैं और बीमार हो जाएं तो तो भी टीके लगते हैं। इनको कर मुक्त करना चाहिये, ऐसा मेरा निवेदन है। यह डिस्पोजल सीरिंज आज कहीं भी जाइए, लाने के लिये, तो आपको फट पकड़ा देते हैं सिरिंज। कितनी सिरिंज काम में आती है

श्री सभापति : समाप्ति की ओर हैं न आप ?

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : हां समाप्ति की ओर हूं। फ्री करना चाहिये, ऐसा मेरा माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन है। एलोपैथिक दवाइयों पर यह लिखा होता है, उस पर प्रिन्ट होता है लोकल टैक्स एक्स्ट्रा। लोकल टैक्स एक्स्ट्रा के नाम पर जिस तरीके से लूट होती है, पड़ोसी राज्यों में इनके ऊपर 4 परसेंट टैक्स लगा हुआ है तो सबको नजर आता है कि 4 परसेंट है। इसी तरीके से खनिज क्षेत्र में खनिज पत्थर के ऊपर 12 परसेंट से ग्रेनाइट के ऊपर अभी जो टैक्स लगाया गया है, माननीय खनिज मंत्रीजी का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि आज कितनी मंदी चल रही है। संगमरमर ग्रेनाइट के मामले में आज सब लोग बहुत संकट में है। आपने 12 परसेंट की रियायती विक्रय दर को 31 मार्च, 1999 तक बढ़ाकर जो प्रस्तावित किया है, मैं निवेदन करूंगा कि इस पर आप विचार करें। इसी तरह से संगमरमर पर आपने 16 प्रतिशत से 12 प्रतिशत किया, आपको बहुत–बहुत धन्य-वाद है। हमारे यहां उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा ये सारे क्षेत्र हैं, लेकिन बहुत मंदी चल रही है, अगर आप इस पर और विचार करें तो उन लोगों को थोड़ी बहुत राहत मिलेगी, ऐसा मेरा आपसे निवे-दन है।

जैसा मैंने निवेदन किया था, धरियावद में आपने एक पोस्ट कार्यालय खोला है, वित्तीय प्रबन्धन अगर अच्छा करना है, उसके लिये भी मैं आपको बहुत–बहुत धन्य-वाद देना चाहता हूं। लेकिन मैं राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि राज्य कर्मचारियों को जो मेडिकल आप देते हैं वह मेडिकल का पैसा स्वयं खर्च करता है, अपना इलाज कराता है, अपनी दवाई खरीद कर लाता है और उसको रिम्बर्स कराते हैं। अगर साल–साल तक उसका चुकारा नहीं हो तो कितना नुकसान होने वाला है। आप मेहरबानी करके ऐसे लोगों के लिये जो कैंसर से पीड़ित हैं, जो हृदय रोग से पीड़ित हैं,

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

जिनको एसकोर्ट में जाना है बाई पास सर्जरी कराने के लिये, फाइनेंस डिपार्टमेंट को चाहिये कि कुछ ऐसी व्यवस्था करे, उनके परिवार के लोग कैसे घूमते हैं, कितने पीड़ित होते हैं उसकी कल्पना वही कर सकता है जो आदमी भुगतभोगी हो। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राजस्थान सरकार को कि पैंशनर्स को उन्होंने मेडिकल की बहुत सुविधाएं दीं, 50 हजार से एक लाख 20 हजार रुपया। यह राजस्थान सरकार ही कर सकती थी भारतीय जनता पार्टी की जिसने उस प्रत्येक गांव के व्यक्ति को पेंशनर्स है, जो दवा नहीं ले सकता, उसको सौ रुपया प्रत्येक को दिया।

श्री सभापति : अब समाप्त करें।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : मैं एक और सुझाव देकर मेरी बात को समाप्त कर रहा हूं, आदरणीय। यह सर्विस ट्राइब्यूनल बनाया, यह सर्विस ट्राइब्यूनल इसलिए बनाया गया, हम लोग उससे जुड़े रहें। कर्मचारियों के बहुत-से केसेज होते हैं जो सैटल किये जा सकते हैं। डिपार्टमेंट के लोग, अधिकारी लोग उलझा देते हैं किसी तरीके से स्टेट ट्राइब्यूनल में। लेकिन ट्राइब्यूनल जयपुर में है, आप कल्पना कीजिए कि जालौर से और बाड़मेर से आने वाला आदमी क्या सस्ता न्याय पा सकता है? इससे तो वह जोधपुर में ज्यादा सस्ता न्याय पा सकता है। यह ट्राइब्यूनल जयपुर में ही क्यों? प्रत्येक संभाग में, प्रत्येक हिस्से में जाकर क्यों नहीं इसकी बैंच लग सकती है? वहां कर्मचारी आकर अपनी समस्या का निदान करा सकता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपने बहुत सी कोर्ट्स खोली हैं छोटी-छोटी, इन कोर्ट्स के माध्यम से आप न्याय दिलाना चाहते हैं। जिस तरीके से रेवेन्यू की कोर्ट जाती है उसी तरीके से यह ट्राइब्यूनल कोर्ट जाती रहे।

मैं अन्त में एक निवेदन करता हुआ मेरी बात को समाप्त कर रहा हूं। आयुर्वेद के बच्चे हैं, इनको आप पैसा देते हैं 425 रुपया और जो राष्ट्रीय आयुर्वेद में पढ़ता है, इंटर्नशिप करता है, जो मेहनत करता है उसको 2340 रुपया मिलता है। वहां का जो एम. डी. करने वाला है उसे 8 हजार रुपया मिलता है यहां पर 1400 रुपया प्रथम वर्ष में और 1500 द्वितीय में। और वहां जब द्वितीय वर्ष हो जाता है तो 16 परसेंट 8 हजार पर डी. ए. मिलता है। यह हमारे लिये लज्जा की बात है कि हम बच्चों के साथ भी न्याय नहीं कर पा रहे। मैं राजस्थान सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। आपने जो मुझे समय दिया उसके लिये मैं बहुत-बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूं।

(17.00 बजे)

श्री सभापति : श्री हरिसिंह (महुआ)।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। यह व्यापारियों का और है कुछ .. धन्यवाद।

श्री हरिसिंह (महुआ) : सभापति महोदय, मैं एप्रोप्रिएशन बिल के सम्बन्ध में कुछ निवेदन करूं, इससे पहले मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, मेरे आज के एक प्रश्न में जो मण्डी समिति से सम्बन्धित था,

(श्री हरिसिंह)

उसमें मैंने मंत्री जी से पूछा था कि राजस्थान में 1996–97 और 1997–98 में तिलहन का उत्पादन कितना हुआ। मान्यवर, उसके जवाब में उन्होंने बताया कि 1996–97 में 35.29 लाख टन और 1997-98 में 32.95 लाख टन तिलहन उत्पादन हुआ। और मण्डियों में कितना पहुंचा ? मान्यवर, इसका इन्होंने दिया है कि 1996–97 में जो तिलहन मण्डी में पहुंचा, जिस पर मण्डी शुल्क वसूल हुआ वह 18.51 और 23.6 लाख टन है। मान्यवर, मेरा इससे सम्बन्धित एक अनुरोध है कि तिलहन की कीमत ज्यादा है और इस पर लगने वाला बिक्री कर और भी ज्यादा है। यह बहुत बड़ा जो टैक्स इवेजन हो रहा है उसके पीछे कारण केवल यह नहीं है कि कोई मण्डी शुल्क की चोरी कर रहे हैं, वह डेढ़ परसेंट ही है। अब सरसों एक क्विंटल जिसका भाव हो गया 16 सौ, 17 सौ, 18 सौ एक क्विंटल सरसों का अगर टैक्स इवेजन हुआ तो सेल्स टैक्स का नुकसान हुआ स्टेट एक्सचेंकर को 72 रुपये प्रति क्विंटल। मोटे तौर पर मेरा अनुमान यह है कि अकेले तिलहन पर, मान्यवर, अभी इस प्रदेश को डेढ़ सौ करोड़ रुपये के बिक्री कर और मण्डी शुल्क का नुकसान हो रहा है। अगर इसका सरलीकरण किया जाए। वही स्थिति चने की है। मैं समझता हूं कि वित्त मंत्री जी थोड़ा गौर करेंगे इसके ऊपर। अगर यह स्लैब आपका कम कर दें बिक्री कर का। जैसे चने पर भी आपका टैक्स है और बड़ी भारी चोरी हो रही है। अगर आप यह रेट कर देंगे तो स्टेट की इनकम सैल्स टैक्स के मद में बढ़ेगी, घटेगी नहीं और व्यापारी टैक्स इवेजन नहीं करेगा। सभापति महोदय, वित्त मंत्री जी यहां हैं, मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और इन टैक्सेज का सरलीकरण करेंगे ताकि टैक्स चोरी के विशेष मामलों से बचा जाए।

मान्यवर, इसके साथ ही, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपने अपने बजट में, चुनावी बजट में बहुत सारी छूटें दीं, लेकिन जहां तक स्टाम्प ड्यूटी का और रजिस्ट्रेशन का सवाल है उस पर आप चुप्पी साध गये। इस साल कलक्टर के यहां हर जिले में मीटिंग होती है और भूमि, बिक्री के सम्बन्ध में जो स्टाम्प ड्यूटी है वह हर साल 10 प्रतिशत बढ़ जाती है, जिससे किसानों पर अतिरिक्त भार पड़ रहा है। हर साल 10 प्रतिशत जो उसको बढ़ा देते हैं, इसकी तरफ आप ध्यान देंगे और शायद इसका भी आप सरलीकरण करेंगे। व्यापारी ही नहीं जरा किसानों का भी आप ख्याल रखें, मेरा आपसे ऐसा अनुरोध है।

मान्यवर, किसी भी देश के, प्रदेश के विकास के लिए जो हमने स्टैण्डर्ड माप तय कर रखा है, उस प्रदेश की शिक्षा, बिजली की उपलब्धता, पीने के पानी की उपलब्धता, स्वास्थ्य सेवाएं, सड़कें आदि पैमाने से, पैरामीटर से उसे देखते हैं। मान्यवर, जहां तक राजस्थान का प्रश्न है, शिक्षा की मांगों के सम्बन्ध में जब बहस यहां हो रही थी तो मैंने अनुरोध किया था, और मुझे कहीं कोई कहने में संकोच नहीं है, कि कांग्रेस ने अपने शासन काल में प्राईमरी विद्यालय, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल,

(144)

(श्री हरिसिंह)

सीनियर सैकण्डरी स्कूल यथाशक्ति खूब खोले, आप भी खूब खोल रहे हैं, कोई पीछे नहीं रहता, लेकिन मैंने उस दिन भी कहा था और आज भी मैं निवेदन कर रहा हूं, शिक्षा मंत्री जी, हमारी शिक्षा में गुणात्मक सुधार नहीं हुआ बल्कि गिरावट आई है। और मेरा सीधा सच्चा-सा एक ही प्रमाण है कि आज हर मां-बाप चिन्तित है ..

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मतलब गुणात्मक अवनति हुई ? इसके कोई मापदण्ड तो होंगे कि इन-इन आधारों से आप इस बात को प्रमाणित कर सकते हैं कि गुणात्मक गिरावट आयी है। वे कौन-कौन से बिन्दु हैं जिनको आपने छुआ है इसके बारे में ?

श्री हरिसिंह (महुआ) : वे बिन्दु भी मैं निवेदन कर रहा हूं। मैंने आपको उस दिन भी धन्यवाद दिया था कि आपने बोर्ड की आठवीं की परीक्षाएं तय कर लीं। मैंने कहा बहुत अच्छा किया, पहली क्लास से लेकर आठवीं तक आपकी शिक्षा का क्या स्तर हुआ उसका एक नक्शा आपके सामने आ तो गया। मैंने उस दिन भी अर्ज किया था, सभापति महोदय, आठ साढ़े आठ प्रतिशत मेरे जिले का रिजल्ट रहा है। यह स्पष्ट इस बात का सबूत है, प्रमाण है कि शिक्षा में गुणात्मक रूप से गिरावट आयी है। दूसरा प्रमाण यह है कि आज आप किसी भी मां-बाप के पास चले जाएं, जो बच्चों के गार्जियन हैं, आपकी सरकारी स्कूलों के बजाय वे इस बात के लिए ज्यादा प्रिफरेंस कर रहे हैं कि हमारे बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजें। आप फ्री शिक्षा दे रहे हैं, पुस्तकें फ्री दे रहे हैं और बहुत सारी आपने सुविधाएं दे रखी हैं उसके बाद भी हाई फीस देकर, ऊंची फीस देकर डोनेशन देकर वे इस बात के लिए चिन्तित हैं कि मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले और अच्छी शिक्षा सिर्फ प्राइवेट संस्थान ही दे रहे हैं, उनमें ही मिल सकती है। इसका प्रमाण यह है कि आप जयपुर में....

श्री गुलाबचन्द कटारिया : सभापति महोदय, एक क्षण के लिए मैं आपकी क्षमा चाहते हुए कहना चाहूंगा, मिडिल बोर्ड बनने के बाद जो रिजल्ट आया वह वास्तव में विभाग को भी और सब को चौंकाने वाला था। इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं इसको कोई छुपाना नहीं चाहता लेकिन अनजान रहकर सौ प्रतिशत बच्चों को पास करते जाना और यह प्रसन्न रहना कि स्तर बहुत अच्छा था।

श्री हरिसिंह (महुआ) : इसके लिए तो मैंने धन्यवाद दिया आपको कि बहुत अच्छा किया।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : इसलिए इसका स्तर धीरे-धीरे बनेगा। आखिर पहली बार एक प्रयोग हुआ है, उस प्रयोग का लाभ आपको 2 साल बाद, 3 साल बाद निश्चित रूप से मिलेगा। अभिभावक को चिन्ता होगी, बच्चे को चिन्ता होगी और शिक्षक को भी चिन्ता होगी अपने स्तर को देखने के लिए। दूसरा यह है कि प्राइवेट स्कूल में जाता है इस कारण से कि सरकारी विद्यालय का स्तर कमजोर है, इस बात को मैं नहीं मानता। मैं आपसे निरन्तर प्रार्थना कर रहा हूं कि

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का पिछले पांच सालों का एक कम्परेटिव पूरा चार्ट खोलकर देख लें, उसमें आपको मिलेगा कि परीक्षा परिणामों में जो परसेंटेज है हमारा, वह बढ़ा है, मैरिट का परसेंटेज बढ़ा है। सरकारी स्कूल का कह रहा हूं सरकारी स्कूल के प्रथम और द्वितीय श्रेणी में पास होने वाले बच्चों का परसेंटेज बढ़ा है। तो यह निश्चित रूप से बढ़ोतरी की ओर जा रहा है। मैं यह नहीं मान सकता हूं क्योंकि बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं इसलिए हमारा स्तर खराब है। ऐसी कम से कम मैं आपसे उम्मीद नहीं करता हूं मैं उम्मीद करता हूं कि आप उसको एक बार देखकर फिर उसमें से कोई रिजल्ट निकालें। आपकी इसके लिए तो अध्यापकों को धन्यवाद देना चाहिए कि सरकारी विद्यालयों की गिरती हुई प्रतिष्ठा को उन्होंने बढ़ाया और आज इस स्तर पर लाकर हमको खड़ा किया कि मैरिट पर नम्बर वन और टू दोनों सरकारी विद्यालय के बच्चों ने लाकर एक कीर्तिमान स्थापित किया है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : खैर, सभापति महोदय, इस बहस में नहीं पड़कर मैं एक अनुरोध कर रहा हूं। मैं मेरे यहां देख रहा हूं, मेरे जिले में, मैं राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूं। मेरे यहां, विशेषकर मेरे विधान सभा क्षेत्र में पांच–सात कस्बे ऐसे हैं जहां सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल हैं, जिन सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूलों में बच्चों की स्ट्रैंथ आज के तीन साल पहले 11 सौ, 12 सौ थी आज घट कर 3 सौ–सवा तीन सौ रह गयी क्योंकि उनके पैरेलल ही प्राइवेट स्कूल कस्बों में खुल गये और उनमें स्ट्रैंथ बढ़कर 9 सौ और हजार पहुंच गयी तो मैं क्या कंक्लूजन निकालूं ? बहुत अच्छी बात है, पहली-द्वितीय वरीयता में आपके विद्यालयों के आये हैं, यह तो अकेला एक पैमाना नहीं हो सकता। यह अकेला पैमाना कभी नहीं हो सकता। लेकिन कटारिया जी, यह सच है बिलकुल कि आप चिन्तित हैं। आपने बच्चों के लिए किसी गवर्नमेंट स्कूल में भर्ती कराने की आप बात सोचेंगे तो शायद आपके घर में झगड़ा हो जाएगा। आप सोचेंगे सोफिया में भेजूं, सेंट जेवियर में भेजूं, आप सोचेंगे भवानी निकेतन में भेजूं, आप सोचेंगे मानसरोवर में और चल रहा है उसमें भेजूं, आप सोचेंगे विद्याश्रम में भेजूं। आप भी चिन्तित हैं। वहां केशव विद्यापीठ में भेजने की बात करेंगे या आप आदर्श विद्या मन्दिर में भेजने की बात करेंगे या महावीर में भेजने की बात करेंगे या माहेश्वरी में भेजने की बात करेंगे। यह सिर्फ धोखा है, आप अपने मन को धोखा दे रहे हैं, लोगों को धोखा दे रहे हैं। हकीकत यह है कि आप चाहें न चाहें, शिक्षा मंत्री होने के नाते आप शर्मा-शर्मी में हैं अपने बच्चों को भेजकर सरकारी स्कूलों में लेकिन आपकी मिसेज नहीं चाहती कि हमारे बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाया जाए। सच्चाई यह है, इसको स्वीकार कर लेना चाहिए आपको।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करूं कि लोक जम्बिश, प्रौढ़ शिक्षा सम्पूर्ण साक्षरता, औपचारिक शिक्षा, मान्यवर, यह बहुत सारी हैं। शिक्षा कर्मी योजना **This is the wastage of Government money.** मैं

146

(श्री हरिसिंह)

समझता हूं कि गवर्नमेंट को हिम्मत साधकर, राजस्थान गवर्नमेंट को हिम्मत के साथ सैंट्रल गवर्नमेंट से यह कह देना चाहिये कि हमको इस ढंग के पैसे की आवश्यकता नहीं, यह बर्बादी की तरफ जा रहा है।

आप जरा लोक–जुम्बिश की तरफ निगाह उठाकर तो देखिये, क्या हो रहा है। लोक जुम्बिश के, सीडा के यहां चेयरमैन आए, उन्होंने अफसोस जाहिर किया। अखबारों में खबर छपी कि मुझे अफसोस इस बात का है कि जो सीडा ने दान–दक्षिणा का पैसा दिया है, लोक जुम्बिश के चेयरमैन उस पैसे से गाड़ी खरीदकर उसमें ऐश–आराम कर रहे हैं। यह सीडा के चेयरमैन ने कहा है, यहां के अखबारों में छपा है और सरकार ने उस तरफ से आंखें मूंद रखी हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, थोड़ी शीघ्रता करें।

श्री राजेन्द्र पारीक : +++ (व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया आक्षेप न करें।

श्री हरिसिंह (महुआ) : मैं आपका थोड़ा–सा ध्यान प्लानिंग की तरफ...

श्री सभापति : ये बहुत बढ़िया बोल रहे हैं, बोलते रहें, मैं चाहता हूं, लेकिन समय का अभाव है। सरकार जल्दी से अपना उत्तर देना चाहती है इसलिए मैं कह रहा हूं। बाकी अच्छा बोल रहे हैं, खूब अच्छा बोल रहे हैं। उसमें कहां दिक्कत है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : सभापति महोदय, आप स्वयं विद्वान आदमी हैं और पक्ष और प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य भी विद्वान है। आज हमारा पैमाना क्या है, स्टैण्डर्ड, कि इस बात को हम नापें ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : सनाढ्य जी को आपने आधे घण्टा दिया है, इनको भी आधा घण्टा दीजिए।

श्री हरिसिंह (महुआ) : नहीं, मेरे को तो आप कोई बात नहीं, थोड़ा ही टाइम दे देना, मैं ज्यादा बोलूंगा ही नहीं।

श्री सभापति : हम मान लेंगे आपको।

श्री हरिसिंह (महुआ) : आज हमारी छठी, सातवीं, आठवीं पंचवर्षीय योजनाएं आ गयीं, लेकिन हमारी गरीबी का जो स्तर है उसको हम नहीं रोक पाए। उसमें दिन प्रति–दिन, अभी आपने जो सर्वे किया है, आपके सामने और चौंकाने वाले आंकड़े आएंगे कि गरीबों की संख्या कितनी बढ़ गयी है। हमारी प्लानिंग के साथ में कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है। यह शोचनीय अध्ययन का, मनन का और विचार का विषय है। मैं इस सम्बन्ध में आपसे निवेदन करूंगा कि—The greatest failure of our planning reflected in the continuity of high rate of illitecacy, illness, mortality & fertility, privilege in mal-nutrition

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री हरिसिंह)

and unemployment in the State. अब इस स्टैण्डर्ड को हम कहां जाकर रोकेंगे ?

श्री मदन दिलावर (राज्य मंत्री, समाज कल्याण) : यह किसने लिखा है ?

श्री हरिसिंह (महुआ) : यह आप जैसे किसी विद्वान व्यक्ति का है, आप जैसे विद्वान व्यक्ति ने यहां की प्लानिंग की आलोचना, समालोचना की है, मदन दिलावर जी। मैं तो हल चलाता हुआ इस सदन में आया हूं, मेरे बूते की बात तो नहीं है। लेकिन इसको पढ़ना जरूर सीख गया, इसलिए आपके सामने मैं निवेदन कर रहा हूं।

अब यह जो स्टैण्डर्ड हैं, इसमें हम कहां टिकते हैं ? जहां तक हमारी जनसंख्या का सवाल है, हमने हिन्दुस्तान में रिकार्ड कायम कर दिया। राजस्थान टॉप पर आया, नम्बर-एक पर। पूरी डिकेड में जितनी जनसंख्या राजस्थान में बढ़ी उतनी कहीं नहीं बढ़ी।

जहां तक हमारे एजुकेशन सिस्टम का सवाल है, मान्यवर, आप चाहे खुश हो लें, यह बिलकुल सही है कि सिटी में लेडीज की साक्षरता है वह 50 के ऊपर पार कर गयी लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में अभी यह ग्यारह पाइंट समथिंग है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं निवेदन करूं कि आपके बारबार इस सवाल को कि साक्षरता से कुछ नहीं हुआ, मैंने अपनी सारी टीम लगाकर सर्वे करवाया। अभी जो मतदान 1998 की फरवरी में हुआ उस मतदान के 22 जिलों के मैंने आंकड़े इकट्ठे करवाए हैं। उन सबको जोड़ने से ज्ञात हुआ कि 57 प्रतिशत लोगों ने दस्तखत किये हैं, अंगूठा नहीं लगाया है। मैं आपको बिलकुल यकीन के साथ कह सकता हूं, एक–एक जिले के आकड़े, महिलाओं में कितना है, बुजुर्गों में कितना है। यह इतना नहीं है कि बिलकुल कुछ और साक्षरता का प्रतिशत हो, मैं आपको कह रहा हूं कि इस समय हमारे सर्वे से 55 प्रतिशत, जो हम 38.4 पर थे, वह आप 2001 में जब गिनती करेंगे तो मेरा अनुमान है कि 55 और 60 के बीच में राजस्थान का साक्षरता प्रतिशत आएगा।

श्री हरिसिंह (महुआ) : आप जो प्रगति प्रतिवेदन हम लोगों को देते हैं आप उन्हीं का अध्ययन कर लेना। आपने लिखा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिला साक्षरता 11.59 प्रतिशत है। यह मैं तो बनाकर नहीं लाया।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : यह 1991 की सेंसस का आंकड़ा है। उसके बाद 1991 से लेकर अब तक जो प्रयास हुआ उससे 55 प्रतिशत राजस्थान की साक्षरता आज की तारीख में हमारे सर्वे से आ रही है। 2001 तक जो होगा, मेरा अनुमान है कि 55 और 60 के बीच में आएगा, कहीं पर 57 आ सकता है, कहीं 56 आ सकता है, कहीं 54 आ सकता है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : मुझे इस बात की खुशी है कि आप मेरे हर कदम पर

(श्री हरिसिंह)

मेरे प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं, यह बढ़िया बात है। कहीं न कहीं आपको चुभ जरूर रही है। मेरी बात आपको कहीं न कहीं चुभ जरूर रही है। इसलिए आप मुझे उनका जवाब दे रहे हैं, बहुत खुशी की बात है।

मैं इसके साथ ही आपसे अनुरोध करूंगा कि हमारे विकास में जो आपने स्तर बना रखा है। वह शहरी क्षेत्र के लिए पैमाना अलग है, ग्रामीण क्षेत्र के लिए पैमाना अलग है। सभापति महोदय, जहां तक शहरों का सवाल है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उप मुख्य मंत्री) : आप क्षमा करेंगे। शायद मैं अपने लम्बे जवाब में आपका उत्तर देना भूल जाऊं। अभी–अभी आपने कहा था कि किसानों पर दया करिये, तिलहन और चने पर किसानों पर टैक्स...(व्यवधान) मैं आपकी सूचना के लिए बताना चाहता हूं कि किसान पर एक भी पैसे का टैक्स नहीं है, मण्डी टैक्स नहीं है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : किसानों के लिए नहीं कहा मैंने। (व्यवधान) कहा नहीं, किसानों के लिए नहीं कहा मैंने। मैंने तो यह कहा था कि आपकी सेल्स टैक्स की रेट होई है। आप 4 प्रतिशत तिलहन पर जो टैक्स ले रहे हैं, उसमें से एक क्विंटल टैक्स की चोरी अगर होती तो 75 रुपये का स्टेट एक्सचेकर को नुकसान हो रहा है। यह कहा था मैंने तो।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आपने यह कहा था कि आप किसानों की तरक्की के लिए....(व्यवधान) यह कहा था। मैंने नोट किया है, नोट किया है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : नहीं, वह कहा था मैंने भूमि विक्रय पर। (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : उसी समय नोट किया है मैंने। यह कहा है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : मान्यवर, मैंने कहा था, भूमि विक्रय पर जो पंजीयन शुल्क है वह हर 10 प्रतिशत आप बढ़ाते चले जा रहे हैं।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : वह अलग बात है। मैंने तो....(व्यवधान) आपने जो टैक्स की बात कही, किसानों पर कोई टैक्स नहीं है। यह है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : मैं आपसे अनुरोध कर रहा था हमारे शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र के बारे मे। अगर कोई बड़ा कॉलेज खुलेगा, शहर में खुलेगा, अच्छी सड़कें बनेंगी, शहर में, जितनी भी सुविधाएं मिलेंगी वे शहर में। मान्यवर, मुझे बहुत सख्त अफसोस हुआ है इस बात को जानकर कि यहां से सड़कों की हमारी कैपिटल असेट्स हम बढ़ा रहे हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि सड़कों का निर्माण नहीं हुआ बी.जे.पी. के राज्य में। सड़कें बढ़ी हैं, खूब बढ़ाई हैं, आपने रोड की पालिसी तय की है, पंचायत हैडक्वार्टर्स को जोड़ने की है, 1971 की आबादी के साथ, 1500 की आबादी के गांवों की, 1981 की जनगणना को लिया फिर 1991 की जनगणना को लिया, सड़कें आपने बढ़ायी हैं। लेकिन सड़कों की क्वालिटी वह नहीं बन पायी। मुझे अफसोस है इस बात का कि आज से

(श्री हरिसिंह)

15 साल पहले बनी हुई कांग्रेस के राज की सड़कें एक नहीं उखड़ीं और आपके तीन साल की सड़कें टूट गयीं। यह क्वालिटी गिरी है आपके राज में। मुझे सख्त अफसोस इस बात का है। माननीय रोहिताश्व कुमार जी यहां बैठे हैं और राजगढ़ से आने वाले हमारे माननीय अध्यक्षजी वहां बैठे हैं, मान्यवर, 55 लाख रुपये में भिवाड़ी से करौली जाने वाली सड़क बनी है। 55 लाख रुपये में एक किलोमीटर। मान्यवर, एक साल के गारण्टी पीरियड में पूरा रोड उखड़ कर टूट गया। 55 लाख रुपये किलोमीटर में जो रोड बना है, वह उखड़ कर दूर हो गया। हमारे कैपिटल असेट्स बढ़े, इसमें कोई सन्देह नहीं, लेकिन क्वालिटी गिर गयी। अब आप देखिये, सरकार कितनी मेहरबान है। मेंटिनेंस का पैसा भेजा और यहां से हर डिवीजन पर जो डिवीजन के एक्स.ईएन. हैं, इन्चार्ज हैं उनको हिदायत दी कि आप मेंटिनेंस का कार्य सिर्फ स्टेट-हाईवे का ही कराएं, ग्रामीण सड़कों का बिलकुल मत कराएं। इनको पैसा ही नहीं दिया। ग्रामीण सड़कें आज सब उखड़ी पड़ी हैं, टूटी पड़ी हैं, कोई उनकी तरफ ध्यान नहीं देता।

हां, मैं एक बात निश्चित रूप से, माननीय पंचायती राज मंत्रीजी बैठे हैं, उनको मैं जरूर धन्यवाद दे दूं कि प्राथमिक विद्यालय जो भवन रहित थे लेकिन, साथ ही, मान्यवर, एक निवेदन मैं करूंगा, उनके साथ बैठे हुए मेरे मित्र, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, पहले अखबारों में एक खबरें छपती थी कि उग्रवादियों ने पंजाब में आज इतनी हत्याएं कर दीं, आज इतने कत्ल कर दिये। वह धीरे-धीरे हमारी एक आदत बन गयी। आज इतने कत्ल हुए, वह हैड-लाइन छोड़कर उसकी डिटेल पढ़ना छोड़ दिया। मान्यवर, आज राजस्थान में एक्सीडेंट की वही बात है। किसी दिन का ऐसा न्यूज पेपर नहीं है जिसमें यह खबर नहीं छपती हो कि आज राजस्थान में फलां एक्सीडेंट में इतने मर गये और इतने घायल हुए। यह व्यवस्था, मान्यवर, आपको सुधारनी ही पड़ेगी।

श्री रोहिताश्व कुमार शर्मा (राज्य मंत्री, यातायात) : एक्सीडेंट रेशो सभी जगह बढ़ा है, केवल राजस्थान की बात नहीं है।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री हरिसिंह (महुआ) : मैं एक सैकण्ड से अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। कोई लम्बी-चौड़ी बात नहीं बोलूंगा मैं। सभापति महोदय, सुजानसिंहजी मेरे से बहुत खुश हैं। नाराज भी हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, मना लूंगा। आपके हैल्थ मिनिस्टर साहब नहीं हैं। इनको थोड़ा-सा मैं अनुरोध करना चाह रहा था कि हास्पिटल जो शहरी क्षेत्र में बना रहे हैं, उस पर आपका पैरामीटर है 51 हजार। 51 हजार की जनसंख्या पर हास्पिटल और ग्रामीण क्षेत्र में 22.63 लाख पर एक हास्पिटल बनाएंगे। शहरी क्षेत्र में आपकी पी.एच.सी. है 1.48 लाख पर और ग्रामीण क्षेत्र में आपकी एवरेज आ रहा है 2.29 लाख जनसंख्या पर। मातृ शिशु कल्याण केन्द्र शहर में 1 लाख 9 हजार पर एक और ग्रामीण क्षेत्र में 13.5 लाख पर एक। तो यह विषमता जो ग्राम और शहर के बीच में विकास के कार्यों से होती चली जा

(श्री हरिसिंह)

रही है, मान्यवर, इस ओर ध्यान देना, अदरवाइज यह एक ऐसा गैप हो जाएगा, ऐसा गैप बन जाएगा कि हम भी जब शासन में आएंगे तो इसको एब्रिज करने में हमको बहुत तकलीफ होगी। बहुत लम्बा गैप हो जाएगा। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : आप तो आओगे नहीं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : हां, इसको पाटना मुश्किल हो जाएगा। इसके साथ ही मैं आपसे अन्य पिछड़े वर्ग के सम्बन्ध में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। मान्यवर, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, एस. सी., एस.टी. और अन्य पिछड़ा वर्ग के रिजर्वेशन के सम्बन्ध में अपनी बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा।

मान्यवर, अन्य प्रदेशों में सब जगह सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के मुताबिक 27 पर्सेंट अन्य पिछड़ा वर्ग को रिजर्वेशन दिया गया है, राजस्थान में मात्र 21 पर्सेंट रिजर्वेशन दिया। इसके साथ ही जो रिजर्वेशन की पोजीशन है, अब वह यहां तक आकर सीमित कर दिया, मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि पचास पर्सेंट से ज्यादा नहीं हो सकता। It was not binding. It was only the simple advice of the Court. यथासाध्य जहां तक हो, इसको 50 पर्सेंट रखा जाएं लेकिन स्टेट्स में आप देखिये, तमिलनाडु में 69 पर्सेंट, कर्नाटक में 80 पर्सेंट, यू.पी. में 27 पर्सेंट, बिहार में 80 पर्सेंट और राजस्थान में आपने दिया 5 पर्सेंट 5 पर्सेंट देने के बाद में भी न तो आपने पी.एम.टी. में दिया, न पी.ई.टी. में दिया।

श्री शांतिलाल चपलोत : काम्पीटीशन में हो गया वह तो, ऐसे थोड़े ही हुआ है? पहले—(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : न प्री-बीएड. में दिया, न एस.टी.सी. में दिया, न कम्पाउण्डर्स की ट्रेनिंग में दिया, आपने कहीं कोई रिजर्वेशन नहीं दिया। जहां तक एज रिलैक्सेशन का सवाल है, और प्रान्त में जितनी भी सरकारें हैं उन्होंने पांच वर्ष का एज रिलैक्सेशन दिया है, आपने राजस्थान में सिर्फ दो वर्ष का एज रिलैक्सेशन दिया। मान्यवर, मैं राजस्थान विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में जहां अनुसूचित जाति और जनजाति के योग्य अभ्यर्थी मिलने के बाद में भी उनका चयन नहीं किया जाता....

श्री नाथूसिंह गुर्जर : पंचायतों में रिजर्वेशन दिया है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : हां, यह राजस्थान हाई कोर्ट का निर्णय है, उसकी कुछ लाइन आपको पढ़कर सुनाना चाह रहा हूं, आप रिकार्ड पर लें।

माननीय उच्च न्यायालय में एक केस किया गया था, याचिका संख्या 1839/1992। यह आल इंडिया फैडरेशन आफ एस.सी., एस.टी. बैकवर्ड एण्ड माइनोरिटीज एम्प्लाइज वैलफेयर एसोसिएशन ने केस किया था यूनिवर्सिटी आफ राजस्थान पर। मान्यवर, इसमें इन्होंने बहुत अफसोस के साथ में यह कहा है कि—

'This is unreasonable on the part of the University that despite

(श्री हरिसिंह)

the orders of this court, the posts have not been filled expeditiously, and as said earlier the term of ad-hoc appointees is being extended, Even if as and when temporary/ad-hoc appointments are made, it is incumbent on the part of the University of Rajasthan to fill the posts reserved for SC/ST candidates from amongst those candidates and such posts could be filled from other candidates only in case of suitable candidates in SC/ST category are not available. But while filling the posts on temporary basis the roster system is not being followed "

मान्यवर, आज राजस्थान यूनिवर्सिटी में साढ़े तीन सौ टेम्परेरी अपाइंटमेंट कर रखे हैं जिनमें लैक्चरर्स भी हैं, रीडर भी हैं, और अब सरकार साजिश करके एस.सी., एस.टी. के इस रिजर्वेशन को डिफीट करने के लिये उनको रेगुलराइज करने जा रही है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से यह अनुरोध है कि एस.सी., एस टी. के योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध हैं तो पहले उनका बैकलॉग पूरा किया जाए और वैकेंसी निकाल कर रोस्टर के मुताबिक उनका अपाइंटमैंट किया जाए।

मान्यवर, इसके साथ ही मैं आपको थोड़ा-सा, चूंकि हैल्थ मिनिस्टर साहब आ गये हैं, पहले तो मन था नहीं, अब वे चूंकि बैठे हुए हैं, शायद मेरी बात सुनेंगे।

श्री सभापति : अब बता दी थी न आपने।

श्री हरिसिंह (महुआ) : मान्यवर, आज से दस साल पहले मेडिकल इंस्टीट्यूट का दर्जा देने की एस.एम.एस. की बात थी। 1987 में यह आयुर्विज्ञान एसोसिएशन के 190 एक्सपर्ट्स आये और उन्होंने यह कह दिया कि This hospital is fit in all respects. मशीनें उपलब्ध हैं, स्टाफ बहुत बढ़िया उपलब्ध है, सब कुछ है। मान्यवर, इतना सब कुछ हो जाने के बाद में इसकी घोषणा हो गयी। सन 1982 से यह प्रमुख प्रकरण चल रहा है और कांग्रेस के राज में पूर्व मुख्य मंत्री स्वर्गीय श्री हरिदेवजी जोशी ने घोषणा भी कर दी कि यह हो गया, लेकिन उसके बाद में भी आज तक तीन साल तो वे हमारे वाले हो गये और आठ साल आपके गये, आखिर कौनसी बाध्यताएं हैं कि इसको मेडिकल इन्स्टीट्यूट का दर्जा आप नहीं दे रहे हैं? मान्यवर, यह खुली बात है. इसमें तीनों का नुकसान हो रहा है। प्रोफेसर्स, डाक्टर्स की तो प्राइवेट

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

प्रैक्टिस समाप्त होती है, मंत्रीजी के ट्रांसफर के अधिकार छिन जाते हैं....

श्री मदन दिलावर : गलत बयानी मत करो।

श्री हरिसिंह (महुआ) : मैं गलत बयानी कर रहा। आपको पता ही नहीं है फिर, आपकी जानकारी नहीं है। आपकी जानकारी नहीं है। यह तो जानते ही नहीं आप। (व्यवधान) आपकी समझ से बाहर का मामला है। मान्यवर, यह आटोनॉमस

(152)

(श्री हरिसिंह)

बॉडी बनती है और आटोनॉमस बोडी बनने के कारण हमारे यहां के जो सैक्रेटरीज वगैरह हैं, उनके अधिकार भी छिन जाते हैं। इसलिए कोई भी वर्ग, न डाक्टर, न राजनेता और न हीं आपके अधिकारी यह चाहते हैं कि इसको इन्स्टीट्यूट का दर्जा दिया जाए। मेरा आपसे यह अनुरोध है कि अभी बहुत थोड़ा समय अब रह गया है, आप इसके ऊपर विचार करें और उसमें घोषणा करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (राज्य मंत्री, चिकित्सा) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को करैक्ट करना चाहता हूं। इसमें कोई शक नहीं है कि 1982 में सवाई मानसिंह चिकित्सालय को आल इंडिया मेडिकल इन्स्टीट्यूट का दर्जा देने की एक घोषणा एक समारोह में तत्कालीन मुख्य मंत्री महोदय ने की थी। उसके बाद में एक समिति भी बनी थी . .

श्री खेतसिंह राठौड़ : उस वक्त कौन था मेडिकल मिनिस्टर ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : समिति बनने के पश्चात् जब उसकी रिकमण्डेशन तत्कालीन कमजोर स्वास्थ्य मंत्री ने मंत्रिमण्डल में रखी तो, माननीय सभापति महोदय, मंत्रिमण्डल ने उसको नामंजूर कर दिया। यह है उसका पटाक्षेप। अब यह कहना कि उस वक्त लागू हो गयी थी और इसमें यह अधिकार छिनते हैं, मैं समझता हूं कि यह सदन को सही बात नहीं कहते हैं।

श्री सभापति : श्री उगमराज मेहता।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप जो कह रहे हैं, हमने तो यह सब तय कर दिया था, बाद में आपका राज आया। कौनसी गवर्नमेंट ने . (व्यवधान)

श्री सभापति : जितना सीमित कर सकें, उतना करें। सरकार अपना जवाब शीघ्र ही देना चाहती हैं इसमें। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : चिकित्सा मंत्री कौन थे, नाम बताओ आप। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : सभापति महोदय, टाइम्स आफ इंडिया में एक लेख छपा है।

श्री सभापति : उगमराज जी बोल रहे हैं। आप बैठें, माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हां, निश्चित तौर पर छपा है और उस वक्त घोषणा हुई थी। उस वक्त माननीय राठौड़ साहब को अच्छी तरह से पता होगा कि आपको नजरन्दाज करके कोई समिति बनायी गयी थी। समिति बनने के पश्चात् समिति की रिकमण्डेशंस मंत्रिमण्डल के अन्दर आयीं और मंत्रिमण्डल में टर्न-डाउन आपने कर दिया पूरा का पूरा। उसके प्रश्चात् यह तय हुआ था कि यहां आल इंडिया मेडिकल इन्स्टीट्यूट का दर्जा मिल जाएगा, यहां रैफर्ड केस आएंगे। यहां आम व्यक्ति जो गरीब राजस्थान के किसी हिस्से से चलकर आ जाता है, वह अपने आपको नहीं दिखा पाएगा, यह बात थी न। ...

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप जो नजरन्दाज की बात करते हैं.... (व्यवधान) ..

श्री राजेन्द्र राठौड़ : न वित्तीय प्रावधान आपने किये थे ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : ग्राप जो नजरन्दाज की बात करते हैं कि खतसिंह जी को नजरन्दाज करके फैसला हो गया, माननीय समापति महोदय, यह कभी हो ही नहीं सकता । (व्यवधान)

श्री समापति : क्या होता है ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : ये ऐसे राठौड़ नहीं है ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : ग्रभी मेरे पास में...(व्यवधान)

श्री समापति : विराजिये । कृपया, विराजिये । श्री उगमराज जी, ग्राप प्रारम्भ करें ।

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) : माननीय समापति महोदय, हमारे वित्त मंत्री ग्रौर उप मुख्य मंत्री माननीय भाभड़ा साहब ने जिस प्रकार से टैक्सेज में राहत दी है ग्रौर विकास के कार्य में जितनी इन्होंने प्रगति की है, ग्राज राजस्थान में हर जगह, हर गांव में प्रशंसा हो रही है । तार ग्रा रहे हैं कि ग्राज चुंगी आपने समाप्त की, उसके लिये बहुत–बहुत धन्यवाद । चुंगी के विकल्प में ग्रब कांग्रेस वाले उनको उकसा रहे हैं, उनको धरने पर बैठा रहे हैं । इस प्रकार से चुंगी हटाई है ग्रौर राजस्थान की सरकार यश ले रही है । ग्राने वाले चुनावों में उसको जो यश मिलने वाला है, ग्रब कांग्रेस वाले उनको धरने पर बैठा करके कह रहे हैं कि चुंगी को समाप्त करने की एवज में कुछ नहीं लगना चाहिये । ग्रगर चुंगी की एवज में जो टैक्स लगना है या क्या करना है, वह ग्रापसे भी राय मांगी थी कि ग्राप ग्राइये, ग्रपनी राय दीजिये । व्यापारियों को भी बुलाया, वे ग्रपनी राय दें कि किस प्रकार इसकी भरपाई की जाए । यह किस प्रकार से राहत देंगे, यह तो माननीय वित्त मंत्रीजी ग्रपने भाषण में बताएंगे ।

श्री परसादीलाल मीणा : ग्राप तो जिले पर आ जाओ जिले पर ।

श्री उगमराज मेहता : समापति महोदय, ग्राज सारे राजस्थान में विकास की गंगा बही ग्रौर गांव–गांव में काम हो रहे हैं । ग्रब चुनाव नजदीक ग्रा रहे हैं ग्रौर जो सामने बैठे हुए हैं उनके पेट में मरोड़े चल रहे हैं कि ग्राने वाले समय में, चुनाव में यह जो विकास जो हुग्रा है गांवों में, उस विकास के नाम पर ये जीतकर वापस ग्राएंगे, मैं कह रहा हूं शर्तिया, 115 ग्रौर 125 की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य चुनकर ग्राएंगे ग्रौर हम सरकार बनाएंगे ।

श्री हरिसिंह (महुआ) : पर जिला नहीं बनाया ।

श्री परसादीलाल मीणा : जिले पर ग्रा जाग्रो, जिले पर ।

श्री उगमराज मेहता : ग्राप विराजें । आप विराजें, कृपा करके मेरी बात सुनिये ग्राप । बीच में व्यवधान नहीं ।

माननीय समापति महोदय, मैं दो चार पाइंट के ऊपर ग्रापका ध्यान दिलाना चाहता हूं । माननीय उप मुख्य मंत्री ग्रौर

(श्री उगमराज मेहता)

वित्त मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि आज महिला शिक्षा के नाम पर इस सरकार ने बहुत काम किए हैं। कई निजी महाविद्यालय खुले और प्रवासी राजस्थानियों ने यहां आकर निजी महाविद्यालय खोलकर खूब पैसा लगाया। आज उनके अनुदान के लिए आप यह कह रहे हैं पैसा नहीं है, मैं माननीय उप मुख्य मंत्री और वित्त मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा, इस प्रकार के 22 महाविद्यालय हैं राजस्थान में, जिनको कि इस साल अनुदान देना है। दो करोड़ रुपये की आवश्यकता है। आज मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अनुदान के नाम पर शिक्षा जगत में और महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये आप दो करोड़ रुपये शिक्षा मंत्री जी के फण्ड में दिलाएं ताकि उनको अनुदान दिया जा सके और शिक्षा का आगे बढ़ावा हो सके।

श्री परसादीलाल मीणा : आप तो असली बात पर आ जाओ न।

श्री उगमराज मेहता : माननीय उप मुख्य मंत्री जी व वित्त मंत्री जी, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आपने रेडीमेड कपड़ों पर दो प्रतिशत टैक्स लगाया है। गत बजट में आपने छूट दी थी। ग्रामीणों के बच्चों के और गरीब बच्चों के लिए इस प्रकार से रेडीमेड कपड़े काम आते हैं। वे 15-15, 25-25 और 30-30 रुपये में मिलते हैं बाजार में और आज कितने ही आदमी इस रेडीमेड के काम में लगे हुए हैं। उनको राहत देने के लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आपने 100 रुपये के रेडीमेड कपड़ों पर छूट पहले दे दी थी, उसी प्रकार से आज 100 रुपये तक रेडीमेड कपड़ों के ऊपर छूट देने की मेहरबानी करें।

गत बजट में आपने मुझे आश्वासन दिया था कि आने वाले बजट में ब्यावर को जिला बनाया जाएगा, मैं आपसे पुन: निवेदन करना चाहूंगा, बार-बार आपसे निवेदन किया है कि इस बार आप, आज ब्यावर को जिला बनाने की घोषणा करेंगे, यह मुझे आशा है। इसी आशा के साथ में, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जय भारत।

श्री सभापति : श्री भीमराज भाटी--(अनुपस्थित)। श्री रामगोपाल बैरवा--(अनुपस्थित)। श्री कन्हैयालाल पाटीदार--(अनुपस्थित)। श्री राकेश मेघवाल। थोड़ी शीघ्रता कर लें।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) : कर दूंगा। पहले तो आप सभापति महोदय के पद पर आज विराजे, उसके लिये तहेदिल से भारतीय जनता पार्टी और इस सदन के माननीय सदस्यों की ओर से धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, विनियोग विधेयक संख्या-3 पर आज विस्तार से चर्चा हुई उसमें मैं अपने आप को सम्मिलित करते हुए कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने और वित्त मंत्री जी ने राजस्थान सरकार का कल्याणकारी, गरीबों को गणेश मानकर यह जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसके लिये राज-

(श्री राकेश मेघवाल)

स्थान की जनता तहेदिल से इस सदन में और पूरे क्षेत्रों, गांव और ढाणियों में भूरि-भूरि प्रशंसा करती है। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में दानदाताओं की कोई कमी नहीं है। हमने भी एक दानदाता को प्रेरित किया जो परबतसर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम पीलवा का रहने वाला है। बहुत बड़ा उद्योगपति है, उसकी अनेक फैक्ट्रियां चलती हैं। लेकिन उसके एक ही कमी है, उसके दो लड़कियां हैं, लड़का नहीं है। परबतसर के गांव पीलवा का निवासी है। इसलिए हमने उसको प्रेरित किया कि श्रीमान् प्रसन्नमल जी लोढ़ा, आपके पास धन-दौलत इतनी है, क्यों न आप गरीबों के कल्याण के लिये इसमें से पैसा लगाएं। उन्होंने प्रसन्न होकर एक प्रसन्ना चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया, उसको रजिस्टर कराया और पीलवा में हास्पिटल बनाने के लिये तीन से चार करोड़ रुपये खर्चा करने का उन्होंने आश्वासन दिया, बशर्ते पचास बीघा जमीन चाहिए नाले और खालों को जमीन, गांव की बंजर भूमि है, पास ही पड़ी है जो किसी काम की नहीं है। सरकार उसको दस रुपये में, अगर फोकट में भी देना चाहे तो कोई लेने वाला तैयार नहीं है। प्रपोजल भेजकर तहसीलदार ने, एस. डी. ओ. ने, जिला कलक्टर ने उसके अलॉटमेंट की अभिशंसा की है, वह फाइल राज्य सरकार के पास में पड़ी है एक साल से। उस दानदाता के पचास लाख रुपये यहां जयपुर बैंक में एडवांस ही उन्होंने जमा करा दिये हैं। कई बार माननीय चिकित्सा मंत्री जी से भी मैंने उन प्रसन्नमल जी को मिला दिया। यहां तक कि मुख्य मंत्री जी से भी बात की, मामड़ा जी से बात की और गंगाराम जी चौधरी से भी मैंने पचास बार जाकर बात की। आज फाइल मंगाते हैं फाइल बाबू नहीं है, आज वह सम्बन्धित कर्मचारी नहीं है। माननीय सभापति महोदय, आज तक वह फाइल ठण्डे बस्ते में पड़ी है। चार करोड़ रुपया लगाने वाला दानदाता, पचास लाख रुपये बैंक में जमा करा दिये, आज पचास लाख रुपये का ब्याज कितना होता है? आपके माध्यम से यह चाहूंगा कि माननीय उप मुख्य मंत्री जी आज ही पचास बीघा जमीन अलॉटमेंट की इस सदन में घोषणा करें और वह फाइल मंगाकर तत्काल स्वीकृति प्रदान करावें।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आपने मार्बल पर, ग्रेनाइट पर 16 परसेंट से जो 12 परसेंट टैक्स किया है उसके लिये राजस्थान के सभी व्यापारी आपके हृदय से आभारी हैं। लेकिन इस मंदी के दौर को देखते हुए यह टैक्स भी ज्यादा है। माननीय मामड़ा जी चाहते हैं, राजस्थान के प्रवासी भाई राजस्थान से आएं और उद्योग लगाएं उद्योग लगाए कहां से? हालत तो यहां उद्योग की खराब है, आज टैक्स ज्यादा हैं। पहले से यह टैक्स कम किया जाए। जो 12 परसेंट किया है उसमें भी राहत दी जाए।

माननीय खनिज मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आपके माध्यम से, जिस तरह वित्त मंत्री जी ने 16 परसेंट से 12 परसेंट टैक्स किया है, आपने रायल्टी जो

(श्री राकेश मेघवाल)

140 रुपये टन की थी, वह 200 रुपये कर दी, आपने मंदी को देखते हुए 200 रुपये कर दी जबकि वह 100 रुपये करनी चाहिए। मंदी में तो 140 रुपये से 100 रुपये होनी चाहिए और इन्होंने 200 रुपये कर दी। आपके माध्यम से खनिज मंत्रीजी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि आज राजस्थान में मार्बल की मंदी है और राजस्थान का पूरा उद्योग खनिज सम्पदा के ऊपर चल रहा है, तो 200 रुपये से 100 रुपये करें तो इनकी मेहरबानी, नहीं तो 140 रुपये जो पहले थी, वह तो कम से कम करने के आदेश फरमाएं। मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आज 900 रुपये प्रति फुट में माल बिकता है उसकी भी 200 रुपये रायल्टी रेट जो 9 रुपये में माल बिकता है उसकी भी 200 रुपये रेट है। आप यह बताइये, बड़े उद्योग वाले बड़े होते जा रहे हैं और छोटे माइंस जो क्वारी की माइंस है, घटिया किस्म की, जो छोटे-छोटे खण्डों की माइंस है और छह इंच का जो कटर चलाता है, उसमें छोटे-छोटे गरीब तबके के लोग हैं, ज्यादा से ज्यादा अनुसूचित जाति के लोग हैं। एक छोटा-सा कटर लगाया और फुट छह इंच या छह बाई छह इंच की जो टाइल बनाते हैं, उनके भी वही 200 रुपये रायल्टी। और एक व्हाइट खान से जो हजार रुपये फुट में माल बिकता है उसकी भी 200 रुपये रायल्टी। मैं यह चाहूंगा कि कम से कम जो छह इंच का कटर है, उसकी रायल्टी माफ की जाए।

सभापति महोदय, एक बात बार-बार यू. आर. डी. की आती है। जब उधर से बोल रहे थे ..

श्री सभापति : जल्दी समाप्त करने की बात कर रहे थे, वादा किया था इसलिए कह रहा हूं।

श्री राकेश मेघवाल : हां, मैं प्रयास कर रहा हूं। आपके क्षेत्र में भी उद्योग हैं, कटर ज्यादा लगे हुए हैं इसलिए आपकी भी बात कह रहा हूं। सभापति महोदय, आपका नाम था इसमें, इसलिए आपकी भी बात कह रहा हूं, आपका टाइम भी आप मुझे देने की कृपा करें।

सभापति महोदय, आज राजस्थान में मंदी का जो दौर चल रहा है, यह सोच का विषय है इसलिए जितना हम उद्योगों में रियायतें दे सकें, देनी चाहिये। पूरे राजस्थान

(17.40 बजे)

(श्री समर्थलाल मीणा, अध्यक्ष, पदासीन)

में खाद और बीज पर, अभी माननीय सदस्य ने कहा कि 100 रुपये का कपड़ा, आज 100 रुपये में आता क्या है? अध्यक्ष महोदय, 100 रुपये से नीचे वाले को आपने माफ कर दिया। 100 रुपये में तो आजकल चड्डी-बनियान आता है। इसलिए मैं यह चाहूंगा कि 500 रुपये तक के कपड़े को टैक्स माफ किया जाए। 100 रुपये आजकल चड्डी-बनियान का लेते हैं।

श्री अध्यक्ष : अब विराजें आप।

श्री राकेश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, अभी तो मैंने बोलना शुरू किया है।

श्री अध्यक्ष : नो, नो विराजिये।

श्री राकेश मेघवाल : एक परबतसर उप खण्ड कार्यालय है। नागौर जिले में परबतसर ही एक ऐसा उप खण्ड कार्यालय है जहां सार्वजनिक निर्माण विभाग का एक्स ईएन. आफिस नहीं है। वह अनुसूचित जाति

(श्री राकेश मेघवाल)

की रिजर्व सीट है। आज नागौर लीजिये एक्स ईएन. आफिस है, मेड़ता लीजिये एक्स.ईएन. आफिस है, डीडवाना लीजिये, एक्स.ईएन. आफिस है, नागौर जिले में चार उप खण्ड कार्यालय हैं जिनमें तीन में एक्स ईएन. आफिस हैं और अनुसूचित जाति की जो रिजर्व सीट है उप खण्ड कार्यालय, परबतसर, वहां एक्स.ईएन. आफिस नहीं है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि तत्काल वहां एक्स.ईएन. आफिस जो राजस्थान सरकार का नीतिगत है, वह खोलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष, मैं माननीय पी.एच.ई.डी. मंत्रीजी का ध्यान दिलाऊंगा। आपने एक गांव, एक चिकित्सालय और यहां तक कि 20 की आबादी वाली ढाणी को पानी के लिए नहीं छोड़ा। यह राजस्थान के लिए बहुत बड़ा लक्ष्य है, बहुत बड़ी बात है, धन्यवाद की पात्र है यह सरकार कि 20 आदमी जहां हैं वहां भी हैंड पम्प खोदे जाएंगे। लेकिन राजस्थान के नाम पर यह बहुत बड़ा कलंक है, राजस्थान में एक मात्र बांका पट्टी गच्छीपुरा है जो परबतसर विधान सभा क्षेत्र में आती है। कांग्रेस वालों ने पचास बार उसका प्रपोजल बनाया, लेकिन प्रपोजल बना-बना कर वोट ले-लेकर उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। फोरेन से आये थे कई बार सर्वे करने। एक बार 32 करोड़ की योजना बनी थी, वह दिल्ली जाकर ठंडे बस्ते में पड़ी रही। फिर उन्होंने 10 करोड़ की बनवायी और, उपाध्यक्ष महोदय, अभी हाल ही में हमने 4 करोड़ ग्यारह लाख की योजना बनवायी है

श्री हरिसिंह (महुआ) : आप सुधार करिये, अध्यक्ष महोदय कहिये।

श्री राकेश मेघवाल : सॉरी। अध्यक्ष महोदय। आप बैठिये, मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगा। मुझे अच्छी तरह ध्यान में है। चाहे अध्यक्ष कहें, उपाध्यक्ष कहें, चाहें सभापति कहें, दिल सच्चा होना चाहिये, आपकी तरह कटुता नहीं होनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, आज गच्छीपुरा में आसपास के 65-70 गांवों में पानी जाता है और वहां के लोग लूले-लंगड़े, कूबड़े, उनके दांत और मुंह का पता ही नहीं, कोई का बांका है, कोई का टेढ़ा है। मेरा भी हो जाता, लेकिन मैं जोग-संजोग से मकराना रहता हूं। अगर गच्छीपुरा मेरे क्षेत्र में ज्यादा रहता तो मैं भी बांका या तिरछा हो जाता, इसलिए अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि यह बांका पट्टी की पेयजल योजना....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सीधा खडे होकर बोलें।

श्री राकेश मेघवाल : वह उसी का असर है। कई बार क्षेत्र में जाते हैं, पानी पीते हैं तो यह उसी का असर है। आ ही जाता हैं असर तो, क्योंकि कई बार खान-दानी असर आता है, कई बार पानी का असर आता है।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में अपने को, सरकार को भाजपा की सरकार को कलंक हटाना है, इसी बजट में। आपके माध्यम से माननीय उप मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि यह मामला पांच

(श्री राकेश मेघवाल)

साल से लगातार हर मीटिंग में मैं उठाता आया हूं तो यह कलंक मिटाने के लिए चार करोड़ ग्यारह लाख की योजना की तत्काल स्वीकृति प्रदान करें।

अध्यक्ष महोदय, हमारे अभी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और पूर्व में ऊर्जा मंत्री थे, रघुवीर सिंहजी कौशल, ये ऊर्जा मंत्री बनते ही सबसे पहले किसी क्षेत्र का दौरा करने वाले थे तो परबतसर विधान सभा क्षेत्र का दौरा करने वाले थे। मैंने वहां दस–दस हजार, पन्द्रह–पन्द्रह हजार किसानों के बीच में, किसान सम्मेलन में ऊंटों पर, घोड़ों पर जोरदार इनका स्वागत किया था। वहां 132 के.वी.ए. जी.एस.एस. योजना की माननीय रघुवीर सिंहजी ने घोषणा की थी। मैं आज वित्त मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि कहीं ऐसा नहीं हो कि मैं वापस क्षेत्र में जाऊं और कांग्रेस के लोग यह कहें कि आपका प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व ऊर्जा मंत्री जो घोषणा कर के गया वहां 132 के.वी.ए. जी.एस.एस. कहां है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है कि राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष और राजस्थान का पूर्व ऊर्जा मंत्री जो घोषणा करे वह काम सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर होना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, मकराना की सीमा से लगा हुआ मंगलाना और औद्योगिक क्षेत्र बिदियाद है। ये दोनों महत्वपूर्ण पाइंट हैं। आज मंगलाना के जितने भी व्यापारी जाते हैं, एक ही रास्ता है मकराना जाने के लिए मंगलाना, और मंगलाना और मकराना एक हो गया। आज सभी विभागों में वहां आफिस हैं और मंगलाना की भूमि पर पूरा सचिवालय वहां बन रखा है मकराना परबतसर का। मैं यह चाहूंगा कि मंगलाना में, माननीय गृह मंत्रीजी से पहले भी निवेदन किया था एक उप चौकी खोली जाए और बिदियाद में भी उप चौकी खोली जाए ताकि, यहां कई बार नाकेबंदी करना पड़ती है उससे कानून की व्यवस्था में काफी सुधार हो।

अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी से खनिज मंत्रीजी से निवेदन है कि आप जब परबतसर पधारे थे आपने कई बार आदेश दे दिये, इतने बोल्ड खनिज मंत्री होते हुए विभाग के अधिकारी मानें नहीं, यह हमारे लिए बहुत विचित्र स्थिति है। अगर कोई मंत्री हो, सीधा–सादा मंत्री हो तो उसका आदेश भले ही नहीं मानें, लेकिन राजस्थान में दहाड़ने वाले खनिज मंत्री इन्होंने घोषणा की थी कि औद्योगिक क्षेत्र बिदियाद में नया कांटा लगाऊंगा। गृह मंत्री बने, जब इन्होंने शपथ ली, सबसे पहले परबतसर में इन्होंने व्यापारियों के बीच में घोषणा की थी। उस घोषणा को चार साल हो गये, आज तक वह कांटा नहीं लगा। इन्होंने कई बार आदेश दे दिये। सरकारी कांटा हो। कम से कम 20 टन के ट्रक जाते हैं मकराना मार्बल तुलने के लिए सात किलोमीटर का चक्कर काट कर। आगे तो सड़क खराब है, फिर चक्कर काट कर एक ही कांटे पर आना पड़ता है और वह कांटा ऐसा कि सामने बस स्टैंड है, दो–दो किलोमीटर तक लाइन लग जाती है, ट्रैफिक जाम हो जाता है। इसलिए मैं यह चाहूंगा कि आज ही अपने अधिकारियों को सख्त निर्देश प्रदान करें, खनिज मंत्रीजी। दोबारा यह सदन में कहते हुए मुझे शर्म आती है।

(श्री राकेश मेघवाल)

माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी से मैं यह निवेदन करूंगा कि आपने विकास और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में जितना सुधार किया वह राठौड़ साहब मंत्री थे जब नहीं कर पाये थे। ये तो यह राठौड़ साहब हैं, जिन्होंने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में सुधार किया है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप स्कूल में पढ़ते थे, आपको मालूम ही नहीं है।

श्री राकेश मेघवाल : इनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि तत्काल हमारे ग्राम पीलवा में एक टीम भेज कर सर्वे कराएं, तीन करोड़ का हास्पिटल बनने वाला है। यह इतनी बड़ी पार्टी है, अध्यक्ष महोदय, वे फोरेन से डाक्टर लाएंगे, यहां तक कि अजमेर में जो चर्च में बना है सेंट फ्रांसिस हास्पिटल, उसकी भी शाखा इस नक्शे में सम्मिलित है तो उस हास्पिटल में आप अपने विभाग की तरफ से सहयोग दिलवाएं अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री सुरेन्द्र गोयल (उप मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज विनियोग विधेयक, 1998 (संख्या-3) पारित होने तक सदन का समय बढ़ाया जाए।

श्री अध्यक्ष : सदन की अनुमति से सदन का समय बढ़ाया गया। प्रभारी मंत्री महोदय।

राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 1998 पर विचार

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उप मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैंने 9 जुलाई को जो परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान या बजट पेश किया था, उसके सम्बन्ध में विनियोग विधेयक आज आपके सामने प्रस्तुत है, जिस पर माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं और मुझे उसका उत्तर देने का आदेश आपने दिया है।

अध्यक्ष महोदय, बजट प्रस्तुत करने के बाद राजस्थान में आम जनता ने जिस प्रकार से इस बजट का स्वागत किया है और यहां तक कि जो अच्छे अर्थशास्त्री हैं उन लोगों ने भी जो प्रतिक्रियाएं व्यक्त की हैं, मुझे प्रसन्नता है कि सबने राजस्थान की सरकार के इस बजट को सर्वत्र स्वागत योग्य माना है। यह बात सही है कि जब सदन में बहस होती है तो अनेक समस्याएं माननीय सदस्य उठाते हैं। उसका बजट से सम्बन्ध होता भी है और नहीं भी होता है। यह सदन इसलिए बना है कि किसी न किसी माध्यम से माननीय सदस्य अपने क्षेत्रों की समस्याओं को यहां रखें। माननीय सदस्यों ने समस्याएं रखीं। अनुदान की मांगों पर जिन-जिन विभागों पर चर्चा हुई उसका उत्तर भी सम्बन्धित माननीय मंत्रियों ने दिया। मुझे विश्वास है कि उससे जो हमारी स्थिति है वह काफी कुछ स्पष्ट हुई है, फिर भी मैं कोट करना चाहता हूं एक स्वतंत्र अर्थशास्त्री की राय इस बजट के सम्बन्ध में, जो आज राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित भी हुई है। श्री लक्ष्मी नारायण नाथूराम का जो राजस्थान विश्व-विद्यालय में अर्थशास्त्री थे और रीडर के

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

पद से रिटायर हुए हैं, उन्होंने इस सम्बन्ध में सामान्य टिप्पणी की है, उसको मैं कोट करना चाहता हूं । "मोटे तौर पर यह कहना उचित होगा कि राज्य के पिछले पांच वर्षों के बजट उदार बजटों की श्रेणी में रखे जा सकते हैं, लेकिन वर्तमान बजट भाषण के तीन चौथाई भाग में विभिन्न प्रकार की रियायतों व राहतों के जो अम्बार दिखाई देते हैं वे मूलतः राज्य में उदार बजटों की परम्पराओं की पराकाष्ठा को परिलक्षित करते हैं जिस पर आने वाले चुनावों की छाया झलकना अस्वाभाविक नहीं है । बजट में राज्य में पूर्व में निर्मित परिसम्पत्तियों के रख–रखाव व आधुनिकीकरण आदि के लिए 325.19 करोड़ का प्रावधान करना; शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, पशुपालन, सड़क निर्माण, विद्युत, उद्योग, सिंचाई परियोजना, ग्रामीण विकास, पेयजल समाज के कमजोर, असहाय व उपेक्षित वर्ग आदि के लिए राज्य की वर्तमान जटिल वित्तीय स्थिति के बावजूद अधिक धनराशि का आबंटन किया जाना इस बात को दर्शाता है कि सरकार सामाजिक कल्याण व आर्थिक विकास दोनों की आवश्यकताओं के प्रति जागरूक व संवेदनशील है । सिंचाई परियोजना क्षेत्रों में वर्ष 1974–1982 की अवधि में किसानों द्वारा बैंकों से लिये गये 42.62 करोड़ रुपये के ऋणों को राजकीय सहायता से चुकाने की घोषणा से किसानों को राहत मिलेगी । बजट में बिक्री कर के नियमों की प्रक्रिया के सरलीकरण, बिक्री कर मुक्त आस्थगन स्कीम, 1998 की नयी औद्योगिक नीति जून, 1998 के लागू करने तथा औद्योगिक प्रोत्साहन की दिशा में उठाये गये विभिन्न कदमों से अन्य उद्योगों के साथ, लघु उद्योगों, दस्तकारों व कृषि आधारित उद्योगों को विशेष लाभ होने की आशा है और साथ में राज्य के ऊपर के दूसरे राज्यों में पलायन पर भी कुछ सीमा तक रोक लगेगी एवं बिक्री कर में राहतों से भी उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने के प्रयास भी किये गये हैं । इसमें सम्भावना नहीं कि बजट में विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में हुए विकास के जो प्रावधान किये गये हैं, नवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक का जो आकार 27650 करोड़ रुपये व 1998–99 की वार्षिक योजना का जो सम्बन्धित आकार 4200 करोड़ रुपये का प्रस्तावित किया गया है, यदि यह सब निश्चयात्मक लक्ष्यानुसार कार्यान्वित किया जा सके तो आगामी वर्षों में राज्य की विकास की गति तेज होगी और जन कल्याण में वृद्धि होगी ।"

इसके बजाय कि मैं अपनी प्रतिक्रिया इस बारे में कहूं, यह प्रतिक्रिया जो एक स्वतंत्र अर्थशास्त्री ने की है....

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : हम आपकी प्रतिक्रिया चाहते हैं । आप कल नामी से नामी किसी लेखक की कुछ ले आइये, उससे कोई मतलब नहीं है । यह जो आपने कहा, यह भी नियम विरुद्ध है । इसको आपको यहां रखना पड़ेगा और आपको अपनी भाषा में अपना उत्तर देना चाहिए ।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मैंने कोट किया है और कोट करना नियमों के विरुद्ध नहीं है । यह कोई डाकुमेंट नहीं है यह प्रकाशन किया हुआ है जिसको मैंने कोट किया है । मैंने कोट किया और यह सदन में हमेशा होता रहा है । अभी–अभी कुछ देर पहले

(श्री हरिशंकर भामड़ा)

माननीय सदस्य श्री हरिसिंहजी ने कोट किया था।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : पनगड़िया साहब का और पढ़ दो।

श्री अध्यक्ष : कृपया बिराज जाएं।

श्री हरिशंकर भामड़ा : अब वह भी पढ़ दूंगा। (व्यवधान)

मैं बोलना नहीं चाहता था मगर चूंकि माननीय सदस्य ने प्रश्न कर लिया इसलिए मैं उत्तर दे रहा हूं। इसमें कोई अन्यथा नहीं समझें। मान्यवर, यह लक्ष्मीनारायण जी के बारे में मैंने बताया कि वे अर्थशास्त्री थे और रीडर थे और पनगड़िया साहब हमारे यहां पर डिप्टी सैक्रेटरी (फाइनेंस) थे जो न तो अकाउन्ट्स सर्विसेज के थे, न आई.ए.एस. या आर.ए.एस. थे। वे सचिवालय में थे, एल.डी.सी. से डिप्टी सैक्रेटरी तक पहुंचे थे इसलिए उनकी तुलना ..

श्री अमराराम (धोद) : वे तो एल.डी.सी. से डिप्टी सैक्रेटरी हुए, यहां तो डिप्टी थानेदार से चीफ मिनिस्टर हो गये। इसमें कौनसी बड़ी बात है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजें।

श्री हरिशंकर भामड़ा : आप किसी बात को गम्भीरता से ले रहे हैं क्या ? आपने पूछा मैंने जवाब दिया। वह भी आगे बताऊंगा।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर :....(व्यवधान) 0.6 बताइये। पनगड़िया साहब ने 0.6.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, व्यवधान नहीं। आप शासन की भी सुना करें। नहीं यह रवैया ठीक नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : चन्दनमलजी कहां गये ? उन्होंने कहा था कि विनियोग विधेयक पर आऊंगा।

श्री हरिशंकर भामड़ा : आगे जब विषय आएगा राजकोष का, पनगड़िया साहब का और इनका, दोनों का तुलनात्मक भी बताऊंगा और सेन्ट्रल गवर्नमैंट में जो कुछ निर्णय हुआ वह भी बताऊंगा। आप थोड़ा शांति रखें, सब बताऊंगा। आपने पूछा इसलिए अच्छा हुआ कि स्पष्ट कर दिया वरना मैं यह बोलना ही नहीं चाहता था। यह मेरी इच्छा की बात है।

मान्यवर, हमारे बजट का आकार 3877 करोड़ 96 लाख रुपये था जो बढ़कर इस वर्ष 16586 करोड़ 58 लाख रुपये है सकल व्यय। इसमें नैट व्यय 15719 करोड़ 68 लाख रु. का होगा। मैं समझता हूं पिछली योजना से जो आकार हमारा बजट का बढ़ा है, निश्चित रूप से आप परिणाम यह निकालेंगे कि राज्य में आर्थिक दृष्टि से प्रगति हो रही है अधोगति नहीं हो रही, हम आगे बढ़ रहे हैं। जहां हमने व्यय इतना किया है वहीं हमारे आमदनी के स्त्रोत भी बढ़े हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : महंगाई भी बढ़ रही है।

श्री हरिशंकर भामड़ा : मैं उस पर अन्त में आऊंगा। पहले यह बजट सुन लें आप, महंगाई पर भी आऊंगा, उसका भी जवाब दूंगा।

(श्री हरिशंकर भामड़ा)

मैं समझता हूं, माननीय सदस्यों को इस बात पर संतोष होना चाहिए कि यह आकार बढ़ा है। जहां यह व्यय का प्रश्न है, वहां पर दूसरी ओर यदि हम राजस्व प्राप्तियों की ओर देखें तो राजस्व प्राप्तियां 1989-90 में 998 करोड़ 10 लाख रुपये थीं, जिसके मुकाबले में आज 4440 करोड़ रुपये हैं। मान्यवर, इससे आपको अन्दाजा होगा कि केवल व्यय ही नहीं बढ़ा हमारी राजस्व प्राप्तियां भी बढ़ी हैं जो पहले से लगभग चार गुना ज्यादा है। इसका सीधा–सीधा मतलब है कि जब हमारी आय और व्यय बढ़े हैं तो राजस्थान में विकास के कामों में बहुत बड़ी गति आयी है। यह पैसा कोई इधर-उधर नहीं फेंका गया है, राजस्थान के विकास में खर्च हुआ है। मैं पिछली बार अपने बजट भाषण में बता चुका हूं, तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने 12 हजार करोड़ की योजना पर आपत्ति की थी, मैंने स्पष्टीकरण दिया था और वे सन्तुष्ट हो गये दिखते हैं, क्योंकि उस दिन उन्होंने कहा था कि मैं विनियोग विधेयक पर बोलूंगा लेकिन वे नहीं बोले। इसका मतलब संतुष्ट हो गये। मुझे खुशी है इस बात पर।

श्री खेतसिंह राठौड़ : उनकी तबियत ठीक नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा : आज हुआ भी ऐसा ही है।

श्री हरिशंकर भामड़ा : अच्छा, कोई बात नहीं लेकिन मैं यह मानता हूं कि वे संतुष्ट हो गये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : लेकिन हैं असंतुष्ट।

(**18.00 बजे**)

श्री हरिशंकर भामड़ा : मौनं सम्मति लक्षणं। जो मौन होता है वह संतुष्ट हो जाता है। मैं यहीं मानता हूं और इसके कारण सारे राज्य में चाहे वह उपभोक्ता हो, चाहे वह किसान हो, चाहे वह व्यापारी हो, चाहे वह उद्योगपति हो और चाहे कोई अन्य नागरिक हो इन सबको विश्वास में लेकर हमने राजस्व प्राप्तियां बढ़ायी हैं। यह जोर जबर्दस्ती से नहीं बढ़ायीं, हमने इन सारे वर्गों को विश्वास में लिया है यही कारण है कि पिछले वर्ष से लगातार जो हम बजट दे रहे हैं उसमें हमने कहीं नये कर नहीं लगाये, निरन्तर करों में हम कमी करते जा रहे हैं, उनका सरलीकरण कर दिया। कर वंचना रोकने की व्यवस्था को और अधिक प्रभाव शाली बनाते जा रहे हैं, इस प्रकार अभियान चलाकर हम बावजूद कर न बढ़ाने के, राजस्व की आय को बढ़ाने में सफल हुए हैं।

मान्यवर, इसी प्रकार से 1989–90 के बजट में जहां राज्य का गैर कर राजस्व 398 करोड़ 60 लाख रुपये था, वह चालू वित्तीय वर्ष के बजट में 1444 करोड़ 85 लाख रुपये अनुमानित है। यह हमारे 1990 के राजस्व का 362 प्रतिशत है। मान्यवर, इससे एक बात और स्पष्ट है कि जहां हम करों में कमी करते जा रहे हैं वहां हम गैर कर राजस्व को बढ़ाने में भी सफल

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

हुए हैं। इस प्रकार से जनता पर किसी प्रकार का भार न डालते हुए सिंचाई, पेयजल आपूर्ति, खनन क्षेत्रों में कोई टैरिफ में वृद्धि न करते हुए हमने इन सेवाओं को और अधिक बेहतर बनाया है, यह इन आंकड़ों से आपके सामने स्पष्ट है।

मान्यवर, इतना ही नहीं, हमने केवल राज्य के बजट का आकार, आय का स्रोत ही नहीं बढ़ाया है लेकिन इसमें हमने राहत भी बहुत दी है। मैं समझता हूं आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि 1990–91 से लेकर आज तक हमने आठ हजार करोड़ रुपयों की राहत दी है। आठ हजार करोड़ की राहत दी है। मान्यवर, इसमें सबको राहत मिली है। हमने मूल सुविधाओं का विस्तार किया हैं, शिक्षा का प्रसार किया है, औद्योगीकरण किया है, किसानों को अधिक सुविधाएं दी हैं, सिंचाई सुविधाओं में विस्तार किया है, कृषि क्षेत्र में उन्नत तकनीक का प्रयोग बढ़ाया है, कृषि उत्पादन बढ़ाया है, विद्युत की आपूर्ति में बढ़ोतरी की है और उसके बावजूद किसानों के ऋण भी माफ किये हैं। पहले भी किये हैं, अब भी हम कर रहे हैं। जो हम सब्सिडी दे रहे हैं.... (व्यवधान).... अब आप सुन लीजिये, मैं तो जो बोल रहा हूं, आंकड़ों से बोल रहा हूं, अभी मैं कोई राजनीतिक भाषण तो दे नहीं रहा। वह बाद में दूंगा।

श्री जगदीप धनखड़ : राजनीतिक भाषण नहीं दे रहे तो कौनसा भाषण दे रहे हैं?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मैं केवल बजट पर बोल रहा हूं और आंकड़ों के आधार पर बोल रहा हूं। मान्यवर, केवल बिजली में हम प्रति यूनिट बीस पैसे कम शुल्क लेकर जो किसानों को सब्सिडी दे रहे हैं वह 1990 से 1998 की अवधि में 4672 करोड़ रुपया है। यह 4672 करोड़ रुपये शुद्ध रूप से हमने किसानों को राहत देने में खर्च किये हैं। इसी तरह से कुओं के ऊर्जीकरण में और किसानों को अनुदान देने में किया है। यह अनुदान पिछले आठ वर्षों में हमने 182 करोड़ रुपये का वितरण किया है। इस अनुदान में बिक्री कर में भी हमने छूट दी है। अब तक 1130 करोड़ रुपये की छूट हमने दी है बिक्री कर में। आम उपभोक्ता को जहां महंगाई से राहत मिलती है वहां पर हमने कर की वसूली में भी कठोरता बरत कर बिना किसी प्रकार का भार डाले हुए इतनी छूटें हमने उनको दी हैं।

मान्यवर, उद्योगों के विकास के लिये गत आठ वर्षों में जो हमने पूंजी पर विनियोजन अनुदान दिया है या बिक्री कर प्रोत्साहन योजना बनायी है, जो कन्सेशनल रेट पर भूमि आबंटित की, इसमें लगभग 860 करोड़ रुपये की राहत प्रदान की है हमने।

श्री खेतसिंह राठौड़ : 150 सीटें आ जाएंगी आपकी।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मैं समझता हूं, आपकी भविष्यवाणी हमेशा सत्य होती है, और वह सत्य होगी।

कृषि और लघु सिंचाई क्षेत्र में कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये हमने

(श्री हरिशंकर भामड़ा)

कृषि ग्रामीण ऋण माफी योजना, स्प्रिंकलर एवं ड्रिप सिंचाई अनुदान, बारानी कृषि भूमि में लगान की माफी, राजस्थान भूमि विकास निगम से काश्तकारों द्वारा लिये गये ऋणों के भुगतान सरकार द्वारा किये जाने आदि के माध्यम से कृषकों को चार हजार से अधिक तो बिजली पर और 540 करोड़ रुपये की कैश हमने उनकी मदद की है, राहत दी है। इस प्रकार मैं समझता हूं, जैसा कि मैंने आपको प्रारम्भ में ही कहा, कि न केवल हमने बजट का आकार बढ़ाया है, न केवल हमने कर भार नहीं बढ़ाया, बल्कि सब प्रकार, सभी क्षेत्रों में विकास कार्य करते हुए हमने ग्राम जनता को, सभी वर्गों को राहत भी प्रदान की है। मैं समझता हूं जो भी समझदार आदमी हैं, जो समझते हैं, या जो सत्य बोलने में विश्वास करते हैं वे मेरी बात से सहमत होंगे। मगर जिनका सत्य से दूर-दूर का नाता नहीं है, समझ से भी शायद नाता नहीं है वे कुछ भी कह सकते हैं, उनके लिये मुझे कुछ कहना नहीं है।

एक माननीय सदस्य : समझते तो खेतसिंह जी भी हैं।

श्री हरिशंकर भामड़ा : इसलिये वे मौन हैं। वे समझदार हैं, मैं जानता हूं, बहुत विद्वान हैं वे।

मान्यवर, हमारी जो आय के स्रोत हैं इसमें केन्द्र से भी हमको मदद मिलती रहती है, लेकिन दुर्भाग्य से इस कमी का भी सामना हमको करना पड़ा है। धीरे-धीरे पिछले वर्षों में केन्द्र से जो हमको सहायता मिलती थी, उसमें कमी आयी है। 1990-91 से केन्द्र से जो हमको राशि मिलती थी वह कुल राज्य की प्राप्तियों की 47.62 प्रतिशत थी और कुल व्यय की 47.34 प्रतिशत थी, जो 1998-99 में घटकर 38.69 व 38.72 प्रतिशत रहने का अनुमान है। यानि केन्द्र से भी हमको जितनी पहले सहायता मिलती थी उतनी सहायता नहीं मिली है।

इसी प्रकार से यदि हम केन्द्रीय सहायता की योजना के आकार को देखें तो स्थिति और भी विकट है। मान्यवर, 1992-93 में फार्मूला बेस्ड केन्द्रीय सहायता राशि स्वीकृत योजना व्यय की 25.82 प्रतिशत मिल रही थी, वह 1997-98 में घटकर 13.79 प्रतिशत रह गयी, बल्कि आधी से कम ही यह 13.79 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता में भी राज्य को सत्तर प्रतिशत तो ऋण मिलता है और तीस प्रतिशत अनुदान के रूप में सहायता मिलती है। इस प्रकार 1997-98 में आयोजना व्यय के लिए मात्र 137 करोड़ अनुदान के रूप में मिले हैं जो कि स्वीकृत योजना व्यय का मात्र 3.90 प्रतिशत है। आप यह कहें कि आपने सब पैसा केन्द्र से लेकर योजना इम्प्लीमेंट की है, वह भी नहीं है। अपने प्रबन्धन से हमने अपने स्रोत पैदा किये और उससे हमने यह सारा किया है जो राहतों का आपको बताया है। हम अपनी योजना का पोषण भी अधिकांशतः अपने आप करते हैं। लेकिन मुझे इस बात को बताते हुए खुशी है कि समय-समय पर हम केन्द्र की सरकार से अपनी बातें बताते रहे हैं। कुछ ने सुनी,

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

कुछ ने नहीं सुनी लेकिन वर्तमान सरकार ने....

श्री राजेन्द्र पारीक : अब तो अटल जी मित्र हैं आपके।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : वहीं बता रहा हूं मैं आपको। लेकिन वर्तमान में हमने केवल राजस्थान का केस प्लीड नहीं किया, लगभग सभी राज्यों में इसी तरह की स्थिति है। इस बार हमारे मुख्य मंत्री जी ने प्रधान मंत्री जी से भी बात की इसलिये केन्द्र सरकार ने कुछ बातें तो हमारी मानीं। उनमें पहली बात तो यह कि राजस्थान के मुख्य मंत्री श्री भैरोंसिहजी शेखावत की अध्यक्षता में एक स्पेशल टॉस्क फोर्स बनाया जिससे वह रिपोर्ट करे कि किस तरह से हम राज्यों को अधिक संसाधन, वित्तीय स्वायत्ता दें। यह अंतरिम रिपोर्ट दी जा चुकी हैं, फाइनल रिपोर्ट अभी बाकी है। राज्यों को केन्द्र से राजस्व के अंतरण के सम्बन्ध में दसवें वित्त आयोग के द्वारा सुझायी गयी वैकल्पिक योजना को शीघ्र ही लागू करने के लिये संविधान में संशोधन करने के लिये विधेयक पेश किया जा चुका है। जबकि इसके पहले की सरकार, जब टैंथ फाइनेंस कमीशन आया था तो और सरकार थी, वह कर नहीं पायी उसको, लेकिन इस सरकार ने विधेयक पेश कर दिया है। हाल ही में गठित ग्यारहवें वित्त आयोग को भी कहा गया है कि वह राज्यों के योजना व गैर योजना, दोनों के राजस्व खर्चों के लिये संसाधन जुटाने के सम्बन्ध मे भी अपनी सिफारिश देगा। अब तक फाइनेंस कमीशन केवल गैर योजना राजस्व के खर्चों के बारे में अपने सुझाव देता था, योजना के बारे में योजना आयोग देता था। राजस्थान की ओर से बार–बार इंटर स्टेट कौंसिल और केन्द्र सरकार के पास में यह कहा गया, हमने यह प्रार्थना की कि फाइनेंस कमीशन को योजना पर और योजना आयोग को गैर योजना पर, दोनों सम्मिलित रूप से विचार करना चाहिये। हम केवल योजना के अन्तर्गत सम्पत्तियों का परिनिर्माण तो करते जाएं लेकिन उनके रख–रखाव के लिये जो हमें गैर योजना में खर्च करना पड़ता है, उसका यदि कोई हिसाब ही नहीं हो, उसके बारे में कोई निर्देश नहीं हो, उस पर विचार ही नहीं किया जाए तो परिणाम यह निकलता है कि सम्पत्तियां बन रही हैं और उसका रख–रखाव पूरी नहीं होने से एक ओर हम नयी सम्पत्तियां बना रहे हैं, दूसरी ओर पुरानी सम्पत्तियां नष्ट हो रही हैं। यह स्थिति नहीं हो, उसके लिये हमारे सुझाव को केन्द्र की सरकार ने स्वीकार किया। मैं उनका बहुत–बहुत आभारी हूं और मुझे विश्वास है कि निश्चित रूप से इसका परिणाम निकलेगा।

मान्यवर, अभी आपने पनगड़िया साहब की बात की। पनगड़िया साहब का जो मुख्य अभी अखबारों में आया आकलन, वह राजकोषीय घाटे को लेकर आया। तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने उन्हीं के आधार पर आंकड़े रखे। कहा था, पांच हजार करोड़ से ज्यादा घाटा है, एडजैस्ट कर दें तो प्रोफिट होता है, यह उन्होंने स्वीकार किया था। तो इस बारे में चर्चा हुई, यहां तक कि मुझे भी लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम फार्मूले को गलत ढंग से लगा रहे हैं। इसलिये हमने भारत सरकार के वित्त विभाग के प्रमुख अधिकारियों के साथ बैठकर उसको एग्जामिन

(166)

(श्री हरिशंकर भामड़ा)

किया। उन्होंने इस बात को माना कि वास्तव में राजस्थान की परिवर्तित बजट अनुमानों के अनुसार सकल राजकोषीय घाटे की राशि 3782 करोड़ 86 लाख ही होती है। यदि हम उनको नेट कहें, जिसमें हमने ऋण दिये हैं वह रकम घटा दी जाए तो यह घाटा 3456 करोड़ 90 लाख रुपये होता है। जो अब 5.76 होता है। पनगड़िया साहब ने और हमारे तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने इसको 10 पर्सेंट कुछ कहा, तो इसको हमने अभी सेन्ट्रल गवर्नमैंट के अधिकारियों से बैठकर एग्जामिन कर लिया। अब इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं होता। इसी तुलना में पनगड़िया साहब का तो मैंने बता दिया। जो लक्ष्मीनारायण साहब का अभी मैंने आपको कोट किया था, इस सम्बन्ध में इन्होंने भी अपने विचार व्यक्त किये हैं। मैं कोट करना चाहता हूं-"वर्ष 1998-99 में सकल राज कोषीय घाटे की 3743 करोड़ रुपये की राशि का अनुमान सही है जो उस वर्ष की सकल राज्य घरेलू उत्पाद की संभावित राशि 7353 करोड़ रुपये का 6.3 प्रतिशत है, न कि 10.4 प्रतिशत जैसा कि कुछ क्षेत्रों में आंका गया है। सकल राजकोषीय घाटे से शुद्ध उधार 326करोड़ घटाने से शुद्ध राजकोषीय घाटा 3457 करोड़ रुपये बनता है जो सकल राजकीय घरेलु उत्पाद का 5.7 प्रतिशत है। हर तरह से हमने उसको एग्जामिन किया। मैं समझता हूं कि उसके बाद तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य का भी कोई वक्तव्य नहीं आया है, इसका खडन भी नहीं हुआ है और मुझे विश्वास है कि अब वे इस मामले में पूरी तौर से संतुष्ट हैं।

मान्यवर, यहां ऋणों की चर्चा तो होती है लेकिन जो हम उपलब्धियां करते हैं उसकी चर्चा नहीं होती, या उसको नगण्य करते हैं। उसका अवमूल्यन भी करते हैं, पूरा मूल्य भी नही लगाते और इसको बढ़ा-चढ़ाकर बताते हैं। अब राजस्थान एक पिछड़ा हुआ राज्य था जिसको हम आगे ले जा रहे हैं और इसलिये उसकी जो घरेलू उत्पादन की वृद्धि है, मैं समझता हूं, आप उसको देख करके भी संतुष्ट होंगे। 1981-82 से 1989-90 के मध्यम में राजकीय सकल घरेलू उत्पाद में प्रचलित कीमतों पर 14.20 प्रतिशत संचयी वृद्धि अंकित की गई जबकि 1990-91 से 1997-98 के मध्य यह दर बढ़कर 16.20 प्रतिशत हो गयी है। यह अकेला मापदंड है जो इस बात को साबित करता है कि राजस्थान प्रगति पथ पर है देश के छह तेजी से विकसित होने वाले राज्यों में गिना जा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं हैं और यह कोइ बहस का विषय भी नहीं है।

मान्यवर, कई बार लोग ऋणों की बड़ी चर्चा करते हैं और मैं समझता हूं, कोई भी विकासशील देश बिना ऋण के विकास का काम-काज कर नहीं सकता। यदि हम विश्लेषण करें तो इस नतीजे पर हम पहुंचेंगे कि विकासशील देशों को ऋण लेकर निवेश करने से राज्य की अर्थव्यवस्था में सुधार भी होता है, यह नहीं कि सदैव उसमें नुकसान ही नुकसान होता है। केन्द्र सरकार के 1987-88 से वर्ष 1995-96 के बजटीय घाटे और महंगाई वृद्धि के आंकड़ों के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकाला गया है कि यह आवश्यक नहीं है कि बजटीय घाटे में वृद्धि होने से महंगाई ही बढ़ती है। पिछले दशक के वर्ष 1989-90 में जब केन्द्रीय

(श्री हरिशंकर भामड़ा)

बजट में भारी घाटा है, सकल घरेलू उत्पाद 12.3 प्रतिशत था तो महंगाई 7.4 प्रतिशत बढ़ी और जब बजटीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत रूप में कम होकर 1991–92 में 1.1 प्रतिशत था तो महंगाई वृद्धि 13.7 प्रतिशत थी । इसलिये इन ऋणों का सीधा–सीधा महंगाई से कोई सम्बन्ध नहीं है और हमने जो ऋण लिये हैं उन सब ऋणों से हमने परिसम्पत्तियां निर्माण की हैं । जैसा मैंने आपको कहा था हमारी देयता में वृद्धि हुई है, यह बात सही है, लेकिन सा?–साथ में हमारी परिसम्पत्तियां भी बढ़ीं । 1989–90 के दौरान जहां राजकीय परिसम्पत्तियों का कुल मूल्य 5589 करोड़ 54 लाख था, वहीं इस वर्ष 1996–97 के अन्त में राज्य की परिसम्पत्तियों का मूल्य 14045 करोड़ 81 लाख रुपये है । इस प्रकार राज्य के जो दायित्व वर्ष 1989–90 के दौरान 6162 करोड़ 11 लाख रुपये थे, वे वर्ष 1996–97 के अंत में 16810 करोड़ 61 लाख रुपये हो गये हैं । इसलिये यह जो वृद्धियां हो रही हैं यह परिसम्पत्तियों के साथ में हो रही हैं । हमारा व्यय बढ़ रहा है हमारी परिसम्पत्ति बढ़ रही है और इसलिये केवल इस बात को लेकर कि ऋण बढ़ रहा है, परिसम्पत्तियों को बिलकुल नगण्य करें, और इस दृष्टि से भी बजट का आकलन करें तो सही नहीं होगा । सही आकलन तब ही होगा कि हम पैसे का किस प्रकार से खर्च करते हैं ।

मान्यवर, सबसे बड़ी बात आती है, जब हम परिसम्पत्तियों की बात करते हैं तो एक बात हम भूल जाते हैं और वह है ह्यूमन रिसोर्स की, मानव संसाधन की । किसी भी राज्य या देश के हित में मानव संसाधन बहुत महत्वपूर्ण चीज है और मै समझता हूं कि यदि हमने मानव संसाधन पर पूरा ध्यान नहीं दिया तो हम कितना भी पैसा कहीं भी खर्च करें, उसका लाभ हमको होने वाला नहीं है । इस मानव संसाधन को ठीक करने के लिए जो हमें खर्चा करना पड़ता है । उस खर्चे से कोई ऐसी कैपीटल, ऐसी परिसम्पत्तियां नहीं बनतीं जिनकी कोई कीमत लगा सके, लेकिन उनका कालान्तर में बहुत बड़ा लाभ होता है । देश को भी होता है, समाज को और होता है । हमारा देश 174 देशों के समुदाय में इस मानव संसाधन के मामले में 135 वें स्थान पर है और यह लो ह्यूमन डवलपमैंट वाले राष्ट्रों की श्रेणी में आता है क्या हम फिस्कल डेफिसिट और ऋण की बात करके इस मानव संसाधन के काम को बंद कर दें ? यदि हमने बंद किया तो फिर हमारा स्थान यह 135 वां ही रहेगा, या इससे नीचे पर आएंगे । इसलिये जब हम बजट का आकलन करते हैं, संम्पत्तियों का आकंलन करते है तो हमें इसके साथ–साथ में इस मानव संसाधन के सब्जैक्ट को भी भूलना नहीं चाहिए, उसको भी ध्यान रखना चाहिए ।

इसके अलावा मान्यवर, हमें शिक्षा में खर्च करना पड़ता है, चिकित्सा में खर्च करना पड़ता है, स्वास्थ्य सेवाओं में खर्च करना पड़ता है । इनका भी कोई मूल्य नहीं है । आप यदि यह कहें कि शिक्षा में खर्च मत करिये और स्वास्थ्य में खर्च मत करिये और केवल रुपया जमा करते जाइये तो मै समझता हूं, किसी भी प्रजातंत्र में इस प्रकार की धारणा हो नहीं सकती । हमें

(168)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

कल्याणकारी काम करने पड़ेंगे। यह हमारा दायित्व है प्रजातन्त्र में कि ग्राम आदमी की, ग्राम नागरिक की शिक्षा और स्वास्थ्य की देखरेख हम करें और सामान्य सुविधाएं हम उनको दें। इसलिए यदि हम पर ऋण बढ़ता है तो हमारा विकास भी साथ–साथ में बढ़ता है हमारी परिसम्पत्तियां भी साथ-साथ में बढ़ती हैं। जैसे मैंने पहले कहा था, हम जब ऋण का मूल्यांकन करते हैं तो प्रचलित दरों पर करते हैं लेकिन परिसंपत्तियों का मूल्यांकन हम स्थिर मूल्यों पर करते हैं। यदि हम उनका भी प्रचलित दरों पर करें तो हमारी परिसंपत्तियों का मूल्य ऋण के कई गुणा ज्यादा होता है। ऐसी स्थिति में वित्तीय स्थिति ठीक है। इन ऑड परिस्थितियों में भी हम किसी भी तरह से जनता के विकास में प्रतिरोध पैदा नहीं होने देना चाहते, इसको निरन्तर बनाये रहे हैं। यह विकास की गति बराबर बनी रहेगी। इसी का एक सबसे बड़ा कारण है कि कई बार हमारे मंत्री आज की जनता की अपेक्षाएं बढ़ी हैं, उसको असंतोष समझ लेते हैं। वह असंतोष नहीं है, लोगों को यह लगा है कि सरकार काम कर रही है इसलिए लोगों की अपेक्षाएं बढ़ गयी हैं। स्कूल खुल रहे हैं तो वे कहते हैं कि आप मिडल स्कूल करिये। मिडल स्कूल खुल रहे हैं तो वे कहते हैं हाई स्कूल करिये। हाई स्कूल है तो कह रहे हैं कि 10+2 करिये। एक जगह सड़क बनी है तो जगह जगह सड़कों की मांग आ रही है। 40 साल तक प्रतिपक्ष में आप लोगों ने राज किया और राज करते-करते लोगों को इतना निराश कर दिया कि उनकी अपेक्षाएं बंद हो गयीं। बोले, यह निठल्ली सरकार है, इससे मांगना भी नहीं चाहिए। परन्तु उस समय उनके पास कोई विकल्प नहीं था।

श्री खेतसिंह राठौड़ : तीन महीने रुक जाओ।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : वह जनता करेगी। यह मैं जनता को ही बोल रहा हूं कि उस समय विकास नहीं था। इसलिए जनता की मजबूरी थी कि 40 साल तक उन्होंने अकर्मण्य सरकारों के बोझ को ढोया, परन्तु अब इस आठ साल में जब उनको लगा कि नहीं, सरकारें काम करती हैं तो उनकी अपेक्षाएं बढ़ गयीं। कृपया इन अपेक्षाओं को आप असंतोष समझकर भूल में न रहें। इसको आप यह समझें कि बड़ा असंतोष हो रहा है इसलिए हमको राज मिल जाएगा, इस भ्रम में नहीं रहें।

मान्यवर, हमने केवल राजस्व और गैर राजस्व में ही वृद्धि नहीं की है, हमने हमारी योजना के वित्त पोषण के लिए अतिरिक्त संसाधन भी जुटाये हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना के वित्त पोषण हेतु योजना आयोग ने भारत सरकार द्वारा राज्य को 2 हजार 827 करोड़ 55 लाख रुपये के अतिरिक्त संसाधन जुटाने का लक्ष्य निर्धारित किया था। राज्य सरकार ने केवल इसकी ही पूर्ति नहीं की, बल्कि 2 हजार 827 करोड़ 55 लाख के अगेंस्ट में 3 हजार 770 करोड़ 70 लाख रुपये के अतिरिक्त संसाधन हमने जुटाये, जो 943 करोड़ 15 लाख रुपये अधिक थे।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

मान्यवर, चालू वित्त वर्ष के दौरान हमने लगभग 325 करोड़ रुपये के अतिरिक्त संसाधन जुटाने की व्यवस्था की है, जिसमें मुख्यतः कर्मचारियों के बीमा एवं प्रावधायी निधि की दरों में परिवर्तन, नजूल सम्पत्तियों की बिक्री से जो उसकी कीमत मिलेगी, यह सब शामिल है। इतना ही नहीं, हमारे इस बजट में और विकास में बाह्य सहायता का भी महत्व है और यह संसाधनों में वृद्धि के लिए आवश्यक है। हमने इस पर भी कितनी उन्नति की है यह आप देख लें। सातवीं पंचवर्षीय योजना में जहां बाह्य सहायता के माध्यम से 95.60 करोड़ रुपये के संसाधन उपलब्ध हुए, वहीं आठवीं पंचवर्षीय योजना में यह राशि बढ़कर 95 से 982.67 करोड़ रुपये की हो गयी और आगामी पंचवर्षीय योजना में वित्त पोषण हेतु हमने तय किया हैं कि हम 5778 करोड़ रुपये अतिरिक्त संसाधन जुटाएं। यह हमने उसका लक्ष्य रखा है। हम यदि कोई 27 हजार करोड़ की योजना बनाते हैं तो हवा में ही नहीं बनाते हैं. उसका पोषण करने के लिए सब तरह से चाहे बाह्य से हो....

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : .. वह तो इतिहास बताएगा। राजस्थान नहर भाखड़ा, माही सागर, चम्बल, आपकी एक बता दीजिये जो दुनिया याद करे आपको।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मान्यवर, आप उस दिन हाउस में मौजूद....

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : आपने कोई तलैया बना दी, उसको लिखा है। 5 किलोमीटर की सड़क लिखी है। मैं कहता हूं कि याददाश्त काबिल, हिस्ट्रोरीकल, दुनिया खतम हो जाएगी, राजस्थान नहर रहेगी, भाखड़ा रहेगा। आप एक ही बता दीजिये।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात पहले भी कह चुका हूं, उस दिन विश्नोई जी हाउस में मौजूद नहीं थे। मैं फिर उसको रिपीट करता हूं कि कांग्रेस सरकार ने केवल चम्बल प्रोजेक्ट के अलावा कोई योजना पूरी नहीं की। एक भी योजना पूरी नहीं की। आज इंदिरा गांधी कैनाल पर हम 1100 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च कर चुके हैं। इन्होंने केवल 700 करोड़ रुपये खर्च किये और फिर कह रहे हैं कि हमने योजना पूरी की। हमने बीसलपुर योजना हमने पूरी की। एक पैसा इन्होंने नहीं लगाया। जाखम जो आप केवल योजना बनाकर बैठ गये (व्यवधान)

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : खुदाया कुण ? वह किया ही, ठीक है। आप बंद कर देता कई उने ? यह नहरें बन्द कर देते क्या ? ठीक है, यह आगे चला रहे हैं.... (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अध्यक्ष महोदय, मुझे शर्म आती है कि मुझे भूतपूर्व अध्यक्ष से विवाद करना पड़ता है और उनको सामान्य बात समझाने में कठिनाई आ रही हैं। मैं फिर रिपीट करता हूं कि राजस्थान में कांग्रेस के राज में केवल एक योजना पूरी हुई है। कोई भी योजना उन्होंने पूरी नहीं की। मैं फिर गिनाता हूं। अभी राजस्थान कैनाल पूरी नहीं हुई है और

(170)

(श्री हरिशंकर भामड़ा)

जितना पैसा हमने खर्च किया है उस पर इन्होंने पौना पैसा भी खर्च नहीं किया। उससे ज्यादा तो हम कर चुके हैं। बीसलपुर....(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : ....बाड़मेर पहुंचा दिया, यह कांग्रेस ने किया, आपने नहीं किया है। माही हमने बनायी, सावन भादो हमने बनाई। क्या बात कर रहे हैं ?

श्री हरिशंकर भामड़ा : मैं आपको बता रहा हूं सुन तो लीजिए आप। वह मैं बता दूंगा आपको। आपने (व्यवधान) आपने शिलान्यास किया था, योजना पर काम नहीं चालू हुआ। तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ..

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इतने बेवकूफ हम नहीं हैं। बेवकूफ हो सकते हैं, लेकिन इतने नहीं हैं कि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने यहां पर किया क्या है। ठीक है, राज में आये हो तो इंजीनियर तनख्वाह मांगते हैं, कुछ न कुछ काम करते ही रहते हैं। उसमें क्या बात है ? बजट का चलेगा, यह किसको समझा रहे हो आप ? (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भामड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं जो बता रहा हूं, एक ओर तो इनके 40 साल के काल में इन्होंने जो खर्च किया, वह बता रहा हूं और दूसरी ओर हमने जो 8 साल में खर्च किया, वह बता रहा हूं। मैं बार–बार फलोदी से आने वाले माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं कि मैं मूर्ख हो सकता हूं लेकिन आप तो मूर्ख नहीं हैं, कृपया ऐसी बात मत कहिए जिसे लोग अदरवाइज सोचें। आप और हम निर्णय करने वाले नहीं हैं कि मैं बुद्धिमान हूं, कि आप बुद्धिमान हैं यह सुनने वाले कर रहे हैं। मैं यह डंके की चोट कहता हूं कि 40 साल के कांग्रेस के काल में एक सिचाई योजना, चम्बल पूरी की, बाकी की कोई योजना पूरी नहीं की। और चूंकि सरकार की कंटीन्यूटी का काम है, बाकी योजनाएं हम पूरी कर रहे हैं।

तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य बार–बार इस बात का डंका फैलाते हैं कि 1975 में मैंने शिलान्यास किया था, मगर 1975 से 1990 तक क्या हुआ ? 1975 में शिलान्यास किया, 1990 तक कुछ नहीं। (व्यवधान) हां, 1977 में, हां, 1977 में किया होगा। 1990 में जाकर उस पर काम चालू हुआ और जर्मन सरकार से 1993 में समझौता हुआ। अब इसका श्रेय कहां से ले रहे हैं ? हमने समझौता किया, 1990 में हमने काम चालू किया, हम उस काम को चालू कर रहे हैं। हां, एक परेशानी जरूर हमारे लिए पैदा कर दी कि जो योजना आपने बनाई, उसमें नहीं सोचा, जैसा कि हमारे पी. एच. ई. डी. मिनिस्टर उस दिन बता रहे थे कि लम्बी-लम्बी योजनाएं, इस गांव को भी जोड़ दो, उस गांव को भी जोड़ दो, उस गांव को भी जोड़ दो, यह तो योजना बनाई लेकिन पावर कितना उपलब्ध है, उस टेल एण्ड तक पानी पहुंचेगा कि नहीं, इस पर कभी ध्यान नहीं दिया और इसके दुष्परिणाम जनता को आज भुगतने पड़ रहे हैं।

मान्यवर, यह बार–बार माननीय बिश्नोई जी उठा देते हैं सवाल, मैं समझता

(श्री हरिशंकर भामड़ा)

हूं कि अब उसको समाप्त कर देना चाहिए ।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) : ..... (व्यवधान) .. मुसलमानों के नाम पर वोट लेकर क्या किया उनके लिए ?

श्री अध्यक्ष : कृपया बीच में नहीं, आप विराज जाएं । माननीय सदस्य बीच में नहीं ।

श्री हरिशंकर भामड़ा : अध्यक्ष महोदय, उन्होंने अपनी बात कह दी, मैंने अपनी बात कह दी, अब निर्णय जनता करेगी इसलिए इसमें बहस की जरूरत नहीं है, कोई बहस नहीं । .. (व्यवधान) ....मैं आगे ही चल रहा हूं, आगे ही बढ़ रहा हूं । मैं बहस नहीं करना चाहता । जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया था, हमने विकास के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं बनाईं ....(व्यवधान) आप बोलते रहेंगे तो मैं पूरा कैसे कर पाऊंगा ?

हमने सड़क निर्माण में खास तौर से जो बी. ओ. टी. स्कीम लागू की है उसके आधार पर बहुत आगे प्रगति कर रहे हैं। उसमें हमें काफी सफलता मिल रही है और मुझे विश्वास है कि निश्चित रूप से राजस्थान में सड़क निर्माण में इस योजना का बहुत बड़ा लाभ जनता को मिलेगा ।

मैंने पिछली बार भी कहा था कि किसी राज्य की सरकार की क्रेडिबिलिटी क्या है, इस पर उसकी आर्थिक स्थिति का आकलन किया जाता है । विद्युत उत्पादन के लिए विद्युत बोर्ड ने 1996-97 में 399 करोड़ रुपए, 1997-98 में 300 करोड़ रुपए और अभी चालू वित्त वर्ष में 315 करोड़ रुपए की राशि बॉण्ड के जरिये ली, को हमें आसानी से उपलब्ध हो गई । तो हमारी क्रेडिबिलिटी में कोई कमी नहीं, आज हम जितना चाहे पैसा ले सकते हैं ।

मान्यवर, इतना ही नहीं, हमने और स्रोतों से ही नहीं बल्कि मितव्ययिता के भी प्रयास किए, उसको भी आंख से ओझल नहीं होने दिया है । अपने प्रशासनिक खर्चों में कमी करने के लिए जो कदम उठाए हैं ...

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : घनश्याम जी तिवाड़ी कह रहे थे कि मैं मंत्री नहीं बनूंगा, मुझे तो उस आदमी का नाम बताओ जिसने यह कसम तुड़वाई ।

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : तीन महीने के लिए ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (ऊर्जा मंत्री) : राजेन्द्रजी पारीक और जगदीपजी धनखड़ जिम्मेदार हैं.. (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भामड़ा : अब आप लोग बोलना बन्द करें तो मैं बोलना शुरू करूं ।

मितव्ययिता के लिए हमने सभी विभागों को गैर योजना व्यय में 10 प्रतिशत की कटौती, संवेतन को छोड़कर, करने के निर्देश प्रदान किए । उसका लाभ हमको हुआ है । दैनिक मजदूरों की नियुक्ति पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया गया है । नए वाहन,

(172)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

एयर कण्डीशनर, डेजर्ट कूलर, वाटर कूलर, फर्नीचर, फिक्सचर्स, फोटो कॉपियर्स, कम्प्यूटर्स, फर्निशिंग के सामान, नये टेलीफोन, फैक्स टैप तथा विदेश यात्रा पर प्रतिबन्ध लगाया है। चालू वाहनों में से कम से कम दो वाहन, अथवा कुल वाहनों के 10 प्रतिशत वाहन, जो भी कम हो, का उपयोग बन्द कर स्टेट मोटर गैराज को समर्पित करने का निर्देश दिया। मान्यवर, इस सम्बन्ध में हमने माननीय ललित किशोर चतुर्वेदी की अध्यक्षता में मितव्ययिता समिति का गठन किया है जो निरंतर बैठकें कर राज्य सरकार को सुझाव देती है। हम उन सुझावों पर अमल करते हैं और उसका लाभ आम जनता को मिलता है। यह जो बार–बार सुझाव सरकार को दिए जाते हैं कि उनको अपने प्रशासनिक खर्चों में कमी करनी चाहिए, उस ओर भी हम सजग हैं और वह काम भी तत्परता से कर रहे हैं। कुल मिलाकर आय के स्रोत बढ़ाने बिना किसी पर कर भार डाले हुए, और अपने प्रशासनिक खर्चों को कम करने का यह वह गुर है जिससे लोग कहते हैं कि आप इतनी योजनाएं बना रहे हैं, इनकी पूर्ति कैसे कर रहे हो, यह है, और इस पर चूंकि ईमानदारी से अमल हो रहा है इसलिए उसका फल भी हमको मिल रहा है।

मान्यवर, राज्य सरकार ने गत चार वर्षों में अंकेक्षण सम्बन्धी मामलों के निस्तारण हेतु भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों, जनलेखा समिति की सिफारिशों के परिपालन हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए प्रशासनिक विभागों विभागाध्यक्षों को समयबद्ध अनुपालनार्थ निर्देश जारी किए हैं, जिनका संक्षेप यह है–

38 राजकीय विभागों तथा 9 राजकीय उपक्रमों के लिए सम्बन्धित शासन सचिवों की अध्यक्षता में आडिट समिति का गठन किया है। अंकेक्षण सम्बन्धी मामलों के लिए विभागों में नोडल अधिकारी की नियुक्ति हेतु निर्देश दिए। परिसम्पत्तियों के भौतिक सत्यापन,उनके सदुपयोग व(समेकन) कंसोलीडेशन हेतु निर्देश दिए। राजस्व एवं व्यय आंकड़ों को यथा समय मिलान करने के निर्देश जारी किए गए हैं ताकि किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता का समय पर पता लग सके। वित्त विभाग के निर्देशक के निरीक्षण के माध्यम से गत तीन वर्षों में 166 विशेष जांचें कराई हैं जिनमें लगभग 4 करोड़ रुपये की राशि के गबन के मामले ध्यान में आए हैं, जिन पर समुचित कार्यवाही की जा रही है। जन लेखा समिति के बकाया प्रकरणों को गत 4 वर्षों में अभियान चला करके 356 सिफारिशों की पूर्ण क्रियान्विति की गई है। इसी का परिणाम है कि 6 सालों में प्रतिपक्ष कोई भी हमारे ऊपर आरोप नहीं लगा सका कि राज्य सरकार ने इतना घोटाला किया है या वह रुपए खा गए एक भी आरोप नहीं लगा सके। यूं तो आरोप लगाना जिनकी आदत है, वह तो किसी को कुछ भी कह सकते हैं लेकिन ऐसा कोई भी आरोप नहीं है कि हमारी राज्य सरकार के काम में कोई किसी प्रकार का घोटाला हो।

मान्यवर, मैंने आपके सामने इस बजट के सम्बन्ध में ये बातें रखीं। इसके पहले कि मैं महंगाई पर आऊं, मैं कुछ कर राहतों

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

की घोषणा आपके सामने कर रहा हूं। मुझे प्रसन्नता है कि गत 9 जुलाई, 1998 को मेरे द्वारा प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 1998-99 के बजट का कृषि, उद्योग, व्यवसाय, एवं समाज के अन्य वर्गों द्वारा व्यापक समर्थन एवं स्वागत किया गया है। पारदर्शी एवं संवेदनशील शासन पर आधारित हमारी नीतियों के अनुसरण में बजट के प्रस्तुतीकरण के पश्चात् कई वर्गों से प्राप्त विभिन्न सुझावों तथा माननीय सदस्यों के सुझावों व सामान्य जनहित को दृष्टि में रखते हुए करारोपण सम्बन्धी प्रकरणों में निम्नानुसार राहत प्रदान करना प्रस्तावित करता हूं।

100 रुपये तक के होजरी एवं रेडीमेड वस्त्रों की कर मुक्ति को समाप्त करते हुए मैंने बजट प्रस्तावों में इनकी कर दर को 4 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत किया था। समाज के सभी वर्गों द्वारा दैनिक प्रयोग के 100 रुपये तक के होजरी उत्पादन एवं रेडीमेड वस्त्रों को पूर्णतया कर से मुक्त करते हुए इन वस्त्रों पर बजट पूर्व की दर पूर्ववत 4प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।

फुटवीयर के क्रम में मूल्य आधारित करमुक्ति को समाप्त करने के साथ ही बजट प्रस्तुतीकरण के समय इनकी कर दर 10 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत की थी। मैं समाज के सभी वर्गों को राहत प्रदान करने की दृष्टि से चमड़े से विनिर्मित जूते, चप्पलों को छोड़कर 100 रुपये मूल्य तक के अन्य जूते, चप्पलों को पुनः कर मुक्त करने का प्रस्ताव करता हूं। साथ ही कर से मुक्त फुटवीयर से भिन्न फुटवीयर पर अब पूर्ववत 10 प्रतिशत कर देय रहेगा।

विभिन्न प्रकार के मसालों आदि की कर दर में प्रायोगिक तौर पर 31 मार्च 1999 तक कमी की गई है। इसी क्रम में मैं आम आदमी के उपयोग में आने वाली काली मिर्च, किसमिस, छुआरे, मुनक्का एवं सुपारी की दर को 31 मार्च, 1999 तक 12 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत कर रहा हूं। (व्यवधान)

पूजा की कतिपय वस्तुओं को मूल बजट प्रस्तावों के समय करमुक्त किया था। इसी क्रम में मैं अगरबत्ती की कर दर को भी, जो पूजा में काम आती है, 4 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत कर रहा हूं तथा पूजा में प्रयोग आने वाली घण्टी और आरती, जिनकी इनको जरूरत पड़ती है, उसको पूर्णतया कर मुक्त कर रहा हूं।

दैनिक जीवन में प्लास्टिक उत्पादनों के बढ़ते हुए उपयोग को दृष्टिगत रखते हुए प्लास्टिक कच्चे माल के साथ-साथ मैं अब सभी प्रकार के प्लास्टिक उत्पाद एवं प्लास्टिक मोल्डेड फर्नीचर पर कर दर को प्रायोगिक तौर पर 31 मार्च, 1999 तक 12 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत कर रहा हूं। साथ ही खिलौनों पर वर्तमान कर दर को घटाकर 4 प्रतिशत से 2 प्रतिशत कर रहा हूं।

मान्यवर, आजकल राजस्थान में सूखे मेवे का व्यापार बहुत बढ़ गया है। हरेक के घर में जहां जाते है वे मेवा खिलाते हैं। (व्यवधान) सूखे मेवे के व्यापार को अन्य राज्यों को होने वाले पलायन को नियंत्रित करने की दृष्टि से मैं इसकी कर दर को प्रायोगिक तौर पर 12 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत 31 मार्च, 1999 तक प्रस्तावित करता हूं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : तब तक आप रहोगे क्या ?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अब आपके वहम का तो कोई इलाज नहीं है । लुकमान हकीम के पास भी नहीं है, धन्वन्तरि के पास भी नहीं है ।

शुष्क बैटरी जो वर्तमान में 12 प्रतिशत से कर योग्य है, को राज्य के व्यवसाय एवं उपभोक्ताओं के हित में 31 मार्च, 1999 तक 6 प्रतिशत की दर से कर योग्य करने का प्रस्ताव करता हूं ।

राज्य के काश्तकारों के हित में उनके उत्पादन की बिक्री को मूल्य प्रतिस्पर्धात्मक बनाये रखकर पलायन रोकने की दृष्टि से मैं पोस्त दाना को पूर्णतया कर मुक्त कर रहा हूं ।

इसी प्रकार से आतिशबाजी के पारम्परिक उद्योग को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से सभी प्रकार की आतिशबाजी की कर दर को 8 प्रतिशत से घटाकर पुनः 4 प्रतिशत किया जा रहा है । सूखे नारियल की कर दर को पूर्ववत 4 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है, जो 12 प्रतिशत थी । प्रक्रियात्मक समस्याओं को ध्यान में रखकर मक्खन और देशी घी के आयात के क्रम में प्रवृत्त 18 (ए) की अनिवार्यता को समाप्त कर रहा हूं ।

दिनांक 9 जुलाई, 1998 को बजट अनुमान प्रस्तुत करते हुए मैंने करारोपण सम्बन्धी कुछ घोषणाएं की थीं, अब उपरोक्त प्रस्तावों में से कतिपय में आंशिक संशोधन किया जा रहा है, साथ ही कुछ और राहतें भी दिया जाना प्रस्तावित है । इस प्रकार मूलतः घोषित अब तक दी जा रही अतिरिक्त राहतों पर कुल मिलाकर जो राहत दी गई हैं उनका प्रथम दृष्टया मूल्य लगभग 60 करोड़ रुपया बनता है ।

श्री जगदीप धनखड़ : मार्बल के ऊपर टैक्स कम करने की बहुत मांग की, क्योंकि राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है वह मार्बल उद्योग पर आधारित है । 12 पर्सेंट से कम करने की बात कही । कई छोटे–छोटे आदमी हैं । जो झौंपे में भी मार्बल व्यवसाय करते हैं, रूपनगढ़ से बहुत–सी ऐसी यूनिट्स हैं । मेरा आपसे अनुरोध है कि इस उद्योग को बचाने के लिए जो 12 प्रतिशत है इसको और कम किया जाए । उनको ऐसी राहत दी जाए, जो बिलकुल कॉटेज यूनिट्स हैं, जो झौंपों में चलती हैं उनको पूरी तरह से राहत दी जाए ।

श्री राकेश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, यह मांग तो मेरी है, मकराना की ओर से पूरे राजस्थान में मार्बल जाता है । कहीं ऐसा नहीं हो कि पार्टी पोलीटिक्स में ये कर कम नहीं करें । आप थोड़ी शांति रखिए । आप पहले सुन तो लीजिए । ये कम नहीं करेंगे तो फिर अपन बात करेंगे । यह बात तो सिर्फ मेरी थी ।

श्री जगदीप धनखड़ : आप तो उद्योगपति हैं जो उनकी बात कर रहे हो । आपका खुद का काम चलता है । बैठे रहिए ।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अध्यक्ष महोदय, मार्बल पर हमने 4 प्रतिशत कर कम किया है जो कम नहीं होता है । इसके अलावा हमने केन्द्र से निवेदन किया, मैं स्वयं फाइनेंस मिनिस्टर से मिला और

(श्री हरिशंकर भामड़ा)

उन्होंने भी 400 फीट के नीचे तक जो 10 परसेंट ड्यूटी बढ़ायी थी वह कम कर दी है, बाबत 30 परसेंट कर दी है और 400 फीट से ऊपर थी उनको 40 परसेंट रखा है। और भी मार्बल उद्योग को बनाये रखने के लिए उद्योग नीति के अन्तर्गत हम उनकी मदद करना चाहते हैं। समय–समय पर इसकी आवश्यकता होगी तो राज्य सरकार निश्चित रूप से इस उद्योग की मदद करने में कोई कोताही नहीं बरतेगी। (व्यवधान)

मान्यवर, इन राहतों से होने वाली संभावित राजस्व हानि को कुछ अन्य मदों में करारोपण, के सुसंगतिकरण करों के अपवंचन को और कड़ाई से रोककर दी गई राहतों के फलस्वरूप घटी हुई दरों पर करों के व्यय पर अदायगी होने से होने वाली अधिक राजस्व प्राप्ति से प्रतिपूरित कर लिये जाने की संभावना से आश्वासित हैं। सदन के बजट अनुमोदन के साथ ही ये प्रस्ताव तुरन्त प्रभाव में आएंगे।

मान्यवर, कृषि विभाग में राजस्थान फल सब्जी, आलू थोक व्यापार संघ के प्रतिनिधियों द्वारा आढ़त की दर में वृद्धि की मांग निम्नानुसार कारणों से की गई। गत 20 वर्षों से फल, सब्जी व्यापार में आढ़त दर नहीं बढ़ी। अनाज पर आढ़त की दर एव मण्डी शुल्क की दर में वृद्धि हो चुकी है। अन्य राज्यों में फल, सब्जी व्यापार पर आढ़त की दर 6 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक है। व्यापारिक खर्चों में कई गुना वृद्धि हो चुकी है। इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर आढ़त की दर 4 से बढ़ाकर 6 प्रतिशत करने की घोषणा करता हूं।

मान्यवर, बजट प्रस्तुतीकरण के समय ...

श्री जगदीप धनखड़ : किसानों के ऊपर आपने भार डाल दिया। (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भामड़ा : आप समझ कर प्रश्न करो तो मैं उत्तर दूं। अब आप प्रश्न ही नहीं समझ रहे हैं तो मैं क्या उत्तर दूं? आपको जवाब दे रहे हैं वे ही ठीक हैं।

श्री किशन गोपाल कोगटा : यह खरीददारों पर, व्यापारियों पर है, किसानों पर नहीं है।

श्री हरिशंकर भामड़ा : बजट प्रस्तुतीकरण के समय ग्रेनाइट व संगमरमर में रियायत दी गई थी। निर्माण में प्रयुक्त पत्थरों में कोटा स्टोन ग्रेनाइट व संगमरमर से सापेक्षिक सृष्टि को दृष्टिगत रखते हुए अब यह प्रस्तावित है कि रफ तथा अनपॉलिश्ड प्रकार के कोटा स्टोन पर वर्तमान में लागू कर दर को 31 मार्च, 1999 तक के लिए 12 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत कर दिया जाएगा। पालिश्ड प्रकार के कोटा स्टोन पर पूर्ववत 12 प्रतिशत की कर दर लागू रहेगी, क्योंकि उनको रॉ–मैटीरियल खरीदने में 3 प्रतिशत की छूट दी हुई है। प्रस्तुतः वह 9 प्रतिशत होती है।

मान्यवर, आपने जो सवाल पूछा है किसान के बारे में, हालांकि जवाब दे दिया था, मगर क्योंकि आप नहीं समझे, किसान

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

से आढ़त नहीं ली जाती, हमेशा खरीददार से ली जाती है। इसलिए किसान पर कोई भार नहीं है। समझ कर बोलते तो अच्छा होता।

9 जुलाई, 1998 को बजट प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय मैंने रंगाई व छपाई उद्योग के काम में आने वाले रंगों में कर में रियायत दी थी। इसी क्रम में अब यह प्रस्तावित है कि रंगाई–छपाई में काम आने वाले ब्लीचिंग पाउडर एवं व्हाइटनिंग एजेंट्स पर भी लागू वर्तमान कर दर को 31मार्च, 1999 तक के लिए 4 प्रतिशत से कमकर दो प्रतिशत कर दिया जाए तथा स्टार्च पर लागू वर्तमान कर को 31मार्च, 1998 तक लिए 8 प्रतिशत से कम कर 4 प्रतिशत कर दिया जाए।

मान्यवर, अभी बहुत से माननीय सदस्यों ने, खास तौर से माननीय सदस्य श्री शिवकिशोर जी सनाढ्य ने इस बात पर बहुत बड़ी आपत्ति की कि हमने बजट के प्रस्तुतीकरण के समय भूमि और भवन कर निज शिक्षण संस्थानों के भवनों पर भी लागू किया था, प्राइमरी और मिडिल को छोड़कर। लेकिन माननीय सदस्यों के विचारों से मुझे भी यह लगा कि हो सकता है कि इसके कारण भविष्य में लोग प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस नहीं चलाएं, बड़ी–बड़ी बिल्डिंग नहीं बनाए या जो चला रहे हैं, जिनके पास कालेज की बिल्डिंग है, प्राइवेट चला रहे हैं, हाई स्कूल है, हायर सैकण्डरी स्कूल हैं, यदि उन पर भूमि और भवन कर लग गया तो शायद वह रकम इतनी ज्यादा हो जाए कि वे दे नहीं सकेंगे। इसलिए 9 जुलाई, 1998 .

श्री खेतसिंह राठौड़ : वे तो बच्चों से फीस भी बहुत लेते हैं।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : फीस लेने वाले हैं। हमने लगायी थी, फीस लेने वाले बहुत थोड़े हैं। अधिकांश संस्थाएं हैं कि जो हाई स्कूल चला रही हैं, कुछ जातिगत संस्थाएं हैं जो हाई स्कूल चला रही हैं, जो हायर सैकण्डरी स्कूल चला रही हैं, कालेज चला रही हैं, जातिगत जो चंदा करके चला रही है, अधिकांश वह हैं। मैं उदाहरण दे सकता हूं, बहुत हैं। इसलिए 9 जुलाई, 1998 बजट प्रस्तुतीकरण के समय वह प्रस्तावित किया गया था कि केवल ऐसे निजी शिक्षण संस्थानों को भूमि और भवन कर से छूट दी जाएगी जो आठवीं दर्जे तक की कक्षा संचालित करते हैं कि यह छूट सभी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के भवनों पर भी लागू होगी।

मान्यवर, हमने संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा बहुत पहले की थी और उसमें हम लगे हुए थे, अब जाकर वह बिल आपके सामने आ रहा है। छोटी काशी के रूप में प्रसिद्ध जयपुर में संस्कृत विश्वविद्यालय की निरन्तर मांग को ध्यान में रखकर सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 1995–96 में प्रदेश में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गयी थी। उक्त घोषणा की क्रियान्विति के लिए विश्वविद्यालय के स्वरूप पर चर्चा हेतु एक समिति का गठन माननीय उच्च शिक्षा मंत्री महोदय की अध्यक्षता में किया गया था। समिति द्वारा की गयी अनुशंसाओं के आधार पर जयपुर में इस वर्ष में संस्कृत

(श्री हरिशंकर भामड़ा)

विश्वविद्यालय प्रारम्भ कर दिया जाएगा। इस हेतु वित्तीय वर्ष में 50 लाख का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

मान्यवर, जोधपुर में विधि विश्वविद्यालय की मांग बहुत पुरानी है केन्द्र सरकार ने काफी कुछ खर्चा उसमें वहन करने का आश्वासन दिया है और सारे देश में जोधपुर को उन्होंने चुना है। वह हमारे लिए गौरव की बात है कि उन्होंने राजस्थान में एक शहर को चुना है कि जहां विश्वविद्यालय की स्थापना हो।

श्री खेतसिंह राठौड़ : ज्यादा इंटेलीजेंट लोग भी जोधपुर में ही हैं।

श्री हरिशंकर भामड़ा : सांसद वहां हमारे नहीं हैं। वर्तमान में जहां जयपुर, जोधपुर एवं उदयपुर विश्वविद्यालय द्वारा अपने संघटक महाविद्यालयों द्वारा विधि अध्ययन की व्यवस्था उपलब्ध करायी जा रही है, वहीं 15 राजकीय एवं 6 निजी महाविद्यालयों द्वारा भी यह सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। लेकिन विधि अध्ययन के समेकित विकास के उद्देश्य से सरकार जोधपुर शहर में एक विधि विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार रखती है। इस उद्देश्य से इस वित्तीय वर्ष में 100 लाख रुपये का अतिरिक्त प्रावधान उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

मान्यवर, उदयपुर में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना—प्रदेश में कृषि अनुसंधान एवं विकास को ध्यान में रखते हुए जहां 1962 में उदयपुर में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी थी, कुछ वर्षों बाद उदयपुर की जनता की भावना को ध्यान में रखते हुए इस विश्वविद्यालय को सामान्य शिक्षा के विश्वविद्यालय में परिवर्तित कर दिया गया। 1987 में बीकानेर में अलग से कृषि विश्वविद्यालय स्थापित कर उदयपुर विश्वविद्यालय का कृषि संकाय भी बीकानेर विश्वविद्यालय को स्थानान्तरित कर दिया गया, लेकिन उदयपुर की जनता द्वारा वहां स्वतन्त्र कृषि विश्वविद्यालय की मांग निरन्तर बनी हुई है। इस मांग को ध्यान में रखकर सरकार द्वारा एक उच्च स्तरीय मंत्रिमण्डलीय समिति का गठन किया जा रहा है जिसकी अनुशंसाओं के आधार पर अन्तिम निर्णय किया जाएगा। फिलहाल इस मद में चालू वित्तीय वर्ष में एक करोड़ रुपये व्यय करने का प्रावधान है।

श्री राजेन्द्र चौधरी : जाते–जाते घोषणाएं कर दो। इसको पहले ध्यान में नहीं लिया।

श्री हरिशंकर भामड़ा : यह वही सरकार है जिसमें हमारे माननीय मंत्री शिलान्यास भी करते हैं और उद्घाटन भी करते हैं।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : राकेश जी मेघवाल क्या कह रहे थे, उनकी स्पीच सुनी नहीं आपने ?

श्री हरिशंकर भामड़ा : मैं आपको बताऊंगा। सरकार द्वारा 1994–95 से 1997–98 तक की अवधि में कुल 46 राजकीय महाविद्यालय प्रारम्भ किये गये। इनमें से 19 महाविद्यालय छात्राओं के हैं।

(श्री हरिशंकर भामड़ा)

वर्तमान बजट में इन 26 महाविद्यालयों के अतिरिक्त तीन और कन्या महाविद्यालय प्रारम्भ करने का प्रावधान रखा गया है। राज्य सरकार की नीति महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ-साथ अल्पसंख्यक क्षेत्रों में शिक्षा प्रसार की भी रही है। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 1995-96 में मुस्लिम बहुल क्षेत्र टौंक में एक कन्या महाविद्यालय प्रारम्भ किया गया, मेवात क्षेत्र में बीबी-रानी में सहशिक्षा का महाविद्यालय प्रारंभ किया गया था। इसी शृंखला को आगे बढ़ाते हुए मेव बहुल क्षेत्र गोविन्दगढ़, अलवर में महाविद्यालय प्रारम्भ करने की घोषणा करते हुए इस हेतु 10 लाख रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

मान्यवर, कल विनियोग विधेयक पर बहस के दौरान थानागाजी क्षेत्र से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रस्ताव किया कि थानागाजी में भी एक महाविद्यालय खोला जाए। हमारी सरकार ने प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा के क्षेत्र के विकास के लिए जो सशक्त कदम उठाये हैं उनसे उत्पन्न उत्साह के कारण कई क्षेत्रों से महाविद्यालय खोलने के प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुए हैं। इन सभी प्रस्तावों का परीक्षण कर उन पर विचार किया जाएगा और शीघ्र ही समुचित निर्णय लिया जाएगा।

श्री रमाकान्त शर्मा : खोलने की बात कहिये, विचार क्या? कृपया खोलने की घोषणा करें।

श्री हरिशंकर भामड़ा : सदन में विनियोग विधेयक पर वाद-विवाद के दौरान....

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सदस्य को आन्तरिक लोकतन्त्र के नाम पर दबाइये मत।

श्री हरिशंकर भामड़ा : मैं किसी को नहीं दबा रहा हूं, आप ही दबा रहे हैं जिनको दबाना है।

27 जुलाई, 1998 को माननीय सदस्यों ने कुछ उपयोगी सुझाव दिये। जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त स्थानों के भरने एवं अध्यापकों द्वारा गांवों में ही रहकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का प्रश्न है, इस सुझाव के प्रति राज्य सरकार जागरूक है। मेरे साथी माननीय शिक्षा मंत्री जी इस सम्बन्ध में विशेष प्रयत्न कर रहे हैं। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि नयी नियुक्तियों से खाली स्थानों को भरकर तथा अध्यापकों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित कर शिक्षा के प्रसार के लक्ष्यों को पूरा किया जाएगा।

विभिन्न प्रशासनिक एवं पुलिस भवनों की उचित व्यवस्था एवं वर्तमान भवनों के रख-रखाव के सम्बन्ध में आये सुझावों के सम्बन्ध में निवेदन है कि राज्य सरकार ने इस वर्ष राजकीय भवनों एवं आस्तियों के रख-रखाव हेतु 325 करोड़ 19 लाख लाख रुपये का प्रावधान किया है। भारत सरकार से 10 वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत प्रशासनिक एवं पुलिस भवनों के संधारण, सुदृढ़ीकरण हेतु राशियां प्राप्त होती है, उनके उपयोग से इस संबंध में विशेष प्रयास किये जाएंगे। इस वर्ष

(श्री हरिशंकर भामड़ा)

पुलिस भवनों के निर्माण की महती योजना हाथ में ली गयी। राजस्व, प्रशासनिक भवनों आदि के लिए प्रबन्ध किया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि स्थिति में स्पष्ट सुधार आएगा।

मान्यवर, ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य ने ब्यावर को जिला करने की मांग की। इस प्रकार की मांग चूंकि अनेक स्थानों से आ रही है प्रतापगढ़ से भी आ रही है, नागौर से भी आ रही है, कोटपूतली को भी कहिये, इसलिए इस सम्बन्ध में आयोग गठन करने के निर्णय करने की मैंने जो घोषणा की है, वह शीघ्र किया जाएगा और निश्चित रूप से उसमें ब्यावर को प्राथमिकता के तौर पर किया जाएगा। (व्यवधान)

(19.00 बजे)

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय वित्त मंत्रीजी, एक मिनट मैं निवेदन करना चाहता हूं, एक मिनट.

श्री हरिशंकर भामड़ा : पहले मैं बोल लूं, मैं पूरा कर दूं।

श्री रामचन्द्र रावत : कोटपूतली को जिला बनाने की घोषणा करिये। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं यह निवेदन करना चाहता था कि 1977 में हमारी गवर्नमैंट गई और उसके बाद आपकी गवर्नमैंट आई। तब हमने 1977 में करीब 300 स्कूलों को क्रमोन्नत किया था, कुछ नये स्कूल खोले थे, इसी प्रकार से कई डिस्पेंसरीज खोलीं, कई एड–पोस्ट खोले थे लेकिन आपकी सरकार ने आते ही वे सारे के सारे रद्द कर दिये और आपने अपनी नीति के हिसाब से नये तौर पर खोले, तो क्या उसका वापस से अनुकरण नहीं हो सकता है? (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भामड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं तो आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि 1977 में जो उनकी घोषणा थी वह तो हमने कभी पूरी कर दी। वह बाकी है ही नहीं, उससे कहीं ज्यादा बढ़कर काम कर दिया, और....

श्री खेतसिंह राठौड़ : वह 1980 में आकर हमने पूरी की।

श्री हरिशंकर भामड़ा : यदि कोई कमी रही है तो उसकी भी पूर्ति हम करेंगे।

मान्यवर, आज सभी माननीय सदस्यों ने महंगाई का प्रश्न उठाया। मैं समझता हूं कि यह वाकई में हमारे लिए अत्यन्त ही गम्भीर विषय है और इस गम्भीर विषय पर हमको कुछ सैद्धान्तिक रूप से भी सोचना चाहिए। राजनैतिक रूप से तो हम सोचते ही हैं, आप सोचिए, मैं भी सोचता हूं लेकिन इस बात का हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि यह जो महंगाई बढ़ती है, कई बार यह विश्वव्यापी फिनोमिना होता है। इंफ्लेशन का और इसका बहुत बड़ा सम्बन्ध है, और कई बार तो इंफ्लेशन इतना बढ़ जाता है कि जैसे प्रथम विश्व युद्ध के बाद में, तीसरे दशक में जर्मनी, लेटिन अमेरिका बोलिविया, अर्जेन्टाइना में ऐसी स्थिति आ गई थी कि सीमा पारकर हजारों प्रतिशत महंगाई में बढ़ोतरी हो गई थी। आप में से जिन्होंने सैकिण्ड वर्ल्ड वार की समाप्ति देखी है, उनको पता है कि अखबारों में खबर आती थी कि

(श्री हरिशंकर भामड़ा)

फ्रांस और रूस के लोगों को रोटी नहीं मिल रही थी तो आलू खा-खाकर लोग रहे। ब्रिटेन फ्रांस और रूस में तीनों जगहों पर यह स्थिति आ गई थी और यह महंगाई....

श्री खेतसिंह राठौड़ : वह स्थिति आप लाकर छोड़ोगे।

श्री हरिशंकर भामड़ा : वह मैं बता रहा हूं। अब यह महंगाई बढ़ती है और इस महंगाई के बढ़ने के अनेक कारण होते हैं। मैं उन सब कारणों में नहीं जाना चाहता। आप में से कई हैं जिन्होंने 1936 देखी है। आपने 96 देखी है, मैंने भी देखी हैं, 97 देखी है, मान्यवर, उस समय....

श्री राजेन्द्र चौधरी : आपके बाल काले हैं, उनके धोले हैं।

श्री हरिशंकर भामड़ा : वह भगवान का है। उस समय हमने एक रुपये का एक किलो देशी घी शुद्ध खाया है, एक रुपये का 16 किलो दूध पीया है। इस राजस्थान में बाजरा एक रुपये का 40 किलो बिका था, यह मुझे अभी तक याद है। अब मैं वहां तक आपको ले जाना चाहता हूं क्योंकि उसके आगे तो मैं नहीं जानता। तब से लेकर आज तक एक रुपये किलो का घी खाने वाले स्वप्न देख रहे हैं कि वापस एक रुपये किलो घी कब होगा।

श्री राजेन्द्र पारीक : बजट भाषण में ये बातें ध्यान रखनी चाहिए कि....

श्री हरिशंकर भामड़ा : सुन लीजिये, सुन लीजिये।

श्री राजेन्द्र पारीक :....क्या कीमत है, आप बराबर . (व्यवधान) और आज इतना कैसे हो गया ?

श्री हरिशंकर भामड़ा : सुन लो। श्रीमान्जी, सुन लो, सुन लीजिये।

1947 में जब हम आजाद हुए, उसके पहले जो भाव थे, 1947 से लेकर 40 साल तक कांग्रेस ने राज किया, कभी भाव कम नहीं हुए, बढ़ते ही गये। बढ़कर कम हो गये, यह तो बात ठीक है, जैसे कभी 12 रुपये किलो चीनी होकर 10 रुपये किलो आ गई मगर वह एक रुपये किलो का घी वापस नहीं आया, न वह बाजरे का भाव आया। 40 साल तक आपने राज किया ...

श्री खेतसिंह राठौड़ : हमने बहुत कहा कि आबादी कम करो, आबादी कम करो लेकिन हमारी बात किसी ने मानी नहीं और....(व्यवधान)

श्री हरिशंकर भामड़ा : 40 साल तक आपने राज किया और निरन्तर इस महंगाई को बढ़ने दिया। उसको रोकने के लिए कारगर उपाय नहीं किये, बल्कि विपरीत उपाय किये। उसका कारण बताता हूं। यह जनसंख्या तो एक कारण है लेकिन एक कारण और है। 40 साल के राज के बाद आपने केन्द्र की सरकार पर तीन लाख करोड़ रुपये का बाहरी ऋण और पौने चार लाख करोड़ रुपये का आन्तरिक ऋण, इतना ऋण आपनेछोड़ दिया। आप महात्मा गांधी को भूलकर हमेशा अमेरिका के पास कटोरा लेकर गेहूं के दान के लिए जाते रहे। आपने कभी स्वदेशी पर ध्यान नहीं दिया, आपने इस देश को स्वावलम्बी बनाने पर कभी ध्यान नहीं दिया, आपने ग्राम स्वराज्य पर कभी ध्यान नहीं दिया....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : यह कांग्रेस ही थी जिसने पी.एल.–480 को निकाल दिया। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : भारतवर्ष गेहूं एक्सपोर्ट कर रहा है, आज पूरी तरह से स्वावलम्बी हैं। (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भामड़ा : आपने महात्मा गांधी के रामराज्य को तो छोड़ दिया।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : आज एक्सपोर्ट किया जा रहा है गेहूं, यह कांग्रेस की देन है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : यह कांग्रेस की ही देन थी जिसने हरित क्रांति लागू की। (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भामड़ा : बाद में आजाद हुए, आजादी हुई तो सबके दिमाग में था कि महात्मा गांधी ने कहा था कि हम रामराज्य लायेंगे परन्तु महात्मा गांधी की हत्या के तुरन्त बाद यह ...

श्री राजेन्द्र पारीक : आपकी पार्टी को चन्दा देने वाले धन्ना सेठों ने गोदामों में अनाज भर लिया था।

श्री हरिशंकर भामड़ा :... उनके तुरन्त बाद तो रामराज्य चला फिर गया था, सोशलिस्टिक पैटर्न आफ लाइफ आई। (व्यवधान) नॉट सोसायटी, समाजवाद बाद में आया। फिर उसके बाद आप समाजवाद पर आये, फिर उसके बाद आप वैलफेयर स्टेट पर आये, रामराज्य की तरफ मुंह मोड़कर नहीं देखा। इसलिए आपने रूस में जिस समय कम्युनिस्टों को फालो करने की कोशिश की सारे देश में इतना जबरदस्त कंट्रोल लागू कर दिया कि सारी चीजें मानो बाजार से गायब हो गई, बाजार पर नियन्त्रण समाप्त हो गया, कोटा परमिट भी रद्द कर दिया। आपने 40 साल में खूब कोटा परमिट जारी किये, खूब नियंत्रण किया। मुझे याद है कि स्व. जगजीवनराम जी जब खाद्य मंत्री बने थे, तो उन्होंने खाद्य मंत्री बनते ही सारे प्रतिबन्धों को छोड़ दिया, सब कंट्रोल को हटा दिया, सब चीजों के दाम गिर गये। आपकी नीति सदैव से ऐसी रही है जिससे कभी भी हम वापस उस पुराने जमाने के भाव को प्राप्त नहीं कर सके....

श्री जगदीप धनखड़ : ये नरसिम्हाराव जी थे 1991 में (व्यवधान) आप क्या बात कर रहे हैं?

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : हम तो रूस के साथ लगे हुए थे और आप पूंजीपति अमेरिका के पिछलग्गू बने हुए थे....(व्यवधान)

श्री हरिशंकर भामड़ा : बिराजिये। मान्यवर, आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि स्वर्गीय राजीव गांधी जब पहली बार प्रधान मंत्री बने थे, उन्होंने 90 दिन में महंगाई समाप्त करने की घोषणा की थी और पांच वर्ष तक उन्होंने राज किया। ऐसा भी नहीं है कि नहीं किया, पांच वर्ष तक किया। 90 दिन में महंगाई समाप्त करने की बात की थी लेकिन महंगाई तो कम नहीं हुई, उतनी बढ़ती गई, वह उनके भी कंट्रोल में नहीं आई। (व्यवधान) आज जिस महंगाई की बात कर रहे हैं, मान्यवर..

श्री राजेन्द्र पारीक : आपने चुंगी समाप्त करने की घोषणा की, साढ़े चार साल तो याद नहीं आया और याद आया तो ..

श्री हरिशंकर भामड़ा : .... इससे एक बात स्पष्ट है कि महंगाई को लेकर यदि हम वास्तविकता को देखें तो इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि यह प्रक्रिया है जो शुरू से चलती जा रही है, जिसको कोई सरकार रोक नहीं पाई। जो हालात विश्व में बन रहे हैं, उन हालात में आज भी हिन्दुस्तान, यदि हम कुछ खाद्य वस्तुओं को छोड़ दें तो हिन्दुस्तान सबसे ज्यादा चीपेस्ट देश है। सारे यूरोप, जर्मनी, जापान कहीं भी चले जाइये आप, सबसे सस्ता मुल्क आज भी हिन्दुस्तान है। उसके बावजूद भी....

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह हमारी 40 साल की सेवाओं का फल है।

श्री हरिशंकर भामड़ा : हां, मैं बता रहा हूं कि यह महंगाई क्यों भारी लगती है। महंगाई तो अपने हिसाब से अन्तर-राष्ट्रीय व्यवस्था से बढ़ रही है लेकिन इस महंगाई के भार को कम करने के लिए जो उपाय करने चाहिये थे, वह है लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाने का, वह आपने नहीं किये। वह बेकार पैदा किये। लोगों की क्रय शक्ति घटती गई, महंगाई बढ़ती गई। इसलिए छोटी-छोटी बातें भी, थोड़ी-सी महंगाई होती है तो आम उपभोक्ता जो गरीबी की रेखा के नीचे 40 प्रतिशत है, रह रहा है, उनका कचूमर निकल जाता है क्योंकि उनकी क्रय शक्ति नहीं बढ़ाई आपने।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : आप सभी सरकारी सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं आप एक नौकर को लाइये, गांव में मिल जाए तो मुझे कहना। इतनी कहां बेकारी है, कहां इतनी बेरोजगारी है, कौन दुःखी है, आप जाकर देखो।

श्री हरिशंकर भामड़ा : अब ये ग्रामीण बातें विधान सभा के सदन पर ये सामान्य ग्रामीण बातें जो सुनते हैं, उसका कोई महत्व नहीं है, महत्व यह है कि महंगाई बढ़ रही है, लोगों की क्रयशक्ति नहीं बढ़ी, दिस इज ए फैक्ट और क्रय शक्ति नहीं बढ़ने के कारण महंगाई ज्यादा महसूस हो रही है। आप आप महंगाई कम नहीं कर सकते, आप चाहे हजार आन्दोलन कर लीजिये दिल्ली की सड़कों पर और श्रीमती सोनिया गांधी भी प्रधान मंत्री बन जाएं तो मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि महंगाई कम नहीं कर सकती। (व्यवधान) महंगाई समाप्त नहीं कर सकतीं। आज जैसा कि पश्चिमी देशों में है, अमेरिका में है, बराबर, महंगाई वहां बहुत ज्यादा है, लेकिन लोगों को अनुभव नहीं होती। इसलिए अनुभव नहीं होती कि लोगों की क्रय शक्ति भी उतनी है ...

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप कुर्सी को छोड़ो, फिर देखो।

श्री हरिशंकर भामड़ा : लोगों के पास पैसा है। आज ढाई रुपये में एक कप चाय हमको भारी लगती है परन्तु आप विदेशों में जाएंगे तो डालर के हिसाब से अस्सी रुपये एक कप का भारी नहीं लगता। अस्सी रुपये एक कप। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : यहां भी मिलती है। ताज होटल में। ताज होटल में पीने जाओ तो अस्सी रुपये लगेंगे।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : वह भी वहां भारी नहीं लगती इसलिए कि लोगों की क्रयशक्ति वहां पर बढ़ी है। इसलिए इस देश में भी यदि हम चाहते हैं कि लोगों को महंगाई से त्राण दें, तो हमें लोगों की क्रयशक्ति बढ़ाने के उपाय करने होंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार यह उपाय कर रही है। हम उद्योगों को, पूंजी विनियोजन को प्रोत्साहित कर स्माल स्कूल इण्डस्ट्रीज में, हैण्डीक्राफ्ट्स में अधिक से अधिक बेरोजगारों को काम देकर, गांवों में भी हैण्डलूम के माध्यम से, स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज के माध्यम से, बुनकर संघ के माध्यम से खादी बोर्डों के माध्यम से अतिरिक्त आय का साधन उपलब्ध करा रहे हैं। किसान खेती भी करें, साथ-साथ में अतिरिक्त आय का और उपाय भी करें ताकि उन पर महंगाई का भार नहीं पड़े, यह उपाय हम कर रहे हैं। तो हम वास्तव में महंगाई दूर करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन सड़कों पर आकर हाय–हाय करने से महंगाई नहीं मिटेगी। (व्यवधान) चाहे सारे के सारे लोग चले जाएं। आप लोग नहीं गये, मुझे बहुत बड़ी प्रसन्नता है। मगर आप भी चले जाते तो भी वहां महंगाई कम करके आते, या जो कल हमारे सदस्य लौट कर आएंगे, मैं उनसे पूछ लूंगा कि आप कितनी महंगाई कम करके आ गये। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह तो प्रजातंत्र का तरीका है, पहले आप हाय-हाय करते थे, अब हम कर रहे हैं, फिर आप करोगे हाय–हाय और हम वहां बैठेंगे।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मगर इसमें एक बहुत बड़ा अन्तर है ...

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : अब तो यह बताइये कि आठ वर्षों के अन्दर आपने राजस्थान में व्यक्तियों की क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए क्या किया है। (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : इसमें एक बहुत बड़ा अन्तर है, मान्यवर, हमने भी ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पहले बात पूरी करने दीजिये, विराजिये। कृपया बार-बार नहीं, माननीय सदस्य, कृपया। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनियां : ऊंट के गिरबाण पर इन्होंने टैक्स लगा दिया, अध्यक्ष महोदय, ये महंगाई की बात कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : यह ठीक नहीं है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : हमने भी चालीस साल तक प्रतिपक्ष में काम किया कि है, हमने भी आन्दोलन किये, मगर हमने कभी भी मर्यादाएं नहीं तोड़ी।

श्री जगदीप धनखड़ : उप मुख्य मंत्री जी, मुख्य मंत्री जी के कुशल वित्तीय प्रबंध को आप क्यों भूल गये? कुछ तो ट्रिब्यूट पे कीजिये।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : आपने जमाखोरों पर कितने छापे मारे, आपने मुनाफाखोरों पर कितने छापे मारे?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : हमने अपनी पार्टी का कभी अनुशासन नहीं तोड़ा। जनसंघ के समय में दीनदयाल जी उपाध्याय की अध्यक्षता में दिल्ली में उस समय की सबसे बड़ी रैली हुई, लगभग तीन लाख से

(श्री हरिशंकर भामड़ा)

चार लाख लोग इकट्ठे हो गये और उस समय पुलिस वाले बड़े प्रसन्न हो रहे थे। उन्होंने कहा कि जनसंघ की इस रैली में हमको कुछ नहीं करना पड़ता, क्योंकि ये सारा नियंत्रण स्वयं करते हैं, पुलिस तो केवल खड़ी रहती है, उनको कुछ नहीं करना पड़ता। अब उसी की तुलना में नागपुर में जो युवक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो दिल्ली से लेकर नागपुर तक के सारे स्टेशनों को जिस तरह से लूटा गया और अपनी ही साथी महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, वह सारे अखबारों में चर्चित हुआ था। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : ये मेघवाल जी भी थे, उसमें थे। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : आपके महापौर और आपके पार्षद यहां महिलाओं के होस्टल में घुस जाते हैं। आप वहां नागपुर कहां जा रहे हो, आपकी भारतीय जनता पार्टी के पार्षद यहां पर महिलाओं के होस्टल में घुस गये।

श्री हरिशंकर भामड़ा : हमने जयपुर में बहुत आन्दोलन किये। ये हमारे भंवर लाल जी बैठे हैं, 13-13 जगह की हड्डियां तोड़ी हैं लेकिन कभी यहां आकर के रोजणा नहीं रोया, तुड़ा ली हड्डी, जेल में भी गये। दो-दो साल तक जेल में पड़े रहे, पड़े रहे, लेकिन इसकी शिकायत नहीं की, क्योंकि वह हमारा काम था। मगर यहां पर तो आप देखिये, हम कभी सोच नहीं सकते थे कि कांग्रेस के रहे हुए भूतपूर्व मुख्य मंत्री, भूतपूर्व अध्यक्ष मंत्रालय की सैंक्टिटी को समाप्त कर देंगे। इकट्ठा हुए। हमको लगता था कि अपना प्रदर्शन प्रजातांत्रिक तरीके से करके चले जाएंगे। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि उस समय घोषणा यह हो रही थी स्टेच्यू सर्कल पर, भाषणों के बाद, कि आगे के कार्यक्रम की अब घोषणा होगी। यह घोषणा हुई नहीं उसके पहले ही अनियंत्रित भीड़ की तरह से लोग मंत्रालय में घुस गये और उनके दबाव में आकर पुराने भूतपूर्व मुख्य मंत्री और अध्यक्षों को भी उस मंत्रालय में जाना पड़ा। यह दृश्य हमने कभी उपस्थित नहीं किया। (व्यवधान) आज चालीस साल में एक ... (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : 1992 की घटना से सारा देश कलंकित किया है। संसद में हुई बात को झुठला दिया, सुप्रीम कोर्ट को झुठला दिया, देश की जनता के साथ धोखा किया, आप क्या बोलते हैं? ... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : बाबरी मस्जिद तोड़ दी।

श्री जगदीप धनखड़ : आपने इस देश की संस्कृति को खतम किया,है . (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भामड़ा : मान्यवर, तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने आंदोलन किया और उसमें इन्होंने इतना हंगामा मचाया, लेकिन आपको आश्चर्य होगा, उन्होंने घोषणा की थी, हमारे लोग चीफ सैक्रेटरी के घर पर जाएंगे, पत्थर मारेंगे....(व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : जनता विरोधी नीतियों के कारण जनता घुसी थी.... (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : अटल बिहारी वाजपेयी रोने लग गये.... (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : जब पूरे देश के अन्दर राम राज्य के नाम पर यात्रा निकाली, पूरे देश के अन्दर कोहराम मचा दिया था।

श्री जगदीप धनखड़: अब आपको सुखराम से सुख मिल रहा है। जिस सुखराम के लिए आपने लोक सभा नहीं चलने दी, उसको गले लगा लिया। आपको सत्ता चाहिए। (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भामड़ा : ज्ञापन देंगे, सचिवालय तक जाएंगे, इस तरह की घोषणा और फिर सरकार ने जो मंत्रालय में अनुशासनहीनता का परिचय दिया, उसको मद्देनजर रखकर व्यवस्था की। उस व्यवस्था के कारण जो अपने कामों से....

श्री अध्यक्ष : कृपया व्यवधान अंकित नहीं होगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कि व्यवधान अंकित नहीं होगा। विराजें आप। अंकित नहीं हो रहा है।

श्री हरिशंकर भामड़ा : बुढ़ापे के कारण वे गिर गये, उसको लेकर इतना हल्ला मचाया गया, तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य, उसको लेकर इतना हल्ला मचाया गया। जब आप आन्दोलन करते हो तो आन्दोलन की विभिषिका को सहने की शक्ति भी होनी चाहिए। आन्दोलन भी करेंगे और रोएंगे भी, दो काम नहीं चलेंगे। आन्दोलन करते हो, उसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। यह हमने कभी नहीं किया। मान्यवर, इसी विधान सभा में प्रतिपक्ष के नेता भैरोंसिंह जी चालीस साल रहे, इन्होंने बहुत कहा, इस विधान सभा को गुंजा कर रखा लेकिन सारा काम योजनाबद्ध तरीके से होता था। विधान सभा में जो भी कार्यवाही करनी है, नियंत्रित होती थी। पहले तय करके आते थे कि आज हमको काम नहीं करने देना है, तय करके आते और समय एक घंटा। एक घंटे के बाद सब चुप। जिसको बोलना है, उनको बोलनी, उसके सिवाय कोई बोल नहीं सकता था। लेकिन आज क्या स्थिति हो गई ?

श्री जगदीप धनखड़ : × × ×

श्री हरिशंकर भामड़ा : आज प्रतिपक्ष का नियंत्रण नहीं, उनके सदस्य अपने नेताओं की बात सुनते नहीं, अध्यक्ष के आदेशों की अवहेलना करते हैं। बार-बार वैल में आ जाते थे, व्यक्तिगत रूप से वाक-आउट करते हैं—(व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : × × ×

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : × × ×

श्री हरिशंकर भामड़ा : इस सदन की मर्यादा और अध्यक्ष के इस पद की मर्यादा मुझे बताइये, बार-बार वैल में आने से पवित्रता कैसे रहेगी ?.. (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : × × ×

श्री हरिशंकर भामड़ा : जरा-जरा-सी बात पर कोई माननीय सदस्य आ गया। इतना ही नहीं, इन्हीं प्रतिपक्ष के लोगों ने इस सदन में मारपीट की है जो कभी नहीं हुआ। ऐसा दृश्य उपस्थित किया जो राजस्थान विधान सभा में कभी नहीं हुआ। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : × × ×

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : × × ×

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(186)

श्री हरिशंकर भामड़ा : हम शांत और चुप बैठे रहें, इसी सदन में.... (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : ×××

श्री हरिसिंह (महुआ) : ×××

श्री राजेन्द्र पारीक : ×××

श्री हरिशंकर भामड़ा : मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहता हूं।

श्री जगदीप धनखड़ : ×××

श्री खेतसिंह राठौड़ : ×××

श्री हरिशंकर भामड़ा : कल सवाल चन्दनमल जी बैंद (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : ×××

श्री हरिशंकर भामड़ा : I an not yielding. अध्यक्ष महोदय, चन्दनमलजी बैद को लेकर कुछ माननीय सदस्य, उनकी मूर्ति को लेकर यहां बैठे ...

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : ×××

श्री जगदीप धनखड़ : ×××

श्री हरिशंकर भामड़ा : मुझे विश्वास है कि दस साल तक ना तो तारानगर से आने वाले चन्दनमल जी को कभी चिंता हुई, न कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता को कभी चिंता हुई।

श्री जगदीप धनखड़ : ×××

श्री हरिशंकर भामड़ा : बल्कि इनमें से अधिकांश तो जानते भी नहीं हैं कि चन्दनमल बैद हैं कौन। इसलिए उनकी मूर्ति किसलिए लगाई जा रही है; यह पता भी नहीं है, उन्होंने कभी देखा भी नहीं उनको। लेकिन जब उनको पता लगा कि हमारे प्रयासों से राज्य सरकार उनकी मूर्ति लगाने जा रही है तो उसी का फायदा उठाकर, इसका राजनीतिकरण करके और राजनीतिक लाभ उठाने के लिहाज से... (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : ×××

श्री अध्यक्ष : नहीं, इजाजत नहीं दे रहा हूं। विराजिये, इजाजत नहीं दूंगा।

श्री हरिशंकर भामड़ा : स्वतन्त्र सेनानियों के पक्ष में इन्होंने बहुत कुछ कहा ... (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : ×××

श्री हरिशंकर भामड़ा : आज भी कांग्रेस के राज को कोसते हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी, अब आप देखिये, सन् 1942 में स्वतन्त्रता आंदोलन में मैं उस आंदोलन में शरीक हुआ और .. (व्यवधान) ... सन् 1962 तक आज के कांग्रेस के जो नेता जागीरदार और राजा बने हुए बैठे थे वे आज सफेद टोपी लगाकर (व्यवधान) ....जो किसानों का शोषण करते थे, जो जनता पर अत्याचार करते थे वे आज सफेद टोपी लगाकर और जिन्होंने आजादी के आंदोलन में भाग लिया.... (व्यवधान)....

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : ×××

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री जगदीप धनखड़ : × × ×

श्री राजेन्द्र पारीक : × × ×

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : × × ×

श्री हरिशंकर भाभड़ा : जनता ने इनको पहचान लिया (व्यवधान)... आपने मुझे जो समय दिया उसके लिए बहुत–बहुत धन्यवाद ।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : × × ×

श्री राजेन्द्र पारीक : × × ×

श्री जगदीप धनखड़ : × × ×

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : × × ×

श्री अध्यक्ष : कृपया बिराजें ।

श्री जगदीप धनखड़ : × × ×

श्री परसादीलाल मीणा : × × ×

श्री राजेन्द्र पारीक : × × ×

श्री अध्यक्ष : सुनिये । कृपया विराजें ।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : × × ×

श्री अध्यक्ष : उन्होंने अपनी बात कह दी, कृपया बिराजें । अब विराजें आप । आसन पैरों पर । माननीय, आप बिराजें कृपया ।

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि ...

श्री अध्यक्ष : सवाल पूछ रहे हैं कि क्या कर रहे हैं ?

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि माननीय राजेन्द्र जी पारीक ने जो प्रश्न छोड़ रखा है उस पुलिया के सम्बन्ध में आप प्रस्ताव भेजेंगे या नहीं ?

दूसरा मेरा सवाल है, माननीय टिब्बी से आने वाली सदस्या ने कल 29 तारीख को आत्मदाह की धमकी दी है, क्या उनकी सेम की समस्या के बारे में; आसन ने भी व्यवस्था दी है कि उनकी समस्या का समाधान करे, क्या वे 29 तारीख को आत्महत्या करेंगी ? सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की ?

श्री अध्यक्ष : अब आप विराज जाएं । माननीय सदस्य, पूनमचन्द जी बोल रहे हैं ।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, उप मुख्य मंत्री ने एक मिथ्या कथन किया....

श्री अध्यक्ष : वह निकाल दिया, निकाल रखा है, निकाल देंगे ।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : हमने इस सदन में मांग की थी । मैं आपको याद दिला दूं कि 1967 में आपके यहां के विपक्ष के माननीय सदस्य ने यह माइक फेंका और रघुनाथ विश्नोई को यहां लगा, खून बहा यहां पर । वह बात सही है कि गलत है ? वह बता दीजिये । प्रत्यक्षदर्शी हैं, दो तो महानुभाव आगे बैठे हैं ।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये कृपया ।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : सही है कि गलत है ?

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

188

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं उप मुख्य मंत्री से एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूं कि इनके पांच साल के शासन के बारे में ...

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न नहीं है।

श्री जगदीप धनखड़ :... सी. ए. जी. ने इस प्रकार की कठोर आपत्ति की है कि इतनी भ्रष्ट सरकार आज तक नहीं रही जिसके मंत्री भ्रष्ट, अफसर भ्रष्ट, काम नहीं करते हैं। आपने अपने भाषण में कोई संकेत नहीं दिया कि सी.ए.जी. ने आपके कार्यों पर इतनी प्रतिकूल टिप्पणी क्यों की है। आपके मंत्री को भ्रष्ट बताया, अधिकारी को भ्रष्ट बताया और आपकी गतिविधियों को....

श्री अध्यक्ष : बिराजिये कृपया।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, सी.ए.जी. की रिपोर्ट में तो कुछ विभागों के कार्यकलापों के बारे में कहा गया होगा....

श्री अध्यक्ष : वे बोल रहे हैं, सुनिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : लेकिन इस सरकार पर एक भी आरोप आज तक नहीं लग सके और, माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई गुड़ खा गये .

श्री जगदीप धनखड़ :....(व्यवधान).... अधिकारियों पर, अध्यक्ष महोदय, सी.ए.जी की रिपोर्ट के प्रूफ बोलते हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : +++ (व्यवधान) ...लेकिन ऐसे आरोप कभी–भी नहीं लगे, यह इनको याद रखना चाहिए।

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, माननीय सरकारी मुख्य सचेतक ज्ञान नहीं रखते, सी.ए.जी. की रिपोर्ट....

श्री अध्यक्ष : अब आप बैठिये। कृपया माननीय सदस्य। आसन पैरों पर हैं, माननीय सदस्य। किधर देख रहे हैं आप ? इधर देखें।

प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग संख्या–3....

श्री हरिशंकर भामड़ा : मैं प्रस्ताव रख रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 1998 (1998 का विनियोग संख्या-3) को पारित किया जाए।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, परसादी लालजी ने दो सवाल पूछे हैं उन दो के तो जवाब दिलवाए। वनिंग क्वेश्चन हैं... (व्यवधान) आत्मदाह कर रही हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये आप।

श्री जगदीप धनखड़ : आपकी याददाश्त कमजोर है....(व्यवधान) आप भूल गये।

श्री राजेन्द्र चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने प्रश्न छोड़ रखा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न पूछा है, आत्मदाह की धमकी दी है.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सुनिये, आप विचारार्थ आने दीजिये पहले। आप बात सुनिये। आप बात सुनना ही नहीं चाहते। मैं

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री अध्यक्ष)

विचारार्थ तो लूं इसको पहले। आप बाद में बोल सकते हैं, विचारार्थ लेने दें। माननीय सदस्य, आप समझ नहीं पा रहे हैं, विचारार्थ ले रहा हूं।

प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या–3) विधेयक, 1998 को विचारार्थ लिया जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री हरिशंकर भामड़ा, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान विनियोग संख्या–3 विधेयक, 1998 को पारित किया जाए।

विधेयक का पारण

श्री हरिशंकर भामड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या–3) विधेयक, 1998 (1998 का विधेयक संख्या–3) को पारित किया जाए।

श्री परसादीलाल मीणा : मैंने दो सवाल सदन के सामने रखे हैं....

श्री राजेन्द्र चौधरी : अध्यक्ष महोदय, ..

श्री अध्यक्ष : अध्यक्ष किस–किस की सुने ? मैं निवेदन करना चाहता हूं, राजेन्द्र जी, एक तो बोला करें।

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, दो सवाल माननीय वित्त मंत्री जी के सामने रखें हैं।

श्री अध्यक्ष : नाम मेरे पास हैं ही नहीं, आप नाम दे दीजिये। मैं नाम बोलूंगा।

श्री परसादीलाल मीणा : नहीं, टिब्बी से आने वाली सदस्या ने यह कहा था कि अगर मेरी सेम की समस्या 29 तारीख तक समाधान नहीं हुआ तो मैं 29 तारीख को ही आत्मदाह करूंगी। दूसरा यह था कि हमारे माननीय सदस्य वापस भी यह चाह रहे हैं कि आप सीकर की पुलिया का प्रस्ताव भारत सरकार में रेल मंत्रालय को भिजवा दें, उसके लिए चतुर्वेदी जी या इनका विभाग सहमत है ? दो सवाल पूछ रहा हूं, मैं।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उप मुख्य मंत्री से मैं दो सवाल पूछना चाहता हूं। मान्यवर, भारत के संविधान में एक व्यवस्था है, संवैधानिक पद है सी.ए.जी. और राज्य सरकारों के काम–काज के ऊपर सी.ए.जी. अपना अंकुश रखती है, लेखों–जोखों का वह पूरा ध्यान देती है और एक ऐसी रिपोर्ट विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत की जाती है जिससे पूरा आकलन हमारे सामने आता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सी.ए.जी. ने तीन रिपोर्ट प्रस्तुत कर कर पांच साल का लेखा जोखा हमारे समक्ष रखा है। वह आपने हमारे को भिजवाया है। उन सी.ए.जी. की रिपोर्ट्स में पांच साल के दौरान इस सरकार की गतिविधियों पर भयंकर आपत्ति की गई है और यह कहा गया है कि कपटपूर्ण कृत्य किया इन्होंने। मैं शब्द यूज नहीं कर रहा हूं, सी.ए.जी. ने किया। सी. ए. जी. ने कहा कि फ्राउडेंट ट्रांजेक्शंस हैं। सी.ए.जी. ने कहा कि मंत्रीगण ऐसे काम

(श्री जगदीप धनखड़)

करते हैं कि इनके ऊपर लाखों रुपये बकाया हैं, इनको देने चाहिए। माननीय चतुर्वेदी जी पर भी हैं। अधिकारी हैं वे टेण्डर के अन्दर गड़बड़ी करते हैं। करोड़ों की हेरा-फेरी है। सी.ए.जी. ने ..

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : क्या मंत्री गण बताया है ?

श्री जगदीप धनखड़ : सुनिये-सुनिये 'बात'।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मंत्रीगण पर क्या किया है ?

श्री जगदीप धनखड़ : मंत्रियों पर सी.ए.जी. की रिपोर्ट हैं यहां ..

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : हां तो मंत्रीगण पर किया है ? क्या बात कर रहे हैं ? विभाग पर अगर कोई बात हुई है.... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : (व्यवधान) ... आप के खुद पर बकाया है 25हजार रुपये का। मस्टररोल अधिक बनाया, उसके 25 हजार बकाया हैं।

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं भावना समझता हूं। अधिकारियों और मंत्रियों पर 46 लाख रुपये

श्री अध्यक्ष : नहीं, आप कुछ कहना नहीं चाहते, आप केवल व्यवधान डालना चाहते हैं। अपनी बात कहना नहीं चाहते हैं, व्यवधान डालना चाहते हैं आप। सुनिये आप।

प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या–3) विधेयक, 1998 को पारित किया जाए ?

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (संख्या–3) विधेयक, 1998 को पारित किया गया।

सदन की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 29 जुलाई, 1998 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 19.30 बजे बुधवार; 29 जुलाई, 1998 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या 326 का विवरण)

परिशिष्ट–1

सहायक कृषि अधिकारी, कापरेन, सी. ए. डी., बूंदी क्षेत्र में दर्ज आयोजित किये गये प्रदर्शनों का ग्रामवार कृषि पर्यवेक्षकवार विवरण

वर्ष–1994–95

क्रम सं.	कृषि पर्यवेक्षक क्षेत्र	गांव का नाम	फसल	किस्म	क्षेत्र (है.)	लाभान्वित कृषक सं.	अनुदान राशि रु.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	कापरेन	बालापुरा	सोयाबीन	जेएस75	5	5	9000
		कापरेन	–46		5	5	9000
		हाडमाखेड़ा	मक्का	अ. टाल	0.2	1	90
		बालापुरा	,,		0.2	1	90
		अरनियां	रिजका	टी–9	0.2	1	250
		हीरापुर	,,		0.2	1	250
2.	कापरेन स्टेशन	आजन्दा	बरसीम	जेबी–1	0.2	1	232
		बोयाखेड़ा	,,		0.2	1	232
		कापरेन स्टेशन	,,		0.2	1	232
		कंवरपुरा	रिजका	टी–9	0.2	1	250
3.	अडीला	अडीला	,,		0.2	1	250
4.	हींगोनियां	—	—		—	—	—
5.	सारसला	अणतपुरा	सोयाबीन	एम–13	7	6	9800
		सारसला	,,		2	2	2800
		समदपुरियां	,,		1	1	1400
		नोताडाबीरज	रिजका	टी–9	0.2	1	250
6.	देहिखेड़ा	धरावन	,,		0.2	1	250
7.	इन्द्रगढ़	रमजपुरा	मूंग	के–851	10	14	9000
		खेड़ली	मक्का	अ.टाल	0.1	1	90

1	2	3	4 5	6	7	8
		मोहनपुरा	मक्का प्र. टाल	0.1	1	90
8.	लबान	लबान	चना पी–267	10	10	14000
		,,	सोयाबीन जेएस 75-46	10	7	18000
9.	झालीजी का बराना —		चना पी–267	10	10	14000
10.	बलवन	चानंन्दा	मक्का प्र.टाल	0.2	1	90
			योग	62.4	74	89649

परिशिष्ट–2

वर्ष–1995–96

क्र. सं	कृषि पर्यवेक्षक क्षेत्र	गांव का नाम	फसल किस्म	क्षेत्र (है.)	लाभान्वित कृषक सं.	अनुदान राशि रु.
1	2	3	4 5	6	7	8
1.	कापरेन	कापरेन	सोयाबीन पीके472	5	5	9000
		थडीज	चरी एमपी चरी	0.4	2	322
		ग्ररनियां	धान पी–1	2	5	3950
		,,	एमपी चरी	0.2	1	161
2.	कापरेन स्टेशन	ग्राजन्दा	सोयाबीन पीके-472	5	4	9000
		कंवरपुरा	धान पी–1	2	5	3950
		,,	एमपी चरी	0.2	1	161
3.	ग्रडीला	बोरदा	सोयाबीन पीके-472	5	5	9000
		ग्रडीला	मूंग के–851	5	5	4500
		,,	धान पी–1	2	5	3950
		बलकासा	चना पी–209	5	5	7000
		भिन्डी	सरसो पूसा बोल्ड	10	10	8000
4.	हिंगोनियां	काली तलाई	पीके–472	4	4	7200
		नया गांव	सोयाबीन पीके-472	1	1	1800

1	2	3	4	5	6	7	8
		हिंगोनियां	एमपी चरी		1	5	805
		,,	चनादाउदयेलो		5	5	7000
		,,	धान पी–1		2	5	3950
		चाडगांव	चना दाउयेलो		5	5	7000
5.	सारसला	डोलर	सोयाबीन पीके-472		5	5	9000
		पीपल्दा	,,		10	10	18000
		समदपुरिया	चना पी–209		5	5	7000
		सारसला	,,		5	5	7000
		,,	धान पी–1		2	5	3950
		,,	चरी		0.8	4	644
6.	देई खेडा	थाटका बराना	सोयाबीन पीके-472		5	5	9000
		देई खेडा	,,		10	8	18000
		मालकपुरा	,,		10	10	18000
				योग	112.6	131	177343

परिशिष्ट–3

वर्ष–1996–97

क्र. सं	कृषि पर्यवेक्षक क्षेत्र	गांव का नाम	फसल	किस्म	क्षेत्र (है.)	लाभान्वित कृषक सं.	अनुदान राशि रु,
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	कापरेन	बालापुरा	मूंग के–851		3	3	2700
		कापरेन	धान पी–1		0 4	1	1000
		हांडियाखेड़ा	सरसों आरएस–30		10	8	8000
		हीरापुर	धान पी–1		0.4	1	1000
		बाजडली	सरसों आरएस–30		10	5	8000
2.	कापरेन स्टेशन	कापरेन स्टेशन	,,		10	10	8000

1	2	3	4	5	6	7	8
		कंवरपुरा	बरसीम	जेबी-1	2.5	25	8625
3.	अडीला	अडीला	धान	पी-1	0.4	1	1000
		,,	चना	दाउदयेलो	5	5	7000
		,,	सरसों	आरएस-30	5	5	3537
		अलकासा	,,	30	5	7	3537
		वारदामाल	,,		5	3	4000
4.	हिंगोनियां	कालीतलाई	मूंग	के-851	22	22	19800
		,,	चना	डीयेलो	5	5	7000
		हिंगोनियां	धान	पी-1	0.4	1	1000
		नया गांव	सरसों	आरएस-30	10	10	8000
5.	सारसला	खेडली	धान	पी-1	0.4	1	1000
		बलोद	सरसों	आरएस-30	10	7	7075
6.	देईखेड़ा	मालकपुरा	,,		10	5	7075
		देईखेडा	मूंग	के-851	5	5	4500
				योग	119.5	128	111849

परिशिष्ट-4

वर्ष 1997-98

क्र. सं.	कृषि पर्यवेक्षक क्षेत्र	गांव का नाम	फसल	किस्म	क्षेत्र (है.)	लाभान्वित कृषक सं.	अनुदान राशि रु.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	कापरेन	कापरेन	अरहर	आईसीपीएल-87	5	5	4500
		,,	सोया.	एम-13	3	3	5400
		हाडियाखेडा	,,		2	2	3600
2.	कापरेन स्टेशन	कंवरपुरा	,,		5	5	9000
		,,	अरहर	आईसीपीएल-87	10	10	9000

1	2	5	4	5 6	7	8
		ईसरदा	अरहर आईसीपीएल	5	5	4500
3.	अडीला	बलकासा	सोया. एम–13	5	5	9000
		,,	चना सी–235	5	6	7000
4.	हिंगोनियां	हिंगोनियां	सोया. एम–13	5	5	9000
		नयागांव	चना सी–235	5	6	7000
5.	सारसला	नोताडाधीरज	सोया. एम–13	5	5	9000
6.	देईखेड़ा	देईखेड़ा	,,	5	5	9000
		बलदेवपुरा	अरहर आईसीपीएल-87	5	5	4500
7.	रोटेदा	रोटेदा	,,	8	8	7200
		झरानियों की झोपड़िया	,,	2	2	1800
			योग	72	75	99500

(196)

परिशिष्ट-2

(तारांकित प्रश्न संख्या 329 का विवरण)

परिशिष्ट- 'अ"

मात्रा— लाख टनों में
राशि— करोड़ रुपयो में

क्र. सं.	नाम जिन्स	वर्ष 1996-97 मात्रा	वर्ष 1996-97 मण्डी शुल्क	वर्ष 1997-98 मात्रा	वर्ष 1997-98 मण्डी शुल्क
1.	सरसों	15.35	26.98	18 06	32.5
2.	सोयाबीन	1.38	2.31	2.69	4.4
3.	मूंगफली	1.5	2.85	2.38	4.1
4.	तिल	0.28	0.75	0.23	0.66
	योग	18.51	32.89	23.36	41.66
5.	अन्य जिन्स	47.70	78.51	50.96	86.85
			111.04		128.51

परिशिष्ट-3

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

जिला बांसवाड़ा में पक्की नहरों का निर्माण

333. श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला बांसवाड़ा में पुराने बांधों की नहरें कच्ची हैं ? यदि हां तो कौन-कौनसी ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कुशलगढ़ क्षेत्र में बियापाड़ा, बिनोरी, राही की गोयका प्रसाद, खुन्दकी नागदा, तालाबों की नहरें कच्ची होने से पानी बेकार चला जाता है ?

(3) क्या सरकार पुराने बांधों की नहरें पक्की कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। संलग्न परिशिष्ट "अ" में प्रत्येक तालाब की कुल नहरों की लम्बाई तथा पक्की एवं कच्ची नहर की लम्बाई अलग-अलग दर्शायी गई है।

(2) जी, नहीं। कच्ची नहरों से पानी काश्तकारों को सिंचाई हेतु उचित मात्रा में उपलब्ध कराया जाता है।

(3) जी, नहीं। बड़े पैमाने पर बांधों नहरों को पक्की करवाने का कार्य के फिलहाल कोई योजना नहीं है। विशेष आवश्यकता पड़ने पर ही किसी बांध के नहरों को पक्की कराये जाने पर विचार किया जा सकता है।

परिशिष्ट "अ"

तालाबों की सूची

क्र.सं.	नाम तालाब	नहरों की कुल लम्बाई (कि.मी.)	कच्ची (पक्की) (कि.मी.)	पक्की (कच्ची) (कि.मी.)
1	2	3	4	5
1.	बारीदानपुर	1.50	1.20	0.30
2.	बरवालामच्छार	1.85	0.90	0.15
3.	बोरखाबर	2.94	1.50	1.44
4.	छापरिया	3.50	2.70	0.80

(198)

1	2	3	4	5
5.	डाबरीमाल	0.90	0.90	—
6.	देवगढ़	0.70	—	0.72
7.	घोडीरोजपुर	1.40	0.95	0.45
8.	मरनीया	1.50	0.90	0.60
9.	लालाहेड़ा	2.22	1.02	1.20
10.	महेशपुरा	1.23	0.50	0.73
11.	नलदा	1.23	1.23	—
12.	मयाटापरा	0.93	—	0.93
13.	रूणिया दानपुर	3.72	1.00	2.72
14.	नाथपुरा खरपाली	0.90	0.20	0.70
15.	सागरिया	1.29	0.90	0.39
16.	ग्रन्देश्वर	2.76	0.76	2.00
17.	भमरीटाण्डी	10.00	8.00	2.08
18.	मुराकुग्रा	2.55	0.50	2.05
19.	पीलडी पिक ग्रप वियर	—	—	—
20.	बियापाड़ा	8.82	2.00	8.82
21.	पत्राखूंटा	3.57	1.57	2.00
22.	छोटीटान्डी	5.70	2.00	3.70
23.	गोयका प्रसाद	5.94	2.94	3 00
24.	मस्का	2.45	0.80	1.65
25.	मगरदा	1.90	0.30	1.60
26.	नयागांव	3.90	2.00	1.90
27.	सज्जनगढ़	1.60	1.10	0.50
28.	टिम्बागछुडी	1.65	0.20	1.45
29.	ग्रखेपुरा	1.80	—	1.80
30.	लडी सरवा	0.99	—	0.99
31.	बल्यास	0.60	0.10	0.50
32.	बिजोरी	1.77	0.50	1.27

1	2	3	4	5
33.	घोडादरा	5.79	3.00	2.79
34.	झाकरीया	0.45	0.45	—
35.	झीकली	1.05	1.05	—
36.	करगदीया	5.28	1.00	4.28
37.	खाना पाड़ा	2.94	2.94	—
38.	खेरीयापाड़ा	1.50	0.50	1.00
39.	नागदा	8.80	5.20	3.60
40.	पाणदा	7.80	2.50	5.30
41.	रामगढ़	0.75	—	0.75
42.	रसोड़ी	0.76	—	0.76
43.	सारन पटेल का नाका	2.40	2.40	—
44.	सुरखुन	1.23	0.23	1.00
45.	सोनारिया	15.32	12.96	2.36
46.	माटीया	1.45	1.00	0.45
47.	बोरदा	6.12	2.50	3.62
48.	बोरपी केरिंग	3.96	3.96	—
49	छापरों का नाका	0.54	0 54	—
50.	चुन्डाई	2.70	1.80	0.90
51.	दुदकाना	4.87	1.90	2.97
52.	गोरखा	3.08	2.60	0.50
53.	जगपुरा	3.93	2.60	1.33
54.	खाटीया	4.35	3.00	1.35
55.	चुण्डला	2.22	1.00	1.22
56.	महुवाल भूंगड़ा	2.57	1.00	1.57
57.	महुबाल देलवाढ़ा	1.17	0.80	0.37
58.	मेमखोर	9.44	0.75	0.69
59.	नया तालाब भूंगड़ा	0.10	—	0.10
60.	पाछड़ा	1.22	0.50	0.72
61,	फाटा	3.30	2.40	0.90

1	2	3	4	5
62.	श्यामपुरा	3.19	0.50	2.69
63.	सोमपुर	0.40	0.36	0.40
64.	आर्यापाड़ा	1.08	0.35	0.73
65.	आमलीखेड़ा	8.31	6.00	1.51
66.	छगलावानी	7.63	5.24	2.29
67.	लाम्बाटाबरा	4.50	3.700	0.800
68.	मेल	12.72	1.73	10.99
69.	मोरवानीया	2.80	2.80	—
70.	सागबारी	6.00	2.00	4.00
71.	रोछलपुर	1.83	1.83	—
72.	आम्या	4.10	0.50	3.60
73.	बारीगामा	3.93	3.50	0.43
74.	बछीयाला	5.00	0.50	4.50
75.	मवरीया	3.75	0.50	3.25
76.	मुवानपुरा	2.00	0.50	1.50
77.	घुड़वा	3.50	1.00	2.50
78	परखनी पिकअपवियर	0.76	0.20	0.56
79.	घिरोला	2.00	8.50	1.50
80.	गागडतलाई	3.20	0.70	2.50
81.	पेर	2.34	2.34	—
82.	काणलीया	1.00	0.50	0.50
83.	करजी	1.00	0.50	0.50
84.	खोडालीम	0.90	—	0.90
85.	रामकामुन्ना	0.90	—	0.90
86.	सालीया	1.38	0.38	1.00
87.	शेरगढ़ खून्टा	2.80	0.50	2.30
88.	सुन्द्राव	1.30	0.30	1.00
89.	परेठ	4.34	2.00	2.34
90.	बमरेला	0.54	—	0.54
91.	मखोरा	13.56	1.77	11.79
92.	गमेला अरधुना	0.93	—	0.93

1	2	3	4	5
93	करेटा	0.60	—	0.60
94.	फुटन	11.67	1.35	10.32
95.	रामोर बस्सी	3.15	0.15	3.00
96.	सिगोडीया	0.21	—	0.21
97.	सुरवानिया	2.60	—	2.60
98.	बजवाना	2.00	2.00	—
99.	कोहाला	1.50	1.50	—
100.	पातेला	4.00	—	4.00
101.	पलवारिया	1.50	—	1.50
102.	कुशलपुरा	2.00	2.00	—
103.	ममोटिया	1.00	1.00	—
104.	मीमसोर	1.50	1.50	—
105.	कुण्डी का नाका	4.00	3.00	1.00
106.	पातेला	2.00	1.50	0.50
107.	पारीवाल	1.00	1.00	—
108.	गमेला (बोरी)	0.93	—	0.93
109.	मादलदा (गमेला)	1.00	1.00	—
110.	मण्डार	2.20	2.20	—
111.	बागीदसेरा टेंक	2.00	1.950	0.05
112,	राखी टेंक	1– 7.50	—	7.50
		2– 4 50	—	4.50
113.	चोखला टेंक	2.00	2.00	—
114.	बोंसला टेंक	0.50	—	0.50
115.	नोगामा टेंक	1– 0.300	0.300	—
		2– 1.50	0.90	0.60
116.	पिन्डारमा टेंक	2.00 बांयी तरफ	1.94	0.06
117.	कूपड़ा तालाब	0.800 मी.	0.800	—
118.	गोरडी तालाब म–	300 मी. लम्बी बांई नहर	300 मी.	—

202

1	2	3	4	5
	ब–	500 मी. लम्बी दाईं नहर	500 मी.	—
119.	लोटा तालाब अ–	200 मी. लम्बी बाईं नहर	200 मी.	—
120.	हारो बांध मुख्य नहर	—	20.34	20.34
	बेवदा माइनर	1.00	1.26	2.26
	ओडवाडिया माइनर	1.20	—	1.20
	घोटिया माइनर	1.50	—	1.50
	पडोली माइनर	—	2.35	2.35
	जेदला माइनर	2.70	—	2.70
121.	मोरडी तालाब			
	बाईं नहर	0.75	—	0.75
	दाईं नहर	0.515	—	0.515
122.	बनाला तालाब नहर	1.53	—	1.53
123.	पडोली तालाब दाईं नहर	0.500	0.330	0.830
	बाईं नहर	0.450	0.330	0.79
124.	सेनावासा तालाब			1.30
	बाईं नहर	1.00	—	
	दाईं नहर	0.75	—	0.75
125.	मेतवाला तालाब			
	दाईं नहर	1.65	—	1.65
	बाईं नहर	1.20	—	1.20
126.	राम तालाब बाईं नहर	0.93	—	0.930
	दाईं नहर	0.96	—	0.960

1	2	3	4	5
127.	चन्दूजी का गढ़ा	0.600	—	0.600
128.	भीमपुर तालाब	1.50	1.00	2.50
129.	सुन्दनी तालाब	1.50	1.50	3.00
130.	लोहारिया	—	3.00	3 00
131.	गलोडा तालाब			
132.	लसाडा तालाब	2.800	0.200	3.00
133.	देलवाड़ा तालाब			
	दाईं नहर	3.00	—	3.00
	बाईं नहर	1.800	—	1.800
134.	मकनपुरा तालाब दाईं	2.00	—	2.00
	बाईं नहर	4.50	—	4.50
135.	दूदू का तालाब	3.00	—	3.00

स्वच्छ परियोजना उदयपुर द्वारा व्यय

334. **श्री नारायणलाल** (लसाड़िया): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जनवरी, 1988 से जून, 1988 तक की अवधि में स्वच्छ परियोजना–उदयपुर में कितने विदेशी कहां–कहां, किस प्रयोजन से गये तथा उन पर कितना व्यय हुआ ? बिलों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या स्वच्छ परियोजना–उदयपुर द्वारा दिनांक 26 दिसम्बर, 1997 को लेक पैलेस होटल, उदयपुर में भोज का आयोजन किया गया था ? उक्त भोज का औचित्य क्या था और उसमें भाग लेने वाले कौन–कौन सदस्य थे और कितना व्यय हुआ ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जनवरी 1998 से जून 1998 तक की अवधि में राजस्थान सरकार के निमंत्रण पर विश्व बैंक का 5 सदस्यों का दल उदयपुर आया। इनके साथ विशिष्ठ शासन सचिव (प्लान) भी थे। उन्हें स्वच्छ परियोजना उदयपुर के कार्य क्षेत्र उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, क्षेत्र के वर्षा के व्यर्थ बह कर जाने वाले जल के उपयोग के लिए बनाई गई जलग्रहण योजना के कम्प्यूटरीकृत प्रस्तुतीकरण हेतु विजिट करवाई गई। विश्व

204

(राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास)

बैंक द्वारा स्वीकृत आई. पी. पी. नवम् के तहत स्वच्छ परियोजना को राजस्थान के सुदूर 4 जिलों बाड़मेर, जैसलमेर, धौलपुर एवं झालावाड़ में चल रहे कार्यो को भी उन्हें कम्प्यूटरीकृत प्रस्तुतीकरण द्वारा जानकारी प्रदान की गई।

विश्व बैंक के दल के राजस्थान व उदयपुर भ्रमण के अवसर पर स्वच्छ परियोजना द्वारा इस उचित अवसर पर आगे के लिए इस क्षेत्र के लिये सरकार एवं स्वच्छ परियोजना के समन्वय द्वारा किस प्रकार विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा सकता है। इस विषय पर चर्चा की गई। राज्य सरकार के आदेशानुसार इस दल के लिए वाहन एवं भोजन आदि की व्यवस्था स्वच्छ परियोजना द्वारा की गई एवं इस पर 41737 रुपये खर्च हुये। बिल की प्रतियां संलग्न है।

(2) स्वच्छ द्वारा जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में जन कल्याणकारी कार्यक्रमों यथा फ्लोराईड नियंत्रण दस्तकारी एवं शिल्पकारी प्रशिक्षण आदि योजनाओं की स्वीकृति हेतु कंपार्ट (एन.जी.ओ.) को प्रस्ताव प्रेषित किये गये थे, कंपार्ट के महा निदेशक श्री एन. रामजी द्वारा स्वच्छ परियोजना की विजिट की गयी तथा परियोजना को ग्राम श्रीमेला 98 आयोजित करने हेतु स्वीकृति प्रदान की। इस ग्राम श्रीमेला 98 के सफल क्रियान्विति हेतु विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करने हेतु दिनांक 27-12-97 को होटल लेक पैलेस, उदयपुर में स्वच्छ द्वारा भोजन का आयोजन किया गया था जिस पर रुपये 9,600/– व्यय किया गया। कपार्ट द्वारा उक्त व्यय का स्वच्छ को पुनंभरण कर दिया गया है, भोज में भाग लेने वाले सदस्यों की सूची परिशिष्ट "ए" पर संलग्न है।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

परिशिष्ट "ए"

दिनांक 27–12–97 को स्वच्छ द्वारा आयोजित भोज में सम्मिलित सदस्यों की सूची

1. श्री एन. रामजी, महानिदेशक, कपार्ट
2. श्री सी. एम. मीणा, संभागीय एवं जनजाति विकास आयुक्त
3. श्री के. एल. बैरवा, डी.आई.जी. उदयपुर
4. श्री मधुकर गुप्ता, निदेशक, स्वच्छ
5. श्रीमत पाण्डे, जिला कलेक्टर, उदयपुर
6. श्रीमती किरण सोनी गुप्ता, कलेक्टर, राजसमन्द
7. श्री हेमन्त पुरोहित पुलिस अधीक्षक, उदयपुर।
8. श्री एच. के. डामोर, अतिरिक्त आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग
9. श्री डी. आर. मीणा, अतिरिक्त कलेक्टर (विकास) उदयपुर
10. श्री जे. सी. मोहन्ति, महानिदेशक, स्टाम्पस एवं रजिस्ट्रेशन, अजमेर
11. सुश्री प्रिया गुहा, उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा, उदयपुर
12. श्री के. एल. मीणा उपखण्ड अधिकारी, बल्लभनगर, उदयपुर

ग्राम खिदरत (जोधपुर) का विद्युतीकरण

335. **श्री पूनमचन्द विश्नोई** (फलौदी): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति बाप जिला जोधपुर का ग्राम खिदरत जिले का अन्तिम ग्राम है ? क्या उक्त ग्राम को विद्युतीकृत करने का मामला लम्बे समय से विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब से ?

(2) क्या सरकार उक्त गांव को शीघ्र विद्युतीकृत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति, बाप जिला जोधपुर का ग्राम खिदरत जिले के अन्तिम छोर पर आया है । खिदरत ग्राम 1991 की जनगणना पुस्तिका के अनुसार ग्राम कार्नसिह की सीड से अलग होकर नया राजस्व ग्राम सृजित हुआ है । चूंकि यह ग्राम मूल विद्युतीकृत ग्राम कार्नसिह की सीड से अलग होकर बना है । अतः नियमों के अन्तर्गत यह भी स्वतः ही विद्युतीकृत घोषित माना गया है । उक्त ग्राम को पंचायत समिति की स्वीकृत ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, ओ. ए. स्कीम के अन्तर्गत माह मार्च, 1997 में सम्मिलित कर लिया गया है ।

(2) जी, हां । ग्राम खिदरत पूर्व में विद्युतीकृत ग्राम कार्नसिह की सीड का भाग है । अतः यह भी विद्युतीकृत घोषित है तथा इस ग्राम में आवेदन पत्र प्राप्त होने पर कनेक्शन दिये जाने की प्रक्रिया के अन्तर्गत विद्युत तंत्र का विस्तार कर कार्यवाही की जायेगी । वर्तमान में उक्त ग्राम में कोई भी आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को परिवर्तित नियमों के तहत नियुक्ति

336. **श्री उगमराज मेहता** (ब्यावर) : क्या मुख्य (कार्मिक) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को नियुक्ति हेतु नियम, 1996 में जारी किया गया था ? उक्त आदेश जारी होने से पूर्व ऐसे राज्य कर्मचारी जिसकी मृत्यु पूर्व में ही हो चुकी थी तथा मृतक राज्य कर्मचारी के आश्रित नियम 1975 के तहत नियुक्ति पाने के हकदार थे और आश्रित के वयस्क होने तक आवेदन नहीं किया था एवं 45 दिन की अवधि पूर्ण हो चुकी थी, को इन नियमों के तहत नियुक्ति देने के सम्बन्ध में सरकार का क्या विचार है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) वर्तमान में सरकार के पास इस तरह के कितने प्रकरण विचाराधीन हैं तथा उन पर सरकार क्या निर्णय ले रही हैं विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी, हां । राजस्थान मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 दिनांक 31. 12. 96 से प्रभाव में आये है ।

(मुख्य (कार्मिक) मंत्री)

उक्त आदेश जारी होने से पूर्व के मृत राज्य कर्मचारी के पात्र आश्रित द्वारा यदि 31. 12. 96 तक इस आशय का आवेदन, चाहे सादे कागज पर ही, प्रस्तुत कर दिया था कि मृतक के अमुक अवयस्क आश्रित को उसके व्यस्क होने पर नियुक्ति दी जावे, तो ऐसे मामलों में वयस्कता प्राप्त करते ही आवेदक आश्रित को राजस्थान राज्य मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के प्रावधानान्तर्गत नियुक्ति दिये जाने पर विचार किया जाता है।

दिनांक 31. 12. 96 तक भी पूर्व के किसी प्रकरण में यदि आवेदन नहीं किया गया था तो ऐसे प्रकरण में केवल वयस्क आश्रित ही 45 दिवस की अवधि में आवेदन का पात्र रह गया और अवयस्क की पात्रता समाप्त हो गई।

ऐसे अवयस्क आवेदकों को नियुक्ति देने का राज्य सरकार का कोई विचार नहीं है, क्योंकि 1996 के नियमों में केवल वयस्क आश्रित ही नियुक्ति का पात्र है, अवयस्क नहीं। यदि पूर्व के किसी अवयस्क आश्रित को जिसने दिनांक 31. 12. 96 तक भी आवेदन नहीं किया था, अब नियुक्ति दी जाएगी तो वह दिनांक 31. 12. 96 के पश्चात् के मृतक कर्मचारियों के अवयस्क आश्रितों के साथ भेद-भाव होगा।

(2) वर्तमान में राज्य सरकार (कार्मिक विभाग) के पास ऐसा कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है।

सवाईमाधोपुर में खाद/बीज की दोषपूर्ण वितरण व्यवस्था

337. श्री हीरालाल (बामनवास): क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार द्वारा जिला सवाई माधोपुर में वर्ष 1991 से 1998 तक किस-किस मद पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई ?

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा दिये जाने वाले खाद, बीज, दवाईयां, किसानों तक नहीं पहुंचती एवं बाजार में बिकती हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार, खाद, बीज व दवाईयों के लिए निविदा आमन्त्रित कर खरीद करती है या बिना निविदा के ही खरीद की जाती है ? क्या उक्त खरीद के मामले में सरकार को लाखों रुपयों का नुकसान पहुंचाया जा रहा है ? क्या सरकार उक्त प्रकरणों की जांच करवाना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) कृषि विभाग की सूचना परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग की 'सूचना' परिशिष्ट 2 पर संलग्न है तथा उद्यान विभाग की सूचना परिशिष्ट 3 पर संलग्न है।

(2) जी, नहीं।

(3) कृषि विभाग खाद, बीज व दवाइयों की खरीद नहीं करता है। केवल तकनीक

(राज्य मंत्री, कृषि)

हस्तानान्तरण हेतु खाद, बीज व दवाईयां सरकारी एवं सहकारी संस्थाओं से प्रदर्शन एवं मिनिकिट ट्रायल आयोजन हेतु खरीद कर किसानों को उपलब्ध कराई जाती है।

जल ग्रहण विभाग प्रदर्शनों हेतु खाद बीज राजकीय सरकारी संस्थाओं (राज-फैड) आउटलेट, राजस्थान स्टेट एग्रो इण्ड-स्ट्रीज कारपोरेशन) के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित दरों पर क्रय किये जाते हैं। सरकारी संस्थाओं में खाद, बीज और दवाईयां उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में नियमानुसार निविदाएं आमन्त्रित कर क्रय किये जाते हैं जिसमें राज्य सरकार को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। अतः जांच की आवश्यकता नहीं है।

उद्यान विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों में कृषकों को जिला सवाईमाधोपुर में परमिट पर खाद क्रय-विक्रय सहकारी संस्था/ग्राम सेवा सहकारी समितियों से, बीज-राजस्थान राज्य बीज निगम व राष्ट्रीय बीज निगम से तथा विभिन्न पौध संरक्षण दवाइयां क्रय-विक्रय सहकारी संस्था/ग्राम सेवा सहकारी समितियों से क्रय कर वितरित की जाती है।

परिशिष्ट-1

जिला सवाईमाधोपुर में वर्ष 1991 से 1998 तक मदवार खर्च की गई राशि का विवरण निम्न प्रकार है

वर्ष	तिलहन उत्पादन कार्यक्रम	राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम	राज्य योजना	समन्वित अनाज विकास कार्यक्रम	के. प्र. योजना भूमि विकास परियोजना	अन्य
1	2	3	4	5	6	7
91-92	497309	284814	430097	10099	160576	129477
92-93	657690	168529	441485	—	165230	99953
93-94	1430490	329760	366210	—	164839	80002
94-95	1781524	311760	1141179	13800	354612	51560
95-96	3998914	3668869	3117673	812982	221200	—
96-97	3279820	4251594	4921372	1338464	297900	—
97-98	1063402	1728609	2348749	1449561	67420	—
योग	12709149	10743935	12966765	3624906	1431777	360992

परिशिष्ट–2

सवाईमाधोपुर जिले में—योजनावार (मद) वर्ष 1991 से 1998 तक व्यय की राशि का विवरण

क्र. सं.	योजना (मद)	वर्ष 90–91	91–92	92–93	93–94	94–95	95–96	96–97	97–98	योग
1.	राष्ट्रीय जल ग्रहण क्षेत्र	3.31	24.39	50.96	61.30	92.63	100.2	81.21	46.56	460.38
2.	डी. पी. ए. पी.	—	—	6.80	15.93	26.60	50.89	3.484	21.92	102.898
3.	आश्वासित रोजगार योजना	—	—	—	—	—	—	6.87	30.21	37.08
4.	जे. आर. वाई.	—	—	0.93	6.33	9.10	1.20	—	—	17.56
5.	निबंध योजना	—	—	4.76	1.13	—	—	—	—	5.89
6.	माडी योजना	5.15	1.65	0.39	1.95	0.67	1.50	—	0 61	11.92

210

परिशिष्ट—3

जिला सवाईमाधोपुर में उद्यान विभाग द्वारा वर्ष 1994–95 (जुलाई 94) से 1997–98 (मार्च 98) तक विभिन्न मदों में व्यय की गई राशि का वर्ष वार विवरण

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	मद/योजना	लेखा शीर्ष	94–95	95–96	96–97	97–98	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	2401—फसल कृषि कर्म 119 बागवानी एवं वनस्पति फसले, II-बागवानी का विकास, (आयोजना भिन्न)	1. सवेतन	1.46	1 84	2.45	2.18	7.93
		2. यात्रा व्यय	0 06	0.04	0.03	0.06	0.19
		3. चिकित्सा व्यय	0.04	0.03	0.02	0.02	0.11
		4. कार्यालय व्यय	0.60	0.05	0.05	0.00	0.16
	योग योजना भिन्न		1.62	1.96	2.55	2.26	8.39
2.	2401—फसल कृषि कर्म 119 बागवानी एवं वनस्पति फसले II—बागवानी का विकास, (आयोजना)	1. संवेतन	3.13	8.23	10 87	13.04	35.27
		2. यात्रा व्यय	0.35	0.22	0.27	0.37	1.21
		3. चिकित्सा व्यय	0.10	0.09	0.15	0.15	0.49
		4. कार्यालय व्यय	0.29	0 33	0.18	0.22	1.02
		5. किराया करे एवं दरें	0.00	0.15	0.18	0.18	0.51
		6. सामग्री एवं प्रदाय	0.00	0.13	0.00	0.00	0.13
		7. सहायतार्थ एवं अनुदान	0.42	0.59	0.055	0.66	1.725

1	2	3	4	5	6	7	8
		8. अन्य प्रसार	0.00	0.08	0.00	0.00	0 08
		9. वाहन किराया	0.00	0.20	0.17	0.43	0 80
	योग राज्य आयोजना		4.29	10.02	11.875	15.05	41 235
3.	2401—फसल कृषिकर्म 800—अन्य व्यय	1. विज्ञापन/प्रचार	0.17	0.35	0.20	0.29	1.01
	(iv) कृषि विकास परियोजना	2. प्रशिक्षण व्यय	0.87	2.13	0.66	0 90	4 56
	ii उद्यान विभाग कार्यक्रम	3. नर्सरी प्रोजनी प्रदर्शन	0.53	3.76	2.42	2.88	9.59
	(आयोजना)	4. फलदार पौधों का वितरण	0.75	1.95	1.27	3.47	7.44
		5. बागवानी का विकास	0.00	0.60	2.83	0.00	3.43
	योग कृषि विकास परियोजना		2.32	8.79	7.38	7.54	26.03
4.	2401—फसल कृषि कर्म	(vii) ग्रामीण क्षेत्रों में पोषाहार बगीचों की स्थापना	0.00	0.13	0.71	0.25	1.09
	119-बागवानी एवं वनस्पति फसले	(viii) मसाला विकास	0.00	2.14	1.52	3.67	7.33
	(केन्द्रीय प्रवर्तित योजना)	(ix) फल एवं सब्जी उत्पादन	0.00	0.26	0.60	0.20	1.06
		(x) शुष्क क्षेत्रों में फलों का समेकित विकास	0.79	0.83	1.40	1.02	4.04

211

1	2	3	4	5	6	7	8
		(xi) ड्रिप इरिगेशन 90 प्रतिशत हिस्सा भारत सरकार	0.15	0.72	0.505	2.18	3.555
		(xvi) पान की खेती	0.00	0.00	0.41	0.00	0.41
योग केन्द्रीय प्रवर्तित योजना			0.94	4.08	5.145	7.32	17.485
कुल योग संस्थापन व्यय			5.49	11.31	14.37	16.65	47.82
कुल योग उद्यानिकी विकास कार्य			3.68	13.54	12.58	15.52	45.32
महायोग			9.17	24.85	26.95	32.17	93.14

तहसील शेरगढ़ के प्राथमिक विद्यालयों का क्रमोन्नयन

338. **श्री खेतसिंह राठौड़** (शेरगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि पंचायत मुख्यालयों की प्राथमिक शालाओं को उच्च प्राथमिक शालाओं में क्रमोन्नत कर दिया जायेगा ? यदि हां, तो यह निर्णय कब लिया गया ? क्या ऐसी पंचायतों को सभी प्राथमिक शालाओं को क्रमोन्नत कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार शेरगढ़ तहसील की देवराजगढ़, डेटिया, हिम्मतपुरा, चुतरपुरा, मालूरतनगढ़, ढाढनिया, भामला एवं भीम सागर पंचायत के प्राथमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ? इन्हें अब कब तक क्रमोन्नत कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी, नहीं। वर्ष 1996–97 में राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में कम से कम एक उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया था। निर्णयानुसार राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में उच्च प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है।

(2) शेरगढ़ तहसील की चुतरपुरा एवं ढाढनिया–भामला के प्राथमिक विद्यालयों को क्रमशः वर्ष 1995–96 व 1997–98 में उच्च प्राथमिक स्तर में क्रमोन्नत किया जा चुका है।

वर्ष 1998–99 में 100 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने का लक्ष्य रखा गया है। विद्यालय क्रमोन्नत करते समय राज्य के समग्र प्रस्तावों के साथ तहसील शेरगढ़ के प्रस्तावों पर भी निर्धारित मापदण्डों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर गुणावगुण के आधार पर क्रमोन्नत करने पर विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा।

जिला अलवर में जलग्रहण योजना के विकास कार्यों की समीक्षा

339. **श्री रमाकान्त शर्मा**(थानागाजी): क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि अलवर जिले में जल ग्रहण क्षेत्र के विकास कार्य चल रहे हैं ? यदि हां, तो इस हेतु कितनी–कितनी धनराशि कब–कब स्वीकृत की गई है ?

(2) क्या कभी इन जल ग्रहण योजना की प्रगति के बारे में कोई समीक्षा की गई है ?

(3) क्या स्वीकृत धनराशि का सही उपयोग हो रहा है ?

उत्तर

(1) जी, हां। अलवर जिले के लिये 45 जलग्रहण विकास परियोजनाएं स्वीकृत की गई, जिनका वर्षवार विवरण निम्नानुसार है :–

(राज्य मंत्री, विशिष्ट योजना संगठन)

वर्ष	नवीन स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	4 वर्षों हेतु स्वीकृत कुल राशि
1995-96	2	47.97
1996-97	4	81.10
1997-98	39	574.86

(2) जी, हां ।

(3) जी, हां ।

लालसोट में सम्पर्क सड़कों का निर्माण

340. **श्री परसादीलाल मीणा** (लालसोट) : क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत तीन वर्षों में कृषि उपज मण्डी समिति लालसोट की आय कितनी रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सरकार मण्डी समिति की कुल आय में से 60 प्रतिशत राशि ग्रामीण सम्पर्क सड़कों पर खर्च किए जाने की नीति बनाने का विचार रखती है ?

(3) वर्ष 1995-96 से 1997-98 में मण्डी समिति लालसोट क्षेत्र में कितनी-कितनी सड़कों की स्वीकृति जारी की गई है ? स्वीकृत सड़कों की सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) गत तीन वर्षों की कृषि उपज मण्डी समिति, लालसोट की आय का विवरण निम्न प्रकार हैं :-

क्र.सं.	वर्ष	(राशि लाख रुपयों में) कुल आय
1-	1995-96	157.68
2-	1996-97	165.73
3-	1997-98	205.00

(2) जी, नहीं ।

(3) वर्ष 1995-96 से वर्ष 1997-98 में स्वीकृत सम्पर्क सड़कों की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है ।

परिशिष्ट (अ)

वर्ष 1995-96 से 1997-98 तक में स्वीकृत सम्पर्क सड़कों की सूची

क्र.सं.	नाम सम्पर्क सड़क	स्वीकृति वर्ष
1.	श्यामपुरा रोड से चौड़यावास	1995-96
	विशेष मरम्मत	
2.	मैरवास की प्याऊ से गोल्या	"
3.	लालसोट कोथून रोड से दौलतपुरा	"

4.	लालसोट दौसा रोड से डीडवाना	1995-96
5.	लालसोट दौसा रोड से कल्लावास	"
1.	मिसिंग रोड महरिया से बिलौना खुर्द वाया अलीपुरा (मय सी. डी. कार्य)	1996–97
2.	मण्डावरी बस स्टैण्ड से किशोरपुरा (स्टोन मसिंग कार्य)	"

वर्ष 1997–98 में कोई नई सड़क स्वीकृत नहीं है।

जिला आयुर्वेद अधिकारी उदयपुर के अधीन कर्मचारियों की बकाया राशि

341. **श्री चुन्नीलाल गरासिया** (उदयपुर ग्रामीण) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 1995–96 से जून, 1998 तक जिला आयुर्वेद अधिकारी उदयपुर के अधीन कार्यरत वैद्य, कम्पाउंडर, परिचारकों के वेतन, भत्तों के एरियर का समायोजन अभी तक नहीं कराया है और नकद भुगतान भी नहीं मिला है ?

(2) उक्त प्रकरणों में वैद्य, कम्पाउंडर परिचारकों की संख्या कितनी है और उनके कब–कब के एरियर का भुगतान/समायोजन शेष है तथा भुगतान न होने के क्या कारण हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) ऐसे आयुर्वेद चिकित्सकों, नर्स–कम्पाउण्डरों व परिचारकों की संख्या का विवरण, परिशिष्ट "क" सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(216)

परिशिष्ट "क"

जिला आयुर्वेद अधिकारी, उदयपुर के अधीन कार्यरत आयुर्वेद चिकित्सकों, नर्स/कम्पाउण्डरों एवं परिचारकों के वर्ष 1995–96 से जून 98 तक देय वेतन भत्तों के एरियर का भुगतान/समायोजन दिनांक 20.7.98 तक नहीं होने का विवरण

वेतन/भत्तों का विवरण	अवधि	कर्मचारियों की संख्या जिनको भुगतान/समायोजन नहीं हुआ			भुगतान/समायोजन नहीं होने का कारण
		आयुर्वेद चिकित्सक	नर्स/कम्पाउंडर	परिचारक	
1. महंगाई भत्ता एरियर	जुलाई 95 से सितम्बर 95 तक	128	शून्य	शून्य	वेतन केन्द्रों पर बिल बनने से स्टॉफ की कमी होने
	जुलाई 96 से सितम्बर 96 तक	58	62	55	एवं 9,18, व 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का एरियर बनाने के कार्य में व्यस्तता के कारण
	जनवरी 97, जुलाई 97 व जनवरी 98 से	104	86	75	नवीन वेतनमान 1998 के स्थिरीकरण एरियर के साथ समायोजन कराने के कारण
2. अन्तरिम राहत तृतीय किश्त का एरियर	अप्रेल 96 से सितम्बर 96 तक	111	113	110	वेतन केन्द्रों पर बिल बनने से स्टाफ की कमी होने एवं 9, 18, व 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का एरियर बनाने के कार्य में व्यस्तता के कारण
3. चयनित वेतनमान एरि.	9,18,27 वर्षीय चयनित वेतनमान का एरियर	शून्य	6	शून्य	स्थिरीकरण दिसम्बर 1997 व इसके बाद अनुमोदित हुए हैं।
4. वेतन स्थिरीकरण एरि.	सितम्बर 1988 का स्थिरीकरण	शून्य	1	शून्य	स्थिरीकरण दिनांक 23.2.98 को अनुमोदित हुआ है
	सितम्बर 1996 का स्थिरीकरण	104	86	75	स्थिरीकरण दिनांक 3.6.98 को अनुमोदित है।

जिला भरतपुर में कृषि भूमि का नियमन

342. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार ने कृषि भूमि के नियमन हेतु कोई नियम बना रखे हैं? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या चरागाह भूमि पर अतिक्रमण के भी नियमन के नियम या दिशा निर्देश है? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) गत एक वर्ष में भरतपुर जिले कितनी कृषि भूमि का नियमन हुआ है? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आबंटन) नियम 1970 के नियम 20 में ऐसे प्रावधान है उक्त नियम की प्रति परिशिष्ट-1 पर है।

(2) जी, हां। चरागाह भूमि पर किये गये अतिक्रमणों का नियमन करने से सम्बन्धित विभागीय आदेश दिनांक 2. 2. 83 की प्रति परिशिष्ट-2 पर है।

(3) गत एक वर्ष में भरतपुर जिले में 23 प्रकरणों में 27.08 बीघा भूमि का नियमन किया गया है। सूची परिशिष्ट-3 पर है।

परिशिष्ट-1

Allotment of land to trespassers :- (1) Notwithstanding anything contained in these rules, subject to the specific or general diretion of the State Government, the Sub-Divisional Officer may on the advice of the Advisory Committee, instead of ejecting a trespasser from any land occupied by him without any lawful authority, allow him to retain such land if he is a (landless agriculturist) and the total area of land held by such person including the land so allotted dose not exceed 75 bighas in Barani areas of the former Bikaner Division, Barmer District (except Siwana Tehsil), Jaisalmer District and Tehsil Shergarh, Phalodi and Osia excluding 40 villages as mentioned in Schedule I, of Jodhpur Disttrict, not covered by any irrigation project and 15 bighas in any other part of the state and that the land so allotted does not fall within the categories specified in rule 4 of these rules,

(218)

(2) (Upon such allotment, the allottee) shall be bound by the conditions of allotment as laid down in these rules and Khatedari right shall accrue to him as if his case was of allotment under these rules.

(Explanations—(1) One bigha for the purpose of this rule shall be taken to be equal to 5/8 acres.

(2) One bigha of irrigated land for the purpose of this rule shall be taken equal to 2 bighas of unirrigated land.)

(Provided that the Collector shall have the power to cancel any regularisation made by the S.D.O. or Tehsildar either sub-moto or on the application of any person in case where regularisation has been securad through fraud or misrepresetation or has been made against rules.)

(20 A) An order of allotment shall be in form V–B and a copy of the same together with a trace of the land, shall be given to the trespasser and a fee of Rs. Five shall be recovered from such trespasser and credited to head "IX Land Revenue (3) Miscellaneous VII Miscellanous.)

परिशिष्ट–2

राजस्थान सरकार

राजस्व (ग्रुप–4) विभाग

क्रमांक:—प. 6 (21) राज-4/83 जयपुर, दिनांक : 2. 2. 1983

प्रेषित :—समस्त जिलाधीश, राजस्थान।

विषय :— चरागाह भूमियों पर लगातार एवं निर्बाधित पुराने अतिक्रमणों का नियमन।

उपरोक्त विषय से संदर्भित इस विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 6 (20) राज—ख/71 दिनांक 2. 7. 1971 की प्रतिलिपि संलग्न है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने अब यह निर्णय लिया है कि जो व्यक्ति 1 जनवरी, 1970 से पूर्व अतिक्रमण कर लगातार तथा निर्वाधित रूप से घोषित चरागाह भूमि पर काश्त करते चले आ रहे है, तथा निम्नलिखित समस्त शर्तों की पूर्ति करते है, उन व्यक्तियों के कब्जे निम्न वर्णित प्रक्रिया के अनुसार नियमित कर दिये जावें :—

शर्तें

(1) इस विभाग के परिपत्र क्रमांक 6(20) राज-ख/71 दिनांक 2 7. 1971 में दर्शायी गयी शर्तें, इस परिवर्तन के साथ कि अतिक्रमी का कब्जा सन् 1966 से पूर्व से नहीं होकर 1 जनवरी, 1970 से पूर्व से लगतार तथा निर्बाधित रूप से चला आ रहा है।

(2) अतिक्रमी राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू-आबंटन) नियम, 1970 में अंकित परिभाषा के अनुसार भूमिहीन कृषक है।

(3) विचाराधीन नियमन का समर्थन सम्बन्धित ग्राम पंचायत ने बहुमत से प्रस्ताव पारित कर किया है।

(4) तहसील भू-आबंटन सलाहकार समिति विचाराधीन मामले के नियमन के पक्ष में है।

प्रक्रिया

जिन मामलों में उपरोक्त शर्तों की पूर्ति होती हो, उन में सम्बन्धित भूमि को चारागाह से निकाल कर सवाई चक दर्ज कर दिया जाये, और तत्पश्चात उक्त नियमों के नियम 20 के प्रावधानों के अनुसार इस प्रकार के कब्जे नियमित करने के आदेश सक्षम अधिकारी द्वारा प्रसारित कर दिये जाये।

इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि ये आदेश इस विभाग के परिपत्र संख्या प. 6(9) राज 4/76 दिनांक 21. 4. 1976 में वर्णित मरूस्थलीय जिलों पर लागू नहीं होंगे।

ह०/—

(आनन्द मोहन लाल)

राजस्व सचिव

परिशिष्ट–3

कार्यालय जिला कलक्टर, भरतपुर

क्र. सं.	नाम गांव	तहसील	उपखण्ड	नाम आवंटी जिस भूमि नियमित की गई	नियमन की तिथि	नियमित की गई भूमि का विवरण			किस्म भूमि	विशेष विवरण
						ख. नं.	बीघा	बीस्वा		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	नावली	बयाना	बयाना	अमरसिंह पुत्र तुहीराम बागरी ब्रा.	13. 5. 98	182	01–10		गैर मुमकिन नरी	
2.	,,	,,	,,	जयदेव पुत्र भजनलाल बागरी ब्रा.	13. 5. 98	184	00–10		सिवायचक्र	
3.	,,	,,	,,	रमेशचन्द पुत्र मूलाराम ब्राह्मण	13. 5. 98	650	00–11		गैर मुमकिन नरी	
4.	दहगांवा	,,	,,	घीसी, बनवारी, रामेश्वर,	13. 5. 98	178	00–01		कदीम	
				गोविन्दा पुत्र मोती धाकड़		179	00–4		सिवायचक्र	
5.	महलोनी	,,	,,	हरवीर पुत्र ग्यारसी जाट	20. 5. 98	255	00–03		चाही	
						256	00–10		बंजर	
6.	ब्रह्मबाद	,,	,,	सत्यप्रकाश पुत्र राधाकृष्ण वैश्य	20. 5. 98	333	00–10		गैर मुमकिन रास्ता	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	बढ़ा	नदबई	भरतपुर	विष्णु पुत्र घनश्याम ब्रा.	25. 6. 98	392	00–02		बंजर	
8.	बढ़ा	,,	,,	हरीसिंह पुत्र चरन व जैसा पुत्र मूला	25. 6. 98	392	00–01		बंजर	
9.	बरौलीरान	,,	,,	प्रताप पुत्र शिवलाल जाट	25. 6. 98	186	00–17		बारानी दोयम	
10.	,,	,,	,,	दयाराम पुत्र प्रभाती जाट	25. 6. 98	929	00 08		बारानी दोयम	
11.	बझेरा	,,	,,	गिर्राज पुत्र सुमरत्या मीना	24. 6. 98	340	03–00		बारानी दोयम	
12.	बरौलीछार	,,	,,	मोती पुत्र रघुनाथ जाट	25. 6. 98	1191	01–00		बारानी प्रथम	
13.	,,	,,	,,	रामस्वरूप पुत्र परसराम वर्ग.	26. 6. 98	244	00–12		बारानी प्रथम	
14.	बहरामदा	,,	,,	करन, अतर, मनोहरी, अर्जुन पुत्र भूपसिंह	27. 6. 98	1156	03–02		बारानी दोयम	
15.	मदीरा	,,	,,	पतराम पुत्र रामलाल	27. 6. 98	1844	00–11		बंजर	
16.	ऊंच	,,	,,	रामसिंह पुत्र उमेदी गूजर	27. 6. 98	482	00–10		बंजर	
17.	,,	,,	,,	रामदयाल पुत्र जवाहरसिंह वर्ग. जाट	27. 6. 98	673	02–00		बंजर	
18.	,,	,,	,,	देवीसिंह पुत्र गोविन्दसिंह गूजर	27. 6. 98	571	00–16		बंजर	

221

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	ऊंच	नदबई	भरतपुर	हिम्मतसिंह पुत्र दौलतसिंह	27. 6. 98	481	00–11	बंजर		
				श्रीमान पुत्र गोरधन गूजर		571	00–16	बंजर		
20.	,,	,,	,,	बृजमोहन पुत्र पप्पू ब्रा.	27. 6. 98	613	01–00	बंजर		
21.	गंगवाना	,,	,,	गोविन्दसिंह पुत्र नवलसिंह जाट	24. 6. 98	873	03–00	बंजर		
22.	रायमीस	,,	,,	उमेदी पुत्र सूरजा जाट	27, 6. 98	1633	00–05	बंजर		
						1688	00–08	बंजर		
23.	महरमपुर	,,	,,	कैलाशी पुर पुत्र रामस्वरूप ब्रा.	27. 6. 98	95मिन	01–10	बंजर		

कलेक्टर भरतपुर

जिला टोंक में लघु सिंचाई कार्यों का जांच प्रकरण

343. **श्री बनवारी लाल** (निवाई) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला टोंक में गत तीन वर्षों में सरकार द्वारा लघु सिंचाई के कितने कार्य स्वीकृत किये गये, उनमें से कौन–कौनसे कार्य पूर्ण हो गये हैं व कौन–कौनसे अपूर्ण रहे ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि उक्त निर्माण कार्यों में अनियमितताओं की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई है ? क्या सरकार द्वारा इनकी जांच करवाई गई ? यदि हां, तो कितने मामलों की जांच पूर्ण हो चुकी है एवं कितनों की जांच शेष है ? क्या किन्हीं अधिकारियों को इन प्रकरणों में निलम्बित किया गया है ? यदि हां, तो नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जिला टोंक में गत तीन वर्षों में राज्य सरकार द्वारा तीन लघु सिंचाई कार्य स्वीकृत किये गये जिसमें से एक लघु सिंचाई कार्य (माधोलाव) पूर्ण हो चुका है एवं दो कार्य बिडोली एवं मानपुर अपूर्ण है । सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है ।

(2) जी, हां । उपरोक्त तीन कार्यों में से एक लघु सिंचाई कार्य माधोलाव व बांध पर खराब निर्माण कार्य सम्बन्धित शिकायत प्राप्त हुई थी । उक्त कार्य की जांच भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा की जा रही है । माधोलाव तालाब की जांच में अभी किसी को निलम्बित नहीं किया गया है । जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् ही अग्रिम कार्यवाही की जायेगी ।

परिशिष्ट "अ

टोंक जिले में गत तीन वर्षों में स्वीकृत लघु सिंचाई कार्यों का विवरण

क्र.सं.	स्वीकृत लघु सिंचाई कार्यों का नाम	अनुमानित लागत लाख रुपये	पूर्ण	अपूर्ण
1.	माधोलाव (निवाई तहसील)	149.63	पूर्ण	—
2.	बिडोली (निवाई तहसील)	130.85	—	अपूर्ण
3.	मानपुरा (उनियारा तहसील)	138 60	—	अपूर्ण

आदिवासी क्षेत्र में नवीन आश्रम/छात्रावास

344 श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में जिला डूंगरपुर के आदिवासी क्षेत्र में कोई नये आश्रम/छात्रावास खोलने का प्रावधान रखा है ? यदि हां, तो कौन-कौनसे गांवों में और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

राज्य सरकार ने वर्ष 98-99 के बजट में चार छात्रावासों के निर्माण हेतु 129.90 लाख रु. का प्रावधान रखा है। यह प्रावधान सम्पूर्ण जनजाति उपयोजना के लिए है । अभी स्थानों का चयन होना शेष है । वर्ष 1998-99 से आश्रम छात्रावास शैक्षणिक अनुपात से खोले जायेंगे । जिसका आधार पंचायत समिति क्षेत्र होगा ।

जिला डूंगरपुर के ग्रामों का विद्युतीकरण

345. श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) डूंगरपुर जिले के कितने गांव विद्युतीकृत किये गये हैं ? पंचायत समिति वार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि कई गांव फले-ढाणी अभी तक विद्युतीकृत नहीं किये गये हैं ? यदि हां, तो विद्युतीकृत नहीं किये हुए गांवों-फलों-ढाणियों को अब कब तक विद्युतीकृत कर दिया जावेगा ? पंचायत समितिवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या सरकार इन गांवों को विद्युतीकृत करना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) डूंगरपुर जिले में जनगणना पुस्तिका 1991 के अनुसार 850 गांव है । जिनमें से 776 ग्राम माह मार्च, 98 तक विद्युतीकृत घोषित किए जा चुके हैं। पंचायत समितिवार विद्युतीकृत गांवों की संख्या सूची निम्नानुसार है :—

क्र.सं.	पंचायत समिति	कुल ग्राम	विद्युतीकृत घोषित ग्राम	शेष अविद्युतीकृत ग्राम
1.	डूंगरपुर	158	140	18
2.	सीमलवाड़ा	220	196	24
3.	सागवाड़ा	154	145	9
4.	आसपुर	144	129	15
5.	बीछीवाड़ा	174	166	8
		850	776	74

(2) डूंगरपुर जिले के शेष रहे 74 ग्रामों में से 32 ग्राम वर्ष 1998-99 के ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम में विद्युतीकरण हेतु प्रस्तावित है । जिले के शेष रहे अविद्युतीकृत ग्रामों फले/ढाणी का विद्युतीकरण निर्धारित नीति, आबंटित लक्ष्य एवं उपलब्ध वित्तीय संसा-

(ऊर्जा मंत्री)

धनों के अनुसार किया जाना सम्भव हो सकेगा ।

(3) जिले के शेष रहे अविद्युतीकृत ग्रामों का विद्युतीकरण, निर्धारित नीति, आवंटित लक्ष्य एवं उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अनुसार आगामी वर्षों में किया जाना सम्भव हो सकेगा ।

जनजाति विकास क्षेत्र में नये जिले का सृजन

346. **श्री फूलचन्द** (सलूम्बर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार जनजाति विकास क्षेत्र में नया जिला बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कहां–कहां और नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सलूम्बर उप खण्ड का क्षेत्रफल डूंगरपुर जिले से अधिक है ? यदि हां, तो सलूम्बर को जिला नहीं बनाये जाने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) जी, नहीं । राज्य सरकार में नया जिला बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं ।

(2) जी, नहीं । सलूम्बर उपखण्ड का क्षेत्रफल 312050 हैक्टेयर है, जबकि जिला डूंगरपुर का कुल भोगोलिक क्षेत्रफल 385593 हैक्टेयर है । सलूम्बर में नया जिला स्थापित करने का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं हैं ।

तहसील आहोर की क्षारयुक्त भूमि का सर्वे

347. **श्री मगराज चौधरी** (आहोर): क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि तहसील आहोर जिला जालोर के ग्रामों की भूमि में क्षारीयपन हो जाने से हजारों हैक्टेयर भूमि खराब हो गई है? यदि हां, तो किस-किस ग्राम की सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सरकार उक्त ग्रामों की क्षारयुक्त भूमि का सर्वे करवाकर एक प्रोजेक्ट बनवाकर सरकारी खर्चे पर इसे पुनः क्षारविहीन एवं कृषि योग्य बनाने हेतु स्वीकृति जारी करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और किस प्रकार ?

उत्तर

(1) यह सही है कि जालोर जिले की तहसील आहोर में क्षारीय भूमि की समस्या है । क्षारीय भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में वर्ष 97–98 में जालोर जिले की तहसील आहोर के गांव बाला व बाकली से क्रमशः 75 एवं 85 मिट्टी के नमूने किसानों से प्राप्त हुए । इनके परीक्षण से क्षारीयता व लवणीयता की समस्या प्रतीत होती है । समस्या के क्षेत्र व फैलाव का विस्तृत सर्वेक्षण करने के बाद मिट्टी व पानी के विश्लेषण से पता लगना सम्भव है ।

(2) ऐसी कोई योजना अभी विचाराधीन नहीं है । राज्य में क्षारयुक्त भूमि हेतु विभाग की राज्य योजनान्तर्गत भूमि सुधार

(राज्य मंत्री, कृषि)

कार्यक्रम चल रहा है। जिससे किसी भी कृषक के यहां क्षारीय मिट्टी है तो उसकी जांच मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला से करवा कर जांच के अनुसार जिप्सम की मांग उस क्षेत्र के कृषि पर्यवेक्षक को देकर प्राप्त कर सकता है। इस योजना में जिप्सम पर 50 प्रतिशत अनुदान राज्य सरकार द्वारा देय है।

राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हिरणी ढाणी (नागौर) में रिक्त पद

348. **श्री रिछपाल सिंह मिर्धा** (डेगाना): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र डेगाना (नागौर) की उच्च प्राथमिक विद्यालय हिरणी ढाणी में प्रधानाध्यापक का पद लम्बे समय से रिक्त है ? यदि हां, तो कब से ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पाठशाला में अध्यापकों के कुल कितने पद सृजित हैं ? वर्तमान में वहां कितने अध्यापक कार्यरत है और कितने पर रिक्त हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त पाठशाला के प्रधानाध्यापक एवं अन्य अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। प्रधानाध्यापक का पद जुलाई, 97 से रिक्त है।

(2) राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हिरणी ढाणी में स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण निम्न प्रकार से है :—

पदनाम	स्वीकृत पदों की सख्या	रिक्त पद
प्र.अ.	01	01
अध्यापक	06	—

(3) जी, हां। वर्तमान में रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

पंचायत समिति कोटड़ी द्वारा करवाये गये विकास कार्यों की जांच

349. **श्री रतनलाल ताम्बी** (जहाजपुर): क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति कोटड़ी के अन्तर्गत फरवरी, 1990 से जून 1998 के बीच ग्राम पंचायत बनका खेड़ा, लसाड़िया, नन्दराय, पारोली, बिशनियां को विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत निर्माण कार्यों हेतु विभिन्न मदों में राशि स्वीकृत की गई ? यदि हां, तो योजना का नाम, कार्य का नाम राशि, कब-कब व कितनी-कितनी दी गई ? ? पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त राशि उन्हीं कार्यों पर व्यय की जाकर कार्यों का मौके पर भौतिक सत्यापन तथा अंकेक्षण भी करवाया गया है ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त पंचायतों द्वारा निर्माण कार्य गुणवत्ता तथा

(श्री रतनलाल ताम्बी)

पूर्णता से सही सम्पादित नहीं कर राशि का सदुपयोग करने में असफल रही है ? यदि हां, तो इस बाबत कब-कब कार्यों की जांच किस-किस सक्षम व्यक्ति द्वारा की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या यह सही है कि उक्त कार्यों बाबत सरकार को कोई शिकायतें प्राप्त हुई थी ? यदि हां, तो इनकी जांच किस स्तर पर लम्बित है एवं दोषियों को आरोप पत्र कब जारी किये गये ?

(5) क्या सरकार उक्त प्रकरण की विशेषज्ञ द्वारा गुणवता की जांच करवाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां । वांछित विवरण परिशिष्ट "अ" में अंकित है ।

(2) जी, हां । राशि के उपयोग, कार्य का भौतिक सत्यापन तथा गुणवत्ता का विवरण परिशिष्ट "अ" में अंकित सम्बन्धित कार्य के सम्मुख अंकित है ।

(3) जी, नहीं ।

(4) जी, नहीं ।

(5) यदि किन्हीं कार्यों की गुणवत्ता के बारे में तथ्याधारित शिकायत प्राप्त होती है तो जांच करायी जावेगी ।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

कृषि उपज मण्डी लूणकरणसर द्वारा सड़क निर्माण

350. **श्री भीमसेन चौधरी** (लूणकरणसर) : क्या कृषि विपणन बोर्ड मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि आर. डी. 445 शेरपुरा तक सम्पर्क सड़क लूणकरणसर कृषि उपज मण्डी द्वारा स्वीकृत की गई है ? यदि हां, तो उक्त सड़क पर कितनी राशि व्यय की गई ?

(2) उक्त अपूर्ण सड़क को पूर्ण करने हेतु कितनी राशि की आवश्यकता है तथा उसके लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(3) उक्त सड़क की स्वीकृति के बाद में उक्त मण्डी द्वारा कौन-कौन से कार्य स्वीकृत किये गये ?

(4) उक्त सड़क को अपूर्ण छोड़कर अन्य कार्य स्वीकृत करने के क्या कारण रहे ?

उत्तर

(1) जी, नहीं । आर. डी. 445 से शेरपुरा नाम से कोई सड़क स्वीकृत नहीं है । अपितु 4 कि.मी. खरदारा से शेरपुरा नाम से स्वीकृत की गई है । उक्त सड़क निर्माण पर 14.71 लाख रुपये व्यय किये गये हैं ।

(2) शेष सड़क को पूर्ण करने हेतु तकमीने के अनुसार लगभग 38.00 लाख रुपये की आवश्यकता होगी । जिसके निर्माण हेतु मण्डी समिति द्वारा अपनी वित्तीय

(कृषि विपणन बोर्ड मंत्री)

क्षमता एवं नीति अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

(3) यह सड़क वर्ष 1992–93 में स्वीकृत हुई थी तथा उसके पश्चात् निम्न कार्य स्वीकृत हुए हैं :–

क्र. सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत वर्ष
1.	सं. स. लक्खूसर से केला (मास्टर प्लान)	9?–94
2.	सं. स केला से राजासर भाटियान (मास्टर प्लान)	94–95
3.	कॉमन नीलामी चबूतरा 2नं.	95–96
4.	चैक पोस्ट	95–96

(4) अन्य सड़कें मास्टर प्लान में स्वीकृत होने तथा नीलामी चबूतरे का निर्माण व्यापार स्थानान्तरण के समय व्यापारियों की मांग के अनुसार आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु स्वीकृत किये गये हैं।

तहसील पाली में भूमिहीन किसानों के कब्जों का नियमन

351. **श्री भीमराज भाटी** (पाली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) तहसील पाली व उप-तहसील रोहट में काबिल काश्त कितनी भूमि है ? पटवार हल्का व गांववार संख्या सूची (हैक्टरों में) सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि काबिल काश्त भूमि पर भूमिहीन कृषकों ने कुए, मकान व मेड़बन्दी कर नाजायज कब्जे कर रखें हैं ? यदि हां, तो पटवार, हल्कावार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त कब्जे शुदा भूमिहीन किसानों की भूमि को नियमित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) तहसील पाली में 1673.15 है 0 एवं रोहट में 4056 है 0 काबिल काश्त भूमि है पटवार हल्का एवं गांववार सूची (परिशिष्ट–"क–ख") संलग्न है।

(2) जी, हां। यह सही है कि काबिल काश्त भूमि में से कुछ भूमिहीन कृषकों ने कुएं, मकान व मेड़बन्दी कर नाजायज कब्जे कर रखें हैं। पटवार हल्कावार व गांववार अतिक्रमण की सूची संलग्न है (परिशिष्ट–"ग")

(3) राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 6(7) राज/4/77 राज–6/6 दिनांक 1–4–91 एवं अधिसूचना क्रमांक प. 6(7) राज/4/77/राज–6/12 दिनांक 1–4–91 के अनुसार 15–7–84 से लगातार कब्जा काश्त होने वाले नियमन योग्य प्रकरणों को नियमन की कार्यवाही हेतु भूमि आवंटन सलाहकार समिति की बैठक के समक्ष प्रस्तुत की जावेगी। सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी द्वारा भूमि आवंटन सलाहकार समिति की बैठक आयोजन की कार्यवाही शीघ्र की जावेगी।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

ईशरदा बांध निर्माण प्रकरण

352. **श्री रामेश्वर भारद्वाज** (किशनपोल) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जयपुर में पीने का पानी उपलब्ध करवाने हेतु ईशरदा बांध का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है ?

(2) क्या ईशरदा बांध का सर्वे कार्य शुरू हो गया है ? यदि हां, तो कितना ?

(3) ईशरदा बांध के निर्माण के लिए अब तक कितनी राशि व्यय की जा चुकी है ? और अब कब तक उक्त योजना पर कार्य प्रारम्भ करवा दिया जायेगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) ईशरदा बांध के निर्माण हेतु अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है । अभी तक केवल अनुसंधान कार्य चल रहा है। बांध के निर्माण हेतु निर्णय अनुसंधान की समाप्ति के बाद ही लिया जायेगा । इसी के पश्चात् यह भी स्पष्ट होगा कि बांध पीने के पानी अथवा/और सिंचाई हेतु निर्माण किया जाना है ।

(2) जी, हां । इस बांध का केपेसिटी सर्वे डूब क्षेत्र का सर्वे, एवं जियोलोजिकल सर्वे का कार्य पूर्ण किया जा चुका है ।

(3) निर्माण के लिए कोई राशि का व्यय नहीं किया गया है । अभी सर्वेक्षण एवं परियोजना रिपोर्ट का कार्य किया जा रहा है । ईशरदा बांध की परियोजना रिपोर्ट को केन्द्रीय जल आयोग से स्वीकृति के बाद ही उक्त बांध का निर्माण कार्य प्रारम्भ करवाया जाना सम्भव हो सकेगा ।

जनजाति क्षेत्र में महाराष्ट्र पैटर्न योजना की क्रियान्विति

353. **श्री रघुबीर सिंह** (सराड़ा) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार राज्य में जनजाति क्षेत्रीय विकास योजना महाराष्ट्र पेटर्न में लागू करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब से तथा नहीं, तो क्यों ?

(2) महाराष्ट्र पैटर्न का मूल स्वरूप क्या है ? क्या सरकार उक्त योजना का मूल रूप में ही लागू करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी, हां । यह राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

(2) महाराष्ट्र के पैटर्न के मूल स्वरूप की मुख्य बातों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है । राज्य सरकार महाराष्ट्र पैटर्न को किस रूप में लागू करना चाहती है, यह राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

परिशिष्ट–1

महाराष्ट्र में अपनाई जाने वाली प्रणाली का विवरण

1. राज्य उप योजना मद से उपयोजना हेतु एक निश्चित राशि जनजाति विकास विभाग को आवंटित की जावेगी जो राज्य की जनजाति की जनसंख्या यथा 9 प्रतिशत से कम नहीं होगी वर्ष 1993–94 में यह राशि 7 प्रतिशत होगी जिसे आगामी वर्षों में 9 प्रतिशत तक बढ़ाया जायेगा।

2. जनजाति विकास विभाग उपयोजना क्षेत्र के लिए विभिन्न विभागों की प्राथमिकताएं निश्चित कर सम्बन्धित विभागों को सूचित करेगा।

3. जनजाति विकास विभाग प्रशासनिक विभागों से विमर्श कर यह निश्चित करेगा कि उनके द्वारा चुने गए कौन से कार्य जनजाति के लिए महत्वपूर्ण हैं। उपयोजना क्षेत्र में योजनाओं के निर्धारण का समस्त अधिकार जनजाति विकास विभाग का होगा।

4. उपयोजना क्षेत्र में आवंटित राशि का 75 प्रतिशत भाग व्यय किया जावेगा तथा शेष 25 प्रतिशत राशि उपयोजना क्षेत्र से बाहर बसे जनजातियों के कल्याण हेतु व्यय की जायेगी।

5. आवंटित राशि को 60 से 70 प्रतिशत लागत की योजनाएं जिला स्तर पर बनाई जावेंगी, इसी आधार पर जिलों की वार्षिक योजना बनायी जावेगी जिसकी स्वीकृति जनजाति विकास विभाग द्वारा की जावेगी।

6. जनजाति विकास विभाग द्वारा धनराशि का आवंटन खण्डवार व जिलेवार किया जाता है। उपयोजना निर्माण का कार्य मुख्यतः खण्ड पर गठित समिति द्वारा किया जाता है जिसका अध्यक्ष क्षेत्र का जनजाति विधायक होता है। जिला स्तरीय आयोजना समिति खण्डों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करके जिले के लिए उपयोजना तैयार करती है इस समिति का अध्यक्ष जिले का प्रभारी मंत्री होता है।

7. जिला समिति से प्राप्त प्रस्तावों के अनुमोदन हेतु राज्य–स्तर पर विशेष अधिकार प्राप्त समिति (Empowered Committee) का गठन किया गया है जिसमें वित्त सचिव, जनजाति विकास सचिव, आयोजना सचिव एवं सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग के सचिव सदस्य होते हैं। इस समिति के अनुमोदन के

पश्चात् प्रस्ताव आयोजना या वित्त विभाग को भेजने की आवश्यकता नहीं होती है ।

8. समन्वित जनजाति विकास योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु भारतीय प्रशासनिक या भारतीय वन सेवा के अधिकारियों को परियोजना अधिकारी नियुक्त किया गया है । समन्वित जनजाति विकास परियोजनाओं में पदस्थापित अन्य सभी अधिकारी/कर्मचारी परियोजना अधिकारी के मार्ग निर्देशन में कार्य करते हैं तथा परियोजना अधिकारी को समस्त विभागों के प्रशासनिक अधिकार, अतिरिक्त कलक्टर एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद के भी अधिकार दिए गए हैं । परियोजना अधिकारी कम से कम तीन वर्षों के लिए पदस्थापित किए जायेंगे ।

232

परिशिष्ट–4

(अतारांकित प्रश्न संख्या 443 का विवरण)

परिशिष्ट–"क"

उप खण्ड वार समितियों द्वारा की गई बैठकों व मामलों के निस्तारण का विवरण

(1) उप खण्ड–नागौर

क्र.सं.	बैठकों की दिनांक	निस्तारित किये गये मामलों की संख्या
1	2	3

नोट—जिला मुख्यालय पर जिला स्तरीय सतर्कता समिति अस्तित्व में होने व बैठकों का आयोजन नियमित होने के कारण इस उपखण्ड स्तरीय समिति की बैठकों में जनसामान्य कोई रूचि नहीं लेते हैं और ना ही कोई मामले पेश ही करते हैं।

पिछले तीन वर्षों व इस वर्ष की सूचना शुन्य।

(2) उप खण्ड–मेड़ता

(1)	12–6–95	(1) 9 मामलों का इन बैठकों में निस्तारण किया गया।
(2)	17–7–95	
(3)	17–10–95	
(4)	26–7–96	
(5)	27–12–97	
(6)	24–1–98	(2) 5 मामले जुलाई, 98 में दर्ज हुए अब विधान सभा क्षेत्र में समाप्त होने पर बैठक अगस्त में बुलवाई जायेगी।
(7)	28–3–98	
(8)	7–98	

(3) उप खण्ड–डीडवाना

(1)	17–5–95	(1) वर्ष 1995 में 13 मामले निस्तारित किये गये।
(2)	2–6–95	
(3)	1–7–95	
(4)	31–8–95	
(5)	6–10–95	
(6)	28–11–95	
(7)	29–12–95	
(8)	9–2–96	(2) वर्ष 1996 में 7 मामले निस्तारित किये गये।

1	2	3
(9)	15–6–96	
(10)	24–8–96	
(11)	5–11–96	
(12)	4–1–97	(3) वर्ष 1997 में कोई मामला दर्ज नहीं शुन्य
(13)	1998	(4) वर्ष 1998 में भी शुन्य समझा जावे ।
(4)	**उप खण्ड–परबतसर**	
(1)	20–9–95	68 प्रकरण प्राप्त
(2)	5–12–95	54 निस्तारित किये गये
(3)	9–1–96	14 प्रकरण शेष रहे हैं ।
(4)	13–2–96	
(5)	19–3–96	
(6)	29–6–96	
(7)	30–7–96	
(8)	26–8–96	
(9)	29–9–96	
(10)	28–10–96	
(11)	31–12–96	
(12)	28–6–97	
(13)	5–7–97	
(14)	5–8–97	
(15)	27–9–97	
(16)	22–11–97	
(17)	22–12–97	
(18)	22–4–98	

234

परिशिष्ट-5

(अतारांकित प्रश्न संख्या 444 की प्रति)

राजस्थान सरकार

क्रमांक एफ 12-3 (स) (18) आर ए. 96

कार्यालय जिला कलेक्टर,
भीलवाड़ा
दिनांक 5-3-1997

आदेश

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, यदुवेन्द्र माथुर जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा ग्राम पुर की बिलानाम आराजी सं. 9681/3078 रकबा 49 बीघा 8 बिस्वा में से 23 बीघा एवं चारागाह भूमि आ. नं. 3078 रकबा 124 बीघा 12 बिस्वा में से (41 बीघा कुल रकबा 64) बीघा भूमि इण्डियन आयल कारपोरेशन लि. के एल.पी. गैस बाटलिंग प्लान्ट हेतु (औद्योगिक प्रयोजनार्थ) सेट-अपार्ट करता हूं।

जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा

परिशिष्ट-"स"

राजस्थान सरकार

क्रमांक-एफ 12-3 (स) (18) आर.ए. 96

कार्यालय जिला कलेक्टर,
भीलवाड़ा
दिनांक 18 मार्च, 97

निमित,

उप शासन सचिव,
राजस्व (ग्रुप-3) विभाग
राजस्थान, जयपुर

विषय :-मार्बल वर्क्स में एल.पी. गैस बाटलिंग प्लान्ट हेतु भूमि आवंटन के ।

महोदय,

इण्डियन आयल कारपोरेशन लि., जयपुर ने इस कार्यालय को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि भीलवाड़ा में एल पी. गैस बाटलिंग प्लान्ट हेतु ग्राम पुर की बिलानाम आराजी नं. 9681/3078 रकबा 49 बीघा 8 बिस्वा में से 23 बीघा एवं

इसी ग्राम की चरागाह भूमि आ.न. 3078 रकबा 124) बीघा 12 बिस्वा में से 41) बीघा भूमि कुल 64) बीघा भूमि आवंटन कराई जाय। प्रस्ताव प्राप्त होने पर तहसीलदार एवं उप खण्ड अधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। भूमि नगर परिषद सीमा में स्थित हो, नोन कमाण्ड क्षेत्र की है तथा मौके पर पडत है तथा आई. ओ. सी. को आवंटन किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

अतः निवेदन है कि इण्डियन आयल कारपोरेशन लि. को गैस बाटलिंग प्लान्ट हेतु उक्त प्रस्तावित 64) बीघा भूमि आवंटन कराये जाने की स्वीकृति प्रदान करावे साथ ही आराजी 3078 किस्म चरागाह में से 41) बीघा भूमि क्रय किये जाने की भी स्वीकृति प्रदान करावें। इस कार्यालय की पत्रावली संलग्न कर प्रेषित है।

भवदीय,

जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा

राजस्थान सरकार **परिशिष्ट "ग"**

उद्योग (ग्रुप—1) विभाग

मैसर्स इण्डियन आयल कारपोरेशन, लि.,

जयपुर।

क्रमांक : प. 4 (22) उ./1–97 जयपुर, दिनांक : 26-8-97

विषय :–मैसर्स इण्डियन आयल कारपोरेशन लि., जयपुर को भीलवाड़ा में एल पी. गैस बाटलिंग प्लांट हेतु भूमि आवंटन हेतु।

महोदय,

निर्देशानुसार उपरोक्त विषयान्तर्गत जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा के आदेश क्रमांक एफ. 12–3 (स) (18)आर.ए./96 दिनांक 18.3.97 द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा–92 के अन्तर्गत औद्योगिक प्रयोजनार्थ आरक्षित ग्राम पुर तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा की 64 बीघा चरागाह भूमि को मैसर्स इण्डियन आयल कारपोरेशन लि., जयपुर के पक्ष में भीलवाड़ा में एल.पी. गैस बाटलिंग प्लांट की स्थापना हेतु राज्य सरकार निम्नांकित शर्तों पर एतद् द्वारा आवंटित करती है :—

1. यह आवंटन राजस्थान इण्डस्ट्रियल एरिया अलाटमेंट रूल्स, 1959 एवं इसमें समय समय पर किये गये/जाने वाले संशोधन सहित अंतर्विष्ट शर्तों एवं निबंधनों के अन्तर्गत होगा।

2. भूमि की कीमत राजस्व (ग्रुप–4) विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. 6 (24) राज./ग्रुप–4/87 दिनांक 25.11.87 के अन्तर्गत संशोधित नियम–3 ए. के

अनुसार इस भूमि के वर्ग की कृषि भूमि प्रचलित बाजार मूल्य के बराबर देय होगी एवं लीजरेंट नियम, 5 के अन्तर्गत देय होगा।

3. आवंटी द्वारा उक्त भूमि को अथवा इसके अधीन किसी भाग को सबलेट नहीं किया जा सकेगा ना ही बेचा जावेगा व अन्य तरीके से संक्रमित किया जायेगा और न ही राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना कोई वित्तीय अथवा तकनीकी भागीदार बनाया जायेगा।

4. आवंटी आवंटन की तिथि तीन माह की अवधि में जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा से भूमि का कब्जा प्राप्त करेगा।

5. आवंटन की तिथि से तीन माह की अवधि में भूमि की लीजडीड राज्य सरकार (महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, भीलवाड़ा) से आवंटी द्वारा निष्पादित करवा-कर लीजडीड की रजिस्ट्री करवानी होगी।

6. कम्पनी को जिस उद्योग हेतु भूमि आवंटित की गई उसकी स्थापना के लिए तीन माह की अवधि में कार्यवाही करके प्रगति राज्य सरकार के उद्योग विभाग को अवगत कराना होगा। भूमि का जिस उद्योग हेतु आबटन किया हैं उसी की स्थापना के प्रयोजन हेतु ही काम में लिया जायेगा।

परिशिष्ट–"घ"

राजस्थान सरकार
(राजस्व ग्रुप-3) विभाग

जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा।
क्रमांक : प. 9 (23) राज/ग्रुप–3/97 जयपुर, दिनांक 9–1–98

विषय :—भीलवाड़ा में एल. पी. गैस बाटलिंग प्लान्ट हेतु भूमि आवंटन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :—आपका पत्र क्रमांक 12–3 (स)(18) आर.ए./96 दिनांक 18.3.97

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं सन्दर्भ में निर्देशानुसार लेख है कि पत्र की प्रति उद्योग (ग्रुप–1) विभाग को औद्योगिक भूमि आवंटन, 1959 के तहत कृषि भूमि आबंटन करने हेतु क्यों पृष्ठांकित की गई जबकि चरागाह भूमि को बिना राजस्व विभाग की स्वीकृति के आवंटन का अधिकार उद्योग विभाग को नहीं है।

प्रकरण में उद्योग (ग्रुप-1) विभाग द्वारा बिना राजस्व विभाग की स्वीकृति के उक्त सन्दर्भित पत्र के आधार पर 1956 के अधिनियम की धारा 92 के तहत आरक्षित मानते हुए 1959 के नियमों के तहत इन्डियन आयल कारपोरेशन लि. को आवंटित करना उचित प्रतीत नहीं होता है ।

कृपया अविलम्ब पूर्ण स्थिति स्पष्ट करें । औद्योगिक प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन की स्वीकृति इस विभाग द्वारा जब तक नहीं दी जावे तब तक उद्योग (ग्रुप-1) विभाग के आवंटन आदेश क्रमांक प. 4 (22) उ. P 55/c ग्रुप-1/97 दिनांक 26-8-97 पर तुरन्त प्रभाव से रोक लगाई जाती है ।

इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 17-6-87 द्वारा वांछित सूचना भी कृपया शीघ्र भिजवायें ।

भवदीय,

उप शासन सचिव

परिशिष्ट-"अ"

राजस्थान सरकार

राजस्व (ग्रुप-3) विभाग

जिला कलेक्टर,

भीलवाड़ा ।

क्रमांक : प. 9 (23) राज/ग्रुप-3/97 जयपुर, दिनांक 18/6/98

विषय :—भीलवाड़ा में एल. पी. जी. बोटलिंग प्लान्ट हेतु भूमि आवंटन के सम्बन्ध में ।

सन्दर्भ :—आपका पत्र क्रमांक एफ. 12-3 (स)(18)आर.ए./96 दि. 18-3-97

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं सन्दर्भ में आपके प्रस्तावानुसार ग्राम पुर तहसील भीलवाड़ा की बिलानाम आराजी ख.नं. 6981/3078 रकबा 49 बीघा 8 बिस्वा में से 23 बीघा भूमि एवं किस्म चरागाह ख.नं 3078 रकबा 124 बीघा 12 बिस्वा में से 41 बीघा भूमि कुल किता 2 रकबा 64 बीघा भूमि निदेशानुसार खारिज कर विभागीय परिपत्र क्रमांक प. 4 (16) राज/4/85 दिनांक 2-3-87 के अन्तर्गत रु. 134/- प्रति वर्गगज की दर से कीमतन, इण्डियन आयल कारपोरेशन को एल.पी.जी. बोटलिंग प्लान्ट हेतु, आवटन की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है ।

जिला कार्यालय की मूल पत्रावली संलग्न प्रेषित है ।

भवदीय,

संलग्न : उपरोक्तानुसार शासन उप सचिव

(238)

परिशिष्ट- 6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 446 की प्रति)

राजस्थान सरकार

राजस्व (ग्रुप–1) विभाग

प्रेषिति :

1. निबन्धक,
   राजस्व मण्डल, अजमेर
2. समस्त संभागीय आयुक्त
3. समस्त जिला कलेक्टर ।

क्रमांक : प. 9 (1) राज/ग्रुप–1/84 जयपुर, दिनांक : 4. 10. 96

परिपत्र

इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 1. 4. 84 एवं 23. 2. 94 के द्वारा नये राजस्व ग्राम घोषित किये जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश जारी किये गये थे । इसी क्रम में लेख है कि राजस्व ग्राम न केवल राजस्व प्रशासन बल्कि समस्त प्रशासन की मूल इकाई है, तथा जलप्रदाय योजना/औषधालय/चिकित्सालय/विद्युत/विद्यालय/डाक घर/यातायात/रेलवे स्टेशन एवं अन्य विकास कार्यों के लिए भी मूल इकाई एवं आधार बिन्दु है, लेकिन कहीं-कहीं बड़ी आबादी या मूल गांव से सुदूर बसी ढाणियां अलग से राजस्व गांव घोषित नहीं होने के कारण विकास की सुविधाओं से वंचित रह जाती है । अतः इस स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये यह आवश्यक है कि मूल राजस्व ग्राम में दूर बसे आबादी क्षेत्र एवं सुदूर ढाणियों को भी राजस्व ग्राम घोषित किया जावे । इस सम्बन्ध में यह भी ध्यान देने योग्य है कि नया राजस्व ग्राम घोषित करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वहां के निवासियों की इस आशय की मांग हो, बल्कि यदि राजस्व अधिकारी यह अनुभव करते हैं कि ऐसे गांव जिनकी आबादी ढाणियों में बसी है, और उनका क्षेत्र काफी फैला हुआ है या मूल गांव से दूर आबादी है, तो उन्हें अपने स्तर से भी ये प्रस्ताव जिलाधीश/राजस्व मण्डल के मार्फत राज्य सरकार को भिजवाने चाहिए । ऐसे प्रस्ताव भेजते समय यह ध्यान रखा जावे कि प्रस्तावित नये गांव की आबादी 250 से कम नहीं हो, लेकिन यह आवश्यक है कि नया राजस्व ग्राम घोषित होने पर मूल गांव की आबादी 250 से कम न रहे । जहां प्रस्तावित नये राजस्व गांव की आबादी टुकड़ों में बिखरी हुई, ढाणियों अथवा मजरों में बसी हुई हो उस प्रस्तावित गांव के लिए सुविधाजनक स्थान पर एक केन्द्र बिन्दु स्थापित कर लिया जाये, ताकि वहां आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जा

सके। यह भी ध्यान रखना चाहिये कि गांव के केन्द्र बिन्दु के लिए आबादी विस्तार एवं आधारभूत सुविधाओं के लिए भूमि की क्या उपलब्धता है। राजकीय सिवायचक या चरागाह इत्यादि भूमि उपलब्ध होने पर ऐसी भूमि को खसरा नम्बर का विवरण देकर नये प्रस्तावित गांव की आधारभूत सुविधाओं/आबादी विस्तार के लिए आरक्षित की जानी चाहिये। जहां उपरोक्त राजकीय/चरागाह भूमि उपलब्ध नहीं है, वहां यदि ग्रामीणजन भूमि उपलब्ध कराने के लिए तैयार हो तो उसको भी नियमानुसार आधारभूत सुविधाओं के लिए आरक्षित की जानी चाहिए।

नये राजस्व ग्राम के प्रस्ताव भेजते समय निम्न सूचना आवश्यक रूप से भिजवाई जावे

1. जिले का नाम
2. मूल गांव का नाम
3. नये प्रस्तावित गांव की आबादी/ढाणी/मजरे का प्रचलित नाम मय खसरा नम्बर
4. प्रस्तावित नये गांव का नाम

(1) प्रस्तावित नाम
(2) क्षेत्रफल
(3) आबादी का क्षेत्रफल
(4) रकबा—एक फसली
(5) रकबा—दो फसली
(6) भू–राजस्व

5. प्रस्तावित ग्राम में आधारभूत सुविधाएं हैं अथवा नहीं

(1) डाक घर
(2) विद्युतीकरण
(3) जल प्रदाय
(4) रेलवे स्टेशन
(5) सड़क
(6) औषधालय/चिकित्सालय
(7) अन्य

240

6. प्रस्तावित गांव की रेलवे स्टेशन तथा घर से दूरी

7. नया राजस्व ग्राम बनाये जाने के पश्चात् रेलवे स्टेशन, डाक घर इत्यादि का नाम बदलना आवश्यक हो तो बताया जावे

8. नया राजस्व ग्राम घोषित किये जाने के फलस्वरूप पंचायत/पटवारी/भू-अभिलेख निरीक्षक के मुख्यालय में कोई प्रस्तावित परिवर्तन

9. प्रस्तावित गांव की मुख्य आबादी/केन्द्र बिन्दु की वर्तमान की दूरी

10. प्रस्तावित गांव का मुख्य केन्द्र बिन्दु जहां आधारभूत सुविधाएं प्रस्तावित हैं

अतः नये गांव का प्रस्ताव भेजते समय उपरोक्त सभी सूचना सहित प्रस्ताव राजस्व मण्डल के माध्यम से राज्य सरकार को भिजवाये जावें, ताकि उन पर विचार कर राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व गांव घोषित किये जाने के आदेश प्रसारित किये जा सकें।

ह०/-
प्रमुख राजस्व सचिव

परिशिष्ट–7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 448 का विवरण)

सिवायचक भूमि की सूची (काबिल काश्त भूमि) तहसील उदयपुरवाटी

नाम ग्राम	ख. नं.	क्षेत्रफल	किस्म	डिवि
बागोरा	188	1.27	का. III	अविसमन
	223	0.72	,,	,,
	436	1.32	,,	,,
	455	0.31	का. III 0.08	,,
			गै. घू. 0.23	,,
	459	0.15	का. घू.	,,
	460	0.34	,,	,,
	457	1.03	,,	,,
	461	0.66	,,	,,
	462	0.17	का III 0.05	,,
			गैतू 42.5 0.12	
	468	1.55	का. III	,,
	योग		7.52	
मनकासास	529	1.07	बजड	आदिग्राम
	535	0.22	का. डि.	,,
	544	0.28	,,	,,
	545	0.36	बजड़ ई. गैगू	,,
			0.28. 0.08	,,
	547	0.33	बजड़	,,
	549	0.15	,,	,,
	532	0.37	का. डि.	,,
			0.30 0.07	
	योग		2.78	

गिराठी

मण्डावा

खोई

तहसीलदार (भू. अ.)

उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

परिशिष्ट–8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 450 की प्रति)

राजस्थान सरकार
राजस्व (सीलिंग (ग्रुप–8) विभाग

क्रमांक : एफ 6(78) राज/ग्रुप–8/95 जयपुर, दिनांक 16 जनवरी, 1997

अधिसूचना

यह कि मैसर्स नेशनल इंजीनियरिंग इण्डस्ट्रीज लि. कम्पनी की ग्राम–गोपालपुरा, जयपुर स्थित खातेदारी कृषि भूमि खसरा नं. 331/366, 331,343,344,345,346, 347, 355, 355/367 एवं 355/368 कुल 36.41 एकड़ भूमि पर बिड़ला सेन्टर फार मेडिकल रिसर्च को अस्पताल की सहायक सेवाओं के लिए राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 की धारा 22(2) के तहत निम्न शर्तों के अधीन कृषि सीलिंग के अन्तर्गत छूट प्रदान किये जाने की राज्य सरकार की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है :—

1. भूमि का उपयोग केवल अस्पताल प्रयोजनार्थ ही किया जायेगा ।
2. कम्पनी द्वारा निर्माण का मानचित्र उक्त छूट की तिथि से 3 माह के अन्दर जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को प्रस्तुत कर दिया जायेगा ।
3. जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्माण के मानचित्र की स्वीकृति के 3 वर्ष की अवधि के अन्दर कम्पनी द्वारा निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जावेगा ।
4. कम्पनी द्वारा गठित संचालन मण्डल में राज्य सरकार के 3 प्रतिनिधि यथा-प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, प्रमुख सचिव/सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग एवं निदेशक/प्राचार्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (जिसे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा नियुक्त/प्राधिकृत किया जावेगा) होंगे ।
5. कम्पनी द्वारा बहिरंग विभाग (ओ. पी. डी.) में समाज के आर्थिक रूप में कमजोर वर्ग के 20% मरीजों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी तथा अन्तरिंग विभाग (भर्ती का/इंडोर में 10% शैयाएं रियायती दरों पर इस वर्ग के मरीजों के लिए आरक्षित/उपलब्ध रहेगी, जिसमें सभी प्रकार की सुविधाएं जैसे —ऑपरेशन शुल्क/विभिन्न परीक्षण शुल्क भी सम्मिलित होंगे ।
6. उपरोक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर कृषि सीलिंग में प्रदत्त छूट तुरन्त प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी ।

आज्ञा से,
ह०
(आई. सी. श्रीवास्तव)
प्रमुख शासन सचिव, राजस्व

परिशिष्ट–9

परिशिष्ट "अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या 456 की प्रति)

FORM 12 'A'

(See Ruls 39 (2))

OFFICE OF THE JAGIR COLLECTOR, DISTRICT JAIPUR

Certficate ot the payment of annuity in propetuity under clause 7 of the Second Schedule to the Rajasthan Land Reforms and Resumption of jagirs Act. 1952.

Name of the Jagirs कानरपुरा व दौलतपुरा Tehsil चौमूं District जयपुर Name of Institution मन्दिर श्री सीतारामजी कानरपुरा पुजारी महन्त योगेश दास चेला बंशीदास मन्दिर श्री सीताराम जी Claim No 145, 147, 148, 149.

This is to certify that (Name of Institution) ... . being a (Wature of the Institution) whether religious, educational or charitable. धार्मिक Institution) has been held under section 26 and clause(7) of the secoand Schedule to the Rajasthan Land Reforms and Resumption of Jagirs Act. 1952 to be entitled to annuity in preucteity of Rs. 152-43 (in words Rupees एक सौ बावन एवं तैतियालीस account of the resumption of the above noted jagir with effect from ....197. The annuity will be paid to the said Institution by the Devasthan Commissioner, Director of Education, Rajasthan debitable to his budget grant commencing one year from the date of resumption of the Jagir.

It is further certified that a total amount of Rs ... has already been paid on this account by way of inferim compensation and is to be deducted from the annuity payable as above.

Issued this 1st day of the month of Nov. year 1996 under my hand and seal of the Court.

Collector (Jagir)
District Jaipur

परिशिष्ट 'ब'

कार्यालय कलक्टर, जयपुर

क्रमांक : जागीर/42 दिनांक 8/7/98

आयुक्त
देवस्थान विभाग
उदयपुर

विषय :—विधान सभा अता. प्रश्न संख्या 934 माफी मन्दिर श्री सीतारामजी ग्राम कानरपुरा तहसील चौमूं की एन्यूटी बाबत ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत शासन उप सचिव देवस्थान विभाग से दूरभाष पर हुई वार्तानुसार आपके पत्र दिनांक 15-4-97 एवं 4-11-97 के सन्दर्भ में निवेदन है कि ग्राम कानरपुरा पूर्व में तहसील आमेर के अन्तर्गत आता था, परन्तु तहसील चौमूं का नवगठन हो जाने के कारण उक्त ग्राम तहसील चौमूं के अन्तर्गत आता है इसलिए संशोधित प्रपत्र 12 (क) में ग्राम कानरपुरा के नाम के आगे तहसील चौमूं अंकित किया गया है । कृपया संशोधित प्रपत्र 12 (ख) जारी कर भिजवाने की व्यवस्था करावें ।

भवदीय
कलक्टर, जयपुर

परिशिष्ट-10

(अतारांकित प्रश्न संख्या 458 की सूची)
प्रश्न के भाग 1 की सूची

क्र.सं.	विद्यालय का नाम
1	2
	(छात्र विद्यालय)
1–	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नथावड़ा
2–	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मेवड़ा
3–	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चुवा
4–	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पालड़ी कलां
5–	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पुन्दलोता
6–	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय माण्डल जोधा
7–	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय किरोदा
8–	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चुई
9–	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हिरणी ढाणी
10–	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हरसौर
11–	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बंबरला
12–	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय इग्यासनी
13–	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय डाबोली मीठी
14–	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चान्दारूण
15–	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय राजलोता
16–	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय निम्बडी कलां
17–	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पालियास
18–	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चान्दनी
19–	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बुटाटी
20–	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय डेगाना गांव
21–	राजकीय चउच प्राथमिक विद्यालय डेगाना जंक्शन
22–	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रामसरी
23–	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय राजोद
24–	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सारसण्डा
25–	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय लंगोड़
26–	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय झमडवास
27–	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गोरेडीकरण
28–	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय तिलानेस

1	2
29–	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय ग्रान्तरोली कलां
30–	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बछवारी
31–	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय थाटा
32–	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चौसली
33–	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पुनास
34–	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जालसू कलां
35–	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय निम्बोला कलां
36–	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जालसू खुर्द
37–	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मोगास
38–	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चोलियास
39–	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बरना
40–	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खेरवा
41–	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गोनेरड़ा
42–	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय ढाणीपुरा
43–	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय लाड़पुरा
44–	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सनेड़िया
45–	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय थांवला
46–	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कोड
47–	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बाडीघाटी
48–	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मोडीकलां
	(छात्रा विद्यालय)
49–	राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय थांवला
50–	राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय ग्रालनियावास
51–	राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय डेगाना गांव
52–	राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय जाखेड़ा
53–	राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय हरसौर
54–	राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय चान्दारूण
55–	राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय साम्भू
56–	राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय मांझी

परिशिष्ट-11

(अतारांकित प्रश्न संख्या 463 की प्रति)

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक : प 14 (7) शिक्षा–2/96 जयपुर, दिनांक 17.12.1996

निदेशक,
प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर।

विषय :—चित्रकला अध्यापक संघ की मांगों बाबत।

सन्दर्भ :—आपका पत्र क्रमांक शिविरा/निजी/स्टा. आफिसर/96
दिनांक 16.11.96

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि 1989 में 10+2 योजना लागू होने से पूर्व राज्य के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में द्वितीय वेतन शृंखला चित्रकला अध्यापक के जितने पद स्वीकृत थे उतने पदों पर जिलेवार चित्रकला अध्यापकों की तृतीय वेतन शृंखला की पात्रता सूची में राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम, 1971 के प्रावधानान्तर्गत पदोन्नति की कार्यवाही की जाये। 1989 से पूर्व जिन उच्च माध्यमिक विद्यालयों में चित्रकला वैकल्पिक विषय संचालित था यदि उनमें भी द्वितीय वेतन शृंखला के पद स्वीकृत थे तो उन्हें भी पदोन्नति के पदों की उपरोक्त गणना में शामिल किया जाए।

यह निर्णय संगीत अध्यापकों पर भी लागू होगा।

भवदीय,
ह०/–
उप शासन सचिव–प्रथम

राजस्थान सरकार

ओर से : कार्यालय निदेशक,
प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर ।

को :— उप शासन सचिव
शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग,
जयपुर ।

क्रमांक : शिविरा/संस्था/वरि/के–4/11356/आरईएसएस–71/92–28

दिनांक : 5.2.93

विषय :—आरईएसएस–71 के सेक्शन सी. डी. ई एवं एफ को विलोपित कर नया सेक्शन "सी" (सामान्य) अध्यापक संशोधित करने हेतु ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 4 एवं 5 नवम्बर 92 को निदेशालय में अधिकारियों की बैठक में पारित निर्णय "नई शिक्षा नीति 1986 के लागू होने के पश्चात् उच्च प्राथमिक विद्यालयों में चित्रकला, संगीत एवं उद्योग विषय की पढ़ाई नहीं हो रही हैं । अतः इन विषयों के लिए अध्यापक नियुक्त करने का कोई औचित्य नहीं है ।" उक्त बैठक के बिन्दु 2, 3 के निर्णय अन्तिम भाग "राजस्थान अधिनस्थ शिक्षा सेवा नियम–1971 के ग्रुप–सी. डी. ई. एफ को विलोपित कर "सी" से एफ तक सभी अध्यापकों को सामान्य अध्यापक के रूप में ग्रुप–सी में समायोजित कर लिया जाय ।"

अतः उक्त निर्णय की पालना में आरईएसएस–71 के नियम- 4 व 29 (9) तथा सेक्शन सी से एफ विलोपित कर नया सेक्शन "सी" (सामान्य अध्यापक) प्रतिस्थापित किये जाने हेतु अधिसूचना प्रारूप तैयार कर प्रेषित किया जा रहा है, जिस पर राज्य सरकार से आवश्यक संशोधन करवाकर यथाशीघ्र अधिसूचना जारी कराने का कष्ट करावें ।

संलग्न :—उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,
ह०/–
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर ।

परिशिष्ट-12

(अतारांकित प्रश्न संख्या 472 की सूची)

परिशिष्ट—"क"

संस्था के उद्देश्य

इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य है :—

1— धार्मिक प्रचार व प्रसार ।

2— योग का सैद्धान्तिक व प्रायोगिक प्रचार ।

3— मन्दिरों का सह निर्माण एवं पुनर्स्थान करना, कराना ।

4— योग, भक्ति ज्ञान आदि की पुस्तकों का संग्रह एवं प्रचार, प्रसार संरक्षण कार्य ।

5— तन्त्र योग एवं ज्योतिष आदि में अनुसंधान कार्य करना ।

6— समय-समय पर धार्मिक यज्ञ, अनुष्ठान, हवन आदि लोक कल्याण की कामना से करना, व प्राणी मात्र की कल्याण के लिए करना व कराना ।

उपरोक्त उद्देश्यों को पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं हैं ।

परिशिष्ट– 'ख"

ज्ञान संस्थान के पदाधिकारी एवं सदस्यों की सूची

1— पीठाधीश्वर	डा. योगेश मिश्र
2— अध्यक्ष	डा. जल सिंह
3— उपाध्यक्ष	रमाकान्त शर्मा
4— महामंत्री	विजय प्रकाश भारद्वाज
5— मंत्री	बाबूलाल लवानिया
6— कोषाध्यक्ष	दौलत सिंह
7— प्रचार प्रसार मंत्री	नाथूलाल मेहता
8— सदस्य	राकेश प्रसाद शर्मा
	मुकेश शर्मा
	श्रीमती विनोद फौजदार
	श्रीमती रेखा फौजदार
	श्री दिनेश सिंह
	श्री जानकी प्रसाद शर्मा
	श्रीमती विजय लक्ष्मी भारद्वाज
	श्रीमती (डा.) सुमन रावत
	संजीव कुमार
	श्रीमती कमलेश शर्मा
नये सदस्य	श्री प्रदीप कुमार सिंह
	मैनेजर आर. एफ. सी. जयपुर
	श्री ओम प्रकाश शर्मा
	बी–213 मालवीय नगर, जयपुर
पुजारी पर नियुक्त	श्री रमेश चन्द शर्मा
	श्री गदा शंकर शर्मा
प्रस्तावित सदस्य	श्री रोशन लाल शर्मा है
नये चुनाव	शीघ्र ही कराये जाने का प्रस्ताव है

परिशिष्ट-13

(अतारांकित प्रश्न संख्या 476 का विवरण)

परिशिष्ट–1

योजना का नाम–सुनिश्चित रोजगार योजना

क्र. सं.	स्वी. क्रमांक व दिनांक	वाटर शेड का नाम	क्षेत्रफल	लागत (लाखों में)	कार्य. ऐजेन्सीज
1	2	3	4	5	6
1.	8687–93/30.9.97	हडमतिया-I	500	20.00	एन.एम. सदगुरुवाटर
2.	,,	,, II	430	17.20	एंड डवलपमेन्ट फाउ-
3.	,,	तरकिया-I	500	20.00	न्डेशन दाहोद ।
4.	,,	,, II	500	20.00	(प्रारंभिक औपचारि-
5.	,,	,, III	500	20.00	ताएं पूर्ण करने के
6.	,,	,, चार	500	20.00	उपरान्त कार्य प्रारम
			2930	117.20	होगा ।
7.	,,	करणी-I	430	17.20	पंचायत समिति बागीडोरा
8.	,,	करणी-II	435	17.40	,, (जलग्रहण विकास
9.	,,	टाण्डीमोटी	495	19.80	एवं भू-संरक्षक
10.	,,	बीकानेर	500	20.00	विभाग को कार्य
11.	,,	घोडिया	415	16.60	स्थानान्तरित कर
			2275	91.00	आवंटित कर दिया गया है)
12.	,,	सरवई-I	500	20.00	पंचायत समिति आनंदपुरी
13.	,,	सरवई-II	355	14.20	,, (कृभको दाहोद
14.	,,	आमलिया	365	14.60	,, को कार्य आवं-
15.	,,	नवाघरा	300	12.00	,, टित किया जाना
16.	,,	गांडव	490	19.20	,, प्रस्तावित है)
			2000	80.00	

1	2	3	4	5	6
17.	8687-93/30.9.97	तेजपुरा	450	18.00	प्रकृति फाउन्डेशन, दोहाद
18.	,,	चिकलीतेजा	460	18.40	,, (पंचायत द्वारा उक्त
19.	,,	डिफलोर	500	20.00	,, संस्था को कार्य
20.	,,	चिकलीबादरा	412	16.48	,, करने की सहमति
21.	,,	वरेठ	500	20.00	,, नहीं दिये जाने की
22.	,,	झेर	470	18.80	,, स्थिति में जल-ग्रहण विकास एवं
			2792	111.68	भू-संरक्षण विभाग को कार्य स्थानान्तरित कर आवंटित किया गया है)

<u>योजना का नाम —डीपीएपी</u>

1	2	3	4	5	6
23.	प 2(13) वियो/4/95 दिनांक 8. 11. 96	गढा रोहनवाडी-I	535	16.00	जलग्रहण विकास भू-संरक्षण विभाग बांसवाड़ा
24.	,,	,, II	400	16.00	,, (कार्य प्रारंभ हो
25.	,,	,, III	415	16.60	,, गया है)
26.	,,	,, चार	460	18.40	,,
27.	,,	,, पांच	445	17.80	,,
			2260	88.80	
28.	8694-8710/30.9.97	उदयपुरा-पिपापुरा-I	5[illegible]0	20.00	जलग्रहण विकास
29.	,,	,, ,, -II	590	20.00	एवं भू-संरक्षण,
30.	,,	,, ,, -III	595	20.00	बांसवाड़ा।
31.	,,	राजपुरा-प्रथम	575	20.00	,,
32.	,,	,, -II	595	20.00	,,
33.	,,	,, -III	590	20.00	,,
34.	,,	,, -चार	450	18.00	,,
			3905	138.00	
		महायोग :	16162	626.68	

परिशिष्ट–2

क्र. सं.	नाम जलग्रहण क्षेत्र	कार्य की गतिविधि	व्यय 96-97	व्यय 97-98	कुल व्यय	व्यय 98-99 जून, 98 तक
1	2	3	4	5	6	7
1.	गढा रोहनवाडी-I	1. पीग्राईए	1.32	1.19	2.51	—
		2. भू संरक्षण कार्य	4.72	2.11	6.83	1.10
		3. उत्पादन कार्य	0.12	1.29	1.41	—
		4. पशु धन विकास	0.03	0.08	0.11	—
			6.19	4.67	10.86	1.10
2.	गढा रोहनवाडी-II	1. पीआईए	0.86	0.38	1.24	—
		2. भू संरक्षण कार्य	—	2.96	2.96	1.53
		3. उत्पादन कार्य	—	—	—	0.32
		4. पशुधन विकास कार्य	—	—	—	—
			0.86	3.34	4.20	1.85
3.	गढा रोहनवाडी-III	1. पीग्राईए	0.73	0.34	1.07	—
		2. भू संरक्षण कार्य	0.46	5.31	5.77	0.60
		3. उत्पादन कार्य	—	0.28	0.28	—
		4. पशुधन विकास	0.03	0.10	0.13	—
			1.22	6.03	7.25	0.60
4.	गढा रोहनवाडी-4	1. पीग्राईए	1.65	0.40	2.05	—
		2. भू संरक्षण कार्य	0.88	4.23	5.11	1.85
		3. उत्पादन कार्य	0.17	1.48	1.65	—
		4. पशुधन विकास	0.05	0.35	0.40	—
			2.75	6.46	9.21	1.85
5.	गढा रोहनवाडी-5	1. पीग्राईए	—	0.86	0.86	—
		2. भू संरक्षण कार्य	—	2.78	2.78	1.23

1	2	3	4	5	6	7
		3. उत्पादन कार्य	—	—	—	0.37
		4. पशुधन विकास	—	—	—	—
			—	3.64	3.64	1.60
		महायोग —	11.02	24.14	35.16	7.00
6.	राजपुरा-I	1. पीआईए	—	0.54	0.54	0.89
7.	राजपुरा-II	1. पीआईए	—	0.54	0.54	0.78
8.	राजपुरा-III	1. पीआईए	—	2.12	2.12	1.92
9.	राजपुरा-4	1. पीआईए	—	2.71	2.71	3.12
			—	5.91	5.91	6.71
10.	उदयपुरा-पिथापुरा-I	1. पीआईए	—	0.85	0.85	0.95
11.	उदयपुरा-पिथापुरा-II	2. पीआईए	—	0.54	0.54	0.95
12.	उदयपुरा पिथापुरा-III	3. पीआईए	—	0.54	0.54	0.93
			—	1.93	1.93	2.83